राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का २९वां दिवस [संख्या २१

बुधवार, दिनांक २४ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कारावास, वन, उद्योग, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, विद्युत एवं आयुर्वेद-विभाग]

प्रश्न संख्या ४८५

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

सरकारी कृषि फार्म, उम्मेदगंज

४८६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) सरकारी कृषि फार्म उम्मेदगंज के लिये वन विभाग से कितनी भूमि कब दी गई ?

(२) उक्त जंगल से जंगल साफ करने के लिये क्या क्या व्यवस्था की थी और उससे कितनी आय हुई ?

(३) क्या यह सत्य है कि जंगल ठेके से व सरकारी व्यय से साफ करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) वन विभाग द्वारा सरकारी कृषि फार्म उम्मेदगंज के लिये अलग अलग तारीखों में १६१४ एकड़ भूमि दी गई है।

(२) इस क्षेत्र से जंगल साफ करने के लिए विभाग एवं ठेकेदार द्वारा कार्यवाही की गई जिसकी कुल आय ७९,१९१ रु० हुई।

Page No 2

(श्री भीखाभाई)

(३) जी हां। इस क्षेत्र के कुछ कूप कृषि फार्म को हस्तान्तरित करने से पहिले नीलाम किये जा चुके थे अतः उनकी कटाई ठेकेदार द्वारा की गई। बाकी क्षेत्र विभाग द्वारा साफ किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खंड (१) में उत्तर दिया उसके साथ में यह नहीं बताया कि यह भूमि कब दी गइ ?

श्री भीखाभाई : अलग अलग तारीखों में दी गई ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह कब दी गई ?

श्री भीखाभाई : ६-१-६० को १,२४९ एकड़ दी गई, १२-६१ को २६१ एकड़ दी गई है और १२-१-६२ को १०४ एकड़ दी गई है। इस प्रकार कुल मिला कर १६१४ एकड़ भूमि दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि इस जंगल को साफ करने के लिए स्वयं वन विभाग के द्वारा बिना कूप्स में इसे बांटे ठेका दिया गया था ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा है। मैंने कब 'ना' कहा ? मैंने कहा कि कूप्स बने हैं और कूप्स में बिक्री हुई है, नीलामी हुई है। यह सब बातें कही हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पूछ रहा हूं कि आरम्भ में कुल कितने कूप्स में बांटा था ?

श्री भीखाभाई : दस कूप्स में बांटा था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दस कूप्स में बांटने के बाद कितने कूप्स को आपने मंजूर किया है और ठेकेदार को दे दिये हैं और कितने नामंजूर कर दिया और कितने—का क्या कर दिया ?

श्री भीखाभाई : तीन कूप्स की ठेकेदार के द्वारा कटाई कराई गई है। बाकी के कूप्स जंगलात ने ३,४,६,७,८ कटाई कराई है और ५ और ९ कृषि विभाग ने खुद ने काटे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कुल आपके दस कूप्स थे, तीन कूप्स तो ठेकेदार से कटवाये, इसकी कुल कितनी रकम सरकार को आई। और बाकी के सात खुद काटे या कृषि विभाग से कटाई कराई तो उसने सरकार को क्या दिया ? और इन्हें ठेकेदार को न दिया जाकर अपने विभाग को क्यों दिया ?

श्री भीखाभाई : आप कहना क्या चाहते हैं ? डिपार्टमेंट से काम कराया है उससे इन्कम २७, ८७९ की हुई है। उसके साथ ही ठेकेदार से मिला है वह ७९,१६१ कुल मिला है। आप क्या जानना चाहते हैं ? What is the point which you want to derive at ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि इन दस कूप्स को बना कर आपने इनको नीलाम किया तो ठेके के अन्दर लगभग दो लाख रुपये की ऑफर

Page No 3

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हुई थी ? और सात कूप्स को केवल इसलिए कैंसिल कर दिया कि आपके विभाग ने माना था कि जो ऑफर की गई है वह रकम कम है–यह भी बतायें ?

श्री भीखाभाई : यह सारे डिटेल्स के सवाल है। इसकी जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुल कितनी कटाई जंगलात के विभाग के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा कराई और कितनी में डिपार्टमेंटल वर्किंग किया गया और कितने कूप्स नहीं दिये। जो कृषि विभाग ने लिये, उसके लिए कृषि विभाग और राज्य सरकार में यह फैसला हुआ था कि सोलह एकड़ जमीन है वह फौरन उनको दे दी जाय फार्म बनाने के लिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने सवाल के खंड (३) में पूछा है–"क्या यह सत्य है कि जंगल ठेके से व सरकारी व्यय से साफ करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?" इसके ऊपर दूसरा खंड है, उसमें साफ लिखा है–उक्त जंगल से जंगल साफ करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की थी और उससे कितनी आय हुई? "स्पष्ट था सवाल। उसकी मन्शा यह है कि आरम्भ के अन्दर जब आपके विभाग ने इनके कूप्स बनाये और कूप्स बना कर उन कूप्स को नीलाम किया तो केवल तीन ठेकेदार को दिये, बाकी विभाग से कराया.......

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार को देने की माननीय सदस्य वकालत करते हैं तो बात दूसरी है। मैं निवेदन करूं, सरकार की तरफ से कोई डिपार्टमेंटल काम हो, उसको वह पसन्द नहीं करते हैं। मैंने कहा कि इसमें ठेकेदार से ७६,१६१ रुपए की आमदनी विभाग को मिली है। अब जहां तक वन विभाग का ताल्लुक है और उसके साथ में कृषि विभाग ने जंगल काटे हैं और जंगल काटने पर जो वन विभाग को देना चाहिए उसके लिए कोरेसपोन्डेन्स चल रही है, उसके लिए कह रहे हैं कि जो आमदनी हुई है वह हमको दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ी आसानी से रिमार्क लगा दिया कि ठेकेदार की वकालत करना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं निवेदन करूं, मैं न ठेकेदार की वकालत करता हूं और न किसी और की करता हूं, मैंने तो गवर्नमेंट की वकालत की है; वकालत में सरकार की और सरकारी खजाने की करता हूं। और इस नाते करता हूं कि इस जंगल में चन्दन की लकड़ी थी। इसको जलाने की लकड़ी के हिसाब से बेचा है और उसकी इमारती लकड़ी की रेट नहीं लगाई है। जो लकड़ी ट्रक और गाड़ियों के हिसाब से बेची है, उसको ठेकेदार को बेचा है, उससे करीब सरकार का एक लाख का नुकसान होगा।

श्री भीखाभाई : कूप्स नम्बर १, २, व १० की कटाई हुई है वह ठेकेदार के द्वारा कराई गई है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं या विभाग ने जो कटाई की है उसके बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विभाग ने कटाई की है ।

श्री भीखाभाई : आप स्पेसिफिक सवाल पूछिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्पेसिफिक सवाल है ।

श्री भीखाभाई : ५ और ६ कूप से कितनी आमदनी हुई और किसको दिया गया, इसके आंकड़े और उत्तर दे सकता था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल साफ है । अलग अलग सवाल पूछे हैं । सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन हैं वह भी रिलेवेन्ट है ; कितनी लकड़ी काटी, कितनी बेची, कितनी विभाग ने बेची ? इस विभाग ने बेची तो किस हिसाब से बेची ? यह सप्लीमेन्ट्री है ।

आप जवाब दे दीजिये कि जंगल में चन्दन की लकड़ी थी या नहीं ? इमारती लकड़ी थी या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चन्दन की लकड़ी थी, प्रचुर मात्रा में चन्दन की लकड़ी थी । मैंने यह जंगल देखा था ।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि चन्दन की लकड़ी है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे मालूम नहीं कि उसमें चन्दन की लकड़ी है । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा कि सरकारी कृषि फार्म के लिये वन विभाग से कितनी भूमि कब दी गई और उक्त जंगल से जंगल साफ करने के लिये क्या क्या व्यवस्था की थी ? उसका मैंने उत्तर दिया कि जो व्यवस्था की गई वह यह थी इसको ८—१० कूपों में बांटा गया, जिसमें से कुछ ठेकेदारों द्वारा काटे गये कुछ कृषि विभाग द्वारा जिसमें से ३ और ४ कृषि विभाग ने काटा । इसमें आप क्या कहना चाहते हैं । यह तो सेपरेट प्रश्न है । अगर आप सेपरेट पूछते तो उसका उत्तर देता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप कहते हैं कि यह प्रश्न अलग है । मगर मैं यह कहूंगा कि यह कोई अलग प्रश्न नहीं है । आपसे पहले पूछा गया था कि क्या व्यवस्था की गई । अब यह प्रश्न पूछा है जो पैदा होता है कि यह व्यवस्था अलग अलग क्यों हुई कि कुछ तो विभाग ने काटा और कुछ कृषि विभाग ने और कुछ ठेकेदारों द्वारा कटवाया गया । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने जलाने की लकड़ी का रेट ३ रुपया रखा और जो लकड़ी २० रुपया प्राप्त कर सकती थी वह भी ३) रुपए बैलगाड़ी के हिसाब से ठेकेदार ले गये और वह सारा का सारा जंगल कूड़ा करकट में चला गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह ठेकेदारों से क्यों हटाया और एग्रीकल्चर से कटवाने का क्या कारण है ? अलग अलग क्यों कटवाये गये ?

श्री भीखाभाई : इसका कारण एक मात्र यही था कि उस फार्म को जल्दी जमीन देने का था ।

Page No 5

[redacted]

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमीन देने के बाद उसमें कई वृक्ष ऐसे थे जिन पर बकायदा नाम लिख कर सुरक्षित किये गये थे?

श्री भीखाभाई : सुनाई नहीं दिया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या इस जंगल में जो वृक्ष थे जिन पर बकायदा नाम लिख कर सुरक्षित रखे गये थे जमीन देने के बाद भी, अब वे वृक्ष कहां हैं ?

श्री भीखाभाई : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या उसमें चन्दन के वृक्ष थे ?....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें जरूर घोटाला है; इसमें कोई शक नहीं। आपने जो कूप अलग अलग कटवाये, इसमें यह आशंका है कि तीनों कूप कटवाये उनको कटाने के फलस्वरूप आमदनी हुई वह जलाने की लकड़ी के हिसाब से उठाया गया तब ८० हजार रुपया आया। आपने उसको जलाने की लकड़ी के समान मान कर ठेकेदारों को ठेका दे दिया दिखता है, यह मुझे आशंका है। आपको इस सम्बन्ध में जानकारी करनी चाहिये ।

श्री भीखाभाई : जहां तक पर्सनल जानकारी का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केबिनेट मीटिंग हुई थी और वह २-४-६० को हुई। उसमें यह निर्णय हुआ था कि जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर फार्म शुरू कर दिया जावे और जमीन दे दी जावे :

"Agriculture department should take possession of sixteen hundred acres of land and the trees standing on this should be given to the Agriculture Department and credit should be given to the Forest Department";

यहां तक बात हो चुकी थी । इससे पहले कुछ जंगल कट चुका था और बाकी का काम कृषि विभाग ने करा लिया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मुख्य प्रश्न यह है कि उसमें चंदन के पेड़ थे या नहीं और उनको कटाया तो, क्यों ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्या ने बताया कि उसमें चन्दन के वृक्ष थे और अब कटा लिये हैं। मैं इसकी जानकारी करके बता दूंगा। इसके लिए मैं जांच करा लूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप जांच करा कर जब बतावें उसमें तब यह भी बतावें कि उनको इससे कितनी आमदनी हुई ? अगर ठेका देते तो ज्यादा आमदनी होती या विभाग द्वारा कटाया गया उससे ज्यादा आमदनी हुई ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप इसमें जांच करायेंगे

Page No 6

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो एक और सूचना दे देता हूं कि विभाग के द्वारा जो जंगल कटाया गया क्या उस लकड़ी को केवल एक ही टोंक का ठेकेदार है उसने उठाया ? और केवल एक ही ठेकेदार ने उठाया तो वहां पर मैनेजर शर्मा है, वे भी जानकारी कर लें कि वे भी टोंक के रहने वाले हैं, उनका इसमें हाथ था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर

४८७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को तोड़ा जा रहा है तथा वहां काम करने वाले कलाकारों को २८ फरवरी, १९६५ से सेवा-मुक्त करने का नोटिस दिया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां के मुलाजिम कलाकार लकड़ी का काम आर्ट मैटल वर्क, ड्राइंग, प्रिन्टिंग आदि कलाओं के ज्ञाता हैं तथा कुछ कलाकार तहनिशा जैसी बारीक कारीगरी के ज्ञाता हैं जो जयपुर की प्राचीन दुर्लभ कला है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन कारीगरों की तनख्वाह चपरासियों की तनख्वाह से ज्यादा नहीं है और सर्विस टर्मिनेट हो जाने पर ज्यादा से ज्यादा सरकार इनको चपरासियों में शामिल कर देगी ?

(४) क्या इन कलाओं के कारीगरों को कला शिक्षकों के पद से हटा देने से राजस्थान की कारीगरी को जो इने गिने कलाकार जानते हैं, धक्का नहीं लगेगा ?

(५) क्या यह भी सही है कि इन गरीब कलाकारों को तो सेवा-मुक्त करने का नोटिस दिया गया, पर इस इन्स्टीट्यूट के प्रिन्सिपल को नहीं दिया गया ?

(६) क्या यह भी सही है कि यहां के प्रिन्सिपल को सात इन्क्रीमेंट्स में एक साथ दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं। तोड़ा नहीं जा रहा है। इस संस्था के कलाकारों को नोटिस दिया गया था, परन्तु अब वापिस ले लिया गया है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं, उन्हें ५ इन्क्रीमेंट एक साथ दिये गये थे न कि ७। राजस्थान जन-सेवा आयोग की अनुमति से दिये गये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह कहां पर चल रहा है और आगे किस तरह से चलेगा ?

Page No 7

श्री चन्दनमल वैद : यह जयपुर में चल रहा है। इसको रीऑगनाइज करने की बात चल रही है; यह नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से चलेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें शिक्षक कितने हैं।

श्री चन्दनमल वैद : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रतापनगर द्वारा अवाप्त की गई भूमि

४८८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतापनगर के लिये सन् १९४७ में जो ६३१ बीघा भूमि एक्वायर की गई थी वह आजकल किस किस के कब्जे में है ?

(२) यह भूमि कौन से गांवों के किसानों से ली गई थी और उनको कितना कितना मुआवजा दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी के भंग होने के बाद उसके मकानात जिन लोगों ने खरीदे हैं वे शरणार्थी नहीं हैं ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) श्री भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतापनगर के लिए सन् १९४७ में ६२८ बीघा भूमि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा दी गई थी जिसमें से ३७८ बीघा सोसायटी के कब्जे में है तथा २५० बीघा सरकार द्वारा वापिस ले ली गई।

(२) चूंकि यह भूमि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा दी गई थी अतः इस सम्बन्ध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(३) जी हां, सोसाइटी के अवसायन में आने के पश्चात् १४ सदस्यों ने मकान बेचे हैं जिनमें से निम्न सात व्यक्ति ऐसे हैं जो शरणार्थी नहीं हैं :

(१) श्रीमती ऊषा दुर्गाशंकर शर्मा

(२) श्री शिवलाल धनशीराम शर्मा

(३) श्री बल्लभचन्द्र कुम्मावत

(४) श्रीमती वरदीबाई मोतीलाल अग्रवाल

(५) श्री कल्याणमल जैसनी

(६) श्रीमती फूलकंवर अग्रवाल

(७) श्रीमती तुलसीबाई बलदेवजी।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने प्रश्न के भाग (२) में उत्तर दिया कि उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने उनकी जमीन मुफ्त में कैसे ली ? सरकार को चाहिये कि उनको उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए।

श्री भीमसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि यह जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी

(श्री भीमसिंह)

को भूत–पूर्व मेवाड़ स्टेट द्वारा दी गई थी, इसलिये हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि मेवाड़ स्टेट ने उनको मुआवजा दिया या नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार किसी प्रकार से इसकी जानकारी कर सकती है कि उनको मुआवजा मिला या नहीं ?

श्री भीमसिंह : पहले के रेवेन्यू रेकॉर्ड की कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह आपने इस बात की जानकारी करने की कोशिश कब से की कि उन लोगों को मुआवजा मिला या नहीं ?

श्री भीमसिंह : जब से यह प्रश्न पूछा गया तब से।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न तो सन् ६२ से चल रहा है। क्या सरकार इसकी जानकारी करने के लिये सन् १९६२ से प्रयत्न कर रही है ?

श्री भीमसिंह : यह तो मैं नहीं कह सकता कि ६२ से हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : सोसायटी को यह जमीन दी गई थी वह मकान के रूप में है या काश्त के रूप में है ?

श्री भीमसिंह : जो जमीन मकान के नीचे है वह तो है बाकी ज़मीन उनसे वापिस ले ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या मकान बनाने के लिये राजस्थान सरकार से आबादी में कृषि भूमि को परिणत करने के लिये आज्ञा ली है ?

श्री भीमसिंह : राजस्थान सरकार का प्रश्न नहीं उठता। स्टेट के समय में मेवाड़ सरकार से यह जमीन ली थी। जिसमें से ३७८ बीघा जमीन सोसाइटी के कब्जे में है और २५० बीघा सरकार द्वारा वापिस ले ली गई।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार उस जमीन को जो बाकी बची हुई थी और मकान के अलावा बची है उस जमीन को उन किसानों को वापिस देगी जिनसे ली थी ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : किसानों को वापिस देने का प्रश्न पैदा नहीं होता मेवाड़ स्टेट ने यह भूमि दी थी मकान बनाये। यह मर्जर से पहले की बात है उनको मुआवजा मिला या नहीं, उसके रेकॉर्ड उपलब्ध करने की कोशिश की जा रही है। अगर रेकॉर्ड मिल जाता है तो सूचना दे दी जावेगी और रेकॉर्ड नहीं मिलेगा तो अफसोस जाहिर कर देंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : अफसोस जाहिर करने की क्या बात है ? ये लोग आपस में मिल कर जमीन को बांट रहे हैं। ये लोग घर को छोड़ कर कहीं बाहर चले गये हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी भूमि उन किसानों को वापिस क्यों नहीं दी जाए ?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया गया है। जो जमीन खाली है वापिस ले ली गई। जहां मकान बनाये जाने थे मकान बनाये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सोसाइटी लिक्विडिशन में है और जो मकान बने हुए हैं वे सोसाइटी के एसेट्स हैं या लिक्विडेटर के कब्जे में हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सोसाइटी लिक्विडेशन में है और इसके लिए कार्यवाही चल रही है। इसमें जो भी कार्यवाही होगी वह होगी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह मतलब नहीं है। लिक्विडेशन में जो कुछ होगा, होगा। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि मकान बने हुए हैं वे सोसाइटी के एसेट्स हैं या लिक्विडेटर के कब्जे में हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त तो इन्डिविजुअल्स के कब्जे में है। बाद में जैसा होगा, होगा। यह तो डिटेल के बाद की बात है। जो कानूनी कार्यवाही होगी वह होगी।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह कि वे अभी तक सोसाइटी के एसेट्स हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यह निवेदन कर दूं कि जमीन सोसाइटी को अलॉट की थी और सोसाइटी ने इन्डिविजुअल जो सदस्य थे उनको प्लॉट अलॉट किये और इन्डिविजुअल्स ने अपने इन्वेस्टमेंट करके कुछ कर्जा भी लिया और मकान बनाये। ये मकान सोसाइटी के फन्ड से बने हुए हों ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे एसेट्स हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी यह नहीं कहा जा सकता। आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह सही है कि लिक्विडेशन में कार्यवाही चल रही है, मगर अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कितना जल्दी ?

श्री मथुरादास माथुर : आज ही तार दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला !

नाहरगढ़ व किशनगंज से रामगढ़ सड़क निर्माण कार्य

४६८. **श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नाहरगढ़ व किशनगंज से रामगढ़ सड़क हेतु जो धन-राशि वर्ष ६३-६४ में स्वीकृत हुई, उसका क्या उपयोग हुआ ?

Page No 10

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(२) उक्त सड़कों के कार्य की क्या प्रगति है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) भंवरगढ़ नाहरगढ़ रोड पर खर्चा नहीं किया जा सका तथा किशनगंज, छीनोद रामगढ़ रोड के लिए वर्ष १९६३-६४ में प्रावधान नहीं था।

(२) भवरगढ़ नाहरगढ़ रोड पर वर्ष १९६४-६५ में फरवरी १९६५ तक २९, १०१ रु० तथा किशनगंज छीनोद रोड पर ४,३०५ रु० का कार्य हुआ है।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : क्या बना, सड़क बनी, पुलिया बनी या मिट्टी डाली ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप जाकर देख आयें, पता चल जायगा।

श्री विजयपाल कटारा : फिर आप यहां बैठे बैठे क्या करते हैं? आपसे मिलने आते हैं तो समय नहीं देते हो !

श्री हरिश्चन्द्र : आप तो कभी आये ही नहीं मेरे पास।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : नवम्बर १९६४ में नाहरगढ़ रोड के लिए टेन्डर्स कॉल किये और स्वीकृत हुए, वह कार्य कब शुरू हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : नाहरगढ़ सड़क के लिए जैसा कि मैंने कहा अब तक २९,१०१ रुपया खर्च हुआ है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह कार्य कब शुरू हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : काम चल रहा है काफी अर्से से। १२ मील की सड़क है, ६ माइल का काम पहले हो चुका था। १० से १२ तक का काम चल रहा है, जिसमें सी. डी. वर्क भी है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : नवम्बर में टेन्डर कॉल किये, स्वीकृत हुए जिस काम के लिए, वह काम कब चालू हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : ६४-६५ में ३० हजार रुपया स्वीकार हुआ। आप चाहते हैं कि सारी सड़क पर काम हो, वह नहीं हो सकता क्योंकि उतना रुपया नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मेरा प्रश्न यह है कि जो सड़क बनाने के लिए स्वीकृति हो चुकी थी, बजट में उस काम के लिए प्रोवीजन रखा था, टेन्डर्स कॉल किये, ६४ के नवम्बर में टेन्डर्स स्वीकार हुए बारां के ठेकेदार के नाम खोले गये थे। सड़क बनाने के लिए केवल आपके डिपार्टमेंट से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका।

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है, टेन्डर्स हैवी हों इसलिए दुबारा कॉल किये गये हों।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : टेन्डर्स हैवी नहीं थे, आपके रेट्स के माफिक थे और उसके नाम इसीलिए स्वीकृत हुए थे, बारां के किसी ठेकेदार के नाम खुले। वह हमें

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

मिला, मैंने पूछा तो कहा कि टेन्डर स्वीकृत हो गये, पर काम इसलिए शुरू नहीं हुआ कि डिपार्टमेंट ने स्वीकृति नहीं दी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वर्क ऑर्डर नहीं मिला।

श्री हरिश्चन्द्र : वर्क चल रहा है, इसलिए वर्क ऑर्डर तो मिल गया होगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कब से शुरू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि २९ हजार तो खर्च हो चुका है। तो काम शुरू हो चुका है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : काम कब शुरू हुआ, तारीख बता दीजिये।

श्री विजयपाल कटारा : अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए तो हम यहां पूछते हैं और मंत्री महोदय यह उत्तर दे देते हैं कि आप देख आवें....

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

जेल विभाग में पेन्शन के मामले

४६०. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जेल विभाग में कितने मामले इस समय पेन्शन के पेंडिंग है ?

(२) सम्बन्धित व्यक्ति तब कब रिटायर हुए ?

कारावास मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) १३ केसेज पेंडिग हैं।

(२) सम्बन्धित रिटायर हुए व्यक्तियों के नाम व तिथि निम्न हैं :—

श्री अध्यक्ष : नाम पढ़ने की जरूरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सबसे पुराने केस कौन से हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ५९ और ६० के दो केस पुराने हैं, ६२ का १ है, ६४ के ७ केस हैं, १ केस ६५ का है। जो पुराने केसेज हैं उनके लिए मैंने कल ही खींच कर चिट्ठी लिखी है, जांच करवा रहा हूं। इसमें ५९-६० के जो दो केस हैं उनमें यह बात निकली है कि सरकारी रुपया इन पर बाकी है। जेल विभाग को इन्होंने रुपया अदा नहीं किया इसलिए पेन्शन अटका रखी है। इनको कहा कि सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दी नहीं; एक ने कहा है कि सिक्योरिटी दे दूंगा। सिक्योरिटी सफिशियेन्ट होगी तो ए. जी. पेन्शन दे देंगे।

बाकी केसेज में क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ५१ का भी केस है ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी नजर में तो नहीं आया। हां, रामजीलाल का ५१

(श्री मथुरादास माथुर)

का है या ५६ का, यह अंग्रेजी और हिन्दी के ६ की गड़बड़ है।

श्री भैरोंसिंह : ५१ का केस किस कारण पड़ा है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका रेकॉर्ड नये सिरे से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहले वाला खो चुका है। पेन्शन के कागज महालेखापाल के निरीक्षणार्थ भेजे गये हैं। जेल विभाग के रेकॉर्ड में रिटायर्ड लिखा हुआ था, इसलिए पेन्शन का हकदार नहीं माना था। इसलिए झगड़ा यह पैदा हो गया कि वह पेन्शन का हकदार नहीं है क्योंकि मिलिटरी का रिटायर्ड था। बाद में उसने प्रूव किया कि वह पेन्शन होल्डर नहीं रहा है। तब उसके बाद पेन्शन का केस और रेकॉर्ड बनाकर ए०जी० के ऑफिस में भेज दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : १३ केसेज़ पेंडिंग बताए, वे कब से चले आ रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने १२ केसेज़ बताए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बासपुर) : क्या मन्त्री महोदय जो पेन्शन के केसेज़ पेंडिंग हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते और जो रकम बकाया निकलती हो उसके अगेन्स्ट पेन्शन केस सेट ऑफ कर दिया जाय। दोनों चीजों को आप मिक्स-अप मत करिए। दोनों को अलग अलग ओन दी मेरिट्स ऑफ दी केस डिस्पोज़ ऑफ करिए। पेन्शन का केस अगर डिस्पोज़ ऑफ हो जाय, उसके बाद ही जो रकम बकाया निकलती हो, उस रकम के अगेन्स्ट पेन्शन का पैसा सेट ऑफ कर दिया जाय। पेन्शन अमाउन्ट आप विथहोल्ड करिए जब तक रकम बकाया निकलती हो वह पे ऑफ न हो जाय, उसके बाद कन्टीन्यू किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : जो आप कहते हैं वही हम कर रहे हैं। आपने दूसरी भाषा में रखा है। आपने कहा कि रकम बकाया हो तो पेन्शन में से काट ली जाय। हम कहते हैं कि रकम वे बकाया दे दें और पेन्शन ले लें। जिसके पास रकम नहीं है तो सिक्योरिटी दे दे।

श्री भैरोंसिंह : यदि किसी के पास सिक्योरिटी भी नहीं हो तो उसकी पेन्शन में से पैसा काटा जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा निवेदन है कि केसेज़ को डिस्पोज़ ऑफ किया जाय। आपके विचार और मेरे विचार में विभिन्नता इतनी है कि आपने कहा कि डिस्पोज़ ऑफ कर दिए लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्पोज़ ऑफ नहीं किए गए।

श्री मथुरादास माथुर : आपका सोचना भी ठीक है। ए० जी० से बात कर ली जायगी। यह फाइनेन्शिल मैटर है, अगर वे मान लें कि उनके पेंडिंग क्लेम्स पड़ी रहे और पेन्शन के अगेन्स्ट सेट ऑफ की जाय

Page No 13

(श्री मथुरादास माथुर)

तो मुझे आपत्ति नहीं है। उनसे बात करनी पड़ेगी।

प्रश्न संख्या ४६१

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को ऋण व अनुदान

४६२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को अब तक किस किस वर्ष में किस किस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया और किन किन नियमों के अन्तर्गत ?

(२) कितने ऋण अथवा अनुदान का उपयोग अपेक्षित कार्य में किया गया और कितने का नहीं और क्यों ?

(३) किस किस वर्ष का कितना कितना ऋण बाकी है और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्रय विक्रय संघ के उप नियमों के नियम २० के अनुसार संघ को कितना ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है ?

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को अब तक किस किस वर्ष में किस किस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण व अनुदान दिया गया है, की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है। ऋण अथवा अनुदान राजस्थान सहकारी अधिनियम, १९५३ की धारा ३९ के अन्तर्गत दिया गया है। जिस योजना के अन्तर्गत दिया है वह सूची के कॉलम संख्या ४ में अंकित है।

(२) समस्त राशि का उपयोग अपेक्षित कार्य में ही किया गया है। केवल १ लाख रुपया जो ट्रैक्टर की एजेन्सी की जमानत दिये जाने हेतु दिया गया था उसमें से १५,०००) रु० जमानत के कार्य में लग गया और बकाया ट्रैक्टर की खरीद के कार्य में लिया गया चूंकि उस समय फर्म द्वारा ट्रैक्टर पूरे नहीं दिये जा सके।

(३) जो ऋण बकाया है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

१९६०-६१—३५,६६१.९१ १९६१-६२—एक लाख ·००	वसूली की कार्यवाही जारी है।
१९६२-६३—३७,५००·०० १९६४-६५—१५,००,०००	अभी ड्यू नहीं हुआ।

(४) क्रय-विक्रय संघ के उप-नियम के नियम २० के अनुसार संघ को ६० लाख रुपये तक ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

Page No 14

श्री भैरोंसिंह : १९६३-६४ का कितना बाकी है ?

श्री भीमसिंह : १९६२-६३ का तो मैंने निवेदन किया और १९६४-६५ का १५ लाख बाकी है। १९६३-६४ का अलग नहीं छांटा है शायद इस फीगर के अन्दर समावेश न हो।

श्री भैरोंसिंह : आप डेफिनिटली बताएं।

श्री भीमसिंह : दुबारा जांच करके बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि संघ ६० लाख रुपए ऋण प्राप्त कर सकता है। यह निर्णय कब लिया गया ?

श्री भीमसिंह : मैंने कहा कि उपनियम के नियम २० के अनुसार....

श्री भैरोंसिंह : उसमें केवल निर्धारण किया है कि वह कितनी रकम कर्जे के रूप में ले सकता है, लेकिन यह निर्धारण कब किया है ?

श्री भीमसिंह : यह पहले का निर्णय लिया हुआ है। उसकी डेट बाद में दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

पंजाब से सीमावर्ती अलवर जिले के ग्रामों को बिजली

४९३, **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को अलवर जिले के सीमावर्ती इलाकों के लिए जो पंजाब की सीमा के १६ मील के अन्दर अन्दर हैं अपने स्टेशनों जैसे फीरोजपुर, झिरका, तावडू, पाली एवं नारनौल से भाखड़ा की बिजली देने की स्वीकृति दे दी है ?

(२) राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से यह बिजली लेकर अलवर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को देने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाये हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) यह योजना लाभप्रद न होने के कारण अभी तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस कारण कहते हैं कि लाभप्रद नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : किसी भी योजना के लाभप्रद होने के लिए जरूरी है कि उसका रिटर्न १५ प्रतिशत हो। हमने जो इसका सर्वे कराया उससे मालूम पड़ा कि इसका रिटर्न ३.५१, ९.६२ व ३.६८ पर्सेंट मिलेगा; इसलिए हाथ में नहीं लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन कौन से क्षेत्रों का सर्वे आपने कब कब कराया ?

श्री चन्दनमल वैद : किस किस तारीख को किस किस जगह कराया, यह

Page No 15

(श्री चन्दनमल वैद)

फिगर तो मेरे पास नहीं है। एक तो फीरोजपुर से रामगढ़ और मेहरापुर बिजली लाने की योजना थी उसमें अन्दाजा था करीब ८,६०,०००) खर्चा होगा और रिटर्न ३.५१ होगा। और रेवाड़ी बिजलीघर से जो योजना थी उसमें करीब साढे छः लाख के खर्चे का अनुमान था और रिटर्न ६.६२ पर्सेंट था, तीसरी नारनोल बिजलीघर से सराना को जो बिजजी लाइन खींची जायगी उस पर ६ लाख रुपए का अनुमान था और रिटर्न ३.६८ पर्सेंट। इस वास्ते क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार यह सारी योजना अनइकोनोमिक थी, ड्रॉप किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिजल्ट्स हैं, कब आए?

श्री चन्दनमल वैद : जब पंजाब सरकार ने स्वीकार किया कि बिजली दे सकते हैं उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब की है?

श्री चन्दनमल वैद : तारीख नहीं है, लेकिन यह सारी बातचीत अप्रेल १९६३ के बाद हुई। पंजाब सरकार से बातचीत होने के बाद यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि गत वर्ष जुलाई १९६४ में जब अलवर जिले का एक डेप्यूटेशन इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि पंजाब के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में हम शीघ्र ही बहरोड़ तहसील में मुडावर और रामगढ़ बिजली देने वाले हैं। सिर्फ लाइनें डालने का सवाल हैं। यह आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद की बात है।

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : तावड़ू से जो लाइन आ रही है वह भाखरा से ला रहे हैं। महीने भर में लाई जायगी। काम पूरा हो गया है। करीब १५०० किलोवाट बिजली अलवर के अन्दर लानी पड़ेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तावड़ू की तरफ तिजारा पहले ही कनेक्टेड था और खैरथल....

श्री हरिश्चन्द्र : तावड़ू इससे कनेक्टेड नहीं था।

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : वहां तो काम चल रहा है, आपने कहा कि योजना को रिजेक्ट कर दिया।

श्री हरिश्चन्द्र : जो स्कीम चल रही है उसके बारे में बताया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार पोइन्ट्स थे।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने जवाब दिया है कि पंजम के निकट जो गांव हैं उनमें बिजली लाने की योजना थी वह अनइकोनोमिक होने के कारण रद्द कर दी गई। मैं सोचता हूं कि मुझे जो बोर्ड की तरफ से सूचना मिली है वह अधिकृत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अलावा दूसरी योजना कैसे हो सकती है ? नारनोल पंजाब में है।

श्री हरिश्चन्द्र : उसके लिए मैं जानकारी करके बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री, कोटा

४६४. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)**: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) स्ट्रॉ बोर्ड फेक्ट्री, कोटा को जो क्षेत्र घास के लिये दिये गये हैं, उसमें से कितने-कितने क्षेत्र में कब कब आग लगी और उससे अनुमानित कितना २ नुकसान हुआ ?

(२) क्या आग के कारणों की जांच की गई है ? अगर हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) २७-२-६५ को प्रातः ४ बजे (१) बोरकी कुई। (२) रुपपुरा (३) शिवदानपुरा तथा (४) सांकड़ वन खंडों के कुछ भागों में आग लगी थी। लगभग २ वर्ग मील क्षेत्र में सूखे घास के डंठल लापला घास, व गिरी पड़ी सूखी बेकार लकड़ी के जलने से अनुमान है कि १०००) की हानि हुई।

(२) जी हां। आग अनायास किसी राहगीर की लापरवाही से लगना पाया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि आपने जंगलात विभाग के नियमानुसार रेगुलरली फायर रिपोर्ट भी हाथों हाथ तैयार की जाती है ?

श्री भीखभाई : जी हां, करते हैं। जहां पर आग लगी है वह लाइसेन्स एरिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लाइसेन्स एरिया है, उसमें भी फायर रिपोर्ट आपके विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इस सम्बन्ध में भी मौके पर हाथोहाथ कोई फायर रिपोर्ट तैयार की है और वह आपके पास आई है ?

श्री भीखाभाई : डी. एफ. ओ. ने जांच की है उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आपके पास कोई फायर रिपोर्ट आई है।

श्री भीखाभाई : डी. एफ. ओ. ने लिखा है कि घास कट चुका था और निगरानी की जिम्मेदारी थी वह लाइसेन्सी की थी उन तारीखों के अन्दर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इन्टरनल फायर लाइन्स आप अपने जंगलों में कायम करते हैं ? क्या यह व्यवस्था अब बिल्कुल बन्द कर दी गई है ?

श्री भीखाभाई : वह चालू है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चालू है तो इन्टर्नल फायर लाइन्स थी या नहीं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी को यह जंगल दिया है जिसका लाइसेन्स बताते हैं उसमें भी यह व्यवस्था है जो विरोधी दल के माननीय नेता बताते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं यह डेफिनिटली तो नहीं कह सकता ; प्रिज़्मेबली इट शुड बी । जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने बताया है वैसा ही होता है । खास कर जहां घास के बीड़ होते हैं वहां फायर लाइन्स जरूर होनी चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी को इस एरिया में घास काटने के लिए १ नवम्बर से लेकर ३० अप्रेल तक अधिकार दिया है ?

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करूं कि एग्रीमेंट के अनुसार घास काटने के बाद उसके संरक्षण और हिफाजत की जिम्मेदारी कम्पनी वाले की है । यह पीरियड है पहली जुलाई से ३१ मार्च तक ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी के ऊपर १५ हजार रुपये रॉयल्टी के बकाया होने के कारण आपने उस फैक्टरी पर यह शर्त लगाई कि वह श्री कामताप्रसाद की पर्सनल सिक्योरिटी दे तो घास निकाल सकता है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे सम्बन्ध नहीं है । यह तो स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी का सवाल है । माननीय सदस्य इसके लिए जवाब चाहते हैं तो इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध है । क्या यह सत्य है कि श्री कामताप्रसाद के पर्सनल सिक्योरिटी न देने के कारण घास का निकास उस एरिया से बन्द कर रखा है ?

श्री भीखाभाई : क्वाइट इर्रिलेवेन्ट माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं । डिमांड पर वे बोल सकते थे और उनको इस पर जवाब भी मिल सकता था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिलेवेन्ट इसलिये है कि आपने यह स्वीकार किया है कि उस दो मील के एरिया में आग लगी है । उस समय मेरा नम्बर ही नहीं आया था जिससे कि मैं आपसे यह प्रश्न करता । एग्रीमेन्ट के अनुसार घास काटने का पीरियड ३१ मार्च तक है । घास कट रहा था । काट कर रखा हुआ था । कामताप्रसाद पर शर्त लगाई कि पर्सनल सिक्योरिटी दे, उन्होंने नहीं दी । कटा हुआ घास उस जंगल में पड़ा हुआ था । हजारों रुपयों का नुकसान हुआ आग लग जाने से । मैंने इसलिए यह पूछा है कि फायर रिपोर्ट आयी या नहीं । दो मील के एरिया में आग लगी और आप फरमाते हैं कि एक हजार का ही नुकसान हुआ है.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : असंभव है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी की शर्त के अनुसार वाचमैन रखा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाना चाहिये था लेकिन आज तक नहीं रखा हुआ है ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये धन्यवाद । सवाल का उत्तर देने का जहां तक सम्बन्ध है मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है । फिर भी जो आपने कहा है उस पर ध्यान दिया जावेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आग केवल इसलिए लगी है, उनका वाचमैन नहीं है । स्ट्रा बोर्ड फैक्टरी का इन्ट्रेस्ट इतना ही है कि दो लाख का एग्रीमेन्ट है, वह २५ हजार ३० हजार का घास निकालता है...

श्री भीखाभाई : पैसा तो सब का सब देना पड़ता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गवर्नमेन्ट को पैसे मिल जाते होंगे लेकिन आप यह भी तो देखिये कि २५–३० हजार का घास निकालता है, बकाया घास भी तो आप बेच सकते हैं जिससे वहां के लोग ले सकते हैं और उससे सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा । मैं आपको सूचना के लिए बता दूं कि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी का ही आग लगाने में हाथ है, आप इसकी जांच कराइये ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

गंगाशहर नगरपालिका को सड़क निर्माण कार्य के लिये धनराशि

४६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगाशहर नगरपालिका ने आज तक राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिये किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं की है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस नगरपालिका को सड़क निर्माण कार्यों के लिये सहायता राशि देने में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नगरपालिका ने चालू वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण हेतु करीब २० हजार रुपयों की धनराशि की अपने पत्र संख्या एम. बी. जी. ६४ । १२२ दिनांक ३०. ५. ६४ द्वारा मांग की है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं, इस नगरपालिका को रु० ५,०००) का अनुदान सन् १९६१–६२ में दिया गया था । उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार सहायता दी जा सकती है ?

(२) जी हां । अनुदान की राशि नगरपालिकाओं के वर्गीकरण के अनुसार ही दी जा सकती है, स्वायत्त शासन विभाग को वर्गीकरण सही बताने के लिये लिख दिया गया है । नगरपालिका स्वयं को चतुर्थ श्रेणी का होना बताती है, किन्तु इसका वर्गीकरण पंचम् श्रेणी का होना पाया जाता है ।

श्री भीमसेन : सड़कों के लिए कितना ऋण या अनुदान दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वर्गीकरण ठीक होने पर जौनसी उसमें होगी उसको उस तरह से मिल जावेगा ।

श्री भीमसेन : वर्गीकरण कराना सरकार का काम है । यह काम करके सरकार सहायता दे ।

श्री हरिश्चन्द्र : अब जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से मिल सकता है । श्रेणी बदलना चाहते हैं तो स्वायत्त शासन को हमने लिख कर भेज दिया है, वहां से वर्गीकरण होकर आने पर यह हो जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह वर्गीकरण आखिर कितने दिनों में बदल जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये । उसमें कौनसा फर्क है । एल. एस. जी. को लिख कर भेज दिया है कि वर्गीकरण करके जल्दी से जल्दी भेज दीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से या वर्गीकरण बनेगा उस आधार पर देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल के लिए देंगे । अभी भी दे दें तो आज देने को तैयार हूं ३१ मार्च तक ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल—

पंचायत समिति हिन्डौन के सरपंचों से बीज की वसूली

४६६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन—सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति हिन्डौन के किस किस सरपंच में सन् १९५६ से १९६४ तक प्रत्येक साल दिया हुआ कितना बीज बकाया है और उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पोस्टपोनमेन्ट के लिए निवेदन किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : कोई पोस्टपोनमेन्ट की रिक्वेस्ट की है ?

श्री भीखाभाई : जी हां, पहले ही लिख कर दे दिया है ।

मंडावा तथा झुंझुनू से खेतड़ी तक बिजली की लाइन

४६७. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या रतनगढ़ से झुंझुनू वाया फतेहपुर मंडावा तथा झुंझुनू से खेतड़ी ३३,००० वोल्ट की बिजली की लाइन खींची जाने की योजना थी ?

(२) यदि हां, तो क्या इस लाइन का सर्वे होकर अनुमानित व्यय के बारे में निर्णय लिया जा चुका था ?

Page No 20

(श्रीमती सुमित्रा)

(३) क्या झुंझुनू सहायक अभियन्ता (Construction Sub-division) की केवल इसी लाइन के लिये मय स्टॉफ के नियुक्ति की जा चुकी थी ?

(४) यदि हां, तो अब तक इस लाइन पर कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हे ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) इस लाइन की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : क्या इस लाइन के प्रारम्भ न होने का कारण नयी बदलना है ?

श्री चन्दनमल वैद . जी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : इसका मतलब यह हुआ कि लाइन बनेगी ही नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद :इस लाइन का जो कन्स्ट्रक्शन हो रहा था वह इसलिए हो रहा था कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन चार हजार किलोवाट बिजली चाहता था। उसको सप्लाई करने के लिए इस लाइन को खींचने की जरूरत पड़ी थी। अब रिवाइज्ड डिमान्ड बतायी है वह ६०० किलोवाट है। ६०० किलोवाट ऑलरेडी दूसरी लाइन राजगढ़ से जा रही है उससे सप्लाई कर रहे हैं इसलिए इस लाइन को खींचने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : जो गांव लाभान्वित होने वाले थे उनका क्या होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : गांवों में ७३ हजार किलोवाट से सप्लाई नहीं कर सकते। गांवों के लिये ११ हजार किलोवाट की लाइन से किया जा सकता है। वह पॉवर ट्रान्स-मिटर लाइन है उससे देने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति मकराना के सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

४६८. **श्री जेठमल बरयड़** (परबतसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति मकराना के कितने सरपंचों के खिलाफ कितने अर्से से राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा १७ (४) के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है ?

(२) इस कार्यवाही के तहत कितने सरपंचों के खिलाफ एक्शन लिया गया और कितनों के खिलाफ नहीं लिया गया तथा क्यों ? जिनके खिलाफ धारा १७ (४) की कार्यवाही विचाराधीन है वह कब तक पूरी हो जावेगी ? कृपया नामों के साथ सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं। राजस्थान पंचायत समिति

Page No 21

(श्री भीखाभाई)

तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं चल रही है।

(२) १३ सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की गई, अतएव कार्यवाही नहीं करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ४ सरपंचों अथवा पूर्व सरपंचों के खिलाफ धारा १७ (४) पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। नामों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रावतराम (सादूलपुर) : जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनके खिलाफ क्या चार्जेज़ हैं ?

श्री भीखाभाई : १३, १७ आदमियों के खिलाफ चार्जेज है जिनकी लिस्ट आपके पास भेज दी गई है। वैसे चार्जेज आपको मालूम हैं, सम्बन्धित पार्टी के रूप में आपने बहुत सी बातें बतायी हैं।

श्री रावतराम : आपको तो मालूम नहीं है।

श्री भीखाभाई : १३ की तरफ है। किस किस स्टेज पर क्या कार्यवाही हुई उसका विवरण लगा हुआ है।

श्री रावतराम : जिन सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है अब के चुनाव में जो हार गये उनका क्या होगा ?

श्री भीखाभाई : चुनाव को अलग से देखना पड़ता है उसको देखने के बाद ही बता सकता हूं।

श्री रावतराम : जो जीत कर नहीं आये हैं उनके लिये क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कानून का प्रश्न है।

मनोहर थाना से हरनावदा सड़क तथा टूटे पुलों की मरम्मत

४९९. श्री **भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मनोहरथाना से हरनावदा तक की कच्ची सड़क को कब तक पक्की किया जाने का विचार है ?

(२) इस सड़क पर कुल कितनी पुलें बनाई जावेंगी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त रोड पर पुराने समय से बनी हुई पुलें टूटती जा रही हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां। किन्तु यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह पुरानी पुलिया जो टूट गई हैं मरम्मत नहीं करवायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी मरम्मत की सूची नहीं है । अब हम थोड़ा बहुत प्रोवीजन इस बात के लिए रखना चाहते हैं कि पुरानी पुलियाओं की मरम्मत करा सकें । कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर काफी ऐसी पुलियायें हैं जो टूटी हुई हैं हमें उसके लिये कितनी धनराशि मिल पायगी उसको देखते हुए निश्चित किया जायगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अगर पूरी टूट जायगी तो फिर दुबारा बनाना पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : श्रमदान तो हो सकता है, वहां की जनता कुछ करना चाहे तो ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : गांवों के लिए तो जनता श्रमदान से करे, बड़े बड़े शहरों में सड़कें बनती हैं, उसके लिये तो आप यह नहीं कहते ।

श्री हरिश्चन्द्र : धन राशि नहीं होगी तो क्या किया जा सकता है ? दूसरा सुझाव यही हो सकता है कि श्रमदान द्वारा कराई जाय ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पूरी टूट जायेगी तो फिर भी तो दुबारा करवायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पुलियाओं पर कालाबादल रहते हैं इसलिए टूटती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बरसते है तब टूटती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बरसते हैं तभी बजट मन्जूर होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं, गरजते हैं तब मन्जूर होता है ।

कानवास रेन्ज के काश्तकारों को जंगली लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग

५००. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कानवास रेन्ज (जिला कोटा) के ग्राम खंड गांव की बबूल राडी का क्या आकार है? कृपया केथून धना हेडा सड़क की बांई तथा दाहिनी ओर की राडियों का पृथकशः क्षेत्रफल बतायें ।

(२) इस राडी का कितना क्षेत्र नये वृक्षारोपण के लिए अब तक साफ किया जा चुका है और पुराने वृक्षों की बिक्री से क्या आमदनी प्राप्त हुई है ? कृपया नीलाम किये गए वृक्षों तथा भविष्य में इस राडी में से नीलाम किये जाने वाले वृक्षों की संख्या बतायें ।

(३) विभाग द्वारा प्रत्येक पृथक क्षेत्र से प्राप्त आय के मुकाबले कितनी राशि व्यय की गई हैं ? खंड गांव राडी की देखभाल पर नए वृक्षारोपण के पहले तथा बाद में कितना वार्षिक खर्च हुआ है ?

(श्री जुझारसिंह)

(४) क्या यह सही है कि खंड गांव तथा आस पास के गावों के काश्तकारों ने विभाग से प्रार्थना की थी कि उन्हें जंगली लकड़ी अनुसूचित दरों पर उपलब्ध करवायें और इस किराये पर ठेकेदारों को न दिया जाये ? ठेकेदारों को किये गए नीलाम के परिणामस्वरूप अब प्राप्त होने वाली वास्तविक आय के मुकाबले आय के वे अङ्क बताने की कृपा करें जो यदि वृक्ष विभाग की अनुसूचित दरों पर काश्तकारों को बेचे गये होते तो विभाग को प्राप्त हो सकती थी ?

वन–मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर जो आया है वह सन्तोषजनक नहीं है फिर भी मैं पढ़ देता हूं।

(१) बांई ओर के क्षेत्र का रकबा २७८-५ एकड़ तथा दाहिनी ओर के क्षेत्र का रकबा ४१३ एकड़ है। इस राड़ी का कुल रकबा इस प्रकार ६९१.५ एकड़ हैं।

(२) २७८.५ एकड़ क्षेत्र के कूप बना कर रकबा साफ कराया गया है। और उसमें से २०६.५ एकड़ पर वृक्षारोपण किया गया है। इस रकबे को साफ कराने से ४२,१७३ रुपये की आय हुई। कूप बिलमुक्त नीलाम द्वारा बेचे गए थे। पेड़ गिनकर नहीं बेचे गए थे। १९६५-६६ में ७० एकड़ का कूप नीलाम किए जाने का प्रावधान है। यह भी कूप बिलमुक्ता ही नीलाम किया जावेगा, वृक्ष गिन कर नहीं।

(३) राड़ी के बांयें क्षेत्र को बेचने से ४२,१७३ रु० की आमदनी हुई है जब कि व्यय १९६५ जनवरी तक रु० १०४७३.७० पैसा हुआ है। इस राड़ी की देखभाल पर वृक्षारोपण से पहले ८४० वार्षिक तथा बाद में ६०० रुपया वार्षिक खर्चा हुआ है।

(४) जी नहीं। यदि कूप नीलाम द्वारा नहीं बेचे जाकर काश्तकारान को अनुसूचित दरों पर इस क्षेत्र की लकड़ी ले जाने दी गई होती तो लगभग ४,१२५ रु० की आय होती।

श्री जुझारसिंह : काश्तकार ऑक्शन रेट में आ सकते हैं; तो क्या आप प्रिफरेन्स दे सकते थे ?

श्री भीखाभाई : जी हां। पंचायतों को देते हैं, सोसाइटीज़ को देते हैं। नीलाम कर दिया गया। ठेकेदार की बोली आ गई आडिट पैरा बनता है उस पर दे देते हैं। माननीय सदस्य को भी मालूम है कि झारोली बीड़ को लेकर के प्रश्न उठाया उसमें यह हुआ था कि औसतन आमदनी पर उनको दिया गया। पंचायत मांगती है तो उसको दे देते हैं। ठेका नीलाम हो गया है तब भी।

श्री जुझारसिंह : इस क्षेत्र में काश्तकारों के लिए लकड़ी की बहुत कमी है, राड़िये साफ करवाई जाती हैं, उसमें लकड़ी खत्म कर दी जाती है। जिस क्षेत्र में काश्तकारों के लिए लकड़ी की कमी है वहां इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि काश्तकारों के जरूरत की लकड़ी उनको दे दी जानी चाहिये। इसमें सरकार की तकलीफ का ध्यान

Page No 24

(श्री जुझारसिंह)

न रख कर काश्तकारों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए उनको तरजीह दी जानी चाहिये बाकी के दाम देने को तैयार हों तो।

श्री भीखाभाई : पंचायतों को भी हम देते हैं अगर वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये लेना चाहें तो। सरकार ने एक सर्क्यूलर प्रसारित किया है जो कोई पंचायत अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है इस प्रकार का ठेका ले ले। इससे आम जनता को सहूलियत हो सकती है।

जोबनेर से किशनगढ़-रेनवाल सड़क का निर्माण-कार्य

५०१. **श्री सागरमल** (फुलेरा) : [श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय सु.) के द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या जोबनेर के किशनगढ़—रेनवाल की सड़क के टेन्डर दो दफा कैन्सिल किये गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

२. अब सरकार इस सड़क को कब तक तैयार कराने का इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : १. जी हां। केवल एक बार अर्थाभाव के कारण।

२. योजनानुसार यह सड़क चतुर्थ योजना तक होने को है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह वही सड़क है जो दांतारामगढ़ जाने वाली है वाया खाचरियावास।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सड़क तो किशनगढ़—रेनवाल—जोबनेर—फुलेरा तक है।

श्री भैरोंसिंह : कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : चौथी योजना में स्कीम ओवर होगी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : तीसरी योजना में टेन्डर इन्वाइट क्यों किये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : थोड़ा काम इस योजना में करना था। १ मील ६१ में था जिसके लिए २६ हजार रुपया; १८ मील तीसरी योजना में, ६ मील ६५—६६ में।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : यह कुल कितने मील रोड है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पच्चीस मील के आस पास पड़ती है।

(१२—मध्यान्ह)

सिकराय से उकाली की घाटी वाया बन्ध माधोसागर तक सड़क

५०२. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

क्या सिकराय से उकाली की घाटी वाया बन्ध माधोसागर तक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में यह सड़क कब तक बन जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या इसका सर्वे कराया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सुना नहीं, आप क्या कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या इसका सर्वे कराया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे कान कमजोर हैं। इस भोंपू के कारण नहीं सुनाई दे रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह भोंपू सरकार का ही है, हमारा दोष नहीं है इसमें।

श्री भीखाभाई : सरकार का भोंपू सरकार नहीं सुने, यह कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : आप सरकारी भोंपुओं के नम्बर में नहीं आ रहे हैं। जबर्दस्ती क्लेम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बाकी मंत्रियों ने तो इसकी शिकायत नहीं की। सबको सुनाई देता है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रिविलेज का प्रश्न हो गया, अध्यक्ष महोदय। यह भोंपू विधान सभा की कार्यवाही में दखल कर रहा है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मेरा निवेदन करना यह है कि इसका सर्वे हो चुका है; फिर इस सड़क के बनाने में क्या देर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह हो सकता है कि सर्वे हुआ हो।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं निवेदन करूं कि यह १४ मील का टुकड़ा है और इसके लिए ५६ लाख के करीब मन्जूर किया था वह भी खर्च नहीं हुआ और सिकराय तक ही रोक दिया था। तो मेरा निवेदन है कि आगे इसके लिए बढ़ाने का आदेश दिया जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : सिकराय से उकाली की घाटी की सड़क न पहली योजना में थी, न दूसरी में है। अगर यह कोई अहम सड़क हुई तो चौथी में कन्सीडर कर सकते हैं। इस वक्त नहीं।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की ऑडिट रिपोर्ट्स

५०३. (१) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर),

(२) श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत),

(३) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर),

Page No 26

(४) श्री केदारनाथ (गंगानगर) व

(५) श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का सन् ५७-५८ से लेकर अब तक किस किस वर्ष का ऑडिट कब कब हुआ ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट्स की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि सन् ६३-६४ का ऑडिट अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस के लिये पहले टाइम चाहा गया था अब उत्तर आ गया है। मैं दे देता हूं।

(१) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ का १६५७-५८ से अब तक का ऑडिट निम्न तिथियों को किया गया :

१६५७-५८	१३-११-५८	१७-११-५८
१६५८-५६	२८-७-५६	२२- ६-५६
१६५६-६०	७-६-६०	३०-१२-६०
१६६०-६१	१-८-६१	३०-११-६१
१६६१-६२	८-१२-६२	२०- ४-६३
१६६२-६३	१६-८-६३	२०-१२-६३

(२) १६६३-६४ का क्रय विक्रय संघ का हिसाब पूर्ण न होने के कारण ऑडिट समय पर न किया जा सका । अब दिनांक १६-१-६५ से चालू है । ऑडिट रिपोर्ट काफी बड़ी होने के कारण टाइप नहीं हो सकी है, टाइप हो जाने के उपरान्त सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट रिपोर्ट कब तक दे दी जावेगी ?

श्री भीमसिंह : टाइप हो रही है, होते ही दे दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास है, आप देख लें ।

श्री भैरोंसिंह : मिलती तो देखते, अब क्या देखें और कब सप्लीमेन्टरी करें ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बाद में भी उठा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : टाइप कब तक हो जावेगी और कॉपी बन गई तो सदन की मेज पर कब तक रख देंगे ?

श्री भीमसिंह : ढाई सौ, तीन सौ पेज हैं ।

सहकारिता मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : टाइप होते ही दे देंगे ।

Page No 27

श्री भैरोंसिंह : आप २५० पेज कब तक टाइप करा देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : एक आध महीना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो नहीं देने की बात है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मैं लेकर साथ में आया हूं । ओरीजिनल है । टेबल पर रख देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : पर कॉपी कब तक दे देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : सदन की मेज पर रखने का सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : सदन की मेज पर रखने का मतलब यह भी है कि कॉपी मुझे भी आप दें ।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा कोई रूलिंग नहीं है अध्यक्ष का ।

श्री भैरोंसिंह : यह आज का नहीं है, बहुत पहले से रूलिंग है, स्टेंडिंग रूलिंग है ।

श्री मथुरादास माथुर : तीन कॉपियां टाइप करा लेंगे । एक सदन की मेज पर रख देंगे, एक आपकी नजर कर देंगे, और एक हम अपने पास रख लेंगे ।

श्री श्रवणलाल : ६३–६४ का ऑडिट समय पर नहीं होने का क्या कारण बताया ? और नहीं किया तो इस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : टाइम पर नहीं हुआ, इसलिये यह एक्शन लिया कि टाइम पर शुरू करवा दिया गया ? अब क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री श्रवणलाल : एक और ले लें साहब ५०४ ।

श्री अध्यक्ष : ५०४ ।

हिन्डौन से धामान–धौलेटा सड़क

५०४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन--सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौन से धामान–धौलेटा सड़क जिसे बने हुए दस वर्ष हो गये हैं, कब तक पक्की बना दी जावेगी ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क पर अभी तक सिवाय मिट्टी के कोई कार्य नहीं हुआ है ?

(३) क्या यह सच है कि इस पर कोई बसें भी चल गई हैं ?

सार्वजनिक मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सड़क को पक्का किये जाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(२) यह फेयरवेदर रोड है ।

Page No 28

(श्री हरिश्चन्द्र

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इसमें मिट्टी डाली गई थी, यह कार्य कब शुरू किया गया था पहले ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहली योजना में प्रारम्भ हुआ और दूसरी में कम्प्लीट हुआ।

श्री श्रवणलाल : क्या तीन मील का टुकड़ा मन्जूर किया गया था पक्का बनाने के लिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सबसे पुरानी रोड़ है और इसकी हालत बडी खराब हो रही है और मन्त्री कह रहे हैं कि इसके लिये कोई प्रोवीज़न नहीं है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सूत की गांठ का गबन

४८५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या मंत्री, कारावास विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १९५७-५८ में सूत की एक गांठ भीलवाड़ा जेल से माडल जेल, अजमेर को भेजी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांठ सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल अजमेर श्री गंगाप्रसाद द्वारा स्टेशन से छुड़ा ली गई ?

(३) क्या उपरोक्त गांठ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई ?

(४) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त गांठ का गबन किसी से वसूल किया गया तथा इस संबंध में क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जेल अजमेर के कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन अधीक्षक, श्री गंगाप्रसाद की आज्ञा से छुड़ाई गई थी।

(३) उपरोक्त गांठ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है ?

(४) प्रारम्भिक जांच पड़ताल के पश्चात् यह मामला कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्कवायरीज़ के पास भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही उसके द्वारा की जावेगी। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक उपरोक्त गांठ का गबन किसी से वसूल नहीं किया जा सकता।

ग्राम बडावली के ग्रामीणों द्वारा श्रमदान से तालाब का निर्माण

६१. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बडावली (निम्बाहेड़ा) में ग्रामीण जनता ने तालाब श्रमदान द्वारा बनाया है ?

(२) यदि हां, तो उस निर्माण की कुल क्या कीमत आंकी गई ?

(३) क्या अब भी उस तालाब में कुछ काम बाकी है ? यदि हां, तो कितना तथा वह कब तक पूरा कराया जा सकेगा ? सरकार कितना अनुदान देगी तथा जनता को कितना श्रमदान करना पड़ेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

(२) कुल २४,६०० रु० का कार्य होना है।

(३) जी हां। लगभग तीन हजार रुपये का कार्य बाकी है। आधा अनुदान दिया जावेगा व आधा लोगों को श्रमदान करना होगा। काम पूरा कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ताकीद जारी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति सोजत द्वारा बीज का वितरण

१५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति सोजत क्षेत्र में पंचायत समिति के बनने से पहले पहले २ मई, १९५७ से लगान किनको कितना बीज विकास खण्ड द्वारा कब कब दिया गया ? उनमें से कितने बीज को रिकवर कर लिया व कितना बीज किन में कब कब से बकाया है ?

(२) उक्त बीज की वसूली के बाबत कब कब क्या कार्यवाही सन् १९६१ व जनवरी, १९६३ तक विकास अधिकारी, सोजत द्वारा की गई ?

(३) पंचायत समिति, सोजत के रिकार्ड के अनुसार जून, १९६० तक कितना ज्वार का बीज जमा था जो पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा नीलाम किया गया ?

(४) उक्त ज्वार की नीलामी के बाद ३१ जुलाई, १९६० तक कितना रुपया जमा हुआ ? क्या जो रकम जमा हुई वह नीलाम किये हुए धान की ही थी ? अगर अधिक थी तो वह कैसे आई व विकास अधिकारी ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जो कार्यवाही की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(३) २७-५-६० को ३९५ मन ३० सेर ११ छटांक बीज जमा था।

(४) ४१५३ रु० ५६ पैसे नीलाम से प्राप्त हुई रकम के व अन्य बीज की वसूली से प्राप्त हुए ५१२६ रु० १८ पैसे जमा थे। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी समितियों को सहायता

१६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६३-६४ में भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोऑपरटिव बैंक से किन किन सहकारी समितियों को कितनी कितनी रकम दी गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) जून, १९६४ तक भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों में कितनी रकम ओवर-ड्यू रही है और किन किन सहकारी समितियों में १० हजार रुपये से ज्यादा रकम ओवर-ड्यू है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) भीलवाड़ा जिले में इन्डस्ट्रियल सहकारी समितियां कहां कहां है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे तथा इन सहकारी समितियों में से किन किन को किस किस काम के लिये कितनी कितनी रकम सरकार व कोऑपरेटिव बैंकों से दी गई? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में ऐसी भी औद्योगिक सहकारी समितियां हैं जिनको सरकार व बैंक से रुपया दिया जाने पर भी उन्होंने कोई कार्य शुरू नहीं किया? यदि हां, तो ऐसी कौन कौनसी समितियां हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) १९६३-६४ में भीलवाड़ा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किन २ सहकारी समितियों को व कितनी कितनी रकम दी, उसकी सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जून, १९६४ में भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों में ७,५८,०९६) रु० ओवरड्यू रहा है। जिन २ सहकारी समितियों में दस हजार से अधिक रकम ओवरड्यू है उनकी सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) भीलवाड़ा जिले में इंडस्ट्रियल सहकारी समितियों की सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन समितियों को कितनी २ रकम किस २ काम के लिये दी गई वह इन सूचियों के कॉलम क्रमशः ४, ५ व ५, ६ में अंकित है।

(श्री सहकारी मंत्री)

(४) भीलवाड़ा जिले में ऐसी औद्योगिक सहकारी समितियां जिसको सरकार अपना बैंक से रुपया दिया जाने पर भी कार्य शुरू नहीं किया है, की सूची 'घ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति मालपुरा द्वारा तकाबी व सहायता

१७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, मालपुरा द्वारा वर्ष १९६२-६३ में किस किस कार्य के लिए कितना कितना रुपया तकाबी व सहायता के रूप में दिया गया ? आंकड़ों की सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(२) जिस जिस कार्य के लिए तकाबी व सहायता दी गई थी क्या वे सब कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण कराये गये हैं ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पूर्ण हुए कार्यों के लिए दिये गये प्रमाण-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सवाई माधोपुर में आयुर्वेद औषधालयों के भवन

१८. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सवाई माधोपुर में राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद औषधालयों के लिए कितने भवन बनाये गये हैं ? और कितने औषधालय किराये के मकानों में चल रहे हैं ?

उत्तर

जिला सवाई माधोपुर में १११ औषधालय चालू हैं उन १११ औषधालयों में २८ औषधालय राजकीय भवनों में चल रहे हैं ३९ औषधालय किराये के भवनों में चल रहे हैं और ४४ औषधालयों की भवन व्यवस्था पंचायत समिति द्वारा की गई है राजकीय भवनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

पुल का निर्माण

१९. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीराभाई)

(१) क्या सरकार ने बांसवाड़ा में मोर नदी की रपट के स्थान पर वहां पुल बनाने का निश्चय किया है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा ?

(२) आणास नदी के पुल के निर्माण के लिए कितनी रकम स्वीकार की गई है ? कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। ६,००,०००) रु० के टेन्डर आमंत्रित कर लिए गए हैं आशा है यह कार्य १९६५-६६ में आरम्भ करा दिया जावेगा। योजनानुसार यह कार्य चतुर्थ योजना तक होने को है।

चम्बल घाटी भू-संरक्षण योजना

२०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चम्बल घाटी भू-संरक्षण योजना (तृतीय पंचवर्षीय योजना) में ग्रेजिंग पेंडोक्स (Grazing Paddocks) किस किस क्षेत्र में कितने एकड़ में लगाना था ? तथा उनकी कितनी स्वीकृत राशि थी ?

(२) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किस किस क्षेत्र में कितने कितने एकड़ में ग्रेजिंग पेडॉक्स बनाए गए तथा उन पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(३) जिन क्षेत्रों में पेडॉक्स बनाए जाने थे उनका केचमेन्ट एरिया कितना कितना है ?

उत्तर

१—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में चम्बल घाटी भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों में ग्रेजिंग पेडॉक्स बनाने थे। इस कार्य के लिये अनुमानित व्यय की राशि प्रत्येक के सम्मुख अंकित है :

नामक्षेत्र	क्षेत्रफल	स्वीकृति राशि
१. राणाप्रताप सागर डैम	१५००० एकड़	४,५०,०००)
२. कोटा डैम	६००० ,,	२,४०,०००)
१. कोटा बैराज	४००० ,,	२,००,०००)
	२५०००	८,९०,०००)

२. उक्त योजना के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों में अब तक पेडॉक्स बनाये जा चुके हैं तथा प्रत्येक के सम्मुख अंकित राशि व्यय की जा चुकी है :

नाम क्षेत्र	क्षेत्रफल	३१-३-६५ तक जो व्यय होगा।
१. राणाप्रताप सागर डैम	६५००ऐकड़	१,८९,४६३)रु.
२. कोटा डैम	१३५०० ,,	१,६९,७२०)रु.
३. कोटा बैराज	१५५०० ,,	३,१७,१९५)रु
	३५५०० ,,	६,७६,३७८)रु

(श्री वन मंत्री)

३. जिन क्षेत्रों में पेडोक्स बनाये गये हैं उनका कैचमेंट एरिया निम्न प्रकार है :

१. राणाप्रतापसागर डैम ६०० स्कायर माइल
२. कोटा डैम ६०० ,,
३. कोटा बैराज १५ ,,

(१२. १०. म. प.)

शिक्षा की मांग विषयक राशि में त्रुटि सम्बन्धी वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने एक प्रश्न उठाया था कि शिक्षा संबंधी जो मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई थी उसकी राशि १७ करोड़ ९२ लाख ५० हजार की है किन्तु आय-व्ययक अनुमान ६५–६६ खण्ड १ के पृष्ठ संख्या १९४ में बालकों के लिये विद्यालय के शीर्षक के अन्तर्गत महंगाई भत्ते की राशि मुद्रित हुई है वह १२ करोड़ रुपया है और यदि इस राशि को पूरी मांग की योग में जोड़ा जावे तो शिक्षा सम्बन्धी मांग की कुल राशि १७,९२, ५० हजार के स्थान में १९ करोड़ ५० हजार रुपया हो जाती है।

इस सम्बन्ध में आय–व्ययक अनुमान १९६५-६६ खण्ड १ को देखने से प्रतीत होता है कि महंगाई भत्ते की राशि जो मुद्रित हुई है उसमें एक बिन्दी असावधानी से अधिक मुद्रित हुई पाई जाती है। इसकी पुष्टि उपरोक्त शीर्षक के योग से भी होती है। इस योग में महंगाई भत्ते की राशि केवल १२ लाख मुद्रित की गई है। इसके अतिरिक्त पृष्ठ संख्या १५ पर ६५-६६ के लिये विनियोग और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूचि दी है इससे भी स्पष्ट है कि शिक्षा की मांग सम्बन्धी राशि १७,९२,५० हजार है और यही सदन के द्वारा स्वीकार की गई है।

यह केवल मुद्रण की गलती हुई पाई जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की गल्ती आय-व्ययक के सम्बन्ध में जो दस्तावेज है उनमें भविष्य में नहीं आवेगी।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा वह दुरुस्त हो सकता है। जहां तक प्रिन्टिग मिस्टेक का सवाल है वहां पर एक बिन्दी ज्यादा होने का है तो इसके बारे में दो एरेटा निकल चुके हैं और दोनों में से किसी में भी इसकी दुरुस्ती समाविष्ट नहीं हुई है और यह बिन्दी है उसके बारे में मैने स्पष्ट लिखा है कि जो जोड़ है ६८ लाख की उसमें नीचे १ करोड़ ८ लाख ज्यादा बढ़ते हैं। तो १९ करोड़ रुपये की डिमाण्ड होनी चाहिए तो यह जो गलती बताई जाती है और जब अधिकारियों से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि एक दो प्रतियों में हुआ होगा,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सब में नहीं; लेकिन मैंने कम से कम २५ कॉपीज़ देखी हैं, उनमें सबमें यही छपा हुआ है। तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। १ करोड़ ८ लाख रुपये की बहुत बड़ी राशि का सवाल है, इसके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और डिमाण्ड दुबारा पास होनी चाहिए।

(१२. १३. म. प.)

गुढ़ा बांध की भूमि के अलॉटमेन्ट विषयक स्थगन-प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : मांग को दुबारा पास करवाने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए, उससे मैं सहमत हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन आपके पास इस सम्बन्ध में भेजा है कि जो गुढ़ा बांध की जमीन माननीय मुख्य मन्त्रीजी के...

श्री अध्यक्ष : उसके लिए उल्लेख करने की अनुमति मैंने नहीं दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ लोगों को श्री बसन्तकुमारजी, श्री........

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अनुमति न दें, लेकिन मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : सुनने की आवश्यकता नहीं है। सदन की प्रक्रिया के अनुसार उन्हीं पर विचार हो सकता है जिसकी आपको अनुमति दी गई है और फिर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वह मामला तो कई दफा सदन में आ चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चर्चा नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में जो दस्तावेज हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाये, उनको अपनी कस्टडी में ले लिया जाये क्योंकि उनके टेम्परिंग करने का खतरा है। इस सम्बन्ध में जो नकलें वहां से प्राप्त की गई हैं उनमें भी कुछ टेम्परिंग है। गश्त गिरदावरी की जो नकलें मंगाई हैं श्री मुरलीधरजी ने जो सदन में भी दिखाई थीं उनमें भी काटा—फांसी थी। वह नकल जो कि ओरीजिनल डॉक्युमेन्ट्स और जमाबन्दी से होती है उससे मिलाना आवश्यक होता है और बहुत से ऐसे डॉक्युमेन्ट्स हैं जो कि इस प्रकार की कोई भी जांच हो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उनका भाग होता है और जिस तरीके का रवैया जैसा कि श्री मुरलीधरजी ने बताया कि उनकी मौजूदगी में एस० डी० एम० का वहां पहुँचना, जो उनके द्वारा डॉक्युमेन्ट्स दिये गये हैं उनके अन्दर काटा-फांसी होना, इस तरह की कार्यवाही से यह सन्देह पैदा होता है। जो जांच करने की कोशिश की जा रही है, उस जांच के सही तरीके से होने में खतरा पैदा होगा और जो भी डॉक्युमेन्ट्स उसके हैं उनको टेम्पर-विथ करने का सन्देह है। जिस तरीके से जो मेरे नोटिस में मामले आये हैं कि अभी तक वहां पर कोई भी दर्ख्वास्त अलॉटमेन्ट की शुरू में कभी नहीं दी गई और मेरे

Page No 35

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नोटिस में यहां तक आया है कि जिन लोगों को अलॉटमेन्ट हुई उनकी तरफ से भी नहीं हुई और जो कलेक्टर की तरफ से उसमें यह रिपोर्ट दी गई है कि इस अलॉटमेन्ट को जारी रखा जाये और उसमें जो कमिश्नर ने कैंसिल करने की आज्ञा दी उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ, उन कागजातों को भी टेम्परिंग करने का सन्देह है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : यह कौन कहता है ?

श्री अध्यक्ष : ये बातें तो बहस के दौरान में आ चुकी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी तथ्य हैं उनको आप अपनी कस्टडी में मंगा लें, क्योंकि उनके टेम्पर-विथ करने का सवाल है। इसलिए मैं आपके सामने यह एडजोर्नमेन्ट मोशन रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं थी और न ऐसी सम्भावना के आधार पर मोशन रखा जा सकता है। जहां तक दस्तावेजों के मंगाने का सवाल है मैं नहीं समझता कि नियमों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपकी तरफ इतना ही चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को बोलने दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी माननीय सदस्य बोलें। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी व्यवस्था जो आई.......

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो मैंने दे दी।

(विराम)

श्री माथुर।

(१२. १८. म. प.)

कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-सलाहकार समिति के २१ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २१ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मांग संख्या २१,४० तथा १४-उद्योग, औद्योगिक विकास इत्यादि एवं वैज्ञानिक विभाग

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१,११,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२३,०१,०००, रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,२०,००० रु०. तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या २१

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) (१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योगों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (पलाना खान के विकास एवं थर्मल पॉवर स्टेशन आदि के लिये प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिये)।

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाये (दुलमेरा लाल पत्थर की खानों के विकास हेतु खनिज को आधुनिक मशीनें किराये पर देने एवं लाल पत्थर की खपत के लिए सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों को आदेश देने पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पूगल क्षेत्र तथा जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम तथा गैस के भू–गर्भ सर्वेक्षण में सक्रियता लाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री भीमसेन)

(५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) कम कर दिया जाय (जो इस ही योजना में कोलायत में स्थापित किया जाना था, को शीघ्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये) ।

(६) माग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले का खनिज सर्वे करवाने पर चर्चा के लिये) ।

(७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम के जिसमें राज्य के अधिकांश हिस्से हैं, की मैनेजिंग एजेन्सी सरकार स्वयं लेले ताकि इस कम्पनी से राज्य को अधिक लाभ हो सके, पर चर्चा के लिये) ।

(८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में जहां सेलेनाइट खनिज निकाला जाता है उसी क्षेत्र में नमक भी बनाया जा सकता है। राज्य सरकार नमक बनाने के लिये किसी व्यक्ति को लीज न देने से होने वाली आर्थिक हानि की और ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये) ।

(९) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम को लूण-करणसर में सेलेनाइट निकालने हेतु दी गई लीज शर्तों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री की शर्त पूरी न करने पर लीज समाप्ति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

(१०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सर-कार से एच. एम. टी. तथा हिन्दुस्तान हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड के कुछ यूनिट की स्थापना के लिये (चौथी योजना काल में) मांग की जाने पर चर्चा के लिये) ।

(११) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिप्सम खनिज पर आधारित वाल बोर्ड फैक्टरी को बीकानेर में स्थापित करने हेतु जो लाइसेन्स दिया गया था उस फैक्टरी की स्थापना में विलम्ब हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक क्षेत्र में बीकानेर में खोली जाने वाली ऊनी मिल की स्थापना में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

(१३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ऊनी कारपेट का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र बीकानेर में खोले जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रुपया कम कर

(श्री भीमसेन)

दिया जाय (औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में सड़क एवं पानी आदि की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(१५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६६—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम को राष्ट्रीय हित में पब्लिक सैक्टर में लिया जाय, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : (१६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७—वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जावर माइन्स के कु-प्रबन्ध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(१७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कन्ट्रोल्ड आइटम्स की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(१८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर की औद्योगिक बस्ती में इन्डस्ट्रियल रोड्स की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (१६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (छोटे उद्योग धन्धे पनपाने सम्बन्धी सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(२०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग धन्धों में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चूंकि अनुसूचित जातियों के पास काश्त काबिल जमीन पर्याप्त नहीं है, अतः उन्हें उद्योग धन्धों में अधिकाधिक प्रोत्साहन सरकार द्वारा मिलना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (२१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिविजन में खानों के मालिकों में लाखों की बकाया की वसूली नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

(२२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में उतने उद्योग नहीं लग पाये जितने लाइसेन्स उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये, इस पर चर्चा के लिए)।

(२३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जाय (उद्योग विभाग द्वारा दिए गये आयात कोटे की चीजों को काम में लेने पर चर्चा के लिए) ।

(२४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे गांवों में लघु उद्योग स्थापित नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

(२५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की तरफ से उद्योग-पतियों को दिये गये ऋण की वसूली पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु.) : (२६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हरिजनों के लिए पॉवर लूम चालू कराने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १४

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (२७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खानों के प्लॉट देने के गलत तरीकों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

(२८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (२९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की राज्य के औद्योगीकरण के प्रति दुर्लक्षपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिए) ।

(३०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले के औद्योगीकरण के प्रति राज्य सरकार में उदासीनतापूर्ण रुख पर चर्चा के लिए) ।

(३१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की औद्योगीकरण की ओर उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

(३२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर शहर में सूती मिल लगाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १४

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (३३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

(३४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली खानों में अधिकारियों की अयोग्यता से काफी नुकसान हो रहा है इस नुकसान को दूर किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(३५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पलाना कोयला खान में होनी वाली अव्यवस्था को दूर करने पर चर्चा के लिए) ।

(३६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पूंजी पर व्याज की राशि अकारण खर्च हेतु चाही गई है अतः उक्त रकम को रेवेन्यू खर्च से हटाया जाय इस पर चर्चा के लिए) ।

(३७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७- वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पूंजी पर व्याज की लागत रेवेन्यू अकाउन्ट में अकारण लिखी गई है इसे रोका जाय इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

(३८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इस विभाग के बजट का काफी खर्च है व कार्य-क्षमता कम है, इसे बढ़ाने पर चर्चा के लिए) ।

(३९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कारीगरों का प्रशिक्षण केन्द्र कहां और क्यों चलाया जा रहा है इसे बन्द किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(४०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिलाई तथा कसीदा केन्द्र के व्यय हेतु चाही गई धन-राशि कहां कहां खर्च की जायगी इसको खर्च नहीं किया जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

(४१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हस्त-कला शिल्प के वास्ते डिज़ाइन केन्द्र तथा सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु १०५०००) रु० की राशि का खर्च व्यर्थ मालूम होता है इसे कम किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(४२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में ऊन प्राविधिक संस्था की स्थापना आयोजन व्यय की स्कीम को चालू नहीं करके बीकानेर की जो उपेक्षा की है उस पर चर्चा के लिए) ।

(४३) मांग संख्या २१, मुख्य शीषक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वस्त्र छापने के केन्द्र पर ३३०००) रुपया व्यय व्यर्थ हो रहा है इस पर चर्चा के लिए) ।

(४४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम करदिया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जाय (सोडियम सल्फेट में अधिकारियों की लापरवाही तथा अनुभवहीनता से धन हानि हुई है उस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४०

(४५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु शीर्षक (ग) में सहकारी समितियों। नियोजन की योजनाएं अब तक काफी असफल रही हैं इसको पुनर्जीवित करने पर चर्चा के लिए) ।

(४६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंज़ी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघुशीर्षक (घ) के खर्च को कतई बन्द कर दिया जाय क्यों कि इस पर विभाग की लापरवाही से राज्य को काफी नुकसान पहुंच रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

(४७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवीन व्यय में चाही हुई १,२३,००,००० की राशि को कम किया जाय और जो ड्यूज़ बाकी है वह वसूल किया जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

(४८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मांडल (जिला भीलवाड़ा) व उसके आस पास काफी गन्ना होता है जिससे कि एक शुगरमिल अच्छी तरह चल सकती है। आसपास की शुगर मिल समय पर इस गन्नों को नहीं उठा सकती है इससे किसानों को होने वाली हानि के निवारण के लिए मांडल में एक शुगर मिल की स्थापना की जाय, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री चौंसरसिंह बावेल (बेंगू) : (४९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(५०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यह सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(५१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यह सरकार उद्योगों को विशेष तरक्की देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए) ।

(५२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग में पक्षपातपूर्ण कार्य किये जाते हैं इसकी रोक के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १४

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (५३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पलाना के ओपन कास्ट माइनिंग के प्रोजेक्ट को नजरंदाज किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)

(५४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाइमस्टोन में राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार को बढ़ावे पर चर्चा के लिये)।

(५५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय शिकायतों को नजरंदाज करने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(५६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर के औद्योगिक समस्याओं को नजरंदाज करने पर चर्चा के लिये)।

(५७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(५८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० का कम कर दिया जाय (पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के धीमी विकास गति पर चर्चा के लिये)।

(५९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य का औद्योगीकरण करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(६०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योगों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन उद्योग का विकास करने की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (६१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी में सिलिका खान के मालिकों की मोनोपोली खत्म करने पर चर्चा के लिये)।

(६२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माइनिंग विभाग से डारा चूने के भट्टों के निर्माण में प्रोत्साहन नहीं देने व समय पर रॉयल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(६३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीमेन्ट उद्योग लाखेरी के गिरते हुये प्रोडक्शन के संबंध पर चर्चा के लिये)।

(६४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु. कम कर दिया

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जाय (बूंदी जिले में उद्योगों को आवश्यकता के अनुसार प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(६५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों के निर्माण में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(६६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योग की आवश्यकता के अनुपात में कम प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(६७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ठेका श्रमिक समितियों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): (६८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खनिज अधिकार शुल्क वसूल करने की समुचित व्यवस्था न होने से राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(६९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग वृद्धि कार्य में गत वर्ष कोई प्रगति नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): (७०) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा दी जाने वाली लीजों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(७१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य का औद्योगीकरण करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(७२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की उद्योगों की असन्तोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): (७३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की माइनिंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लीज की रकमों की वसूली में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

(७४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ओपन कास्ट तरीके से पलाना खान से लिग्नाइट निकालने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(७५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के संबंध में सरकार की दुर्लक्षपूर्णता पर चर्चा के लिये)।

(७६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक सेक्टर में उद्योग स्थापित करने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(७७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (७८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग की आय को बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(७९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योगों की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(८०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा लघु उद्योगों को कच्चे माल के अलॉटमेन्ट में मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

(८१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नाइलोन फैक्ट्री को विभाग द्वारा नाजायज फायदा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(८२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (डी० सी० एम० व स्ट्रा बोर्ड के गन्दे पानी में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (८३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

(८४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर

(श्री जुझारसिंह)

दिया जाय (राज्य के औद्योगीकरण करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (८५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग द्वारा जिला जालोर में खान विकास के सम्बन्ध में लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

(८६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में उद्योग विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

श्री आनन्दसिंह कछावाहा (जोधपुर शहर–प्रथम) : (८७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में हो रहे घोटाले व राज्य की आमदनी न बढ़ने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : (८८) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माइनिंग एरिया के उचित विकास करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

(८९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में चलाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (९०) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिनौता की पत्थर की बापी पट्टे वाली खदानों के मालिकों से अवैध लीज़ मनी लेने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

(९१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट न लगाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (९२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक विकास की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : (९३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–

(श्री श्रवणलाल)

उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक विकास की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(९४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील हिन्डौन में उद्योग कार्य में गोलमाल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(९५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों के निर्माण में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(९६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योग की आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(९७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में उद्योगों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा–सु०) : (९८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा उद्योगों के नाम पर धन की फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद) : (९९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों का औद्योगीकरण नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : (१००) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नागौर एवं चूरू जिले में ४०० तकुओं की ऊन फैक्ट्रियां स्थापित करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (१०१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगीकरण की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

(१०२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी–पश्चिम) : (१०३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००)

(श्री पोहूमल ईसरदास)

रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक कार्य करने वालों को समय पर पर्याप्त मात्रा में कन्ट्रोल्ड वस्तुओं को नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१०४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर गोटा उद्योग वालों को तांबे का गोटा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१०५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अजमेर में बड़ा उद्योग स्थापित करने के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदी-कुई) : (१०६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (इन्डस्ट्रीज़ विभाग में किये गये कर्ज व सहायता की बकाया की वसूली न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (१०७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (इसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है इससे किशनगढ़ मील बन्द पड़ी है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : (१०८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में औद्योगिक कार्य की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

(१०९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक अन्वेषण चित्तौड़गढ़ जिले के विकास पर चर्चा के लिये) ।

(११०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को पर्याप्त अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

(१११) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) कम कर दिया जाय (उद्योग संघ चित्तौड़गढ़ स्थापन पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (११२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों को बिजली के लिए दी जाने वाली सहायता में बरती जा रही अनियमितताओं तथा दरों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : (११३) मांग संख्या २१, मुख्य

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हस्तकला उद्योगों को बढ़ावा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : (११४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : (११५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिला की पंचायत समितियों को कूए बनवाने के लिए सीमेन्ट ज्यादा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : (११६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में छोटे, बड़े उद्योग आरम्भ कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (११७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों के लिए कर्ज ले लेते हैं फिर भी उद्योग नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (११८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार औद्योगीकरण के जरिये राजस्थान का संतुलित विकास करने में असफल सिद्ध हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु०) : (११६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा में ग्रामीण बस्तियों में लघु उद्योग खुलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१२०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला में उद्योग अधिकारियों के दफ्तर हैं उन्हें समाप्त किये जाकर जिला परिषद् के अधीन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (१२१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डग के हाथी दांत पर काम करने वाले कारीगरों को नकली हाथी दांत का पूरा कोटा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोविन्दसिंह)

(१२२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के लिये कच्चा माल मिलने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१२३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को चद्दर (नालीदार) का कम कोटा मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): (१२४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक-३५ उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ताड़-गुड़ उत्पादन के कार्य में भारी खर्चा होने पर चर्चा के लिये)।

(१२५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामोद्योग की गांवों में कमी है, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): (१२६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्षेत्र कुशलगढ़ में तेल उद्योग फैक्ट्री की स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।]

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मनानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्योग विभाग पर कटौती का प्रस्ताव है। यह विभाग भी वास्तव में ऐसा विभाग होना चाहिए जिसके द्वारा छोटे छोटे कुटीर उद्योग पनपें और उनके द्वारा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनमें बेकारी और बेरोजगारी है, उन लोगों को रिलीफ मिले और काम मिले। लेकिन मैं इस विभाग की जो कार्य पद्धति है जब उस पर निगाह डालता हूं तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह विभाग भी उन्हीं लोगों की मदद करता है, उन्हीं लोगों को राहत पहुँचाता है जो लोग कि मालदार हैं, जिनके पास पैसा है और जो बड़े बड़े उद्योग लगा सकते हैं उन्हीं लोगों की यह विभाग ज्यादा मदद करता है। मेरा यह कथन मैं इस तरह से प्रामणित करता हूं कि इस विभाग के द्वारा जितने भी उद्योग जहां जहां लगाये जाते हैं या जितने भी बड़े उद्योगों में खर्च किया जाता है उसका न तो कोई जिलेवाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रूल्स बने हुए हैं उनकी पाबन्दी की जाती है। मैं इसके लिए एक उदाहरण पेश करूं। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है राजस्थान के बहुत से ऐसे जिले हैं जिनमें इसका कोई काम नहीं है। थोड़े से मुट्ठी भर उद्योगों को यह विभाग मदद पहुंचाता है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस विभाग के द्वारा ऐसे छोटे कुटीर उद्योगों को मदद मिलनी चाहिए जिनके द्वारा उन छोटे लोगों को जो गांवों में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो फैक्टरी खड़ी नहीं कर सकते उनको किसी न किसी रूप में इस विभाग के द्वारा मदद मिले, उनकी बेरोजगारी और रोटी-रोजी का प्रश्न हल हो।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इसके लिए कई एक सुझाव हो सकते हैं; जैसे राजस्थान में बड़े बड़े उद्योगों की जगह छोटे भी कई उद्योग हैं। उनके लिए कच्चा माल भी है। उनका स्कोप भी है, लेकिन उनके साथ दिक्कत है तो एक ही है कि सरकार की निगाह उन पर नहीं है। मुझे यह भी पूर्णतया जानकारी है कि इसी विभाग से जो भी बड़े बड़े लोगों को कर्जा मिलता है, सहायता मिलती है टीन का, सीमेन्ट का ताम्बे का, जस्ते का, सब का कोटा मिलता है, उसमें उसको प्राप्त करने में बहुत विलम्ब होता है, और उसमें रिश्वत देनी पड़ती है। मैं यह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह विभाग भी पी० डबलू० डी० की तरह कुछ पर्सेन्टेज तक रिश्वत को अनिवार्य मान कर चलता है। अमुक कोटे पर इतनी रिश्वत होनी चाहिए तो वह कोटा मिल जायेगा। अमुक लोन पर इतना पर्सेन्टेज रिश्वत होनी चाहिए तो वह लोन मिल जायेगा। मैं इसकी पूरी जानकारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में भी रिश्वत का बोलबाला है ! जो लोग रिश्वत नहीं दे सकते हैं, जिनके पास खाने कमाने को पैसा नहीं है, उन आदमियों के लिए यह विभाग बिल्कुल निकम्मा और किसी काम का नहीं है।

छोटे उद्योगों की श्रेणी में, माननीय अध्यक्ष, कई उद्योग जो राजस्थान में पनपाये जा सकते हैं वे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता छोटे उद्योगों में इसलिए ही है वह लोग सरकार को और सरकार के ऑफिसरों को खुश नहीं कर सकते। जो लोग दिलचस्प हैं उनसे कोई फायदा नहीं इसलिए छोटे उद्योगों के लिए मौन है हमेशा। राजस्थान में लकड़ी का उद्योग पनप सकता है। राजस्थान में मिट्टी का उद्योग पनप सकता है। राजस्थान में ऊन का उद्योग पनप सकता है। राजस्थान में चमड़े का उद्योग पनप सकता है। ये इस तरह के छोटे उद्योग हैं जो कि हर आदमी, साधारण स्थिति का आदमी भी अपने घर से, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठकर थोड़े पैसों से चला सकता है बशर्ते कि उनको सरकार की तरफ से थोड़ा मार्गदर्शन मिले, थोड़ी आर्थिक सहायता मिले। तो ये उद्योग हैं जिनके द्वारा प्रान्त के हजारों ही नहीं लाखों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। लाखों आदमियों को आपके विभाग के द्वारा रोटी रोजी प्राप्त हो सकती है।

मुझे जहां तक मालूम हो सका है हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट में आपके उद्योग विभाग की तरफ से कोई भी उद्योग नहीं है जिसके द्वारा टोंक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बेकारी है, बेरोजगारी है और गरीबी है वह मिट सके। सरकार भी ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की मदद नहीं करके और जहां भी इस तरह के साधन सम्पन्न शहर है उन्हीं में एक छोड़ दो दो, उद्योगों पर उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। मुझे इस बात से कतई ईर्ष्या नहीं है कि कोटा में इतने उद्योग हों, लेकिन मुझे इस बात से जरूर ईर्ष्या है, मेरी यह मान्यता जरूर है कि कोटा के मुकाबले में अन्य डिस्ट्रिक्टों को भी औद्योगिक दृष्टि से अपनी लिस्ट पर लिया जाना चाहिए। टोंक में जहां गरीबी और बेरोजगारी है वहां आप अगर उद्योग

(श्री जयनारायण सालोदिया)

स्थापित करना चाहें तो करें, चाहे वे बड़े उद्योग हों, चाहे कुटीर उद्योग हों वहां उसकी बड़ी गुन्जाइश है। वहां उसके लिए बड़ा कच्चा सामान है। वहां पर बीड़ी-उद्योग अच्छा चल सकता है। वहा पर चमड़े का उद्योग अच्छा चल सकता है। मुझे यह बताते हुए आश्चर्य होता है कि राजस्थान में इतने चमड़े की उत्पत्ति होते हुए भी आज हम यह नहीं कह सकते, उद्योग विभाग यह नहीं कह सकता, जिसके द्वारा उससे सम्बन्धित लाखों आदमियों का जीवन अच्छा हो सके। चमड़े का उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके द्वारा बनी हुई चीजें हमारे दूसरे देशों में जाती हैं। हमें उससे विदेशी-मुद्रा मिलती है, चाहे वह कच्चा चमड़ा हो, चाहे पक्का चमड़ा हो, चाहे बना हुआ सामान हो, लेकिन यह उद्योग इस तरह का उद्योग है जिसके द्वारा बनी हुई चीजें हमारे देश से बाहर जाती हैं।

और उससे हमें विदेशी-मुद्रा मिलती है। ऐसे अन्तरर्राष्ट्रीय उद्योग के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे यह उद्योग पनपे। इससे उस उद्योग में तरक्की और परिवर्तन हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस चमड़े के उद्योग को क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं? आपको इसके लिए भी पूर्ण मुस्तैदी से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपके यहां एक अलग विभाग है। उसमें एक डिप्टी डाइरेक्टर या असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट है। वह व्यक्ति आपके डिपार्टमेंट में है। उनको राज्य सरकार से पैसा मिलता है तनख्वाह के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह डाइरेक्टर साहब, डिप्टी डाइरेक्टर साहब या जोइन्ट डाइरेक्टर साहब हों, लेकिन वह करते क्या है? क्या सरकार ने कभी कोई रिपोर्ट ली उनसे? क्या सरकार ने कभी पूछा उनसे कि आपकी ड्यूटी है चमड़े के उद्योग का विकास होना चाहिए, चमड़े का उद्योग स्थापित होना चाहिए, चमड़े की क्वालिटी में फर्क होना चाहिए तो उसकी नियुक्ति के बाद आपके विभाग के द्वारा उस दिशा में कोई प्रगति हुई? मुझे जहां तक मालूम है वह माननीय महोदय न कहीं दौरा करते हैं, न कहीं जाते हैं, न कभी देखते है चमड़े के धन्धे को, सिर्फ अपनी तनख्वाह उठाया करते है और आपके ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इस उद्योग को नहीं पनपाना चाहते हैं, अगर आपकी इस उद्योग की तरफ उदासीनता है तो फिर राष्ट्र के पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे है? क्यों इसके लिए स्टाफ बैठा रखा है? जो स्टाफ बैठा रखा है उससे काम लिया जाय। उन्हें बाहर भेजा जाय। उनको जयपुर में ही क्यों बैठा रखा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टोंक जिले के लिए कह रहा था। टोंक में इस चमड़े के धन्धे का बहुत बड़ा स्कोप है और अगर आप इस तरफ ध्यान देकर इस पर थोड़ी सी दिलचस्पी रखकर इस तरफ आप दृष्टि रखेंगे तो आपका यह उद्योग डवलप होगा, और उसके द्वारा आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

इसी के साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य उद्योग भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में

(श्री जयनारायण सालोदिया)

चल सकते है । वहां कुटीर उद्योगों के स्टैण्डर्ड पर कपड़ा बनाया जाता है वहां दरियां बहुत अच्छी बनाई जाती है । वहां पर मिट्टी के बरतन और खिलौने बहुत अच्छे होते हैं। वहां लकड़ी के खेरात का काम बहुत अच्छा होता है लेकिन उन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है । इसलिये वे इन धंधों में नया परिवर्तन करके कुछ पैसा खर्च करके उनका विकास कर सकें ऐसी स्थिति उनकी नहीं है; इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कुटीर उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिये और उनको राजस्थान भर में एक समान भावना रख कर एड देनी चाहिये और समान आधार पर काम होता चाहिये । यह नहीं हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में तो सारे उद्योग खोल दिये और उद्योग विभाग के सारे बजट के पैसों का अधिकांश भाग एक डिस्ट्रिक्ट में खर्च हो......

श्री भीमसेन (लूणकरसर) : ऐसा कौनसा जिला है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जैसा कि मैंने बतलाया कोटा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां उद्योग विभाग का बहुत पैसा खर्च होता है । मैं खुद स्वयं जाकर देख कर आया हूं । वहां एक के बाद एक दर्जनों उद्योग स्थापित हो रहे हैं । मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि कोटा के साथ मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है उसको इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया है उसी तरह से और डिस्ट्रिक्ट्स को भी घोषित किया जा सकता है वहां भी कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है बशर्ते कि सरकार की और डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ निगाह हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रथम में अर्ज किया, इस विभाग की पब्लिसिटी आम लोगों में नहीं है । कोई इसको नहीं जानता है कि राजस्थान में इस तरह का उद्योग विभाग भी है जो उद्योगों को मदद करता है, इसलिये मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिये । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिये जिससे लोगों को महसूस हो, मालूम हो कि घरेलू उद्योग में इस तरह से काम करेंगे तो राज्य सरकार से मदद मिलेगी ।

इस विभाग के द्वारा जो अलग अलग सहायता प्राप्त करने के लिये या लोन प्राप्त करने के लिये जो फार्म्स प्रचलित हैं उनका भी इस तरह का एक बड़ा प्रोसिजर है और इस तरह का है कि आम लोगों के दिमाग में नहीं जा सकता । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको भी सरल, छोटा और साधारण बनाने की कृपा करें जिससे राजस्थान के हर नागरिक को आपकी स्कीम समझ में आवे, आपकी मन्शा समझ में आवे कि आपका विभाग क्या करना चाहता है और उससे क्या फायदा नुकसान होने वाला है । ये सारी बातें लोगों की समझ में आनी चाहिये । ये सारी बातें प्रचार के द्वारा और आपके फार्म को साधारण और छोटा करने से हो सकती हैं । बाकी आपके बड़े सारे फार्म और बिना प्रचार की भावना उन्हीं लोगों तक सीमित रहती है जो पढ़े लिखे हैं, मालदार हैं, सारी बातें जानते हैं, सब तरह से साम, दाम, दंड, भेद से आपको खुश करना चाहते हैं । इसलिये अध्यक्ष

Page No 53

(श्री जयनारायण सालोदिया)

महोदय, आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं। जहां तक टोंक डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न है उसको आप इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने की कृपा करें। वहां आपको कोटा से ज्योढ़ा पानी मिलेगा, अच्छी जमीन मिलेगी, कच्चा माल मिलेगा। फिर कोई वजह नहीं कि कोटा को औद्योगिक एरिया घोषित करें और टोंक को घोषित न करें। टोंक को घोषित नहीं करें, लेकिन एक भी इन्डस्ट्री कोटा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यह शोभनीय बात सरकार के लिये नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं बीकानेर के पास में पलाना खान है उसके विकास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पलाना कोयले की खान है उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का प्रथम योजना में उसका विकास करने का विचार था लेकिन पहली योजना समाप्त हो गई, द्वितीय योजना समाप्त हो गई और तीसरी योजना का भी अन्तिम वर्ष जा रहा है लेकिन उस खान के विकास के लिये जो योजना अब तक सरकार ने बनाई है उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। जिस ढिलाई से इस खान का विकास किया जा रहा है वह राजस्थान सरकार के सोचने की बात है कि इसके लिये शीघ्र से शीघ्र कदम उठावें। इस खान के विकास हेतु अभी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने रशियन एक्सपर्ट्स की सहायता से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार वहां पर थमरल पॉवर स्टेशन लगाने की सिफारिश की है और इसके अलावा एन्सीलियरी धन्धों के बारे में रिपोर्ट दी है और इसके विकास के बारे में रिपोर्ट तैयार हुई है उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाय तो इससे बीकानेर के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास होगा।

इसके साथ ही मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने चौथी योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के और युनिट्स खोलने का निश्चय किया है। चौथी योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के १० युनिट्स स्थापित होंगे और हिन्दुस्तान हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ८ युनिट हिन्दुस्तान में नये स्थापित होंगे। यह खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक युनिट राजस्थान में बनाना स्वीकार किया है। मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा कि हिन्दुस्तान हेवी इलेक्ट्रिकल्स का एक युनिट और राजस्थान के लिये प्राप्त किया जा सके तो उससे राजस्थान को काफी लाभ होगा और जो हमारी वित्तीय स्थिति है उस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी से धन मिलेगा और लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिलेगा। और इससे राजस्थान के लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ेगा।

(श्री भीमसेन)

इसके साथ ही बीकानेर में जिप्सम कम्पनी है उसमें राजस्थान सरकार के ४० परसेन्ट शेयर्स हैं और एक ऐसी कम्पनी के पास मेनेजिंग एजेन्सी है जिसके पास केवल १५ परसेन्ट शेयर्स हैं और उस कम्पनी के पास मेनेजिंग एजेन्सी होने से कलकत्ता, दिल्ली और बीकानेर में तीन तीन जगह जगह ऑफिस लगा रखे हैं जिन पर अनावश्यक खर्चा होता है और लाभ के हिस्से से हम वंचित रहते हैं। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेनेजिंग एजेन्सी को खत्म किया जाय। अभी २७ तारीख को शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें सेक्रेटरी, ट्रेज़रार की पोस्ट होती हैं, उनका कार्यकाल १० साल तक बढ़ाने के लिये रिज़ोल्यूशन पास होने वाला है। इस कंपनी का काम इतना सिम्पल है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के डाइरेक्शन्स के अनुसार कोई भी मैनेजर काम कर सकता है। मैनेजिंग एजेन्सी किसी जमाने में ठीक थी लेकिन अब उस कंपनी का काम रॉ मेटीरियल लेकर सिंदरी फर्टीलाइज़र फैक्ट्री को सप्लाई करना ही है। ऐसी स्थिति में मैनेजिंग एजेन्सी रखना और उसको ५०,००० रुपए दिये जायं, यह कहां तक वाजिब है, यह सरकार के सोचने की बात है। २७ तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार जिसके ४० परसेन्ट शेयर हैं, वह इस रिजोल्यूशन को ओपोज करे और पास नहीं होने दे। बिना मैनेजिंग एजेन्सी के भी काम हो सकता है और उससे हमें काफी लाभ मिल सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम जिप्सम कंपनी का फौरन खत्म किया जाय।

इसके अलावा हमारे जैसलमेर क्षेत्र में पैट्रोलियम का सरवे करने की बात काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में भी पैट्रोलियम का सर्वे करने की ओर कदम उठाया था लेकिन बाद में सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और सक्रियता नहीं बरती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पैट्रोलियम की सर्वे के बारे में जैसलमेर के क्षेत्र और बीकानेर के अन्दर जो ऐसे क्षेत्र हैं उनके बारे में सरकार की क्या योजना है—उसके बारे में सरकार द्वारा सदन को अवगत कराया जाय।

इसके अलावा हमारे बीकानेर जिले में फूलर्स अर्थ काफी तादाद में कोलायत के पड़ोस में मिलता है। फूलर्स अर्थ का जो ठेकेदार है वह काफी माल अमेरिका भेजता है। पहली योजना में सरकार की योजना थी कि फूलर्स अर्थ का एक्टीवाइज़ेशन प्लान्ट वहां पर लगाये और उसके लिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में ११ लाख का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन इसके बाद में तो मुल्तानी मिट्टी की जांच कराई गई, जो इसकी जांच हैदराबाद में कराई गई, वह ठीक तरह नहीं हुई और इसकी जो रिपोर्ट सरकार को दी गई थी वह उस ठेकेदार से मिल कर तैयार की गई थी। वह रिपोर्ट यह थी कि फूलर्स अर्थ प्लान्ट के लायक यह नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह फूलर्स अर्थ अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर पेट्रोलियम को साफ करने के लिए

(श्री भीमसेन)

यदि एक्टीवाइजेशन प्लान्ट लगाया जाता है तो इससे फोरिन एक्सचेंज की काफी इन्कम हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस फूलर्स अर्थ को दुबारा अच्छी तरह एक्ज़ामिन कराया जाय और वहां पर फूलरर्सअर्थ एक्टीवाइज़ेशन प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में कदम उठाये जायं तो इससे काफी फोरिन एक्सचेंज प्राप्त होगा— यह मेरा विश्वास है।

इसके अलावा, अध्यक्ष जी, बीकानेर जिले के अन्दर काफी खनिजों का भंडार है, वहां पर ग्लास सैंड, चायना क्ले और जिप्सम का प्रचुर मात्रा में भंडार है। इसके अलावा लाल पत्थर वगैरह खनिज़ भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बीकानेर जिले के खनिजों की सर्वे सरकार शीघ्र करवाये, जिससे जो लोग पूंजी-पति हैं और उद्योगपति हैं और जो उद्योग-धन्धे बढ़ाना चाहते हैं, उनको यह मालूम हो सके कि बीकानेर जिले के अन्दर कितने खनिज हैं ताकि वह वहां पर उद्योग-धन्धे लगा सकें।

हमारे लूणकरणसर में राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिप्सम कम्पनी को सेलोलाइड निकालने की लीज़ दे रखी है। उस लीज़ को सरकार ने इस कन्डीशन पर दी थी कि यह कम्पनी इस लीज़ एरिया से सेलोलाइड निकालने के अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की फेक्ट्री लगाये। लेकिन इस कम्पनी को लीज दिये १९४८ से १९६५ तक, करीब १७ साल हो चुके हैं लेकिन उसने लीज़ की कन्डीशन को पूरा नहीं किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कम्पनी सेलोलाइड बम्बई वगैरह की पाउडर बनाने की फैक्ट्रीज को महंगे भावों पर बेंचती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री यह कम्पनी नहीं लगाना चाहती है, इसकी इच्छा फैक्ट्री लगाने की नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कम्पनी पर दबाव डाल कर इस लीज़ की कन्डीशन को पूरा कराया जाय और प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगवाई जाय जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और फिर सरकार कुछ आमदनी भी प्राप्त कर सके।

इसके साथ ही साथ, इस एरिया में नमक तैयार किया जा सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में ऐसे लोग हैं, जो फलौदी वगैरह में नमक बनाने का तजुर्बा रखते हैं। वह लोग तैयार हैं, जिस एरिया में सेलोलाइड निकाला जा चुका है, वह एरिया इन लोगों को दे दिया जाय तो यह नमक तैयार कर सकते हैं। इससे सरकार को भी कुछ आमदनी हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस एरिया से सेलोलाइड निकाला जा चुका है, वह एरिया ऐसे लोगों को दे दिया जाय जिससे वह लोग नमक तैयार कर सकें और उससे सरकार को भी कुछ आमदनी हो। इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में कदम उठाये।

इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया है कि बीकानेर में एक वूलन फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अन्दर स्थापित की जाय। अध्यक्ष

(श्री भीमसेन)

जी, मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि इस प्रकार का डिसीज़न लेने के बाद सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बारे में लाइसेन्स लेने वालों से एप्लीकेशन्स मांगी गई थीं। लेकिन भारत सरकार जो राजस्थान सरकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है वह अभी तैयार नहीं हुई है और बगैर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुए किसी तरह का लाइसेन्स स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वूलन फैक्ट्री के बारे में सरकार को तेजी के साथ में काम करना चाहिए था वह उतनी तेजी से कदम नहीं उठाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तत्काल तैयार कराई जाकर गवर्नमेंट ग्रॉफ इण्डिया को भेजी जाय ताकि लाइसेन्स दिया जा सके। इसके अलावा दूसरे जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वह भी उठाये जायं।

बीकानेर में एक जिप्सम वेल बोर्ड फैक्ट्री बनाने का लाइसेन्स प्राप्त हुआ था वह एक प्राइवेट फर्म ने लिया था। इसकी क्या प्रगति हुई है वह हम जानना चाहते है। १९६२ के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि लाइसेन्स किसी कानोडिया या किसी और को दिया था। उसके बारे में क्या प्रगति हुई थी इसके बारे में सदन को अवगत कराया जाय।

इसके साथ साथ हमारे बीकानेर में उद्योग क्षेत्र में, इन्डस्ट्रियल एरिया में पानी और सड़कों की सुविधा नहीं है। इस बारे में सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बातों का जवाब देगी और उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग का बजट जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे राजस्थान के इस विभाग की हालत कुछ अजीबोगरीब सी है। इस विभाग की रिवर्स गिअर में गाड़ी चल रही है। जब मैंने इस विभाग के बारे में ध्यान से बजट को देखा तो मुझे लगा कि इसकी गाड़ी रिवर्स गिग्रर में चल रही है। ऐसा लगता है कि चाबुक किधर मार रहे हैं ग्रौर घोड़ा किधर दौड़ा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग के आय ग्रौर व्यय के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। उद्योग विभाग की आय १९६३-६४ में जहां २१ लाख ८८ हजार ५७७ थी वहां वह १९६५--६६ में घट कर १९ लाख ३५ हजार रह गई है। यह सिर्फ उद्योग विभाग की आमदनी का हाल है। इसके मुकाबले में...

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : क्या आय होगी ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उद्योग विभाग की १९६३-६४ में २१ लाख ८८

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

हज़ार ५७७ की आय थी, वहां सन् १९६५-६६ में आपका एस्टीमेट है कि आय १९ लाख ३५ हजार होगी, यानी पहले से कम होगी। और इसमें भी ६ लाख रुपया आपने सोडियम सल्फेट का रखा है जो पिछली साल इसमें नहीं था। उसको यदि माइनस कर दिया जाय तो आय १३ लाख ३५ हजार रह जाती है। इसके मुकाबले में जो खर्चा बढ़ा है वह और, यह जो डिफरेन्स है उसका हिसाब लगाया जाय तो ८ लाख ५३ हजार ५७७ का फर्क पड़ता है, यानी आमेदनी और खर्च का हिसाब लगाते हैं तो १९६३-६४ में जो आमदनी थी वह १९६५-६६ में जाकर ८ लाख ५३ हजार ५७७ कम हो गई जब कि इस विभाग में खर्चा आमदनी के मुकाबले में १६ लाख ८९ हजार ६७२ रुपये बढ़ा है। यानी इण्डस्ट्री विभाग का खर्चा बढ़ा है १६ लाख ८९ हजार ६७२ और आमदनी ८ लाख ५३ हजार ५७७ कम हुई है।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन का जब मैंने हिसाब देखा तो १९६३-६४ में जहां ६ लाख ७ हजार की आमदनी थी, वह आमदनी १९६४-६५ में घट कर ५ लाख ५० हजार रह गई, यानी ५७ हजार रुपये की आमदनी मत्स्य पालन में कम हुई है जबकि इसके अन्दर आज २ लाख १३ हजार ७५९ का खर्चा बढ़ा है। यह मत्स्य विभाग ऐसा विभाग है जिसकी आमदनी और खर्च में डाइरेक्ट रिलेशन रहता है। १९६३-६४ में जहां खर्च है ३ लाख वह तो बढ़ कर ५ लाख १६ हजार हो गया लेकिन २ लाख १३ हजार जो खर्चा बढ़ाया है उसके बाद भी आमदनी बढ़ने के बजाय ५७ हजार कम हो गई।

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने विभागीय आंकड़े बताये लेकिन हम इन्डस्ट्रीज़ का हिसाब देखें तो यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ राजकीय उद्योग गंगानगर सुगर मिल को ही लें तो उसकी १९५९-६० में आमदनी ५ लाख ९३ हजार ६२२ थी, लेकिन अब उसकी स्थिति रिवर्स हो गई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विभाग की गाड़ी रिवर्स गिअर में जा रही है। जो १९५९-६० में आमदनी ५ लाख ९३ हजार ६२२ थी वह १९६०-६१ में घट कर ४ लाख ६८ हजार ४३४ रह गई और १९६१-६२ में वह घट कर १ लाख ४३ हजार ७४५ रह गई और उसके बाद में १९६२-६३ में वह घट कर ४७ हजार ६३७ रह गई। और इसके बाद १९६३-६४ के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसा रिपोर्ट में लिखा है, १९६४-६५ में ४ लाख क्विन्टल गन्ना पीसा गया। जब इतना फर्क चालू है तो इसका सीधा सादा अर्थ है कि अगले दो वर्षों में लाखों रुपये के लॉस में फैक्ट्री चली है। तो यह आपकी गंगानगर सुगर मिल का हाल है। छोड़िये। आप कह सकते है कि वर्षा कम हुई है उसके कारण ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नमक उद्योग का क्या हुआ ? इसमें भी गाड़ी रिवर्स में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, और तो और, आप आमदनी के फिगर्स छोड़ दीजिये, लेकिन राज्य सरकार को भारत सरकार से पचपद्रा

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

और डीडवाना के लिए वैगन्स मिलते थे उनमें भी कमी हो गई है ।

पहले जहां ६१५३ गाड़ियें मिलती थीं वहां अब उससे आधी मिलती हैं यानी ३२२२२ गाड़ियां मिलती हैं और जहां १८०० गाड़ियां मिलती थीं वहां पर १८०० के स्थान पर ११०० रह गई है । यह आपकी प्रोग्रेस हो रही है ? मैं यह कहूंगा कि यहां पर भी आपकी प्रोग्रेस का गेर उल्टा चल रहा है । जितने वैगन्स मिलते थे उससे आधे भी नहीं रहे यह आपकी प्रोग्रेस का नमूना है । नमक के मामले में प्रोग्रेस हुई ।

श्री चन्दनमल वैद : ट्रकों से उद्योग होने लगा है ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : कोई हर्ज नहीं, आप भारत सरकार से कह दीजिये कि वेगन्स खुद काम में ले और हम ट्रक्स से ले जावेंगे ।

कोई हर्ज नहीं ट्रकों से मत ले जाइये । मगर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आमदनी में फर्क कैसे पड़ा ? जहां पर पचपदरा में और डीडवाना में ४ लाख ५० हजार करीब होता था वह घटकर पचपदरा में २ लाख १० हजार का और डीडवाना का २ लाख ३० हजार रहा । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वह आममनी कहां गई? इसका कोई उत्तर नहीं । गंगानगर में क्या इनवेस्टमेंट हुआ उनका भी कोई उत्तर नहीं । मैं इसको भी छोड़ता हूं ।

अब मैं खादी पर आता हूं । आप खादी को ही ले लीजिये । इसमें तो आप यह नहीं कह सकते कि इस पर ऋतु का फर्क पड़ता है । आप देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि खादी की आय में वृद्धि हुई है । इसकी आय बढ़ी है या घटी है इसको अच्छी तरह से देखना है । आपको यह देख कर हैरत होगी कि जो खादी १९५९:६० में ५७ लाख गज तैयार होती थी वह खादी गजों में कम हुई है और ६२–६३ में घट कर ४८ लाख ९९ हजार गज ही रह गई । इससे साफ जाहिर होता है कि खादी के बनने में गिरावट आई है । शायद आमदनी के फिगर्स बढ़े हों । आप कह सकते हैं कि १ करोड़ की खादी की आय ५९–६० में थी वह बढ़ी है । मैं यह कह सकता हूं कि खादी की कीमत अवश्य बढ़ी होगी लेकिन खादी का उत्पादन बढ़ा हो ऐसा नहीं है । पहले ५९–६० में जहां ५७ लाख स्क्वायर गज खादी तैयार होती थी वहां पर ६२–६५ में ४९ लाख स्क्वायर गज ही तैयार हुई । इससे यह तो स्पष्ट है कि खादी का उत्पादन पहले से घटा है । इसमे आप देखें तो आपको मालूम होगा कि पहले खादी की कीमत २ रुपये स्क्वायर गज थी वह ६३-६४ में ४) रु० स्क्वायर गज हो गई । इसलिए कीमतें बढ़ने से आय तो इस सेन्स में बढ़ी है लेकिन खादी का उत्पादन जितना पहले होता था नहीं हुआ और उसका उत्पादन घटा है । हर साल इसका हिसाब लगाया जाता है और उस हिसाब को देखें तो यह मालूम होगा कि ५९–६० में ६७ लाख की खादी बिकी है और आज जब कि उस खादी की कीमत दुगनी हो गई है तो उस हिसाब से वह १ करोड़ '३४ लाख की होती है ।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

लेकिन अध्यक्ष महोदय वही खादी ६३–६४ में केवल ६७ लाख की बिकी और बिक्री के आंकड़े दे देते हैं और माननीय मंत्री कहते है कि आमदनी बढ़ती जा रही है। मगर ५९:६० में हमारी खादी ३३ लाख ६८ हजार गज बिकी और अब वह २४ लाख गज रह गई। कहने का मतलब यह कि जो खादी १९५९ ६० में ३३ लाख गज बिकी थीं वह ६३-६४ में २४ लाख गज ही रह गई। अब किस प्रकार की प्रगति उसमें हो रही है :इसका आप अन्दाजा लगाइये। इसमें वे वे आंकड़े भी हैं जो खादी संघ के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। मैं इसको भी छोड़ता हूं मगर जो आंकड़े आपने दिये हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यह भी रिवर्स गेर में गाड़ी जा रही है। लेकिन अगर यहां तक की बात होती तो समझ में आता। मैं यह कहूंगा कि प्रति वर्ष बिक्री से दूनी खादी का उत्पादन होता है ऐसा कहा जाता है। मगर वास्तव में या तो वह उतना उत्पादन होता नहीं जितना कहा जाता है या कहीं गड़बड़ी होती है जब कि एक करोड़ ६७ लाख ६३-६४ में पैदा होती है और ६३:६४ में ८५ लाख की विकती है। एक करोड़ की पैदा होती है और ८३ लाख की बिकती है। प्रतिवर्ष आधी खादी बिकती है। और यदि आप अनुदान के आंकड़े भी उसमें देखे या जो सहायता के रूप में जो भी लोन दिया जाता है उसको देखें तो प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन दिनों दिन कम होता गया है और अनुदान के और लोन के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। यह है हमारी खादी की स्थिति। अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने जो दो-तीन आइटम्स बताये हैं उनसे संतोष नहीं होता हो तो मैं और भी आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन अब मैं दूसरी बातों को बताना चाहूंगा कि आज प्राइवेट सेक्टर में क्या उन्नति हो रही है।

हमारे यहां पर जावर माइन्स जो हिन्दुस्थान में ही नहीं एसिया में सबसे बड़ी माइन है और जिससे लाखों और करोड़ों का फोरिन एक्सचेन्ज बचेगा उसकी आज क्या हालत हो रही है। उसको क्या भारत सरकार लेगी या राजस्थान सरकार लेगी या शेअर्स लेंगे या लोन लेंगे या क्या होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है और इस कारण उसकी सारी प्रोग्रेस रुकी हुई है। आज तक जो कार्य पूरा हो चुका होना चाहिये मगर वह नहीं हुआ है इसलिये दो वर्ष पीछे उसकी प्रोग्रेस चली गई इससे कितना नुकसान होगा इसे कोई गौर नहीं कर रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह राजस्थान के लिये ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के लिये भी की इन्डस्ट्री है और सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिये। अगर सरकार इसकी तरफ जल्दी ध्यान दे तो इसमें से दूसरी कई इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं जिससे हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा विकास हो सकता है और राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को चाहिये कि इसके लिए अगर आउट ऑफ वे भी जाकर मदद करनी पड़े तो हमारी सरकार को आउट ऑफ दी वे जाकर भी मदद करनी चाहिए। मगर वर्षों से चिल्लाने पर भी कभी भारत सरकार और कभी राजस्थान सरकार के पास, कोई सुनवाई नही होती है।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

सरकार अभी यह तय नहीं कर पाई है कि उनको क्या मदद देगी या स्वयं लेगी या सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेगी या क्या होगा ?

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि आपका जो सिस्टम है वह अव्यवस्था से भरा हुआ है। चाहे आप शेड के अलोटमेंट को ले लीजिये चाहे किसी को लोन देने के मामले को ले लीजिये चाहे डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ कोटा के मामले को ले लीजिये। सारे के सारे सिस्टम हैं वे अव्यवस्थाओं से भरे हुए हैं इनमें किसी में भी यह नहीं कह सकते कि यह तो सिस्टम आपका ठीक है। रजिस्ट्रेशन के मामले को ले लीजिये। कोई भी जा कर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन करा कर वह कोटा ले सकता है। वह कोटा लेकर चाहे इन्डस्ट्री नहीं करे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। वह कोटा सरकार से ले कर ब्लेक में बेच देता है और हमारी सरकार को यह भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है।

इसलिए आज वास्तव में होना यह चाहिये कि जो माल लेता है वह वास्तव में इन्डस्ट्री लगाता है या नहीं और उसी इन्डस्ट्री के लिए काम में लेता है या नहीं यह देखने की जरूरत है। इसलिये रजिस्ट्रेशन के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज मैं यह कहूंगा कि जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ राजस्थान में बनी हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पेकुलेटर्स घुस गये हैं, इसलिये हमें हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन में रिफोर्म करने की आवश्यकता है। इन्डस्ट्री में किस केपेसिटी के लोग आ सकते हैं इसके लिये रजिस्ट्रेशन कानून में उल्लेख होना चाहिये। जो कोटा दिया जाता है उसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में डिवाइड किया जाना चाहिये। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिये अलग अलग स्कीम बननी चाहिये और जब कभी कोई इन्डस्ट्रियल एस्टेट खुले तो इनके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये ओर परमिशन तभी होनी चाहिये जब कोई व्यक्ति इन्डस्ट्री खोले और पर्सनल सेक्टर दे देना चाहिये।

इन्डस्ट्रियल शेड के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कई जगह पर शेड हैं जहां उनको लेने वाला नहीं। दूसरी जगह ऐसे हैं कि जहां पर इन्डस्ट्रियल शेड्स हैं नहीं, जहां पर हैं वहां पर बेकार पड़े हैं और अगर किसी ने ले लिये तो किराया चढ़ता जा रहा है और वे लोग किराया देते नहीं। इसलिये हमारी सरकार को इससे सबक लेना चाहिये और शेड बना बना कर लोगों को नहीं देना चाहिये क्योंकि इसमें असफल रहे हैं। होना यह चाहिये कि इन्डस्ट्रियल शेड के लिये आपको लोगों को लोन देना चाहिये. बाद में धीरे धीरे रुपया वसूल करना चाहिये क्योंकि हो सकता है कि जो आदमी खुद अपना रुपया लगा कर स्वयं शेड बनावेगा वह इस बात का पूरा पूरा जरूर ध्यान रखेगा कि उसका पूरी तरह से उपयोग हो और वह यह भी समझेगा कि उसको डेवलप करने का भी मेरा ही अधिकार है। वह हर वक्त यही कोशिश करेगा कि उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको उनकी जिम्मेदारी

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

पर इन्डिविजुअल ओनरशिप दे दी जावे या यह होना चाहिये कि आप उसको लीज़ में दे दीजिये जिससे वह व्यक्ति उस शेड के लिए अपनापन फील करके उसे डेवलप करेंगे ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट बने हैं, उनकी क्या हालत है, उसको मैंने देखा है और मैं वहां पर गया हूं । मैं यह कहूंगा कि वहां पर कहीं सड़कों का पता नहीं, वहां पर कहीं लाइट का पता नहीं, वहां पर पानी का पता नहीं । कहीं अगर किसी ने इन्डस्ट्री स्थापित कर दी तो वहां पर बिजली का पता नहीं । बिजली नहीं होने से वह इन्डस्ट्री चल नहीं सकती । वहां पर पानी का पता नहीं । लोगों को बड़ी परेशानी होती है । समझ में नहीं आता कि जब एक ही मिनिस्टर के पास ये दोनों ही पोर्ट फोलियो होते हुए भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट में बिजली और पानी के कनेक्शन की अभी तक भी व्यवस्था नहीं हो पाई है और वे वहां पर बिजली पानी नहीं दे सके । इसके अलावा आपने इन्डस्ट्रियल शेड्स में पानी की व्यवस्था नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज़ की हालत देखते हुए तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे यहां कोटा की इन्डस्ट्रीज़ की क्या हालत है । मैं यह कहूंगा कि अगर हमने इन्डस्ट्रीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और इन्डस्ट्रीज़ की यह हालत बनी रही तो यह इन्डट्रीज़ खत्म हो जावेंगी । जहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया में सड़कें, ट्रेफिक आदि की सुविधा होनी चाहिये उस प्रकार की कोई सुविधा हमारे यहां नहीं है । जिस प्रकार से रोड्स का इन्तजाम होना चाहिये जिससे वहां पर सामान ले जाने और लाने की व्यवस्था हो सके वह नहीं हो सकती, जब तक वहां पर अच्छी सड़कें नहीं हों और जब तक सड़कें नहीं होंगी वहां पर इन्डस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि वहां कच्चा माल आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकेगा और वहां का तैयार माल वहां से दूसरे स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर अच्छी सड़कों का निर्माण होना चाहिये, ट्रेफिक की सुविधाएं होनी चाहिये, बिजली वहां पर मिलनी चाहिये और पानी का भी प्रबन्ध होना चाहिये । मगर हम देखते हैं कि ये सारी व्यवस्था वहां पर नहीं हैं । पैसा देकर वहां पर कोई इन्डस्ट्री लगाता है तो लगा सकता है और बिजली लेना चाहता है तो आपको वहां पर बिजली देनी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि इन्डस्ट्रीज़ का आपके यहां विकास हो ।

अध्यक्ष महोदय, इन्डट्रियल लोन्स का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा कि इसके बारे में लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उनको लोन नहीं मिलता और इसके लिए उनको बहुत समय खर्च करना पड़ता है । आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई भी लोन लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर रिकमन्डेशन करानी पड़ती है फिर स्टेट लेवल पर कमेटी बनी है उसके पास जाना पड़ता है और जब वह रिकमन्ड करती है तो फिर उनको लोन मिलता है और इस तरह से अलग अलग जगह लोन के लिए उनको

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

जाना पड़ता है और बड़ी मुसीबत उनको उठानी पड़ती है। उसमें उनका काफी समय भी खर्च होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां पर अलग अलग लोन लेने की व्यवस्था है। कोग्रॉपरेटिव से भी लोन मिलता है, फाइनेन्स कोर्पोरेशन से भी लोन मिलता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। वह कहीं से लोन ले सकता है। मगर मैं यह कहूंगा कि लोन लेने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिससे उनको ज्यादा परेशानी न हो और इधर से उधर मारे मारे फिरना नहीं पड़े और एक ही जगह से वह व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए यह तय हो जाना चाहिये कि इतने तक तो फलां जगह से लोन मिलेगा और उसके बाद में स्टेट लेवल पर जो बोर्ड बना है उसकी सीमा है कि इतने हजार तक स्टेट लेवल पर लोन देगा या डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ इतना लोन देगा। मैं यह कहूंगा कि किसी प्रकार के लोन देने के लिए सुविधा दी जानी चाहिये क्योंकि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को लोन लेने जाने के लिये बहुत कम समय मिलता है और जब लोन उनको नहीं मिलता है तो वे रुक जाती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा लोन का डिस्ट्रिब्यूशन इन्डस्ट्रीज़ विभाग के मारफत हो तो अच्छा होगा आप जब ऐसा करेंगे तो और कोई पोलिसी निर्धारित हो सकेगी, इन्डस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने में चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, चाहे जोइन्ट कोऑपरेटिव सेक्टर में हो हमें तो इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करने से मतलब है। इसका यह मतलब है कि एक जगह केन्द्रित करके कार्यान्वित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी गडबड़ी हुई तो डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ रॉ मेटीरियल के बारे में है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे पड़ोसी प्रान्त पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि हैं ये रॉ मेटीरीयल नहीं देते हैं परन्तु मशीनें बना कर बेच रहे हैं। मगर राजस्थान की यह हालत है कि हम उनको रा मेटीरीयल देते हैं मगर फिर भी वे लोग बाई प्रोडक्शन नहीं बना सकते। वे हमारे यहां से रॉ मेटीरियल लेते हैं और पंजाब और बम्बई में ले जाकर बेच देते हैं। और हमारे यहां की राजस्थान की इन्डस्ट्री राजस्थान के रॉ मेटीरियल पर नहीं पनपती है। हमने उनको तांबा दिया, उन्होंने तांबे के वायर बनाये। मैं यह कहूंगा कि तांबे के वायर बनाना कोई इन्डस्ट्री है? तार बनाना कोई इन्डस्ट्री नहीं। यदि हमें कुछ धन उत्पादन करना है तो इससे कोई और चीज बनाते तो यह बात हमारे समझ में आ सकती थी कि यह कोई इन्डस्ट्री की चीज है। किसी भी चीज का तार बना देते हैं उसको भी आप इन्डस्ट्री मान लेते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि इसके लिए सेन्टर सर्वे होना चाहिये। यह नहीं कि एक व्यक्ति तार ले जावे और उसकी शक्ल बदल कर हमारे यहां पर वह वापिस आ जावे। इसलिए यह होना चाहिये कि हमारे रॉ मेटीरियल का यहीं पर उपयोग होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जो कोटा दिया उसका तार बना कर बाहर भेज दिया। इससे होता यह है कि हमारे यहां पर इन्डस्ट्री सफल नहीं होती है। होना यह चाहिये

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि जो रॉ मेटीरियल एक इन्डस्ट्री को मिल रहा है वह दूसरी इन्डस्ट्री को ऐसी फोर्म में सप्लाई करे जिससे उस कोटा से दूसरी इन्डस्ट्री पनप सकें।

आज होता क्या है अध्यक्ष महोदय, कि कोटा ले लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है आज हमारे यहां किसी प्रकार का चैक आपके यहां पर नहीं है। एक आदमी लाखों रुपया बना लेता है। यहां तक देखा गया है कि उसके कोई इन्डस्ट्री नहीं है। उसने कोटा लिया और चम्पत एक बार और दो बार लिया। मगर किसी भी व्यक्तिने इन्डस्ट्री डेवलपमेंट के लिए ध्यान नहीं दिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक इन्डस्ट्री का प्रोडक्शन बनता है वह दूसरी इन्डस्ट्री का रॉ मेटीरियल बने और वह तीसरी इन्डस्ट्री के लिए रॉ मेटीरियल बने। तब जाकर कहीं उन्नति हो सकती है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद में दो तीन मिनिट टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा। आज राजस्थान में जितना इन्डस्ट्रियल सेट अप हैं उनको यदि दूसरी स्टेट्स के इन्डस्ट्रियल सेट अप से कम्पेअर किया जाय कि दूसरी स्टेट्स ने क्या किया है, जितने कन्सेशन्स वे मांगते हैं वह उन्हें दिये जाते हैं। मैंने एक बजट नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश का देखा कि जो व्यक्ति तेल बनायेगा उस व्यक्ति की तैल इन्डस्ट्री को हम केन्सेशन्स देंगे, एक्सपोर्ट करेगा तो इतनी छूट देंगे पर राजस्थान में आप एक भी उदाहरण बता दीजिये, कोटेज इन्डस्ट्री के लिये, स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिये या किसी प्रकार की इन्डस्ट्री के लिये, जिसको आपने इस प्रकार के कन्सेशन्स, इस प्रकार की छूट दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। इसके विपरीत राजस्थान सरकार यह करती है कि राजस्थान के बाहर जितना एक्सपोर्ट होता था, तो ज्यों ही बाहर रेट्स हाई हुई हमारे राजस्थान में भी रेट्स को उनके मुकाबले कर दिया ताकि एक्सपोर्ट न कर सकें।

इसके बारे में मैं और अधिक निवेदन न करके आगे कभी अवसर मिलने पर बताऊंगा।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से राजस्थान में स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी है, जो स्टोर्स परचेज़ करती है, आइटम्स पर्चेज़ करती है, पर उस कमेटी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान में कौन कौन सी चीजें मैन्युफेक्चर हो रही है और राजस्थान में बनी हुई कौन कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। यदि डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज इस स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी के मेम्बर हो तो स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी को वे यह बता सकते हैं कि यहां राजस्थान में ये चीजें तैयार की जाती हैं। राजस्थान सरकार अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्पेसिफिकेशन्स करके स्पेशल कोटा देकर राजस्थान के लिये आवश्यक वस्तुओं का, अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीजों का निर्माण करा सकती है। डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

के मेम्बर्स हों तो वे यह जानकारी दे सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर कौन कौन सी चीजें तैयार होती है और कौन कौन सी चीजें तैयार की जा सकती हैं, राजस्थान की जरूरत की चीजों की इन्डस्ट्रीज़ कहां पर बन सकती हैं। जब तक राजस्थान के इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को गवर्नमेंट लेवल पर राजस्थान सरकार पैट्रोनाइज़ नहीं करेगी तब तक राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ स्टोर्स पर्चेज कमेटी के मेम्बर होने चाहिये।

मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, कभी कभी यह भी देखा गया है कि किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट की हिन्दुस्तान में कहीं और जगह कोई इन्डस्ट्री है और उसे वहां पूरा कोटा नहीं मिल रहा है तो वह उसी तरह की इन्डस्ट्री राजस्थान में आकर लगा लेता है और जो राजस्थान में उसे कोटा मिलता है उसे वह यहां काम में न लेकर हिन्दुस्तान में दूसरी जगह जो उसकी इन्डस्ट्री है वहां उसे काम में लेता है। इस तरह वह राजस्थान से बाहर की अपनी इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट राजस्थान के कोटा से करता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट से इस प्रकार के प्रयास यहां पर किये जाये उसकी एक इन्डस्ट्री राजस्थान से बाहर है और वैसी ही इन्डस्ट्री राजस्थान में खोलना चाहता है तो राजस्थान में उसे उस प्रकार की इन्डस्ट्री नहीं लगाने देना चाहिये।

आज सबसे बड़ी दिक्कत लेबर की है। टैक्निकल लेबर के लिये हमारे यहां सरकार ने किसी प्रकार के साधन नहीं जुटा रखे हैं। विदेशी फर्मो के साथ कोलोबोरेशन होता है तो वहां कौन जाता है; या तो इन्जीनियर साहब जाते हैं या सेठ साहब जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब कभी इस प्रकार का कोलोबोरेशन हो तो नीचे से लेकर ऊपर तक के आदमी को कोलो-बोरेशन में साथ देने के लिये भेजा जाना चाहिये, ताकि मजदूर लेबर के डेवलपमेंट को स्टेडी कर के हमारे यहां पर भी टेक्निकल लेबर की तरक्की कर सके। इसलिये टेक्निकल लेबर के बारे में मेरा सुझाव है कि राजस्थान के बाहर इस प्रकार का कोलोबोरेशन हो, वहां लेबर को भेजा जाय ताकि आगे के लिये उसका तरक्की का रास्ता खुल जाय।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं, या लार्ज स्केल इन्डट्रीज़ हैं, उनके लिये मेरा सुझाव है कि आज देखा जाय तो हमारे यहां राजस्थान का, हर व्यक्ति होम सिक है, उसके पास काम नहीं, राजस्थान का आदमी बेकार रहता है इसलिये यह परम आवश्यक है कि राजस्थान के हर एक गांव में कोटेज इन्डस्ट्री के रूप में, स्माल स्केल इन्डस्ट्री के रूप में, गाँव गांव में, घर घर में इन्डस्ट्रीज़ को पनपाया जाय। जैसे साइकल की इन्डस्ट्री है, साइकल की इन्डस्ट्री को एक गांव में एस्टेब्लिश कराया जाय; कोई तार बनाये, कोई घंटी बनाये। इस प्रकार विलेज़ इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन विथ दी एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तब तक राज–

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

स्थान की तरक्की इन्डस्ट्रियली नहीं हो सकती ।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के नागरिक ढांचे का एफिलियेशन जमीन के साथ हैं, जमीन को छोड़ कर वह कहीं बाहर जा नहीं सकता । जिस प्रकार बिजली गांव गांव में पहुंचाने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसी तरह गांवों की ओर ध्यान देकर घर घर में कोटेज इन्डस्ट्री लगाई जाय तो राजस्थान का बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि इन्डस्ट्रीज़ के डाइरेक्टर हों या एम. एल. एज़. हों या व्यापारी हों या किसान हों; कुछ लोगों को जापान भेज कर ट्रेनिंग दें, वहां किस प्रकार कोटेज इन्डस्ट्रीज़ चलाई जाती हैं, किस प्रकार की चीजें होती हैं, यह देखने का उन्हें मौका दें। इस प्रकार की पद्धति डालें तो सोशियलिस्टिक पैटर्न के लिए, समाजवादी समाज के लिए हमारे यहां बहुत जगह है, इस प्रकार इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करके हम राजस्थान की बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

श्री रावतराम (सादूलपुर) : माननीय अध्यक्षजी, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। राजस्थान बनने के बाद में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक दृष्टिकोण से जो राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं। राजस्थान बनने से पहले, औद्योगिक दृष्टिकोण से जो राजस्थान को हालत थी वह छुपी हुई नहीं है, पर ज्यों ही राजस्थान बना, राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ गया, तो सरकार ने बड़ी मजबूती से राजस्थान में उद्योग धंधों को पनपाने के लिए कार्यवाही शुरू की। आज राजस्थान में कोटा, गंगापुर, जयपुर और बीकानेर में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ लगी हैं और उनके जरिये राजस्थान की औद्योगिक क्षमता बढ़ी है। इस सबको देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब कि राजस्थान हिन्दुस्तान में औद्योगिक दृष्टिकोण से दूसरी स्टेट्स का मुकाबला करेगा। लेकिन मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े उद्योग धंधों को पनपाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से और दूसरे तरीकों से इन इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने के लिए लोन, सब्सिडी और दूसरे जरियों से जितना मजबूत किया है, जितनी सहायता दी है वहां दूसरी तरफ जहां छोटे उद्योग-धंधों को राजस्थान में पनपाने की आवश्यकता थी, उनको पनपाने के लिए सरकार का ध्यान मजबूती के साथ नहीं गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मेरी यह कोई मंशा नहीं है कि बड़े उद्योग-धंधों को आज कमजोर बना दें, ऐसा करना गलत होगा। क्योंकि औद्योगिक क्षमता राजस्थान की इन्हीं बड़ी इन्डस्ट्रीज़ से बढ़ेगी। पर जब तक सरकार छोटे उद्योग धंधों की ओर ध्यान नहीं देगी, इनको

(श्री रावतराम)

मजबूत नहीं करेगी तो राजस्थान में एक विकट समस्या पैदा हो जायगी। राजस्थान में गांवों में हजारों लोग भूमिहीन हैं वे धीरे धीरे मजदूर बनते जा रहे हैं, उन्हें काम धंधा नहीं मिलता है, ऐसी हालत में बेरोजगारी के कारण बेकार हो जायेंगे और सही काम, कोई काम हम उनको नहीं दे सकेंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बड़ी इन्डस्ट्रीज और फैक्टरीज को मजबूत करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है वहां स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, कोटेज इन्डस्ट्री को पनपाने के लिए, छोटे छोटे उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से, मजबूती के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान उन दस्तकारी के, पुरानी कारीगरी के कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो राजस्थान बनने से पहले हमारे यहां राजस्थान में चल रहे थे। चुरू जिले में गांवों में इतने बुनकर लोग थे जो बुनाई का काम करते थे। हर गांव में दस–दस, बीस-बीस परिवार इन लोगों के थे पर आज उनको समय पर सूत नहीं मिलने के कारण और उनके बनाये हुए कपड़े को मार्केट नहीं मिलने के कारण मजदूरी करने लग गये हैं। उनका छोटा धंधा या वह बन्द हो गया है। या तो खेती करते हैं या सड़कों पर, नहरों पर मजदूरी करते हैं। तो सरकार से अर्ज है कि इन लोगों को सम्हाले, इनकी पुरानी हजारों वर्षों की दस्तकारी थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए सहायता दे।

सरकार यह कह सकती है कि आज हमने हैंड लूम डिपार्टमेन्ट खोला है। बुनकर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट देखिये, क्या होता है? कितनी हैंड लूम सोसाइटीज़ और बुनकर सहकारी समितियां राजस्थान में काम करती हैं? हमको उन सारे रिज़ल्ट्स को देखना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में हमें नये सिरे से सोचना चाहिये, वर्ना उन लोगों को अपने धन्धों से महरूम करेंगे और उनको एक मजदूर बनने के लिए आप मजबूर कर देंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। हैंड लूम डिपार्टमेन्ट यह कहता है कि हाथ कर्घा की चीजें खरीदने के लिए पैसा देते हैं, दूसरी चीजें खरीदने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन एक एक बुनकर को जब तक इस बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आप यह निश्चित मानिये कि वे लोग कर्घे लेकर गांवों में कार्य कर सकें, यह कदापि सम्भव नहीं लगता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को तहसीलवाइज़ रिऑर्गेनाइज करिये। उनकी कोऑपरेटिव्ज़ बना कर उनको आर्थिक सहायता दीजिये और दूसरे तरीके से, उनको सूत, रॉ मेटिरियल जो ऊन का काम करते हैं उनको, और मिल के मुकाबले में यदि उनका माल बाजार में नहीं खड़ा रहता है तो उसको मार्केट में खड़ा रखने के लिए सरकार उनको खरीद कर कार्य करे जिससे उनको सहायता भी

(श्री रावतराम)

मिलेगी और वे लोग अपने धन्धे में भी लगे रहेंगे।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्षजी, चमड़े की बात है। चमड़ा हमारे यहां का महत्वपूर्ण उद्योग है। इस ओर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये सरकार उतना इस ओर ध्यान नहीं दे पाई है। हालांकि छोटी मोटी सोसाइटीज़ हैं राजस्थान में, चमड़े का राजस्थान में कितना ही स्कोप है लेकिन यहां पर बोम्बे, कानपुर, मद्रास का चमड़ा मंगा कर काम में लाया जाता है। यदि यहां पर उपयुक्त और ट्रेनिंग की व्यवस्था हो तो यह उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। आज यह स्थिति है कि ट्रेनिंग के लिए कानपुर और मद्रास जावेंगे लेकिन ट्रेनिंग लेकर वापिस आवेंगे, हालांकि सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन उनको यह स्कोप नहीं मिलता है और जिस कारण वे यहां काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस ओर भी सरकार को विशेष तौर से विचार करना चाहिये। सरकार को यहां पर ट्रेनिंग सेन्टर खोलना चाहिये। यदि यहां पर ट्रेनिंग सेन्टर होगा और लोग ट्रेनिंग लेंगे तो इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

माननीय अध्यक्षजी, इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सुजानगढ़ में दो-तीन साल पहले पॉवर लूम के लिए रुपया सक्शन हुआ था और काम भी शुरु हो गया था लेकिन न जाने किस सुस्ती में वह काम पड़ा हुआ है मुझे नहीं मालूम। जब पॉवर लूम खोला है तो उसको रिओर्गेनाइज करके सम्हालना चाहिये। उसको नहीं सम्हालते है और यदि वह चीज खत्म हो जाती है तो लोगों के दिमाग में यह चीज हो जाती है कि यह चीज चली थी और वह असफल हो गई इसलिए आगे के लिए लोगों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलता और मिलेगा तो सारा मामला ही बेकार हो जायगा।

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्षजी, मै खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चूरू जिले में कच्ची ऊन का उत्पादन बहुत होता है। लेकिन सरकार से पूछना चाहूंगा कि उस कच्ची ऊन का क्या होता है ? सारी कच्ची ऊन बाहर चली जाती है और उसका माल बन कर फिर यहां आता है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर फेक्टरी लगाने के लिए ऊन का काम करने के लिए हमें फैक्टरी लगानी चाहिए। पिछली बार सरकार ने यह बताया कि हम एक वूलन फैक्टरी बीकानेर में स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ छोटी फंक्टरी हमारे रूरल एरिया में चूरू जिले में रतननगर में बन रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना ही काफी नहीं है। केवल उस फैक्टरी पर ही निर्भर नहीं करना है। हमको इसके लिए पंजाब में भेज कर लोगों को ट्रेनिंग दिलानी चाहिए ताकि होजयरी वर्क शुरू करें। ऐसा करेंगे तो गाँवों में आज औरतें बेकार बैठी हैं उनको धन्धा मिलेगा, आज उनकी हालत बड़ी दयनीय है। लोगों के पास धन्धा नहीं है।

(श्री रावतराव)

यदि होज़री वर्क्स चालू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर धन्धे में लगेंगे और इससे राजस्थान को भी विशेष फायदा होगा ।

गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने चूरू जिले में सर्वे कराया है तो दड़िवा में तांबा मिला है । सरकार कब इस काम को शुरू करेगी ? यदि तांबा निकालने का काम सरकार शुरू करे तो हजारों लोगों को काम धन्धा मिलेगा, रोजगार मिलेगा । इसके साथ साथ चूरू जिले की औद्योगिक क्षमता भी बढ़ेगी ।

(१.२६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रतनगढ़ में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल भी शुरू किया था ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): इन्डस्ट्री से इसका सम्बन्ध नहीं है । लेबर डिपार्टमेन्ट से है ।

श्री रावतराम : आपसे सम्बन्ध नहीं है, तब भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं । उसमें से जो ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है । जब ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता तो फिर ट्रेनिंग देने से क्या फायदा होगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं उनको बाहर छोटी मोटी फैक्टरीज़ के अन्दर जगह मिलनी चाहिये ताकि लोगों में इस ट्रेनिंग के प्रति भी विश्वास हो कि ट्रेनिंग लेंगे तो धन्धा मिलेगा ।

डिप्टी मिनिस्टर साहब इन्डस्ट्रीज़ को निवेदन करना चाहूंगा कि छापर के ताल में लवण उत्पादन के लिए स्कोप है । वहां पर भी आपको चाहिये कि अनुसूचित जाति के लोग जो बेकार हैं, भूमिहीन हैं, मजदूरी के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, इन्डिविजुअल को नहीं देते हैं तो उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर दे दीजिये ।

श्री चन्दनमल वैद : शिड्यूल्ड कास्ट कोऑपरेटिव को छापर में जमीन अलॉट की गई है ।

श्री रावतराम : छापर में की होगी । जहां दूसरी सोसईटी होवहां प्राथमिकता देनी चाहिये । आपने जमीन अलॉट की है तो बहुत अच्छी बात है । मेरा निवेदन है कि बहुत सारी जमीन है और इस ओर ध्यान देना चाहिये । लोगों को देनी चाहिये जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने में बल मिलेगा । मैं खास तौर से इसलिए कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट की स्थिति इसलिए खराब है कि उनके पास जमीन नहीं है । दूसरी जगह उनको जमीन नहीं मिलती । जमीन की कमी है । राजस्थान केनाल में और दूसरी जगह भी लैंड अलॉटमेन्ट बन्द है इसलिए उनको बड़ी परेशानी है । वर्षों से लोग दस्तकारी का

(श्री रावतराम)

काम करते आये हैं, बुनकर का काम, चमड़े का काम और इस प्रकार के छोटे मोटे काम; जैसे मुड्ढे बनाने का काम, वे लोग करते आये हैं। यदि आप उन कार्यों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उन लोगों को रिओर्गेनाइज करके उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो आपके सामने भी आगे एक बड़ी भीषण समस्या आने वाली है। इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम दीजिये, उनके पास काम नहीं है। यदि उनको काम मिल जावेगा तो उनकी बेरोजगारी की स्थिति मिट जावेगी। इसलिए मैं उप-मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चूरू जिले में दस्तकारी के काम को पुनर्जीवित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था करें जिससे लोगों को रोजगार मिले। सरकार का इस ओर विशेष रूप से ध्यान जावेगा, यही आशा करता हूं।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और वैज्ञानिक विभाग इन दो पर विचार हो रहा है। जिस देश में समाजवाद के स्थापित करने की बात सोची जाती है उस प्रान्त के लिए इण्डस्ट्रीज़ जिस ढंग से, किनके द्वारा स्थापित की जानी चाहिये, यह बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है और यहां पर जिस प्रकार का इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वह समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है। समाजवाद में अर्थ के एकीकरण की बात हो उसको जब तक नहीं मिटाया जाएगा आर्थिक समानता नहीं आ सकती और समाजवाद नहीं आ सकता।

आज राजस्थान के अन्दर बड़ी इन्डस्ट्रीज किस जगह लगाई जानी चाहिये, छोटी इन्डस्ट्रीज़ किस जगह पर होनी चाहिए इस बारे में सर्वे तक नहीं हुआ है। यह नहीं होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि राजस्थान सरकार यह प्रयत्न करना चाहती है राज्य में इन्डस्ट्रीज़ लगें। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राजस्थान में ४९ बड़े उद्योग लगाने के लिये लाइसेन्सेज दिये हैं। राजस्थान सरकार को इतने लाइसेन्सेज़ देने के बावजूद ९ बड़ी इन्डस्ट्रीज़ राजस्थान के अन्दर लगा पाये हैं। ये ऐसी बात हैं जिनको गर्व के साथ नहीं कहा जा सकता कि हमने इन्डस्ट्रीज की ओर कदम बढाया है। इसका एक मात्र कारण यह है कि जो भी उद्योग यहां लगे हैं वें प्राइवेट सेक्टर में लगे हैं। पब्लिक सेक्टर में मुख्य मन्त्री जी बहुत लम्बे चौड़े भाषण दे देते हैं एक भी बड़ा उद्योग राजस्थान के अन्दर पब्लिक सेक्टर में नहीं लगा है। इसके ऊपर आप यह कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर समाजवाद लाना चाहते हैं !

इसके अलावा आज इंडस्ट्रीज़ जो राजस्थान में लगने जा रही हैं उसके लिए कहा जाता है कि यहां रॉ मैटीरियल नहीं है, और सरकार सुविधा नहीं देती इसलिए कोई भी उद्योगपति जो बम्बई में रहता है कलकत्ता में रहता है कानपुर में रहता है, जो राजस्थान का निवासी है वह यहां पर आकर उद्योग स्थापित नहीं करना चाहता।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसके लिए राजस्थान सरकार का कहना है कि जो भी इन्डस्ट्रीज़ यहां लगाये हम उसके लिए सुविधा देना चाहते हैं। आज दिन तक हमारी सरकार ने जो बड़े बड़े उद्योग-पतियों को उद्योग लगाने में सहायता दी है उसके लिये मैं साबित कर सकता हूं और सरकार को मानना पड़ेगा कि ये सारी सुविधायें ऐसे व्यक्तियों को दी हैं जो हमारे राजस्थान के अन्दर धन के केन्द्रीयकरण में ही ज्यादा मदद देते हैं।

आज राजस्थान की सरकार से मैं कह सकता हूं और कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपये राजस्थान की सरकार ने लघु उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए और स्माल इन्डस्ट्रीज़ के लिए भी उधार देने की प्रथा बनाई, पर मैं यह कहूंगा कि बिना सर्वे के यह जो व्यवस्था कायम हो रही है वह एक मात्र कारण है कि इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी राजस्थान में न तो इन्डस्ट्रीज पनप पाई हैं, न प्रोडक्शन तरक्की की तरफ हैं ओर न ही हमारे यहां जो अन-एम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने की सरकार ने कोई कोशिश की है।

मैं अपने इस तर्क पर कुछ प्रमाण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। राज–स्थान में बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टस जितने भी आये हैं उनको सरकार ने करोड़ों की मात्रा में लोन दिया है। मैं समझता हूं कि जितने लान्स और सिक्योरिटीज़ राजस्थान की सरकार ने दिये हैं अगर वे सारी की सारी रकम सरकार पब्लिक सेक्टर में लगाती, जिसमें सरकार के भी शेयर होते और प्राइवेट के भी शेयर होते और वह पब्लिक सेक्टर में होता तो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रान्त में तरक्की हो सकती थी और आज जो पैसे का केन्द्रीयकरण हो रहा है वह नहीं होता।

उदयपुर में जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने काफी पैसे और सिक्योरिटी दी, एक करोड़ रु० की सिक्योरिटी डूंगरपुर के अन्दर एक कारखाने को दी, पचास लाख से ज्यादा कैश की उधार दी और आज हालत, उपाध्यक्ष महोदय अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, यह है कि जिंक स्मेल्टर का कारखाना ठप्प पड़ा हुआ है और वह इन्डस्ट्रियलिस्ट कहता है कि अगर उसको करोड़ों रुपये और नहीं दिये जायेंगे तो यह कारखाना चालू नहीं हो सकेगा और यह नहीं होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार जायेगा और हमारा कोई भी आदमी एम्प्लॉय नहीं हो सकेगा।

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि हमने राजस्थान के अन्दर १० साल में वह तरक्की की है जितनी राजस्थान ने १०० साल में नहीं की थी। मेरे पास प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट १९६३–६४ की है उसके पृष्ठ २ पर बताया गया है कि राजस्थान निर्माण होने के समय यहां पर उद्योगों की स्थिति यह थी कि वृहद और मीडियम स्केल के उद्योगों की संख्या १७ थी और राजस्थान निर्माण होने के बाद

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आज १७ साल में जो नए उद्योग खुले हैं उनकी संख्या केवल ७ है।

यही नहीं, इसके बावजूद भी हमारी जो प्लानिंग है, जिस आधार पर हम इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जिस आधार पर इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उसके बारे में भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस ऑडिट रिपोर्ट के पेज ३४ में बताया गया है कि हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश की कि गाडोलिया लोहारों को चित्तौड़ के अन्दर बसाया जाये ; उनके लिए वहां ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया। उस ट्रेनिंग सेन्टर के अन्दर राजस्थान सरकार ने यह कोशिश की कि वहां ५० लड़कों को, जो गाडोलिया लोहार हों, ट्रेनिंग दी जाये। यह स्कीम राजस्थान सरकार ने ४,०६,००० रुपए खर्च करने के बाद बनाई थी। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से सोच-समझ कर इंडस्ट्रीज़ के ट्रेनिंग सेन्टर खोलती, तो आज जो इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि इतना खर्च करने के बाद भी वहां पर, जहां कि ५० लड़कों की केपेसिटी थी, केवल ७ लड़कों ने ट्रेनिंग का काम शुरू किय।

आगे जाकर यह लिखते हैं कि दिसम्बर १९६० में सात लड़के आये थे वे भी ट्रेनिंग स्कूल छोड़कर चले गये। एक लड़का वहां पर था। चार लाख रुपये जिस ट्रेनिंग सेन्टर के लिये सरकार ने खर्च किये गाडोलिया लोहारों की उन्नति के लिये, लेकिन इतना खर्च करने के बाद वहां पर एक लड़का ट्रेनिंग पाकर निकला है।

इसके अलावा एक और बात रखना चाहता हूं। ऑडिट रिपोर्ट १९६४ पेज ३६ पर बताया गया है, राजस्थान सरकार ने एक पौल्ट्री प्रोडक्शन सेन्टर नोहर के अन्दर स्थापित किया था सन् १९५४ के अन्दर। उसको स्थापित करने में ५६,७३४ रुपये खर्च किये। उस सारे सेन्टर को बन्द कर देना पड़ा। वह सेन्टर जो ६० में चलाया था उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। १९५४ में ऑल इण्डिया हैन्ड लूम बोर्ड ने....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): आप सन् १९६५ में रह रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : रह तो ६५ में रहे हैं लेकिन मैं आपको बात पहले की कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल वैद : इस पर आपसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने इस तरह से राज्य के खजाने के साथ खिलवाड़ करके पैसे का दुरुपयोग किया है। सरकारी खजाने का लाखों रुपया बर्बाद किया गया है। यह आपके कांग्रेस के लोग हैं जिनके कारण यह वेस्टेज हुआ है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर) : इन्होंने तो यह नजीर चरितार्थ कर दी, "नाच न जाने आंगन टेढ़ा।"

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऑल इण्डिया हैन्ड लूम बोर्ड ने १६५४ के अन्दर पचास पर्सेन्ट सब्सिडी देने के आधार पर राजस्थान के अन्दर हैन्डलूम प्रोडक्शन हो, उसकी तरक्की हो; इस काम को करने के लिये कहा गया। इस काम के ऊपर ६२ हजार रुपया खर्च कर दिया गया, फिर भी वह काम नहीं हो सका। जो कुछ उन्होंने किया उसके लिये हैन्डलूम बोर्ड ने कह दिया कि यह ठीक तरीके से नहीं हो रहा है।

अगर पैसे के साथ खिलवाड़ करने के तरीके से ही आप उद्योग चलाने की बातें करते हैं तो मैं समझता हूं, यह जो पैसा खर्च किया है वह फालतू खर्च हुआ है। इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के निमित्त जिस प्रकार से पैसा दिया गया है वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सब से बड़ा लोन फाइनेन्स कोर्पोरेशन देता है, मैं फाइनेन्स कोर्पोरेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इसकी ६१, ६२, और ६३ इन तीन सालों की रिपोर्ट मेरे पास है जिन बड़ी इन्डस्ट्रीज़ का मैंने जिक्र किया है उनमें कितने लोग हैं और उनको इस फाइनेन्स कोर्पोरेशन ने कितना लोन दिया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १६६१ की रिपोर्ट है उसके अनुसार—

२५ हजार तक का लोन ८ व्यक्तियों को दिया गया	
२५ से ५० हजार तक ६ आदमियों को दिया गया	रकम कुल ३ लाख ६० हजार
५० से १ लाख तक लोन १६ व्यक्तियों को दिया गया	रकम कुल १५ लाख ५० हजार
२ लाख से ५ लाख तक का लोन १२ व्यक्तियों को दिया गया	३७ लाख २५ हजार
५ से १० लाख तक का लोन ६ आदमियों को दिया गया	कुल रकम ५६ लाख रुपया दिया गया।

इस तरह से १ करोड़ २४ लाख ५० हजार का लोन १६६१ में बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिये दिया गया।

१६६२ में ७८ आदमियों को लोन दिया गया १ करोड़ ८२ लाख, ८८ हजार है।

१६६३ में २ करोड़ ७२ लाख ८ हजार रुपया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं जहां इतने करोड़ रुपया फाइनेन्स कोर्पोरेशन द्वारा बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज़ के लिये दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह रुपया किन लोगों ने किस किस इंडस्ट्रीज में लगाया? उसके लिये आपने यह किताब दी है उसमें यह बताया गया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठने वाले इसका जवाब देंगे। हम यदि कह देते तो कहा जाता कि आपके आंकड़े गलत हैं। हमारे मुख्यमंत्री यह कहते नहीं थकते कि हमने हमारे नजदीक के प्रोविन्सेज़ से ज्यादा तरक्की

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की है। आपने जो यह किताब दी है १९६५-६६ में उसमें आंकड़े दिये हैं वे मैं बताना चाहता हूं।

जहां पर सूती डोरा २०६ था वहां तो आपने २४१ किया है। यह बढ़ा है। यह तीन कारखाने और लगने से हुआ है। बिजली के मीटर साल के ५५२ थे वहां ४५३ हुए हैं। नमक का ४२६ के बजाय ३८६ हुआ है। इतने करोड़ रुपये के लोन के बाद भी इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन घटा है। आखिर यह प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि आप लोग इन्डस्ट्रीज के लिए कर्जा दे रहे हैं, वे इन्डस्ट्रीज उनकी व्यक्तिगत होने के कारण उनकी मर्जी आये जिस तरह से काम चलाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन उसमें इतना अवकाश रखना चाहता हूं कि कोई भाषण और देना चाहे तो दे सके। इसीलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो अभी यहां पर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने १,४७ लाख रुपया स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को देने की बात कही है। होटल इन्डस्ट्री के लिए तीन आदमियों की एक दरख्वास्त आयी उसके लिए ६ लाख ५७ हजार डिमान्ड की गई थी उसमें से एक आदमी की दरख्वास्त मन्जूर की और उसको ५ लाख रुपया मन्जूर कर दिया...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यहां होटल इन्डस्ट्री भी है क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप होटल इन्डस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पैसा देते हैं। एक होटल उदयपुर में बना उसको पांच लाख रुपया लोन दिया गया।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : Hotel is also one of the recognised industries.

श्री उपाध्यक्ष : Every business is an industry.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि १९६४ में आपने लोन दिया और वह होटल ६३ के आखिर तक बन चुकी थी, उसमें लोग काम करने लग गए थे, होटल काम में आने लग गया था और जब लोन दिया उसके पहले राजस्थान सरकार ने जैसा कि हाउस में बताया गया है कि पंचायत सेमिनार में लोग आये थे उनको वहां ठहराया गया था और उन लोगों का होटल को पेमेन्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फाइनेन्शिल कॉर्पोरेशन या आपकी जो लोन देने की एजेन्सी है वह इसीलिए है कि चीजें बन जायें और उसके बाद में आप उनको पैसा दें...

श्री चन्दनमल वैद : कॉर्पोरेशन राजस्थान सरकार की एजेन्सी नहीं है, वह अपने आप में ऑटोनोमस कोर्पोरेशन है और सर्वशक्तिमान कोर्पोरेशन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसमें बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स हैं, उसमें राजस्थान के नोमीनीज़ मौजूद हैं और राजस्थान सरकार के उसमें करोड़ों रुपये लगे हुए हैं और हर साल लगते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आपके जो डाइरेक्टर्स वहां रहते हैं, उनकी देखरेख करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? अगर है तो इस तरह से जो लोन दिया जाता है मैं यह कहना चाहूंगा कि वह लोन ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिस व्यक्ति के बारे में इस हाउस में एक बार नहीं कितनी ही बार चार्ज आता है। मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या यह समाजवाद है कि जिस गुलाम अब्बास को २५ लाख रुपये में आप पानरवा जंगल का ठेका दे दें, उसी गुलाम-अब्बास को होटल बनाने के लिए ४ लाख रुपया यहां दे दें, उसी गुलाम अब्बास को पैसेंजर्स टैक्स का १ लाख ३ हजार रुपये उसमें बाकी हों उसके लिए छूट दे दें और इसी गुलाम अब्बास को जो उदयपुर में चेटक सिनेमा है उसको ७॥ लाख रुपये में खरीदने के लिए होटल इन्डस्ट्रीज़ का ४ लाख रुपया दिया गया उसका यूज़ उसमें करने की छूट दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी सन् ४८ के अन्दर ५ हजार रुपये की हैसियत का नहीं था इस कांग्रेस ने उस आदमी को सन् ६५ में १ करोड़ रुपये की हैसियत का आदमी बना दिया। यह समाजवाद है आपका ! इस तरह से आप एक एक व्यक्ति को राजस्थान के खजाने से डिफरेन्ट एजेन्सीज़ हैं उनके द्वारा लोन देकर इस तरह से पनपाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं उनके द्वारा रोड्स के ऊपर मोटरें चलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आप जान सकते हैं कि जिनकी मर्सीडीज़ गाड़ियां चलती हैं उनका कितना रुपया इन्वेस्ट होता है। क्या राजस्थान सरकार ने कभी इसकी जांच करने की कोशिश की कि जिस आदमी ने सन् ४८ से ६४ में ५ हजार से एक करोड़ रुपये की हैसियत बना ली उसने कितना इनकम टैक्स दिया, कितने दूसरे टैक्सेज़ राजस्थान और भारत की सरकार को दिये ? अगर नहीं दिये तो ऐसे आदमी के खिलाफ यह सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या ये हमारे समाजवाद की ओर बढ़ने के तरीके हो सकते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने जो लोन दिया है वह उदयपुर के अन्दर ३०० आदमियों को १० लाख का दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कितने समय में समाप्त कर देंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ५ मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उदयपुर में ३०० आदमियों को ६ लाख ८६ हजार ८०० रुपये का लोन दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि इस लोन से यदि इन्डस्ट्री लगाई होती तो खुशी की बात होती, लेकिन इसकी जो लिस्ट लिखी हुई है उसमें बताया है कि १० लाख में से ६० प्रतिशत से ज्यादा ऐसे आदमी हैं जिनको बीस-बीस हजार लोन दिया गया और उन्होंने उसका यूटीलाइजेशन नहीं किया और आज दिन तक यह उन लोगों में बाकी है। यही नहीं भीलवाड़ा में १ लाख ५६ हजार रुपया दिया, चित्तौड़ के अन्दर १ लाख ५५ हजार के करीब इन लोगों को उधार दिया । यह सारा पैसा कहां गया ? कौनसी इन्डस्ट्री आपके राजस्थान में लगी । यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इन्डस्ट्रियल एस्टेट की बात कही और इस साल के बजट में भी जो आपने कहा है कि आप इन्डस्ट्रीज़ में क्या करना चाहते हैं, कौन सी बढ़ोत्तरी करना चाहते हैं, यह जो आपने ६५ लाख रुपये इन्डस्ट्रीज़ की बढ़ोत्तरी के लिए लिखा है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा में जो औद्योगिक क्षेत्र बनाये हैं उनको पूरा किया जायेगा । मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाये ११ जिलों में ३५३ और उसमें से काम आ रहे हैं १३७। आपने कुल इन्वेस्टमेंट उसमें किया है ७२ लाख २३ हजार ६३१ रुपये का । इतना खर्च करने के बाद में आपको रिटर्न ३ रुपये सैंकड़ा का भी नहीं हो रहा है । जहां राज्य सरकार भारत सरकार से इस काम के लिए लोन लेती है तो ४।। परसेन्ट ब्याज देती है और आपको ३ परसेन्ट का रिटर्न भी नहीं है । यही नहीं, इनमें जो काम करने जाते हैं उनको आप रॉ-मैटीरियल का कोटा देते हैं । आपने जिंक का कोटा दिया, स्टील का कोटा दिया, स्टेनलैस स्टील का कोटा दिया, प्लास्टिक का कोटा दिया; मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जितने लोगों को कोटा दिया, क्या आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं कि जिन जिन लोगों को, जिन उद्योगपतियों को आपने कोटा दिया है राजस्थान में उनमें से ७५ परसेन्ट लोग ऐसे हैं कि जो इसका ब्लैक करते हैं और हमारे राजस्थान में उससे किसी चीज का भी उत्पादन नहीं करते हैं । बम्बई, कलकत्ता और कानपुर में वे ब्लैक का माल ले जाकर बेचते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या राजस्थान सरकार इसकी जांच कराने के लिए तैयार है ? मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां उद्योगों के लिए बहुत गुंजाइश है जहां सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है वहां आप बिना प्लान के और सर्वे के अपनी मर्जी आये जिसको करोड़पति बना दें, मर्जी आये जिसको इन्डस्ट्रियलिस्ट बना दें । यह स्कीम आपकी चल नहीं सकती और अगर राजस्थान को अच्छी तरह से औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो समाजवादी तरीके से इसको चलायें । इसके बिना यह नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम ।

श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज और भवन निर्माण के लिए ८,२५० रुपये दिये जाते हैं जो इस काम के लिए बहुत कम हैं, इसलिए यह रकम ८ हजार से ज्यादा बढ़ाई जाये। आज-कल मंहगाई है तो यह रकम ८ हजार से ज्यादा बढ़ाई जाये। इसके अलावा राजस्थान में हमारे यहां चमड़े के काफी काम चलते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोन मिलना चाहिए।

सांगानेर में पहले ट्रेनिंग सेन्टर था उसमें कुछ लड़के पढ़ते थे और कुछ काम सीखते थे. लेकिन उसको तोड़ दिया गया है तो यह अनुसूचित जाति के लिए नुकसान है इसलिए वह ट्रेनिंग सेन्टर वापिस खोलना चाहिए।

हमारे जालोर जिले में मवादरा है, वहां पर नमक की खान है। वहां से नमक निकाला जाये तो उससे काफी फायदा हो सकता है। जैसे सांभर-और पचभद्रा में नमक निकलता है उससे ज्यादा वहां पर निकल सकता है और बिजली के बारे में हमारे जालोर जिले मे एक इन्डस्ट्री खुलनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर ठठेरे कांसी के बरतनों का काफी काम करते हैं, उनको वहां पर कर्ज मिलना चाहिए और तांबा का कोटा मिलना चाहिए। हमारे यहां भीनमाल में कांसी के बहुत अच्छे बरतन बनते हैं और बम्बई तक जाते हैं। तो उसके लिए लोन नहीं मिला है तो ठठेरे वह काम करते हैं तो उनको लोन मिलना चाहिए। हमारे जिला जालोर में कोई उद्योग नहीं है तो वहां एक बड़ी इन्डस्ट्री भी खुलनी चाहिए।

(२ म० प०)

इसके बारे में हमारा यह निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भीनमाल में एक बड़ी इन्डस्ट्री चमड़े की खुली हुई है। उसमें ज्यादातर मोडर्न ट्रेनिंग का आदेश फर्माया जाय तो उसमें हम बहुत अच्छे चमड़े का काम करेंगे। हम कुरम बनावेंगे और ट्रेनिंग वर्क शॉप है वह बनवायेंगे और वह राजस्थान को बहुत सप्लाई करेंगे। अभी कलकत्ता से कुरम आता है तो कानपुर से सोल आता है, तो कोई मद्रास से आता है। वह चीज हम भीनमाल में बनावेंगे तो अच्छा काम करेंगे और राजस्थान में कुछ सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा काम आप करेंगे तो बहुत धन्यवाद देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम घारू।

श्री हरिराम घारू (सिवाना सु०) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमारा जिला बाड़मेर हिन्दुस्तान के बोर्डर पर आया हुआ है और वहां पर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पन्न होता है। वहां पर बोर्डर है और वहां पर इसका कारखाना खोल दिया जाय या सेन्टर खादी बोर्ड की ओर से खोला जाय तो वहां ऊन का अच्छा काम होगा; कपड़ा बनेगा और कोटों का और कम्बलों का अच्छा काम चलेगा। और वहां पर बोर्डर के ऊपर लोगों को बेरोजगार

(श्री हरिराम धारू)

रखना, यह भी अच्छा नहीं है। वहां के लोगों के पास में धन्धा हर वक्त रहना चाहिए ताकि वे हिम्मतवर रहें। बोर्डर के लोगों को धन्धा मिलेगा तो वे मजबूत रहेंगे। जैसा बीकानेर में खुला हुआ है वैसा सेन्टर बाड़मेर में भी खोला जाय तो वहां के लोगों को धन्धा मिलेगा। बोर्डर के लोग बेरोज़गार हैं। मैं वहां पर रात–दिन घूमता ही हूं। और अभी अभी ढेबर भाई भारत सरकार की ओर से खादी कमिश्नर और हमारे डिप्टी मिनिस्टर परसरामजी मदेरणा साहब पधारे थे। वैसे तो सरकार ने थोड़ा सा धन्धा खोला है वहां पर, मगर आप जानते हैं कि बोर्डर पर थोड़े धन्धे से काम नहीं चलता है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि खादी बोर्ड की ओर से ऐसा सेन्टर खोला जाये ऊन का तो अच्छा रहेगा।

दूसरा हमारे वहां खीपड़ा सनाय और अकाला से जो रस्सा बनता है तो रस्सा बनाने को मशीन जापान की मिलती है वह लाकर वहां पर लगाई जाय तो दो करोड़ का विदेशों से जो रस्सा आता है तो वह रुपया विदेशों में न जाकर यहीं पर काम में आ जाये। तो इससे दो करोड़ के रस्सों के रुपए का फायदा हो सकता है।

हमारे बाड़मेर के अन्दर कवास स्टेशन के पास ही भारत सरकार की तरफ से जिप्सम कहते हैं अंग्रेजी में पर हमारे यहां तो मिट्टी कहते हैं वह निकलती है और वहां से बाहर जाती है तो वहां पर एक कारखाना राजस्थान सरकार की ओर से अपील करके भारत सरकार द्वारा खुलवाया जाय या स्वयं राजस्थान सरकार खोल दे तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के जो मजदूर इतने बेकार हैं तो उनको काम मिलेगा। हम जाकर देखते हैं हरिजनों और आदिवासियों को तो आंखों में पानी आता है। तीन तीन दिन में राबड़ी पीते हैं। पानी में थोड़ा सा आटा डालकर राबड़ी बनाते हैं उसमें से कुछ आप पीते हैं और कुछ बच्चों को पिलाते हैं। न उनके पास ओढ़ने को गूदड़ी है और न रहने को झौंपड़ी है। उनके लिए ऐसा धन्धा खोल दिया जाय। यह उतराई और कवास में है।

सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे मेहतर समाज में है। वे झाड़ू व सफाई का काम करते हैं। वे सब से ज्यादा बेरोजगार हैं तो, उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करता हूं आपके द्वारा सदन के मुख्य मन्त्रीजी को कि मेहतरों को भी किसी धन्धे की ट्रेनिंग में भेजा जाय; जैसे चमड़े की रंगाई का या मोची का धन्धा या अन्य धन्धा खादी या सूत वगैरह का तो यह मेहतरों के लिए जो बेरोजगारी का सवाल है वह खत्म हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

या एंजिन वगैरह मांग कर वहां पर हाथकर्घे का काम होता है उसमें लगाया जाय। हमारी समझ में जो आता है वह अर्ज कर देता हूं। बिजली के पॉवर लूम हाउस बाड़मेर में लगाये जायं १२ पॉवर के १५

Page No 78

(श्री हरिराम धाकू)

पॉवर के। उनमें गवाल को जो सूत मिलता है वह बड़े दुःख से मिलता है। उनका कोटा मिलों से करवाया जाय। उनको अनुदान भवन बनाने के लिए और मशीनें लगाने के लिए दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपकी सब महत्वपूर्ण बातें हो गईं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। अगर आज सारे राजस्थान की स्थिति को देखा जाय तो आज इन्डस्ट्री में सबसे कम पर्सेन्टेज लोग काम कर रहे हैं। ७२ या ७८ पर्सेन्ट, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसानी का कार्य करते हैं, और उससे बचे हुये १२ पर्सेन्ट के करीब लोग इन्डस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। अगर विकास का और पंचवर्षीय योजना पर कोई असर पड़ना है और देश को गरीबी की मंजिल पार करके अमीरी की तरफ बढ़ना है और सोशियलिज़्म जैसा कि कांग्रेस का ध्येय है इस सरकार का उसको रियलाइज कराने की तरफ भी बढ़ना है तो मैं कहूंगा कि बड़ा निराशापूर्ण वातावरण है। आज कांग्रेस की और इस सरकार की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है क्या ? पॉलिसी यह है कि नाम बड़ा होना चाहिए। कोई नाम बड़ा हो, पैसे वाला हो तो वह एक करोड़ की इन्डस्ट्री १० हजार रुपये गिरह के लगाकर खोल सकता है और १० हजार रुपये लगाने पर सरकार उसको १ करोड़ रुपये दिला सकती है....

श्री चन्दनमल वैद : १० हजार रुपयों में ही ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, १० हजार रुपये लगाने पर। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके शाह साहब ने कहा है....

श्री चन्दनमल वैद : १० लाख कहिये, १० हजार नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने गलती पकड़ी इसके लिये धन्यवाद। इसमें फर्क वही है जो सीताराम और तोताराम में है। आपको कहते हुए वह नहीं आती। १० लाख रुपये वह लगावे और ९० लाख रुपये सरकार देगी और फिर भी वह इन्डस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में होगी। यह सोशियलिज़्म का ढग नहीं है। १० लाख रुपये प्राइवेट आदमी लगाता है और ९० लाख रुपये सरकार लगाती है तो यह प्राइवेट सेक्टर है नहीं। यह प्राइवेट सेक्टर उन लोगों का है जो गवर्नमेंट पर असर रखते हैं, यह उन लोगों का है जो पब्लिक मनी को युटिलाइज करके प्राइवेट सेक्टर का आन्दोलन करके हमारे देश को पूंजीवाद के चंगुल में फंसाना है। वह अपने १० लाख रुपये लगाकर ९० लाख रुपये दूसरे गरीबों के लगाता है तो मैं कहूंगा कि ऐसा प्राइवेट सेक्टर हमें नहीं चाहिये। प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति अपने तो १० लाख रुपये ही लगावे और ९० लाख रुपये गवर्नमेन्ट के लगा कर अपना नाम रखे तो यह एक्सप्लोइटेशन है, इससे बचना चाहिये। आप इसको इन्डस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठती है। यह आवाज बहुत बुलन्द

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो उससे पहले सरकार को संभलना चाहिये। सोशियलिज्म का रियलाइज़ेशन होना चाहिये, गरीबी एक दिन में नहीं मिटती यह सभी जानते हैं लेकिन हम गरीबी से निकल रहे हैं यह महसूस होना चाहिये। आम लोगों को पता चलना चाहिये कि एक हिस्से का हजारवां हिस्सा भी हम साल भर में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक यह जनता को मालूम नहीं होगा तब तक कांग्रेस की समाजवादी समाज बनाने की बात है वह उत्साहित नहीं करती। जनता इससे उत्साहित नहीं होगी।

इसके साथ साथ मैं यह कहता हूं कि इन्डस्ट्रियल पॉलिसी राजस्थान की जो है इसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में तरक्की नहीं हो रही है, मैं यह भी नहीं कहता कि इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन जिस तरह से बढ़ना चाहिये उस तरह से बढ़ा नहीं है: बल्कि यह बात जरूर कहूंगा कि आज पड़ौसी राज्यों में और दूसरी तरफ देखा जाय तो जिस अर्से में हम पिछड़े हुए थे नीचे की नींव में पत्थर रखने का काम भी हमारी सरकार ने किया। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि संतोष की बात कोई, यदि कहे तो मैं कहूंगा कि महान् असंतोष की बात है क्योंकि पंजाब में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है उसमें हमारे यहां का रॉ मेटीरियल काम में आता है। यहां से उनको रॉ मेटीरियल मिले और ब्लैक मार्केटिंग का पैसा देकर भी पड़ौसी राज्य हमारा सारा हिस्सा ले जाते हैं और हमारे यहां के लोगों को एम्प्लोयमेंट नहीं मिलता। हमारे यहां के एम्प्लोयमेंट के जो फिगर्स होते हैं वे खाली फिगर्स ही होते हैं कि थर्ड प्लान में हमने इतने एम्प्लोयमेंट की व्यवस्था की और इतने लोग एम्प्लोय हो गये। लेकिन असली बात क्या है उस ओर कौन ध्यान देता है? जो लोग यहां पर इन्डस्ट्री लगाते हैं वे यू० पी० से और दूसरी जगह से लेबर यहां पर लाते हैं और यहां के लोगों को एम्प्लोयमेंट नहीं मिलता। गणना कराई जाय तो जितने लोगों को एम्प्लोय किया है उनमें से ५० पर्सेन्ट भी राजस्थानी नहीं होंगे। ५० पर्सेन्ट तो बहुत है ३० पर्सेन्ट लोगों को भी एम्प्लोयमेन्ट मिला हो तो मैं मान लूंगा कि राजस्थान में कुछ हुआ है। १० लाख रुपये खुद के लाकर प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्री बनाने वाले, ९० लाख रुपये आप से लेकर इन्डस्ट्री लगाने वाले अपने साथ में लेबर की भी रेवड़ लाते हैं। आप यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान एक है। आप यह भी कह सकते हैं कि टेक्निकल लोग हमारे पास नहीं हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि चपरासी तक बाहर से आते हैं।

पैसा हमारा लगे और उसके बाद भी आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यहां लाकर इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। लाइये आप उनको, उनका स्वागत है। लेकिन कम से कम एम्प्लोयमेन्ट तो राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिये। इस बारे में भी आपकी पॉलिसी के बारे में साफ बात कहनी चाहिये। आपके सामने मैंने ऐसी मिसालें दीं कि हमारे यहां का रॉ मेटीरियल राजस्थान में काम में नहीं आता आप पंजाब को देखिये, यू० पी० को देखिये, गुजरात और मध्य प्रदेश को देखिये, इन्दौर को देखिये वहां पर हमारे यहां का रॉ मेटी-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रियल काम में आता है यह देख कर हमारा सिर शर्म से नीचे हो जाता है । हमारा रॉ मेटीरियल बाहर जाता है, इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब यहां पर नहीं हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हैं वे रिप्लाई दें कि जिसका मिस-युटिलाइजेशन हुआ है सेक्शन ३७ एसेन्शियल कोमोडिटीज युटिलाइज़ेशन एक्ट के अन्तर्गत है तो वह एक क्रिमिनल एक्ट है तो क्या सरकार कहेगी कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार करके सजा देंगे...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह तो आदमियों पर डिपेन्ड करता है कि किसके खिलाफ शिकायत है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको नहीं डरना चाहिए, आपके खिलाफ नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप जिनके खिलाफ शिकायत करने वाले हैं वे कौन हैं, इस पर डिपेन्ड करेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो नाम मैं नहीं बताने वाला हूं । यह रेस्पोन्सिबिलिटी ले सकता हूं कि क्रिमिनल केस है ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : यदि कोई क्रिमिनल ऑफेन्स बनता है तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइये । यदि गवर्नमेंट से किसी की शिकायत करनी है तो शिकायत करिये, उसका कोटा बन्द हो सकता है, कानूनी हिसाब से कार्यवाही इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट जरूर करेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आपके नोटिस में जब कोई बात लावें तब आप कहते हैं सरकार की तरफ से, ऐसी कोई बात हो तो पुलिस में रिपोर्ट करो । मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मेरी बला से ब्लेक मार्केट में रुपया चला जाय, मैं यहां बैठा हूं शिकायत करने के लिए नहीं । लेकिन सरकार के नोटिस में लाऊं कि सरकार कैसे चलती है, गलती करती है या क्या करती है । मैं आपसे यह सुनने का आदी नहीं हूं कि पुलिस में रिपोर्ट करो । मैं काहे को रिपोर्ट करूं । खाओ, पीयो और मौज करो; आप और मैं वहां भागता फिरूं, इतनी सेवा तो कोई समग्र सेवा वाला ही करेगा । मैं आपके सामने....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तो कानूनी सलाह दी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी आज छोड़ कर भागे, गवर्नमेन्ट की तरफ से बोल रहे हैं । मालूम नहीं मिनिस्टर साहब किसी जरूरी काम से चले गये । मैं जब बोल रहा हूं तो उनकी जगह आप लेंगे । गवर्नमेन्ट बदल जाय लेकिन उनकी पॉलिसी और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट नहीं बदल सकता । ज्यादा क्रिटिसिज़म हो तो डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ को ज्यादा नहीं जमने देते । कोई भी डाइरेक्टर साल, डेढ़ साल से ज्यादा नहीं निकाल सकता । मैं देख रहा हूं कि इन्डस्ट्रीज़ डाइरेक्टर ऐसा आदमी जरूर होना चाहिये जिसकी प्रसिद्धि राजस्थान में हो गई हो या जिसका राजस्थान में रेपुटेशन हो जाय । आपने किसी आदमी को डाइरेक्टर बना दिया और जब तक उसने इन चीजों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को पकड़ा तब तक ट्रान्सफर कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि टैक्निकल डिपार्टमेंट का डाइरेक्टर इतना जल्दी क्यों बदल दिया जाता है ? आई. ए. एस. और बड़े बड़े अफसर जो हैं मैं उनको खुदा नहीं मानता कि वे डाइरेक्टर बनते ही कमाल हासिल कर लेंगे। थोड़ा समय लगता है; स्कीम देखते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इन्डस्ट्रीज़ बननी चाहिये. कहां पर नहीं; इन चीजों को समझने की कोशिश करता है, साल डेढ़ साल तक, तब तक ट्रान्सफर। आई. ए. एस. हो या कितना ही बड़ा हो, यह बतलाने की जरूरत नहीं कि इस डाइरेक्टर ने आपके खिलाफ क्या किया है, कौनसी बात गवर्नमेंट चाहती थी और उसने नहीं की जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से one day you will see that the Director is changed.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसे डाइरेक्टर का ट्रान्सफर हुआ है इस के अन्दर ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बता दें, इसका नहीं हुआ है। आप नाम बता दें कि इसका तीन साल तक नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : चतुर्वेदी का ट्रान्सफर इस कारण से नहीं हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तरक्की के कारण से हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद (उप–मंत्री, उद्योग) : गोर्धनसिंह तीन साल से ज्यादा रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गोर्धनसिंह तीन साल से ज्यादा रहे। उनकी बात आयेगी तब बताऊंगा।

श्री चन्दनमल वैद : आपने बताया कि तीन साल से ज्यादा नहीं रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको कोन्ग्रेचुलेट करता हूं। आप इन्डस्ट्री का रेकॉर्ड रखते हैं कि गोर्धनसिंह तीन साल से ज्यादा रहे। वह ऑफिसर किस लिए और कैसे रहा। वह बर्दाश्त करने वाला ऑफिसर था। आंख मींच कर बैठा रहा, उसकी बला से–"अन्धी पीसे कुत्ता खाये।" आपने रेकॉर्ड की बात कही है, वह खूब पेश की है। तीन साल में जैसे कोई जमाना गुजर गया। मैं कहता हूं कि अठारह साल जिस विभाग की उम्र हो, उसमें यह कोई मायने नहीं रखता। मैं समझता हूं कि जो भी आई. ए. एस. डाइरेक्टर हो उसे आपको स्वतंत्रता देनी चाहिए। और अगर वह आपकी पॉलिसी की खिलाफत में कार्यवाही करे तो उसे सजा देने के खातिर निकालना चाहिए वर्ना उसको वहां से नहीं हटाना चाहिए, जिससे उसे उस जगह का एक्सपीरियेन्स हो जाय, वह अच्छी तरह काम चला सके और सब आदमियों को पहचान सके, लोगों की शक्लों को देख कर वह पहचान सके कि इनमें से कौन इन्डस्ट्री का काम करता है और कौन नहीं करता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात को सरकार एन्करेज करे। लेकिन उसको पहले ही वहां से ट्रान्सफर करने की धौंस देना शुरू कर दिया जाय–यह उचित नहीं है। मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मानता हूं जो सरकार वह राज्य कर रही है और उसके पास कुछ ताकतें हैं। आप उन ताकतों का उपयोग करें। जब ताकत आपको मिली हुई है तो आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन मैं पॉलिसी के लिहाज से बात कहता हूं और सरकार के भले के लिए और इन्डस्ट्रीज़ के भले के लिए यह बात कहता हूं। एक आदमी एक जगह रह कर अच्छे-बुरे आदमियों को जान जाता है और वैसे भी यह डिपार्टमेंट जनता से व्यवहार में आने वाला डिपार्टमेंट है। वहां पर रहने वाले आदमी की, जानकारी बढ़े और ईमानदारी के साथ काम करे इससे सरकार का और डिपार्टमेंट का फायदा हो सकता है।

इसके साथ ही, जैसा मैंने आपको एक वायदा किया था एक केस आपको दूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मिसाल के तौर पर एक केस देता हूं और फिर देखूंगा कि आप इस केस पर क्या एक्शन लेंगे। मैं आपको ऐसा केस दूंगा जिससे मालूम होगा कि इस इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा कितना लोगों ने ब्लेक में मनी पैदा किया है। यह इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे राजस्थान के अन्दर सारी दिक्कतों का एक वायस बना हुआ है। तो एक केस के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं। एक से ज्यादा नहीं रखूंगा। हैं तो बहुत से। लेकिन एक में क्या होता है, यह मैं देखूंगा। ख्वामख्वाह सबसे लड़ने-भिड़ने में क्या होता है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): यह समझदारी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो जो...

श्री भैरोंसिंह : उनसे चन्दा भी तो मिलता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चन्दे की बात तो यह है कि आप उनसे चन्दा लाते हैं। आपके पास ये महीनों से पड़े रहते हैं, लेकिन आप उनको नहीं उठाते हैं और चन्दा लेने के लिए उनको दाब दाब कर बैठे रहते हैं। आप सदन के सामने एक भी केस नहीं लाते हैं और उनको दबा कर चन्दा लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी बात पर ध्यान न दें। अपना केस रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको दबा दबा कर उनसे चन्दे लिए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक रुपये के दोनों पहलू हैं। एक तस्वीर यह है और दूसरी तरफ की तस्वीर यह है। यह तस्वीर भी कोई कम नहीं है। ये दबा कर चन्दा ले जाते हैं और ये दिखा कर छीनते हैं। इससे ज्यादा इनमें फर्क नहीं है।

मैं यह रिपोर्ट पढ़ता हूं, लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर के सामने ...

"This party has obtained iron and steel raw material..."

श्री मथुरादास माथुर : जी !

श्री भैरोंसिंह : पार्टी का नाम क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कह रहा हूं, आप नाम से क्यों घबरा रहे हैं ? जो आपने बतलाया है वह नाम नहीं बता रहा हूं। किसी दूसरे को रख रहा हूं। आपकी सिफारिश है वह नहीं रख रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वह मिली भगत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "This party has obtained iron and steel raw material against import licence issued against essentiality certificates recommended by the Directorate Industries, Rajasthan in favour of them. Total tonnes against import licences received by the party is 687.8 valuing 2,00,820 rupees in different categories against different manufacturing schemes:

1. For the manufacture of Conduit Pipes.

2. For the manufacture of Steel Tubes.

3. For the manufacture of agricultural implements.

The party has taken over only one scheme of Conduit Pipes for show only. This is the source of the party to obtain raw material. Rest two schemes are on papers only. Various types of raw material in different categories, such as B.P. sheets, cuttings, PCRC sheet, cutting, M. S. pate cuttings. This material is used for manufacture of condutt pipes, steel tubes and agricultural implements. This material is also utilised in the manufacture of steel furniture, tricycles, tools and alloy steel excluding S. S. sheets, strips, circles and plates for the manufacture of Dires and Tools.

Except conduit pipes the party has not utilised other categories of iron steel raw material required for the manufacture of other articles. As regards other raw materials received against quota certificates, against ad-hoc allotment, against release orders, against local permits etc. by the party is under enquiry.

अब क्या कहते हैं ?

"Against these allotments, the material has been granted from the Port Officers af Calcutta and Delhi which will be verified verly early. A huge quota of iron and steel has been obtained by the party and the same was mis-utilised. Original records have been collected from the Deputy Iron and Steel Controller's office, Bombay. On the basis of documentary evidence collected so far, the commission of the offence coming in the ambit of 3/7 Essential Commodities Act is quite clear. It is, therefore, requested that regular cases may kindly be ordered to be got registered and investigation started.

Scrutiny of the papers is being continued. An interim report is submitted"

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह मसला आपको......

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट किसकी है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह रिपोर्ट मेरी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह रिपोर्ट आपके एक सब इन्सपेक्टर की है, सी० आई० डी० के इंसपेक्टर की है। यह रिपोर्ट आपको उस तारीख को दी....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी मैंने आपको बताया है, यह आपके यहां के एक सब इन्स्पेक्टर, क्राइम ब्रान्च की है। उसकी रिपोर्ट आपको दी गई है। अब इसके बाद कहां क्या एक्शन होता है और कहां नहीं होता है, यह मैं देखूंगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, योजना मन्त्री और मिनिस्टर साहब इसे करवा देंगे तो। उसके बाद में और जो ब्लैक मार्केट से रुपया पैदा किया गया है वह देश के प्रति सबसे बड़ी गद्दारी है, इसको दूर करने के लिये आप अपनी ताकत का उपयोग करें......

श्री भैरोंसिंह : कौनसी फर्म के बारे में है, यह तो बतायें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह है श्री हनुमान आयरन वर्क्स, या हनीमैन आयरन वर्क्स। यह मेरे पास रिकार्ड नहीं है। कोई मुझे इसके लिए टी० ए०, डी० ए० नहीं मिलता है......

श्री चन्दनमल बैद : किस जगह का है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पेज ? पेज कहां है ?

श्री चन्दनमल बैद : कहां का है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सी० आई० डी० से रिपोर्ट आपके पास आई है। क्यों बनते हैं।

एक माननीय सदस्य : कॉपी रख दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉपी रख देता हूं। और भी बहुत से हैं। यह है, १७-२-६२ की......

श्री चन्दनमल बैद : मैं पूछ रहा था कि हनुमान आयरन वर्क्स कहां किस जगह पर है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इन्डस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर महोदय यह मुझ से पूछ कर दाव पेंच करने की कोशिश मत कीजिये, आप जिसके लिए दो-दो लाख का कोटा देते हैं उसका आपको मालूम नहीं है-यह बड़ी अजीब सी बात है। आप इग्नोरेन्स दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ सोये हुए का बहाना कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते।

श्रीमन्, मैंने आपके सामने एक-आध केस रखा है इसलिए कि कोई यह न कहें कि झूठी बातें हैं। आप मुझे कहते हैं इसलिए एक केस रख दिया है। मुझे देखना है कि इस सिलसिले में आप एक्शन लेते हैं या नहीं। उससे पहले दूसरों के नाम लेने से क्या फायदा.......

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पांच मिनट, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष । काफी समय ले लिया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कन्क्लूड कर लूं, साहब !

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कर लें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और भी ऐसे छोटे छोटे उद्योग और खास तौर पर माइनिंग के लिए कहना चाहता हूं कि जहां अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आपने देखा होगा कि लोगों की रोजी रोटी का तरीका यह था कि जंगलों में पत्थर पलीते से चूना बना कर उसे बेच देते । यह रोजी का तरीका पीढ़ियों से चला आ रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां आज खानों की भरमार आई है, जिस आदमी के पास अपना खेत नहीं, जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, जो रावत है; मेड़ता हैं जो गरीब लोग हैं, उनको इस धन्धे से वंचित कर दिया गया है । और खानों से जंगल को बांध दिया गया है । उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह रॉयल्टी दे सकें, वे खानों को लेने का साहस नहीं कर सकते । वैसे पैसा वह सरकार को देने के लिए तैयार हैं । मैंने कई मर्तबा माइनिंग मिनिस्टर को अर्ज किया, मैं छः महीने, आठ महीने से कोशिश करता रहा हूं । मैं नहीं कहता कि लखपति या पैसे वाले आदमियों के लिए आप कुछ कर दें । मैं तो गरीबों के लिए कहता हूं । बड़े बड़े माइन वालों की तो सुनवाई हो जाती है लेकिन आठ-आठ महीने का अर्सा हो गया है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । आठ आठ महीने मुझे रोते रोते हो गये, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है । मैं नहीं कहता कि उनको मालदार बना दिया जाय ।

आपने वह पत्थर की खुदाई का काम भी उनसे ले लिया । आपके नीम के थाने के पास चूने का लाइम क्वारी करना चाहते थे । वे एक लाख रुपया दे रहे थे लेकिन आपने उनको नहीं दिया । आपने डिपार्टमेंट से कराया । उस हिसाब से भी अगर कहूं तो आपको पांच वर्षों में ५ लाख का घाटा हुआ, जो वे लोग एक लाख सालाना आपको देते थे और आपका विभाग असफल रहा । यह आप देख लीजिये । यह नीम के थाने के पास पाटन है वहां की बात है । इस तरह से ५ लाख का तो वह घाटा हुआ जो उनसे मिलता और ५ लाख का आपको घाटा हुआ इस तरह से आपने अपनी पोलिसी से बजट में १० लाख का नुकसान किया और आप टैक्स लगा रहे हैं ! इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी नीतियों में जो इस प्रकार की हैं सुधार करिये । मैं यह नहीं चाहता कि माइनिंग डिपार्टमेंट का पैसा रह जाए । मैं यह कहूंगा कि अगर उन्होंने हजार दो हजार रुपया कमाया तो उनको भी सरकार को देना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में ही कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा । उद्योग के संबंध में मांग पर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार की राजस्थान प्रान्त की औद्योगीकरण के सम्बन्ध में जो नीति रही है, उसमें राज्य सरकार को सबसे ज्यादा असफलता मिली है दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में । उपाध्यक्ष महोदय, केवल इस बात से ही सारी स्थिति को आंका जावे कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद राजस्थान में इन्डस्ट्रियल स्टेट क्या है और उससे पहले क्या था । यदि इसी दृष्टिकोण से आज की इन्डस्ट्रियल स्टेट की प्रोग्रेस को मान कर चलें और यदि हम इसी से संतोष कर लें जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय, अमूमन कहा करते हैं और उनकी एक प्रकार की आदत सी पड़ गई हैं, जिस समय वे आंकड़े देते हैं उस समय कहा करते है कि १९४८ में यहां इन्डस्ट्रीज़ की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है तो मैं कहूंगा कि इन आंकड़ों से अवश्य आपको प्रगति मालूम पड़ेगी । पर यदि हम इसी दृष्टिकोण से, राजस्थान के विकास के दृष्टिकोण से हमारी क्या आवश्यकता है, जो हमारे साधन मौजूद हैं उसमें क्या संभावना हो सकती है और क्या स्पीड हमारे डेवलपमेंट की होनी चाहिये, इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे राजस्थान में इन्डस्ट्री के बारे में जहां तक प्रगति का ताल्लुक है बहुत ही कम है, बहुत ही नगण्य है और यह हमारी आर्थिक नीति का कारण है । हम हमारी उदारनीति के कारण कोई उन्नति नहीं कर पाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम सारे देश के इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस को, जो अलग अलग प्रान्तों में है उसके मुकाबले में अपने प्रान्त की इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस को देखें तो आपको मालूम होगा कि जहां बंगाल में टोटल प्रोडक्शन २७.२८ है वेस्ट बंगाल में टोटल २२.२९ वहां हमारे राजस्थान में टोटल १.०१ परसेन्ट है, हमारे पोपुलेशन का इनडिविजुअल प्रोडक्शन बनता है । यह सही है कि सन् १९४८ के मुकाबले में हमारे आंकड़े ज्यादा हैं लेकिन यदि हम इसी रफतार से आगे बढ़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इसी को संतोष मान कर बैठ जाएं तो पता नहीं सैकड़ों वर्षों में हम अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, सेन्टर की तरफ से इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिए सहायता मिली हैं और हमारी सरकार की उदासीन नीति के कारण हम कोई सेन्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा पाये । पब्लिक सेक्टर के लिए १ हजार करोड़ किया गया मगर हमारे यहां खेतड़ी कोपर स्मेल्टर लगा हुआ है उसमें भी ९ करोड़ फोरिन एक्सचेन्ज चाहिये । हम उसके लिए उम्मीद लगाये बैठे हैं । मगर इसमें हम देखते हैं कि वह भी एक बोटलनैक बन रहा है । और इसमें भी रेडटेपिज्म है । इसमें भी शंका मालूम होती है । इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट हमारी राज्य सरकार नहीं करा पाई और दूसरे जगह पर दूसरी रियासतों के लोग ले

Page No 87

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गये । इसके अलावा पिछले प्लान में इन्डस्ट्री में जो रखा या चौथी प्लान में जो परसेन्टेज हम इन्ड्स्ट्रीज को पनपाने के लिए रख रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार का दिमाग राजस्थान में इन्डस्ट्री को आगे बढ़ाने या उसके विकास में नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी योजना में हमारे यहां केवल ३. समथिंग, ३.७६ परसेन्ट हमारी आउट का था और पंचमी योजना में ८ करोड़ के करीब रखा गया मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका भी फुल युटिलाइजेशन नहीं हुआ । चौथी योजना में आपने १६ करोड़ रखा है जो ४.२२ परमेन्ट सारी आउट-ले का आता है, लेकिन हमने दो योजनाओं में देखा कि जो भी रकम रखी गई, इतना माइनर एलोटमेंट रहता है उसमें से भी खर्चा बहुत कम होता है और उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि अभी जो राशि रखी गई है वह बहुत कम है और इससे यह मालूम होता है कि राजस्थान सरकार यह मान कर योजना बना रही है कि हमें इन्डस्ट्री के बारे में खास कुछ नहीं करना है । मैं यह समझता हूं कि यह लाइन ऑफ ऐक्शन हमारी सरकार का बहुत ही खतरनाक है । जब तक हम हमारे यहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को नहीं बढ़ावेंगे, सही तरीके से इनका विकास नहीं करेंगे लोगों को इसके लिए एन्करेजमेंट नहीं देंगे, तब तक हम लोगों की पर-केपिटा इनकम है उसको नहीं बढ़ा सकेंगे ।

अब जरा हम हमारे यहां इन्डस्ट्रीज़ जहां पर चल रही हैं उनका हाल देखें तो मालूम होगा कि वह तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है । हमारे यहां पब्लिक सेक्टर्स सारे राजस्थान में ६ हैं । मुझे खेद है कि जो सरकार रोजमर्रा यह कहती है कि हम पब्लिक सेक्टर को एक्सटेन्ड करना चाहते है, हमेशा स्लोगन्स देती है कि पब्लिक सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं; वही सरकार वास्तव में अपने ही डीड्स से किस तरह से उसे सेबोटेज कर रही है । पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सरकार चला रही है अगर हम इसको देखें और जो वे कहते हैं उसको देखें तो मैं यह कहूंगा कि इस पार्टी की सरकार में और स्वतन्त्र पार्टी के डिक्लेरेशन्स में वास्तविक रूप में कोई फर्क नहीं है । वे लोग यह कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रहना चाहिये । वे साफ बातें कह कर खुले तौर पर सरमायेदारों की वकालत करते हैं और हमारे यहां पर जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, वे ऊपर से तो बेसिक स्लोगन्स और भाषण देते हैं तो उसमें आप अलग बात कहते हैं और लोगों के दलालों को कहते हैं कि स्टेट की होती है तो सब मामले बदयान्ती से खराब हो जावेंगे । आपने अपने कारनामों से यह साबित कर दिया है और यह सही है कि जनता में उनका कहना कारगर हो जावे । वास्तव में पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, गिर जावेगा । इस तरह से आज हमारे सारे राजस्थान में काम चल रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ हमारी इन्डस्ट्रीज़ चल रही हैं उनका थोड़ा जिक्र करूं । हमारे गंगानगर में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शुगर फैक्टरी है, उस फैक्टरी के कुल वर्किंग डेज़ साल भर में केवल ६१ दिन हैं, साल भर में कुल ६१ दिन काम किया है और अब बन्द होने वाली है, लोक आउट होने वाला है। कहते हैं कि गन्ना नहीं मिलता। गन्ना मिले कैसे ? किसान को आप, कहते हैं कि १०० क्विन्टल गन्ना जो मेरे ख्याल से २७६ मन के करीब गन्ना होता है, इतना गन्ना हमको दोगे तो शुगर फैक्टरी कुल एक किलो चीनी देगी। जो एक किलो चीनी लेना है तो पौने तीन सौ मन गन्ना दो, तब एक किलो चीनी मिलेगी। इस प्रकार आपकी फैक्टरी कैसे चलेगी। आपके इलाके में कीटाणुओं ने सारी खेती को खराब कर दिया, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चुप बैठा है तो नेचुरली आपकी इस नीति के कारण आपके उस कारखाने की यह हालत होगी ही। डीडवाने में सोडियम सल्फेट प्लान्ट है। जब से मैं इस सदन में आया हूं पहले आते ही मालूम हुआ कि वहां मकान नहीं है, सारी मशीनें बाहर पड़ी हैं, वर्षा में मशीनें भीग रही हैं, बिल्डिंग बनाने का काम नहीं, खूब चिल्लाना शुरू किया तो वहां बिल्डिंग बनाना शुरू हुआ। अब सरकारी रिपोर्ट कहती है कि जर्मनी की एक कम्पनी से कन्ट्रेक्ट किया था; १९६४ में चालू करने का कॉन्ट्रेक्ट किया था, यह ६५ चल रहा है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चला ? हमने कम्पनी को सारा का सारा पेमेंट कर दिया है पर चालू नहीं हुआ। मालूम हुआ है कि सरकार की गलती से सरकारी अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ है। सरकारी अधिकारियों की गलती को पकड़ा गया है कि उन्होंने गरमी का गलत चार्ट दिया जिससे पाइप लाइन फ्रीज़ हो जाती है, यह सरकार ने खुद कुबूल किया है।....

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब तो दूंगा ही, पर जो आप यह कह रहे हैं कि सरकार ने कुबूल किया है यह गलत है। चार्ट के बारे में परसों मैं एक क्वेश्चन के उत्तर में कह चुका हूं कि कोई चार्ट गलत नहीं दिया कोई पाइप लाइन फ्रीज़ नहीं होती। सरकार के मुंह में डाल कर अपनी श्रोर से ये लफ्ज़ कह रहे हैं, यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि क्या पेनल्टी इम्पोज़ की है, कितना पेमेंट काट रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि २१ हजार बोरी वहां सीमेंट की आई, डीडवाना में सिविल वर्क्स के लिये आई, उनमें से केवल ६००० बोरी खर्च हुई, बाकी ब्लैक मार्केट में बेची गई। वहां पर तेल खरीदा गया ५२१ नं० का स्टेन्डर्ड तेल खरीदा गया। काम में लाया गया तो खराब मिला, इस वजह से प्लान्ट को काफी नुकसान हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ५२१ नं० का तेल क्या बला है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मालूम करें।

श्री मथुरादास माथुर : हमने तो १० नं० का तेल सुना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आप तो ४२० से ऊपर का ४४० नं० जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने सुगन्धी का तैल लगाया है।

इसी तरह से ६० वैगन कोयला खरीदा गया, यह जिस क्वालिटी का कोयला चाहिये था उस क्वालिटी का नहीं खरीद कर दूसरी तरह का कोयला खरीदा गया। इस वजह से मुझे रिपोर्ट मिली है कि हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों की वजह से हमारे प्लान्ट की यह हालत है। जिसका टार्गेट ५० टन डेली का रखा था, पर आज सारे साल का १०० टन इन्होंने पैदा किया है।

श्री मथुरादास माथुर : ५० टन डेली का किसने बताया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बताइये।

श्री मथुरादास माथुर : २० टन की केपेसिटी का एक्सपेरिमेंटल प्लान्ट लगाया है। इसकी मेग्जिमम केपेसिटी २० टन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २० टन सही, हिसाब लगाइये ३६५ दिन का। २० टन डेली के हिसाब से ३६५ दिन का कुल कितना होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो एक्सपेरिमेंटल है सारा ही जोब। यह तो मैं खड़ा होऊंगा तब बोलूंगा पर आप इस तरह के इमेजिनरी फीगर्स न दें। आपको डिटेल्स की पुस्तकें इसलिये बांटी गई थीं कि आप उनको पढ़ते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो कम्प्लिशमेंट दे रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : आप अपने कम्प्लिशमेंट ठीक दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें २० टन कहां है ?

श्री मथुरादास माथुर : २० टन इसकी मेग्जिमम कैपेसिटी है, यह मैं सदन में २० दफा कह चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २० टन की कैपेसिटी है तो इतने वर्षों में क्या किया ?

श्री मथुरादास माथुर : वर्ष कहां हुए, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाखरी की खान में जहां थोड़े मजदूर काम करते हैं उसकी भी स्थिति बंद करने जैसी सरकार की तरफ से आती जा रही है और मजदूरों को बेरोजगार करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। जो जो उद्योग, खानें आदि हमारे यहां चल रही हैं उनकी यह भयंकर स्थिति राजस्थान में है। मैं समझता हूं इसमें सरकार की सिन्सियरिटी पब्लिक सेक्टर के बारे में नहीं होना मूल कारण है। जो इन्डस्ट्रीज सरकार को मुनाफा दे सकें, उनको सरकार में नहीं लाना। रोडवेज को पब्लिक सेक्टर में लिया, उसमें कई तरह की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गड़बड़ियां हैं फिर भी १३० लाख के करीब रोडवेज़ ने मुनाफा दिया है। अगर सरकार की नीयत प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा देने वाली नहीं होती तो ऐसी मुनाफा देने वाली इन्डस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर में ले लेती।

जो जनरल प्रोडक्शन की सारे राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ की स्थिति है उसको देखें तो हमारा सारा प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। सरकार ने ये आंकड़े दिये हैं :—

खांड १३.७ से ६.६ पर १९६३ के मुकाबले ६४ में आ पहुँची है।

नमक : ४२६ से ३८६

सीमेंट : ११९० से १०५९

हर चीज में प्रोडक्शन में गिरावट है। यह इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की स्थिति लगातार राजस्थान में चलती आ रही है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की इन्डस्ट्रीज़ की हालात हैं, देश के जो मोनोपोलिस्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने की, रियायत देने की गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से रियायतें देने की सरकार की नीति रही है। छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको रियायत नहीं देने की नीति है ताकि वे लोग लिक्विडेट हो जाय, इस तरह से सरकार चल रही है।

यदि मैं एक दो मिसालें दूं, सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री है उसकी मिसाल दूं; वह फैक्ट्री फलौदी में एक क्वेरी चलाती है। उससे मुझे पता लगा है कि जो वैगन लोड करती है उन वेगन्स का एक्च्युअल टीयर वेट गाड़ियों में लिखा होता है, उस पर रोयल्टी पे करती है पर एक्च्युअल वजन उनमें ज्यादा होता है, उसका न तो फैक्ट्री का मालिक राजस्थान सरकार को रोयल्टी देता है और न गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रेल्वे फ्रेट ही पे करता है। डबल तरीके के रजिस्टर रख रहे हैं, एक्च्युअल टीयर वेट अलग रजिस्टर में और जिस वेट के अनुसार राजस्थान सरकार को रोयल्टी पे करते हैं और भारत सरकार को फ्रेट पे करते हैं, इसका अलग रजिस्टर है। उस फैक्टरी की सन् १९५५ की फोटोस्टेट कॉपी है, सरकार चाहे तो देख सकती है। इस कॉपी में वह वजन भी मौजूद है, जो असली वजन भरा हुआ है, गाड़ी का नम्बर भी मौजूद है, तारीख भी मौजूद है लेकिन उस वैगन में जितनी एक्च्युअल भरी गई थी वह भी मौजूद है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी करें कि किस तरीके से जब से आपकी रॉयल्टी की चोरी करते रहे हैं और केन्द्रीय सरकार के रेल भाड़े की चोरी करते रहे हैं। ये सन् १९५५ के फिगर्स दे रहा हूं, उसके मुकाबले में १९५५ की इन्क्वायरी कर लें और उससे पहले और बाद की सारी इन्क्वायरी करें तो आपको पता चलेगा कि कितने फोर्ज्ड हिसाब-किताब यह फैक्टरी मेन्टन करती आई है। यह सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी है जो फलोदी क्वारी चलाती है, उसकी बात है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी हमारी सरकार की ओर से इस फैक्टरी को एक लैंड मुफ्त में अलॉट कर दी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गई जो मेन रोड और फैक्टरी वाल के बीच में है। मुझे बताया गया है कि करीब ५० फीट चौड़ी और १२०० फीट लम्बी है, जिसकी कीमत कम से कम १० रुपए पर स्क्वायर यार्ड लोग वहां के देने को तैयार हैं जो लाखों रुपए की बनती है, वह हमारी सरकार ने फ्री अलॉट कर दी है जो लोग आपकी रायल्टी की चोरी कर रहे हैं जिसके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं, उसको आप इस तरीके से नाजायज लाभ देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घटी)

यहां पर एक आयरन फाउण्ड्री बिड़ला की, बॉल बियरिंग के पास बन रही है उसके लिए आपने जितनी जमीन एलॉट की है उससे कहीं आगे उन्होंने अपनी बाउण्ड्री बनाई है और जो लोगों की श्मशान भूमि है, लोगों के नाम लिखे हुए हैं हसनपुरा के पास। ये फैक्ट्री वाले लोगों की परवाह नहीं करते और श्मशान भूमि फैक्ट्री के अन्दर अपनी बाउंड्री के अन्दर ले रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : यह किस दिन की बात सुना रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी १५ दिन हुए हैं, मौके पर जाकर देखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पूछ रहा हूं कि जो सीमेंट फैक्ट्री को जमीन दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीमेंट फैक्ट्री के लिए मुझे बताया गया कि विदिन दी लास्ट सिक्स मन्थ्स का मामला है। श्री जोजेफ आपके कलेक्टर थे उन्होंने यह अलॉटमेंट किया और आप खुद गए थे, आप अलॉटमेंट करवा कर आए थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य जो कुछ इस सदन में बोल रहे हैं, उसको जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहिए और यदि ये साबित कर दें कि मैंने किसी कलेक्टर को जमीन देने के लिए कहा है कि इसे जमीन दी जाय, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दीजिए। जब वहां पर फ्लड आया था......

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने यह इन्कार नहीं किया है कि जमीन अलॉट की गई है, इसलिए....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह किस्सा तो आपके मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन जो दूसरा एलीगेशन आपने लगाया है वह गलत है। झूठ बोलें, लेकिन थोड़ा बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरह से आप लोगों में आदत पड़ी हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप जैसी आदत नहीं है झूठ बोलने की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो आपको सब पता लग जायगा, एक भी हाई कोर्ट के जज ने यदि इन्क्वायरी कर दी तो। बच कर निकलने की कोशिश करते हो। आपके अन्दर दम नहीं है। हाई कोर्ट जज से इन्क्वायरी कराए तो ईमानदारी का पता लग जायगा। क्यों बच कर निकलने की कोशिश करते हो? आप कहते है कि इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा तो इस तरफ से लिख कर दिया हुआ है।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपको कोई दूसरा सरजूप्रसाद नहीं मिल रहा है, इसलिए उछल रहे हो। जगतनारायण से इन्क्वायरी नहीं कराओगे। सरजूप्रसाद की तलाश कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि बिड़ला की बॉल बेयरिंग के पास उनकी जो आइरन फाउंडरी बन रही है, सरकार ने जो जमीन दी है उसमें हसनपुरा बस्ती की जो श्मशान भूमि है वहां पर कब्रें और यादगार मौजूद हैं जिन पर नाम लिखे हैं, जो २०-२० साल पुराने हैं उनको भी बाउंडरी से घेर कर, जो थोरोफेयर है उस रास्ते को भी रोक दिया है। मैंने सरकार को कॉल अटेन्शन नोटिस दिया, सवाल किए, लेकिन अभी तक कोई रोक नहीं हुई, इस प्रकार से वहां वे लोग कार्यवाही कर रहे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अलवर के लिए सरकार की जो नीति इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की होनी चाहिए वह नीति नहीं रही है। अलवर के लिए एक टेक्सटाइल मिल मन्जूर हुई। लास्ट ईयर मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि हमने जो पहले एक और पार्टी को इसका लाइसेन्स दिया हुआ था दिल्ली वाली को उससे अच्छी पार्टी को जे० के० कानपुर वाली को दे दिया है और उन्होंने यह कह दिया कि ६ महीने के अन्दर अन्दर, मैं जून महीने की बात कर रहा हूं, मुझे चिट्ठी लिखी थी, फरवरी माह में, यह काम शुरू होगा। उन्होंने चिट्ठी में लिखित तरीके से आश्वासन दिया था कि जल्दी ही सिविल वर्क में शुरू हो जायगा और जब डेप्यूटेशन जून में मिला तो उन्होंने कहा था कि ६ महीने के अन्दर अन्दर सिविल वर्क शुरू हो जायगा। लेकिन अफसोस है कि सरकार ने बजाय सिविल वर्क शुरू कराने के, वह भैंस भी गई तो उस पाडे को भी ले गई। लाइसेंस २५ हजार स्पिंडल्स का वह भी गायब कि किसी और पार्टी को और जगह के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है और अलवर में फोर्थ फाइव ईयर प्लान के लिए टेक्सटाइल मिल को पोस्टपोन किया जा रहा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन्स को मूव करता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में औद्योगीकरण का प्रश्न है। राजस्थान बनने के बाद काफी शहरों में उद्योग खोले गए इससे

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

इन्कार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में नए उद्योग खोलने का संकेत किया है। जहां तक शहरों का प्रश्न है, शहरों में उद्योग ब्रिटिश सरकार ने भी खोले थे और यह सरकार भी खोल रही है। लेकिन गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे गांवों में माईनिंग का उद्योग चलता है।

(३. म० प०)

उसकी तरफ आज तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी मुझे बड़ी भारी शिकायत है। कहने को तो कहा जा सकता है कि खनिज उद्योग से सरकार की आमदनी बढ़ी है। मैं समझता हूं कि इसमें विभाग की कोई तारीफ नहीं है। आमदनी इसलिए बढ़ी कि प्लानिंग चल रहा है। आपके बांध बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, काफी फैक्ट्रीज बनी हैं। उनमें रॉ मेटीरियल, चूना, बिल्डिंग स्टोन वगैरह चाहिए, तो अधिक आदमी बिल्डिंग स्टोन खोदने लगे, लोगों ने खरीदा, इसलिये व रॉयल्टी की रेट भी बढ़ा दी, इससे अधिक रॉयल्टी का पैसा मिलने लग गया, इसलिए आपकी आमदनी बढ़ गई। लेकिन डिपार्टमेन्ट ने इस उद्योग को अपने आप कोई सहायता दी हो और इसको बढ़ाने की बात की हो यह नहीं है। यदि यह होता तो लाखों रुपयों का जिन खानों से सरकार पत्थर निकालती है उन तक पहुंचने के लिए सरकार सड़कें बनाती। ध्यान इस ओर नहीं दिया गया। चूना निकलता है वहां पर यदि सरकार सड़कें बनाती है तो सस्ते भाड़े में दूसरे प्रान्तों में जाय जिससे सरकार को भी आमदनी हो, उद्योग का भी विकास हो। छोटे छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देना चाहिये था, वह नहीं दिया गया। सिर्फ खान का पट्टा देना, रॉयल्टी वसूल कर लेना, यह काम तो रेवेन्यू का जो तहसीलदार है वह ही कर लेता है, लेकिन माईनिंग डिपार्टमेन्ट इससे अधिक करता क्या है ?

माइका और सोप स्टोन के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। माइका के लिए अर्ज यह करना चाहता हूं कि यह प्रायः विदेश भेजी जाती है और इससे मुद्रा हमें उपलब्ध होती है। आज हमारे देश में कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं विदेशी मुद्रा की कमी के कारण। विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए हम अपने यहां की चीनी बाहर भेजते हैं, कपड़ा बाहर भेजते हैं। खुद पूरी तरह से उसका उपभोग न करके भी हम उसको बाहर भेजते हैं। हम तकलीफें उठा कर खुद भूखे-नंगे रह कर भी उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन सरकार ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया तो राजस्थान के चार-पांच आदमियों को माइन्स दे दी और बस हो गया विकास। यदि विकास करना ही है तो सरकार को चाहिये कि इलेक्ट्रिक लाइन्स देती जिससे माइन्स का विकास हो सकता। बड़े बड़े लोगों के अच्छी माइन्स हाथ लग गई तो उन्होंने अपने जेनरेटर लगा कर काम कर लिया जो उनको पर यूनिट १।।) की कोस्ट पड़ती है। छोटा आदमी तो काम नहीं कर सकता। शहरों में आप उद्योग में सस्ती बिजली दे देंगे। गांवों में आदमी

Page No 94

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बेचारे कहीं मजदूरी पर न लग जायं आप बिजली नहीं देते । इलेक्ट्रिक की बात है वह विद्युत् मंत्रीजी से नहीं है, यह शिकायत तो माइनिंग इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब से है । माईनिंग डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की बात कह रहा हूं । अकर्मण्यता इसलिए कि केवल पट्टे दे देना, रॉयल्टी वसूल कर लेना, डेड रेंट वसूल कर लेना, बस इसके सिवाय और कोई काम नहीं है। विकास जहां खानों का करना है वहां बस निल । माइन्स कैसे अच्छी हों, इस ओर कुछ नहीं । आपके पास जियोलोजिस्ट्स की फौज है, माइनिंग इन्जीनियर काफी रखे हुए हैं, वे जाकर देखें कि माइन्स ठीक चल रही हैं या नहीं । बीकानेर में दलमेटा में सुप्रसिद्ध पत्थर निकलता था, लाल पत्थर जिसकी आज बीकानेर में हजारों बिल्डिंग्ज़ बड़ी बड़ी आलीशान बनी हुई हैं लेकिन आज वे खानें बन्द पड़ी हैं । माइनिंग डिपार्टमेंट उन खानों को देख ही नहीं पाया है । किस तरह से उन खानों को खोदना चाहिए, काम भी लोगों को मिले और विकास भी हो । लेकिन माइनिंग विभाग को इसकी फुरसत नहीं है । मांडलगढ़ की खानों का पत्थर दो करोड़ से कम नहीं निकले, लेकिन ६ मील की सड़क बनाने का मामला है तो कहेंगे पैसा नहीं है, लेकिन रॉयल्टी तो लेने के लिए तैयार हो जावेंगे । डेढ़ करोड़ आज मिले । लेकिन काम नहीं करना चाहते माइन्स के उत्थान का । सिवाय इसके कि डिपार्टमेन्ट रॉयल्टी अधिक बढ़ गई तो काम अधिक बढ़ गया और इसलिए दो-चार अफसर और बढ़ा दें । उत्थान की ओर आपको ध्यान देना चाहिये । यदि आप भीलवाड़ा में २० मील इलेक्ट्रिक लाइन खींच दें तो आज प्रदेश को एक करोड़ दो करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जन होगी । न तो वे माइनिंग डिप्टी मिनिस्टर साहब, जो वहां रहते हैं, वर्ष में चालीस पचास दिन बराबर वहां जाते हैं, इस ओर ध्यान देते हैं और न आप ही । जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे देश के साथ भला नहीं करेंगे । विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सरकार बाधक बन रही है । यदि आप इस ओर ध्यान देते तो विदेशी मुद्रा भी अधिक मिलती । मजदूरों को भी रोजी मिलती । यदि थोड़ा सा आप इस ओर ध्यान देंगे और इस ओर थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो आपको विदेशी मुद्रा भी अधिक मिलेगी और हमेशा के लिए हजारों मजदूरों को भी आप रोजगार दे सकेंगे ।

जहां तक उद्योग का प्रश्न है । उद्योग विभाग ने गत वर्ष निर्णय लिया था और सदन में बताया था कि बीकानेर में ऊन की फैक्ट्री खोलेंगे । लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है । गत वर्ष बजट में इसके लिए कुछ धनराशि भी रखी गई थी लेकिन काम........

(३.५. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

नहीं शुरू किया गया । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, मंत्री महोदय तो बातों में लगे हुए है । ध्यान ही नहीं देते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : माईनिंग ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माइनिंग गया साहब ! बात दूसरी है । बिजली की बात भी गयी साहब, वह भी नहीं कह रहा हूं । मैं तो बीकानेर में ऊन का कारखाना खोलने की बात कह रहा हूं । धन राशि रखी थी । लेकिन आप कोई परवाह नहीं करते हैं । आपको आनन्द आता है उस इलाके के लोग भूखों मरे तो आपको क्या मुश्किल है ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): उस इलाके के लिए तो बीकानेर वाले ही कोशिश करेंगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बीकानेर का रहने वाला हूं साहब। भीलवाड़े में १॥, २ बीघा जमीन के पट्टों पर ६ लाख आदमी पड़े हुए हैं । उनको काम मिले इसके लिये आप उद्योग नहीं खोलेंगे उद्योकों का सघन क्षेत्र सुरक्षित नहीं बनायेंगे आप जहां से आये हैं इन्डस्ट्रीज विभाग आपके पास है उसी चूरू जिले में उद्योग का सघन क्षेत्र खुलेगा । दूसरी जगह आप नहीं, चूरू में ही बना सकते हैं, परन्तु जहां जरूरत है वहां नहीं बना सकते हैं ।

जहां तक ऊन की फेक्टरी का प्रश्न है बीकानेर में गत वर्ष बजट में देखा कि धन राशि रखी गई थी । लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ । लिख दिया कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जांच करेगा । गत वर्ष का यह हाल है । उसके पहले साल भी नहीं। यह आप ध्यान नहीं दे सकते कि थोड़ा सा पैसा लगाने से लोगों को रोजगार मिलता है। राजस्थान में बीकानेर जिला ही ऐसा है, भारत वर्ष में कहीं भी ऐसा जिला नहीं मिलेगा कि जहां ५० परसेन्ट आदमी शहर में रहते हों और जो पशुपालन या और कोई धन्धा न करते हों । भारतवर्ष में ऐसा कोई जिला नहीं मिलेगा कि जहां के निवासियों में से आधे निवासी शहरों में रहते हों जो केवल कारखाने में काम करने और पढ़-लिख कर सरकार की नौकरी के सिवाय और कोई अन्य काम धन्धा न करते हों । यदि आप ऊन की फेक्टरी को खोल देते तो वहां पर हजारों आदमियों को काम धन्धा मिलता । जो रॉ मेटीरियल यानी ऊन बाहर जाता है, उसकी कीमत भी अधिक मिलती । गत वर्ष भी यों ही निकाल दिया, कह दिया कि वित्त मंत्री जांच करेंगे। जरूर वित्तमंत्री जांच कर लेते यदि अजमेर में कोई कारखाना खोलना होता । बांस की टोकरी का कारखाना अजमेर में खोलना होता तो वित्त मंत्रीजी जांच कर लेते लेकिन यह तो बीकानेर में ऊन का कारखाना खोलना था ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : योजना मंत्री बैठे हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बीकानेर के लिये आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो दर्द होता है । मैं भी वहां का रहने वाला हूं । आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपको याद दिला रहा हूं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मै बोल रहा हूं जब कि आप बीकानेर के लिए नहीं बोल रहे हैं । व्यासजी वहां से आये वहां के लिए वे नहीं बोल रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप भी व्यासजी और ये भी व्यासजी ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं व्यास नहीं हूं । आप हांडा और हांडी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वही हांडा और भांडा में फर्क है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने पलाना लिग्नाइट की बात कही थी । पॉवर हाउस बनायेंगे, ओपन कास्ट करेंगे । कुछ नहीं हुआ । वहां भी यह काम कराते तो लोगों को काम मिलता । बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि बीकानेर शहर में चले जाइये, हमारे साथ चलिये कि आज लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है । है ही नहीं लोगों के लिये रोजगार । बीस-तीस रुपये माहवार के रोजगार के लिये लोग भटकते हैं ।

कहते हैं कि बीकानेर सेठों का है । पैसे वालों का है । हो सकता है, पहले जब स्टेट का वक्त था और यहां इन्कमटैक्स नहीं लगता था तो वहां के बाहर जाकर व्यवसाय करने वाले सेठ इन्कम टैक्स बचाने के लिये यहां पूंजी लगा लेते थे और साल दो साल में यहां आ जाते और अपना मकान वगैरह बना जाते थे । अब चूंकि सारा देश एक है और अब वह इन्कम टैक्स की सहूलियत यहां रही नहीं, तो वे लोग आते नहीं । उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां आज ढूंढे हुए पड़े हैं और उनमें चोर घुस जाते हैं । दो चार पैसे वाले सेठों के भरोसे सारे बीकानेर को सेठों का शहर कहना अच्छा नहीं होगा । बीकानेर में आज आप देखेंगे तो सबसे कम मिलेंगे इन्कम टैक्स देने वाले लोग । या मिलेंगे तो थोड़े बहुत सरकारी सर्विस करने वाले मिलेंगे या दो-चार महाजन चुकाते होंगे । बाकी तो सब दूसरी जगह जाकर बस गये हैं और अपना व्यापार धन्धा वहीं करते हैं । तो इसलिये आप उधर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा । गरीबों को रोजी मिलेगी ।

अब इसके बाद मैं कोटे के वितरण की बात कहता हूं । जर्मनी से आता है नकली हाथी दांत का उसका कोटा । जहां के लोग बराबर हाथी दांत के चूड़े पहिनते हैं और इसे सौभाग्य का चिन्ह समझते हैं, बीकानेर रियासत में हर गांव में झालावाड़ में, डग में तो इसकी चीजें बनाकर दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं । हाथी दांत का अच्छा काम होता है डग में तो । मशहूर है वह । पर आप उनको वहां हाथी दांत का यह इम्पोर्टेड कोटा नहीं देंगे क्योंकि वहां देने से लोग यह समझ बैठेंगे कि मन्त्री महोदय अपने वहीं ही डग वालों को ही क्यों दे दें ? क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं तो लोग बात करेंगे कि मन्त्री महोदय झालावाड़ वालों से देते हैं । कहीं तो बिलकुल घर के काम करने लग जाते हैं । बिजली देंगे तो झालावाड़ में । पर दूसरी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बातों के लिये गायब । जहां गरीबों की रोजी रोटी का सवाल आया तो हाथी दांत का कोटा दे दिया सब पाली वालों को ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) :आप बीकानेर से सीधे झालावाड़ चले गये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : झालावाड़ में गुलकन्द अच्छा होता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप वहां लोगों को असली हाथी दांत नहीं दे सकते लेकिन नकली तो देते ताकि वहां के लोगों को परम्परा से चलने वाली रोजी मिलती रहती । तो आपसे ये कोटे ठीक से वितरित नहीं हो पाते । जो आपके पास चार-पांच बार पहुंच गया, खुशामदें कीं, सिफारिशें पहुंचाईं आप समझ बैठे कि यही जरूरतमन्द है और आप इन आस–पास आने वालों की ही नहीं, दूसरों की बात भी सुनो ।

आप इसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे इस उद्योग विभाग में पटक रक्खे हैं कि जिनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये । आप यहां इन्डस्ट्री खोलना चाहते हैं, उद्योगों में पूंजी लगाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव के मार्फत लगाना चाहते हैं, मैं निवेदन करूं कि मेरी चले तो सारे ही काम पब्लिक सेक्टर में ही होने चाहिये या कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के मार्फत कराऊं । पर आज अधिकांश कोऑपरेटिव जो बनी हैं ऐसे लोगों की बनी हैं जो व्यापार के तरीके से उनको चलाने की क्षमता नहीं रखते । करोड़ों रुपये अब तक इसमें लगाया गया, पर उसका रिटर्न देखें तो नहीं मिला जितना मिलना चाहिये था और जो प्राइवेट सेक्टर वाले इससे ले सकते थे इतनी धनराशि लगाकर । यह हमारे व्यवस्था की बात पर निर्भर है । इस व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये । उद्योग हमेशा साख से चलते हैं । फाइनेन्शियल कार्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर को पैसा देता है, पर आप उनसे यह नहीं पूछ सकते कि किन किन को कितना कितना पैसा दिया । आप उनके नाम नहीं बता सकते । नाम उनके पब्लिश नहीं कर सकते । आप लाखों रुपया उनको देते हैं । पर नाम सिक्रेट रखते हैं । एक तरफ तो यह स्थिति है । दूसरी तरफ सहकारिता विभाग ने दो हजार दिये तो सात बार तो इन्सपेक्टर उसकी छाती पर जाकर धमकेगा । सबको मालूम होगा कि इसने फलां जगह से इतनी रकम उधार ली है । उसे फिर मार्केट से पूंजी नहीं मिल सकेगी और इस तरह से बाहर का पैसा आये बिना व्यापार चल नहीं सकता । एक प्राइवेट पार्टी को उद्योग चलाने के लिये बीस लाख दे दिया; लोगों को यह भ्रम रहता है, पता नहीं लग पाता कि यह उधार लाया है, या घर की पूंजी है और मार्केट के लोग उसकी यह बीस लाख की पूंजी देख कर पचास लाख अपनी पूंजी और दे देते हैं ।

तो इस तरह पचास लाख की पूंजी वह बाजार से और ले आता है और अपना व्यापार खड़ा कर लेता है । सहकारिता में दस हजार की पूंजी मिलती है तो बाहर की उधार की पूंजी गायब ? फिर इसमें

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

ऊपर से व्यापार से अनुभवहीन लोग इसमें आ जाते हैं, निठल्ले अधिकारी जांच करने को बैठ जाते हैं और देखते ही नहीं और हां हूं करके चले जाते हैं । इस तरह से व्यापार नहीं चलता और रिटर्न जो मिलना चाहिये वह भी फिर नहीं मिलता और सहकारिता विभाग हिम्मत रखता है कि उद्योग में वह पूंजी लगायेगा और रिटर्न लेगा तो मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि उसको अधिक से अधिक पूंजी दे । पर अगर यह हिम्मत नहीं है, ये अकर्मण्य हैं, निकम्मे हैं तो पूंजी इनको डुबाने और बरबाद करने के लिये नहीं देनी है, अगर उनमें हिम्मत नहीं है सूझ-बूझ और व्यापार बुद्धि नहीं है तो हिम्मत होनी चाहिये कि बेईमानी नहीं होने देंगे, प्राइवेट पार्टियों से अच्छे कार्यकर्त्ता रखें, व्यवस्था अच्छी रक्खें; रिटर्न उनसे अधिक करके लाने की हिम्मत हो तो हम मना नहीं करेंगे । सहकारिता में धन लगाने को प्राइवेट बिजनैस करने वालों से हमें सतर्क रहना है । छोटे छोटे ट्रेड वालों की नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े उद्योग वालों की कह रहा हूं । आपका पैसा उधार लेते हैं, पब्लिक से शेयर कीमती आपके दिए हुए पैसे की ताकत पर इकट्ठी कर लेते हैं और उसी के बेसिस पर लोन और भी ले लेते हैं । फिर जो मशीनों का आयात-निर्यात वगैरह के लाइसेंन्स, कोटे वगैरह जो आप से लेते हैं उसको कितना सही तरह से उपयोग करते हैं ? कितना ब्लैक में बेचते हैं, उसकी जांच करनी चाहिये । राजस्थान में ऐसे बहुत से केस इन चार-पांच वर्षों में हुए हैं । मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता । सरकार को इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए, उसे सतर्क होना चाहिये । सरकार इस मामले में चुप रहेगी तो नहीं चलेगा ।

राज्य सरकार कह सकती है कि लाइ-सेन्स तो हम नहीं देते, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है । पर यह तो आपको देखना है कि जो लाइसेन्स आपके इलाके के फायदे के लिए दिया गया है वे मशीनें राजस्थान में लगीं या नहीं । इसकी जांच करना हमारा काम है । ये जो आपके आदमी विभाग में बैठे हैं, ये फिर क्या करते है ? सिर्फ चद्दरों के या सीमेन्ट के कोटे को बांटने के लिये बैठें हैं क्या ? इन बड़े उद्योगों की तरफ आपका यह डाइरेक्टोरेट आंख उठा कर भी नहीं देख सकता । उनको अधिकार नहीं है बड़े उद्योगों को देखने का क्या ? इनकी देखने की हिम्मत नहीं उनकी तरफ, आप को फुरसत नहीं तो फिर इनको देखेगा कौन ? इसलिए इनको मौका मिल जाता है । एक करोड़ की मशीन का कोटा ले लिया । अस्सी लाख की बेच दी । जिससे डबल, ट्रेबल मुनाफा कमा लिया । बाहर से माल मंगाने वाले इस तरह काम करते हैं । आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

तो बड़े उद्योगों की जांच करना, उनकी पूरी पूरी निगरानी रखना और और सहकारिता की तरफ ध्यान देना यह जरूरी हो गया है ।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगू) : चित्तौड़ जिले के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं । वहां एक शुगर मिल है । गन्ना बहुत होता है आसपास में । वे अपना गन्ना ले जाते

(श्री चौसरसिंह व्राबेल)

है मिल में तो सारा नहीं खरीद पाते और जो खरीदते भी हैं तो वक्त पर नहीं लेते। दो-दो, तीन-तीन, दिनों तक हैरान करते हैं ठीक भाव नहीं देते और खरीद का पैसा भी अर्से तक बाकी रहता है। तो इन सारी दिक्कतों के कारण मेरी यह प्रार्थना है कि उस सर्किल में चूंकि गन्ना काफी पैदा होता है और उस सारे को यह मिल ले नहीं सकती, तो दूसरी शुगर मिल लगाने की व्यवस्था की जाय तो उससे मिल वाले को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। शक्कर की देश में कमी है, उसमें भी लाभ होगा और गन्ना वालों को भी लाभ होगा।

इसके अलावा बेगू तहसील में खेरदा के पास एक खान है पट्टियों की, कातलों की। पर वहां सड़क नहीं होने से बड़ी कठिनाई होती है, पट्टियों को उतारने-चढ़ाने में, काफी नुकसान हो जाता है, पट्टियां टूट फूट जाती हैं। दो-तीन सौ फीट ऊपर से उतारना पड़ता है। पंचायत समिति को सड़क के लिए कहते हैं तो कह देती है पैसा नहीं है। यह सिर्फ चार मील का टुकड़ा है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिये।

इसी तरह से बेगूं में ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से चर्म उद्योग का कारखाना लगाया गया था। इसके लिए वहां से एक मील के फासले पर मकान बनाया गया था। आज सात साल से काम बन्द पड़ा है, मकान की हालत खराब हो गई है, उसके टिन वगैरह लोग उतार कर ले गये हैं, वह रास्ते में मेन सड़क पर पड़ता है। हजारों रुपया उस पर खर्च हुआ। साहूकार के यहां जमा था– मांगीलाल के यहां। कोई चार्ज लेने वाला नहीं मिला। बयाजी ने भी इसके बारे में लिखा-पढ़ी की, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सरकार इस पर विचार करे।

बेगूं में सूत कातने वाले और बुनकर लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। हजारों रेजे बाहर जाते हैं। इसके लिये कोई छोटा-सा हैंडलूम पॉवर का वहां लगा दिया जाय तो वहां के उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी और उनको रोजगार अच्छा मिलेगा।

बीड़ी की वहां फैक्टरी है। वह दूसरों को ठेके पर दिया जाता है इससे तो अच्छा है गरीबों को मिले तो अच्छा होगा।

बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है। इस महकमे में भ्रष्टाचार भी बहुत है, इस तरफ भी विचार करना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया, पिछले कई वर्षों से जिस समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है या राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है उस सरकार की ओर से उत्तर दिया जाता है।

उन सब बातों में विशेष रूप से एक बात का उल्लेख बार बार किया जाता है कि राजस्थान में औद्योगीकरण की अब हमने नींव स्थापित कर दी।

(श्री भैरोंसिंह)

उस एक नींव के प्रश्न को लेकर राजस्थान की जनता की आशाएं राजस्थान के औद्योगीकरण की ओर बढ़े, यह स्वाभाविक है। राजस्थान सरकार हर बार इस बात का भी आश्वासन दिलाती है कि हम राजस्थान में नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर टैक्स में रिलीफ देने की बात पर विचार करेंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि राजस्थान के दो जो मेजर विभाग हैं जिसमें एक इन्डस्ट्रीज और दूसरा माइन्स जो हमारे बजट के लिये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वे दोनों विभाग अभी तक जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते आये हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रगति हुई हो, ऐसा सरकारी पक्ष द्वारा दिये गये आंकड़ों से आभास नहीं मिलता। और इसका कारण मैं यह मानता हूं कि कुछ विभाग की स्थिति इस प्रकार की है, जिस स्थिति के कारण अपेक्षित परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते।

आज आप किसी भी उद्योग में भाग लेने वाले व्यक्ति से बात करिये। उसका कम से कम एक मापदण्ड होगा कि मैं हजारों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो हजार रुपये के साथ मुझे प्रोफिट कितना मिलना चाहिये। एक लाख की पूंजी लगाता हूं तो प्रोफिट कितना होना चाहिए और दो करोड़ लगाता हूं तो उसका प्रोफिट कितना होना चाहिए। आप इन्डस्ट्रियलिस्ट को इस सम्बन्ध में कॉमन सेंस भी लेने की चेष्टा करें तो आपको ज्ञान अवश्य होगा कि सौ रुपया की पूंजी लगाने वाला १० रुपया उसमें से कम से कम मुनाफा जब तक नहीं हो तब तक पूंजी लगाने को तैयार नहीं होता और दस रुपये का मुनाफा नहीं मिले तो हर वक्त इस बात का प्रयत्न करता है कि किसी तरह सौ रुपये में दस का मुनाफा हो।

लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि राजस्थान की सरकार ने अपना चार करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्डस्ट्रीज़ में और इसके अन्दर सब का पांच लाख के लगभग मुनाफा मिलता है। मैं आज राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि या तो आप यह कहिये कि हमने जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट भूतपूर्व शासकों ने किये हैं उस नाते नहीं है और बाद का हमने किया है पर उसका हम कन्ट्रोल नहीं कर पाते इसलिए जिम्मेदारी नहीं है। हम उसकी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकते, वहन करने को तैयार भी नहीं।

मैं कहता हूं कभी भी सामूहिक रूप से राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया और विचार नहीं किया, यह इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान का सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। इस पर कन्ट्रोल करने वाली कोई एक हाइएस्ट एजेन्सी नहीं है। कोई यह इन्वेस्टमेंट अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है; इस मामले की मीमांसा और जांच और देख-रेख करने वाली कोई मशीनरी नहीं है।

मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं। सरकार ने कई इन्डस्ट्रीज में शेयर खरीद

(श्री भैरोंसिंह)

रखते हैं। हर साल उनकी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आती है, बैलेन्स शीट आपको दी जाती हैं। अब आप बताइये कि आपके पास कौन सी ऐसी एक एजेन्सी है जो यह बता सके और कह सके कि जिस जिस में आपने अपना पैसा लगा रखा है उसके बारे में कह सकें कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्या रिटर्न हमें दे रहा है ? उस इन्डस्ट्री का काम किस तरह से चल रहा है कितना डिविडेन्ड दिया है, कम दिया है तो क्यों दिया, कहीं खर्चा बढ़ा कर तो नहीं बता रहा है। मुनाफा और किसी तरह से तो हज़म नहीं हो रहा है। नफे को घाटे में तो नहीं बता रहा है और इस खर्चे को और अव्यवस्था को कन्ट्रोल करने का हमारे हाथ में भी कुछ है या नहीं। हम भी सलाह दे सकते हैं या नहीं, या इफेक्टिवली कह सकते हैं या नहीं ?

हमारी बदकिस्मती का खेल यहीं समाप्त नहीं होता, आगे चलता है। हमारे प्रतिनिधि इनमें जाते हैं। वे अक्सर मीटिंगों को जो महत्वपूर्ण मीटिंगें होती हैं, अटेन्ड नहीं करते और मीटिंगें कोई अटेन्ड करते हैं तो दावतों की मीटिंगें अटेन्ड करते हैं, वे नहीं चूकते थे। तो इस तरह से उन मीटिंगों में इनका कोई वेल्यूएबल कन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। उनको यह तक पता नहीं रहता कि किस इन्डस्ट्री के किस मद में गये साल कितना खर्चा था और इस साल कितना खर्चा उन्होंने बताया है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि मशहूर पोद्दार साहब की मिल जयपुर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स लिमिटेड की शुरू से लेकर आज तक की एन्युअल रिपोर्टों को मैंने स्टडी किया है। स्टडी करने पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारी सरकार के इन प्रतिनिधियों को यदि कोई अयोग्यता का सर्टीफिकेट दिया जावे तो इसमें जो रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ थे उनको निश्चित रूप से वह अवार्ड दिया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को पूछने की आवश्यकता नहीं। गवर्नर की लिस्ट लेने की आवश्यकता नहीं। मंत्री महोदय को भी पूछने की आवश्कता नहीं। यह तो मामूली सी चीज़ है।

इस मिल में जो हमारे अब तक रिप्रेज़ेन्टेटिव रहे उन्होंने कितना कन्ट्रीब्यूट किया इस मिल के रिटर्न के बारे में, वह डिविडेन्ड दे इस बारे में, अनुनेसेसरी एक्सपेन्डीचर शो नहीं करे, इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया। कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा तो उसमें किया होगा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को कितना पैसा दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कितना पैसा दिया जाय। पर मिल की हालत सुधरे और शेयर सरकार के हैं उनका पूरा डिविडेन्ड मिले, इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया।

यह उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है। गये साल में उसने मिस्लेनियस एक्सपेन्सेज़ किया १,१४,८४६, और इस वर्ष किया है २,६४,०००, ।

इसी तरह गये साल उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने आज के दो साल पहले भी कहा था और गये साल भी कहा था कि इस कम्पनी की हालत धीरे धीरे सुधर रही

(श्री भैरोंसिंह)

है। यह घाटा प्रोफिट में बदलने जा रहा है। पर इस कम्पनी में गये साल ३ लाख ६ हजार बैलेन्स था और इस साल बैलेन्स जो था मुनाफे का वह उससे इस साल कम हो गया। १॥ लाख कम हो गया।

एक तरफ बैलेन्स घटता जा रहा है, एक्सपेन्डीचर बढ़ता जा रहा है। झूठे खर्चे, झूठे वेजेज़, झूठी सैलरियां बता कर यह कम्पनी किस प्रकार घाटे में चले इसकी व्यवस्था की जाती है। आप चाहें तो इस मिल को ले लीजिये, आप चाहें तो सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी ले लीजिये जिनमें आपके शेयर हैं। आपने कभी इस बात की चिन्ता की कि जिनके हाथों में इनका मैनेजमेंट है उन्होंने उनमें अपने कितने रिश्तेदारों को पाल रक्खा है। उनका एक रिश्तेदार जिसकी मैट्रीकुलेट की योग्यता हो सकती है वह एल. डी. सी. से अधिक योग्य नहीं हो सकता आप उसको एल.डी.सी की सैलेरी से अधिक नहीं दे सकते, पर वह वहां पांच सौ रुपया मासिक पाता है। बंगला और मोटरगाड़ियां उनको मिली हुई है। टेलीफोन लगे हैं और इस तरह से सारे खर्चे आपके इस शेयर मनी पर पड़ता है, शेयर होल्डरों पर पड़ता है, जिन्होंने हमारे शेयरों के कारण उसमें इन्वेस्ट किया है। आज हम उस खर्चे को नहीं बचा सकते। बल्कि उन शेयर होल्डरों को खत्म करने को तैयार हैं। प्लान्ट वे में सरकार के कोलोबोरेशन से, सरकार की कनाइवेन्स से रामनाथ पोद्दार ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि उनके शेयरों की वेल्यू गिर जावे। उसने इस तरह से शेयरों की वेल्यू गिराकर बाकी शेयर होल्डरों के शेयर खरीद कर जब अपना वर्चस्व वहां बनाने की स्थिति पैदा कर ली तो मोहन लालजी सुखाड़िया, चीफ मिनिस्टर, कहना चाहते हैं कि हम अपने शेयर मनी को लोन में कन्वर्ट करके अपने इन्वेस्टमेन्ट को सेफ करना चाहते हैं। वे साढ़े पांच लाख रुपया का साढ़े सात लाख डिविडेन्ड तो पसन्द करेंगे, क्यों ? आज जब अनऑथोराइज्ड एक्सपेंसेज़ करने पर अंकुश लगने की स्थिति आई और मिल प्रोफिट देने की स्थिति में आई तो आपको अपने शेयर मनी को लोन में कन्वर्ट करके उसके प्रोटेक्शन की बात सूझी है। मैं मुख्य मंत्री पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने साढ़े पन्द्रह लाख रुपये के शेयर जो जयपुर स्पिनिंग मिल में लगा रक्खे हैं वे सुखाड़ियाजी पोद्दार का पक्ष लेकर पहले साढ़े सात लाख तो उन्होंने फोरगो करवा दिया और अब शेष रकम को लोन में कन्वर्ट करा रहे हैं। शेयर की वेल्यू पूछने को कलकत्ता और बम्बई के बुलियन एक्सचेन्जों से राय मांगी है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता और ये राय मांग रहे हैं उनसे। आपने एक अमाउन्ट फोरगो किया उसके कारण शेयर की कीमतें बढ़ गई तो उसकी एवज में लोन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है ? राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ वे कर रहे हैं। राजस्थान के अन्दर वे इन पोद्दारों का जो किसी इन्डीवीजुअल नाम पर यहां आते हों, भाई-भतीजों के नाम पर आते हों, इन्डस्ट्रियल एम्पायर क्रिएट कराना चाहते हैं। दो करोड़ जनता की कमाई से प्राप्त धन के

(श्री भैरोंसिंह)

बलबूते पर ये पोद्दार एम्पायर कायम करना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीजी के कन्नाइवेन्स से यह बन रहा है उसका विरोध करना चाहिये। जब इसकी इन्क्वायरी के लिये ऑर्डर्स इश्यू होते हैं तो उन ऑर्डर्स की कम्प्लायेन्स नहीं होती। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा और राज्य सरकार के सामने सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जितना भी इन्वेन्टमेंट हमने कर रखा है वह सारा इनवेस्टमेंट एक सेन्ट्रल एजेन्सी की मार्फत गवर्न होना चाहिये। एक एजेन्सी जो सारे इन्वेस्टमेंट को देखे, जितना भी ऑडिट रिपोर्ट आती हैं उनको देखे, जितनी भी बैलेन्स शीट आती हैं उनको देखें और एक एक आइटम की माइन्यूट स्टडी करके इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं ऐसी कम्पनी में जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है वह फर्जी हिसाब देकर या गलत अकाउन्ट बता कर जान-बूझ कर घाटा तो नहीं बताते हैं। लेकिन हम उसकी रोक-थाम नहीं कर सकते और उसका परिणाम यह है कि हम हर दम घाटे में चलते रहते हैं।

सभापति महोदया, राजस्थान में इन्डस्ट्री का काम ४ तरह से चलता है। एक तो फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन की तरफ से एड देकर या लोन देकर, दूसरे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कोर्पोरेशन की तरफ से एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से। और चौथे और भी स्टेट एन्टरप्राइज़ेज की तरफ से होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। फाइनेंशियल कोर्पोरेशन लोन देता है और हर साल उसमें घाटा होता है उसको हमें मीट करना पड़ता है। उसमें सबवेन्शन के रूप में हमें रकम देनी पड़ती है और वह काफी बड़ी रकम देनी पड़ती है। इस साल मुनाफा होने की संभावना है लेकिन हमने अब तक काफी रुपया दे दिया और हमारी सरकार कहती है कि हमने राजस्थान में औद्योगीकरण की नींव डाल दी है। फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन वाले कहते हैं कि लोन लेने वाले नहीं हैं इसलिए घाटा हो रहा है। अब दोनों के स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है तो वह इसलिए है कि हमारे यहां राजस्थान में इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स को सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इस तरह की कि जैसे पिछली साल बिजली कम हुई और उसके कारण से इन्डस्ट्रियेलिस्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज इन कारणों से इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स को रिटर्न नहीं मिलता है। तो सरकार ने इसकी मिनिमम सिक्योरिटी भी उनको नहीं दे रखी है कि यदि कहीं पर इवेन्चुएलिटी आ जाये या कोई संकट आ जाये तो उसको मीट कर सके। हमारी सरकार इनको मीट नहीं कर पाती है।

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज का काम तो सुधर चुका है और इसलिए सुधर चुका है कि हमारे यहां के एक मंत्री महोदय की बीबी को उसका सदस्य बना दिया गया है। अब लोगों को कोटा लेने में, दर्ख्वास्त देने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि वह बहुत समझदार हैं। आज तक उनके पुरखे भी इन्डस्ट्रीज चलाते आये हैं और वह इतने एक्सपीरिएंस्ड हैं कि किसी कॉलेज

(श्री भैरोंसिंह)

में जाने की जरूरत नहीं है, वह तो अपने आप में एक्सपर्ट हैं, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं और खास तौर से मन्त्री महोदय से कि आपने अपनी एक साथी की बीबी को जो इन्डस्ट्रीज़ कोर्पोरेशन का मेम्बर बनाया उसकी क्वालीफिकेशन्स क्या है, सिवाय इसके कि वह मंत्री की क्या पत्नी है ।

(हंसी)

मंत्री की पत्नी हैं । इसके सिवाय उनकी क्वालीफिकेशन्स और क्या हैं ?........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कौन है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उन्हीं से मालूम कर लो ।

इनसे पूछ लो कि नव-विवाहित कौन हैं ? पुरानों को नहीं बनाया जा सकता । ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का काम तो चल रहा है । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जिक्र नहीं करना चाहता, वह तो ऐसा डिपार्टमेन्ट है कि जिस पर रोज बहस होती है और स्टेट एन्टरप्राइज़ के बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी रिपोर्ट है वह हमारे सामने हैं । इन सारी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन से हमें जितना लाभ होना चाहिए वह नहीं है, फाइनेन्स कोर्पोरेशन से हर साल घाटा होता है, डिपार्टमेन्ट केवल एक सुपरवाइज़िग ऑथोरिटी है । स्टेट एन्टरप्राइज़ घाटे में चल रहा है, अब किस आधार पर यह मानकर चला जाये कि राजस्थान में औद्योगीकरण से सरकार को कुछ लाभ हो रहा है । आज हमने कोई इन्डस्ट्री कोटा में खोल दी, उदयपुर में खोल दी, कोई भीलवाड़ा में खोल दी, हमने रॉ मैटीरियल के स्थान पर ऐसी इन्डस्ट्रीज़ को खोलने का प्रयास किया है लेकिन हमारे राजस्थान में २६ जिले हैं क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि कौन कौन से जिले ऐसे रह गये जिनमें किसी प्रकार की भी इन्डस्ट्री नहीं है । कौनसी इन्डस्ट्री चालू की जा सकती है, आपने इसकी कोई चिन्ता नहीं की । लेकिन मुझे याद है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितने भी यहां पर भाषण हुए हैं उन सारे भाषणों में सीकर जिले का बराबर उल्लेख आया कि सूती मिल रींगस में लगेगा, नीम के थाने में सीमेन्ट फैक्टरी लगेगी, सीकर के अंदर वूल का कारखाना चालू होगा, इसका भी उल्लेख आया । लेकिन अफसोस इस बात का है कि सीकर जिले से ७-७ कांग्रेसी सदस्य चुन कर आये और जिस समय हम थे उस समय सरकार ने इसको मन्जूर किया और जब सीकर जिले से सारे कांग्रेसी सदस्य जीत कर आये तो तीनों ही कारखाने समाप्त हो गए । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर सीकर जिले ने क्या अन्याय किया ? क्या कांग्रेस के सारे जीत कर आये इसका ही यह परिणाम है कि जो इन्डस्ट्रीज़ खुलनी चाहिए थीं वे समाप्त कर दी गई ।

सभापति महोदया, राजस्थान में तो इन्डस्ट्रीज़ चले या नहीं, लेकिन एक इन्डस्ट्री

(श्री भैरोंसिंह)

निश्चित रूप से चलती है उस इन्डस्ट्री का नाम है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ कोटा इन्डस्ट्रीज़। वह खूब जोरों से पनप रही है, खूब चल रही है। अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें सदन के सामने रखीं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारी सरकार कोटा देने में किस प्रकार का पक्षपात करती है। सन् १९६१-६२ में कुछ लोगों ने इसकी जांच की कि जिन इन्डस्ट्रीज़ को कोटा दिया जाता है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं होता है। जांच की गई इसकी और जांच करने के बाद में सरकार को रिपोर्ट दी गई। एक एक इन्डस्ट्री का नाम बताया गया कि कितना कोटा अलॉट हुआ था और कितना उसका मिस-युटिलाइजेशन हुआ। इसके फीगर्स दिए गए और यहां तक कहा गया कि प्राइमाफेसी एवीडेन्स केस बनाने की है, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं मैसर्स मुरलीधर झुंझुनू वाले का। बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है, नाम भी बहुत बड़ा है, एप्रोचेज़ भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो इनको कोटा मिलता है उसके बारे में मैं २-३ पैराग्राफ्स आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"Out of the G. I. Wire the party has brought 200 tons wires only (according to the statement furnished by the party) and as such the balance quantity of wires mis-utilised.

This material has been mis-utilised against the import licences issued from Dy. Iron & Steel controller, Bombay to the Party"

इसके बारे में रिपोर्ट में यह लिखा गया कि इनका एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट में चालान किया जाये। कोटा मिला है कुल मिलाकर-मैं जोड़ तो नहीं लगा सकता लेकिन ३१-१०-६० तक इसने इम्पोर्ट किया है ४८० टन वायर ३ लाख ८४ हजार का, फिर ४८० टन वायर ३ लाख ८४ हजार का, ३८० टन इन्डस्ट्रियल स्क्रैप १ लाख ५२ हजार का, १९० टन ७६ हजार का, १४८ टन टिन प्लेट १ लाख ७० हजार का, १४८ टन टिन प्लेट १ लाख १८ हजार ४०० का। यह सारा कोटा लिया। इस कोटा में जिस जिस काम के लिए उन्होंने कोटा लिया उसके अन्दर उसका मिस-युटिलाइजेशन हुआ। इसे मैं नहीं कहता, लेकिन जिस इन्सपेक्टर ने इसकी जांच की है उस इन्सपेक्टर ने कहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाये। मुरलीधर झुंझुनू वाले अकेले हों तो काम चल जाये :

"The party has not submitted the proof of despatch of the raw material inspite of asking about the same by the Dy. Controller, Bombay."

दूसरी, जयपुर साइकल एण्ड प्लेट इण्डस्ट्रीज़ है। इसके बारे में भी यही स्थिति है। इसने चार फैक्ट्रीज़ चालू कर रखी हैं। जयपुर साइकल एण्ड पार्ट्स कम्पनी, एक्सल इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर, वायर नैटिंग इन्डस्ट्रीज़ और चौथी है जयपुर ऑटोमो-

(श्री भैरोंसिंह)

बाइल इन्डस्ट्रीज । इसके बारे में भी वही रिपोर्ट है :

"It is to be seen that different categories of iron and steel has been received for the manufacture of various parts of Cycles, while the party has got no machine and skilled labour or Engineer to materialise the schemes.

The party has received material in different categories against release orders released from the Dy. Iron and Steel Controller, Bombay for which no proof of despatching the material from Bombay has been produced in spite of the orders of Dy. Iron and Steel Controller, Bombay.

"Original records have been collected from Dy. controller's office, Bombay. On the basis of the record collected so far commission of offence under sec. 3/7 Essential Commodities Act, is made out."

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट किसकी लिखी हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : कोई एक सब-इन्सपेक्टर की है ।

श्री चन्दनमल वैद : जिसका हवाला श्री ज्वालाप्रसादजी दे रहे थे उसी का हवाला आप दे रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे पता नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जी हां, वही है । अब बताइये क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मामला वही है जो श्री ज्वालाप्रसादजी ने उठाया है ?

आपने अपनी याददाश्त से लिखा है या किसी की लिखी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जिससे कि जांच करवाने में सुविधा हो ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है इस बात का कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है । आप यह कह दें कि इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कहिये ।

श्री भैरोंसिंह : कहिये ।

श्री चन्दनमल वैद : यह रिपोर्ट कितनी बड़ी है, कैसी है, कितने पेज की है और आप कहां से पढ़ रहे हैं वह मैं नहीं कह सकता हूं । मेरे कर्त्तव्य के सिलसिले में सैकड़ों रिपोर्टें आती हैं । कौन सी पढ़ता हूं और कौन सी नहीं पढ़ता हूं और कितना पोर्शन पढ़ता हूं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किसकी है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे खुशी है कि रिपोर्ट बहुत आती है आपके पास और आपको याद नहीं है कि कौन से पोर्शन में क्या लिखा है। इसके लिए मैं आपका इलाज नहीं करना चाहता । पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उप-मन्त्री महोदय, आप तो यह

(श्री भैरोंसिंह)

कहें कि मुरलीधर भुंभुनूवाला और जिस फर्म का मैंने नाम लिया है, जयपुर साइकल इन्डस्ट्रीज, उन्होंने कोटे का मिसयुटिलाइजेशन किया है, यह तथ्य आपके सामने आया या नहीं ? यह कहिये जाने दें रिपोर्ट को।

श्री चन्दनमल वैद : मैं माननीय सदस्य को स्कूल मास्टर नहीं मानता हूं कि खड़े होकर जवाब दूं कि है कि नहीं। मिनिस्टर साहब अपने जवाब में बतायेंगे। मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं तो आप नाराज क्यों होते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : नाराज नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि राजस्थान की नाव ऐसे मंत्री डुबोएंगे जिनको कि कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं बहुत खुश हूं।

श्री चन्दनमल वैद : मैं योग्य हूं या अयोग्य हूं, तो मेरी अयोग्यता की तो यही गारन्टी है कि....

श्री भैरोंसिंह : आप योग्य हैं, इसकी मैं आपको चुनौती नहीं देता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : मेरी अयोग्यता का तो यही सुबूत है कि मैं भी आपकी तरह से तीन बार इस विधान सभा में चुनकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप योग्य हैं, कम से कम इस नाते मुझे योग्य तो माना है। इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह मैं नहीं कहता कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जो एक दफा आया है यह क्या अयोग्य हो गया क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आप भी योग्य हैं तीन बार आ चुके हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे छोड़िये। मैं अपने भाइयों के लिए कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर साइकल की यह हालत है। अब एक इन्डस्ट्री और है राजस्थान साइकल एण्ड पार्ट्स इन्डस्ट्रीज। अब इसके बारे में यह कहा गया है :—

"The party has received material against release orders released by the Dy. Iron and Steel Controller, Bombay and the same has been mis-utilised".

Bharat Wire Producers- The party has received material against Release Orders released from Dy. Iron and Steel Controller, Bombay and the same has also been mis-utilised."

"Auto Engineering-Scrap industrial sheet cuttings, for the manufacture of knives for chaff cutter machines but the same was mis-utilised".

अब दूसरी ओर है जिसके बारे में खास तौर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह है किशन एण्ड सन्स :

(श्री भैरोंसिंह)

"The party has got no factory at Bharatpur. The material obtained for the purpose for which it was issued not utilised."

"Material received against quota certificates, release orders, adhoc allotment, local permits etc, etc, is under enquiry."

"A huge quantity of iron and steel quota has been obtained by the party and the same was mis-utilised."

"Previously when enquiries were conducted against this party the reply was that he has not received any material. Just to save himself from the allegation that he obtained iron and steel quota without any factory, he, with the collusion of Directorate, Industries Officers has tried to deceive the Dy. Iron and Steel Controller as well as other Government officers pertending that he has shifted his factories at Jaipur."

यह भी मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को जानकारी इसकी होगी । आप इन्ड-स्ट्रीज़ की जांच नहीं कराते हैं यह समझ में नहीं आया, लेकिन जिन्होंने डिपार्टमेंट के कनाइवेन्स से और डिपार्टमेंट के कॉल्यु-जन से जिन्होंने इस तरह से धोखा दिया कि भरतपुर की फेक्टरी जयपुर में ले आये । भरतपुर में फेक्ट्री नहीं, जयपुर में फैक्ट्री नहीं और वह लगातार कोटा प्राप्त कर रहा है । इसमें डिपार्टमेंट का कॉल्यूज़न का, किस किस का अपराध है और किस किस के लिए जांच की है, यह जांच आप नहीं कर रहे हैं ।

इसी तरह से दूसरी शारदा इन्डस्ट्रीज़ है । इसके अन्दर भी गडबड़ है । राजस्थान साइकिल इन्डस्ट्रीज है इसमें कोटे की गड़बड़ है । आप कहेंगे कि मामला बहुत पुराना है । दो-तीन वर्ष पहले के मामले हैं । मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा आप छोटे व्यापारी हैं उनका एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के अन्दर चालान करते हैं । एक पैन्सिल की दो आना कीमत है, उसके तीन आने ले लिये जायें तो उसका चालान करते हैं । एक व्यक्ति यदि दूकान के ऊपर प्राइस लिस्ट न लगाये तो उसका चालान कर देते हैं, यदि गुड़ को थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेचता है तो उसका चालान कर देते हैं लेकिन राजस्थान का लाखों रुपयों का इम्पोर्टेड कोटा लेकर खा गये उनका आप चालान नहीं करते हैं, बावजूद कि आपको रिपोर्ट दे दी जाय ।

इसके लिए मैं समझता हूं कि कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कार्यवाही कर रहे हैं । आप यही कहेंगे कि हम कार्यवाही कर रहे हैं । आप यही कहेंगे कि इस राज्य में देर है पर अन्धेर नहीं कभी न कभी पकड़ा जायेगा, लेकिन मैं जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप इस जानकारी को दबा लें, पर मैं आप से जानकारी लेने के लिए यह कर रहा हूं कि १९६२ के अन्दर रिपोर्ट पेश होने के बाद इन फर्म्स और इन्डस्ट्रीज़

Page No 109

(श्री भैरोंसिह)

को कितना कोटा दिया है, किस आधार पर दिया है और बिना एक्शन लिए क्यों दिया है और बिना एक्शन लिये दिया है तो किसने दिया है ? एक तो कोटा दिया जाय, उसका मिसयुटिलाइजेशन हो और मिसयुटिलाइजेशन की रिपोर्ट आपके सामने आ जाये, केसेज़ डिटेक्ट हो जायं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाय, कोई प्रोसीक्यूशन उनका न हो और कोटा उनको रेग्युलर मिलता रहे, तो इसके पीछे क्या कारण हैं ? मै समझता हूं कि कारण सरकार जानती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : चन्दा ।

श्री भैरोंसिंह : चन्दा भी कारण हो सकता है, और और भी कारण हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : पर्सनल ।

श्री भैरोंसिंह : कारण क्या हैं और क्यों दिया गया ? मैं उद्योग मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन फर्म्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? इन फर्म्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उनको कोटा क्यों दिया गया और आगे के कोटे की गारन्टी किस बात पर दी गई है कि कोटे का उपयोग किया है । न कोई गारन्टी है, न कोई बात है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोटी इन्डस्ट्रीज़ में पोद्दार एम्पायर कायम हो रही है और कोटे में झुन्झुनूवाला एम्पायर कायम हो रही हैं । झुन्झुनूवाला और पोद्दार एम्पायर कायम हो रही हैं । राजस्थान राज्य दो करोड़ जनता का नहीं है । राजस्थान राज्य पोद्दारों का है, राजस्थान राज्य ब्लेकमार्केटियर्स का है, राजस्थान का राज्य कोटे को लेकर ब्लेक मार्केट में बेचने वालों का है, और ब्लेक मनी को जमा करने वालों का है । इस राज्य के कर्त्ताधर्त्ता इस राज्य के मुखिया, इस राज्य के शिरोमणि वह हैं राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया; उन पर मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि इनएफिशियेन्सी चाहे आप इन्डस्ट्री में बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं कि औद्योगीकरण की नींव मैंने डाली है उस नींव में कीड़े पैदा नहीं करें । यदि इस नींव में कीड़े लग गये तो राजस्थान का विकास नही होगा विनाश होगा । मुझे मालूम है कि पिछले दिनों डाइरेक्टर ने कुछ फर्म्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखा है ।

जयपुर की फर्म्स हैं कि इनको कोटा नहीं दिया जाय । भूतपूर्व डाइरेक्टर जो चतुर्वेदी थे उन्होंने भी एक्शन लिया, जांच भी करवाई, जांच कराने के बाद सिफारिश भी की गई कि कोटा नहीं दिया जाय; लेकिन बाद में उन आॅर्डर्स में रिलेक्सेशन कर लिया गया । क्यों ? मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उसमें रिलेक्सेशन क्यों हुआ ? उसका कारण क्या है ? क्यों रिलेक्सेशन करना पड़ा ? क्या किसी दूसरे डाइरेक्टर से जांच करवाई ? चतुर्वेदीजी ने रिपोर्ट कर दी । जब आपके डाइरेक्टर साहब ने रिपोर्ट कर दी, उसके बाद क्या तीसरे डाइरेक्टर या स्पेशल टेक्निकल

(श्री भैरोंसिह)

ऑफिसर को भेजा जिसने इस बात की रिपोर्ट कर दी कि कोटे में कटौती की गई है वह नहीं की जानी चाहिए, वह कटौती नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर्स में रिलेक्सेशन किया गया। जिनका कोटा काटने की बात कही गई वह कोटा उनको मिला। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले वर्षों में जिन लोगों को कोटा मिला है, जो राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ चल रही हैं, चलाये जाने का नाम लिया जा रहा है, कोटा के नाम के ऊपर काफी रुपया कमाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब से कोटा मिला है उस समय से लेकर आज तक उस कोटे के अगेन्स्ट में कितना प्रोडक्शन हुआ कितना प्रोडक्शन होकर राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट हुआ, कितना मिसयुटिलाइज़ेशन हुआ, कितना ब्लेक मार्केटिंग हुआ उसकी जांच के लिए एक जुडिशियल कमीशन नियुक्त किया जाय ताकि सरकार को मालूम हो जाय कि हमने कोटा दिया है उसकी क्या हालत है। भारत सरकार कमीशन नियुक्त कर सकती है साहू जैन की जांच करने के लिये, बाकी इन्डस्ट्रीज़ की जांच करने के लिए, लेकिन मैं आपसे केवल एक मांग करता हूं और वह मांग...

(३.५०. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

किसी से जलने के कारण नही कर रहा हू लेकिन जिन्होंने ब्लेक मार्केटिंग किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो राजस्थान में जो आपने औद्योगीकरण का नींव डाली है उसमें जो कीड़े घुस गये हैं वे मर जायेंगे और औद्योगीकरण की नींव पर महल बनता हुआ नजर आयेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस नींव में जो कीड़े घुस गये हैं उनको निकालने के लिए कमीशन नियुक्त करिये। लेकिन यह काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी किसी का दबाव आयेगा, कभी कोई कंपनी आकर कहेगी, कभी कोई आकर कहेगा सन् ६७ का इलेक्शन आने वाला है जरा धीमे चलिए, लेकिन इसके लिए मैं केवल मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसा करेंगे तो सरकार की रेपुटेलन बचेगी, आपकी रेपुटेशन बचेगी, कोटा देने वाले और लेने वाले मरते हैं तो उनको मरने दीजिये। आप यदि बचना चाहते हैं तो इन सारी चीजों का एक ही इलाज है कि आप आज सदन में घोषणा करिये कि जुडिशियल कमीशन बैठायेंगे जांच करने के लिए। क्या आपको इसके लिए कोई जुडिशयल ऑफिसर नहीं मिलेगा, विधि मंत्री जी सिर हिला रहे हैं...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): मैं तो जुडिशियल मिनिस्टर हूं; मुझे ही कर दो, मैं कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह : मैं इसको भी मानने तैयार हूं। देखना चाहता हूं कि एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से इन्क्वायरी कराना मंजूर करते हैं या नहीं। जुडिशियल मिनिस्टर को मुकर्रर करदो तो मुझे तो ऐतराज नहीं है, लेकिन शायद आप समझते

(श्री भैरोंसिंह)

होंगे कि एक दूसरे के आस-पास बैठते हैं इसलिए एक को दूसरे के प्रति विश्वास होगा लेकिन मैं समझता हूं ऐसा नहीं है । मैं फिर मांग करता हूं कि कोटा के मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय, कमीशन नियुक्त किया जाय ताकि पता चले कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, आप जो प्रोडक्शन के फिगर्स देते हैं वे कितने सच हैं, कितने नहीं; इसकी जानकारी इन्क्वायरी की रिपोर्ट से होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा ! आप १० मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बहुत ही संक्षेप में ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में कोटा के वितरण में जो धांधली है उसकी ओर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है । उनसे पहले नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ केसेज़ इस प्रकार के इस सदन में रखे हैं इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की धांधलियों पर नहीं, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं खनिज विभाग में, स्टेट एन्टरप्राइज में, राजस्थान कुटीर उद्योग के हैं, मैं बहुत संक्षेप में सरकार की तवज्जोह उनकी तरफ दिलाना चाहूंगा । मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में औद्योगीकरण, जिसका ढोल हमारी सरकार पीटती है, पिछले १५ वर्षों से एक ही पार्टी का राज्य रहते हुए आज भी राज्य सरकार के आंकड़ों के आधार पर इन्डस्ट्रीज़ और माइनिंग के प्रोडक्शन से राजस्थान की टोटल इन्कम के मुकाबले में सवा छः परसेन्ट से अधिक आमदनी राज्य सरकार को नहीं हुई है । उद्योगों और खनिज से जितना उत्पादन होता है वह हमारे राज्य की सारी आय का २। परसेन्ट है । ये आंकड़े इस बात को प्रकट करते हैं । राजस्थान के प्राइवेट एन्टरप्राइजेज़ का क्या हाल है इसका चित्रण अभी हुआ है । स्टेट एन्टरप्राइज के जो मिनिस्टर हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके विभाग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसको पढ़ कर इस नतीजे पर आना पड़ता है कि स्टेट एन्टरप्राइज़ को प्रोफिटेबल कंसर्न बनाने में आप कामयाब नहीं हुए हैं । ६–७ उद्योग स्टेट एन्टरप्राइज़ में हैं । एक तो शुगर इन्डस्ट्री, पलाना ओपन माइनिंग प्रोजेक्ट, तीसरा एन्टरप्राइज धौलपुर की हाई टेक्ट फैक्ट्री है, डीडवाना का सोडियम सल्फेट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किये हैं । मैं सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर किसी भी क्षेत्र में यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि राजस्थान के स्टेट सेक्टर एन्टरप्राइजेज़ में सफलता मिली है सिवाय धौलपुर की हाई टेक्ट फैक्ट्री के जिसमें प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है । धौलपुर हाई टेक्ट फैक्ट्री के लिये मैं आपको बधाई दूंगा, उसकी प्रगति हो रही है । दूसरे क्षेत्र में भी इसी तरह से तरक्की होनी चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट एन्टरप्राइज़ क्षेत्र के लिये जो योजना बनाई है मैंने उसे देखा तो मुझे निराशा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हुई। मंत्रीजी कहेंगे कि हमने १५ करोड़ का प्रोजेक्ट पलाना के लिये तैयार करवाया है और रशियन एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी है कि १५ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब ओपन कास्ट माइनिंग का प्रोजेक्ट पूरा होगा और १ लाख किलोवाट की क्षमतावाला थर्मल बिजलीघर पलाना में हो सकता है लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो बनाई है उसमें १५ करोड़ का हवाला पलाना के लिये नहीं है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करें क्योंकि यह रुपया सोवियत रूस से उधार मिलने वाला है इस कारण से पलाना प्रोजेक्ट को साथ में नहीं जोड़ा है या और किसी कारण से नहीं जोड़ा है उसका स्पष्टीकरण चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान की प्राइवेट इन्डस्ट्रीज के विकास का प्रश्न है, प्राइवेट इन्स्ट्रीज की छोटी छोटी मांगें हैं वे सालों तक यों ही अनअटेन्डेड पड़ी रहती हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं संक्षेप में बीकानेर के इन्डस्ट्रियल एरिया के बारे में जो वहां के कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। १७७ एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया का एक्सटेन्शन करने के लिये डेढ़ दो लाख रुपये रोड्स के विस्तार के लिये, पॉवर कनेक्शन के लिये चाहियें जिसमें २० युनिट्स ले पायेंगे। ये कागजात साल भर से पेन्डिंग हैं, लेकिन उनकी ओर कोई तवज्जोह नहीं है।

बीकानेर में भाखरा की बिजली आ गई। हम उम्मीद करते थे कि लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी लेकिन इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर जो पॉवर मिनिस्टर भी है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो शर्त इन्डस्ट्रीज पर आपने लगाई है कि १ हॉर्स पॉवर के लिये बिजली लें तो उनको ३० युनिट बिजली की खपत की गारन्टी देनी पड़ेगी तब उनको बिजली मिलेगी। इसका वास्तविक नतीजा यह हुआ है कि आज बीकानेर में भाखरा की बिजली उनको २) युनिट के हिसाब से मिलती है क्योंकि जितनी उनकी कैपेसिटी है उसमें वे ३० युनिट बिजली की खपत नहीं कर सकते, लेकिन आपकी शर्त के माफिक उनको ३० युनिट बिजली की कीमत मिनिमम देनी पड़ती है। इसका नतीजा यह है कि जो गारन्टी देते हैं ३० युनिट की वे इतनी कन्ज्यूम नहीं कर पाते हैं इसलिये उनको २) युनिट बिजली पड़ती है और २) युनिट देकर कोई भी इन्डस्ट्री नहीं चल सकती। कोटा की फिनाइल फक्ट्री को आप ३ पैसा पर युनिट के हिसाब से बिजली देने को तैयार हैं। राजस्थान में सैकड़ों इन्डस्ट्रीज कोटा में भी लगी हैं, उनकी बिजली चाहे आप काट दे लेकिन डी. सी. एम. की फेक्ट्री बिजली को रॉ मेटीरियल की तरह से कन्ज्यूम कर रही है, राजस्थान सरकार सैकड़ों इन्डस्ट्रीज को बंद कर सकती है, लेकिन भरतराम चरतराम की इन्डस्ट्री चलनी चाहिये, चाहे बाकी इन्डस्ट्रीज जहन्नुम में जायं उसकी इनको परवाह नहीं है। इसलिये मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप बाकी इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दे, डी. सी. एम. फैक्ट्री का प्रॉडक्शन ६ महीनों तक बंद रहता है तो क्या होगा ?

(४, म० प०)

दो सौ आदमी, उनके सवा सौ आदमी बेकार रह जाते, उन सवा सौ में से सौ आदमी बाहर के हैं और पच्चीस मुश्किल से राजस्थान के होंगे। इसके विपरीत जहां पर छोटे छोटे सौ उद्योग बन्द किये तो उससे हजारों मजदूर इन छोटे छोटे कारखानों और छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज के बेकार हुए क्योंकि उनकी पॉवर की सप्लाई कट की गई । यह इस बात का इशारा है कि हमारी सरकार के सामने जहां बड़े उद्योगपतियों का और छोटे उद्योगपतियों का प्रश्न आता है तो वह हमेशा बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ देती है, लोन्स के सम्बन्ध में, गारन्टी के सम्बन्ध में और पॉवर की सप्लाई के सम्बन्ध में उनका साथ देती है। पॉवर की सप्लाई उनको उस रेट पर की जाती है, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सस्ती है। उससे भी कम दर पर उनको पॉवर सप्लाई की जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में सारा मन्तव्य, सारा दृष्टिकोण में एक मूलभूत परिवर्तन करना होगा। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के अन्दर यदि पांच सात टैक्सटाइल मिल्स लग जायं तो राजस्थान का औद्योगीकरण बढ़ जायगा । राजस्थान का औद्योगीकरण तब होगा जब राजस्थान में जो सारा रॉ मेटिरियल है वह फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस हो ।

राजस्थान ऊन और तिल का विशेष रूप से उत्पादन करता है लेकिन मन्त्री महोदय, राजस्थान का तिल बाहर जाता है। हम राजस्थान के अन्दर ऑइल और ऑइल सीड क्रशिंग फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं । हमारे यहां का तिल बाहर जाता है और उसका तेल बाहर निकलता है । इसी तरह राजस्थान का दूसरा रॉ मेटीरियल है ऊन । वह भी बाहर जाती है और बाहर जाकर फिनिश्ड गुड्स में उसका उत्पादन होता है। इसलिए राजस्थान का जो उत्पादन है, राजस्थान का जो रॉ मेटिरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में राजस्थान में कन्वर्ट करें, यह दृष्टिकोण राज्य सरकार को अपनाना चाहिए । क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं अधिक आंकड़ों में नहीं जा सकता कि राजस्थान में कितनी ऊन का उत्पादन करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी यहां रहती है; इसी तरह से राजस्थान में कितने तिल का उत्पादन करते हैं, कितने तिल का बाहर तेल निकलता है। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर निगाह रखना और जो फाइनेन्स कॉर्पोरेशन है उससे दस हजार और बीस हजार के लोन्स दिया जाना–इससे ही औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती और न राजस्थान की बेकारी को दूर किया जा सकता है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज एक बड़ा उद्योग लगाने में जहां पचास हजार के पीछे एक आदमी को रोजगार मिलता है वहां छोटे उद्योग के अन्दर दो हजार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रुपये के पीछे एक आदमी को रोजगार मिलता है। आप राजस्थान में क्या चीज करना चाहते हैं ? क्या दो हजार रुपये छोटे उद्योग के लिए देकर एक आदमी की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं या बड़े बड़े उद्योग में पचास हजार के पीछे एक आदमी को रोजगार देने की व्यवस्था करने के लिए लोन देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी जो इन्डस्ट्रियल पालीसी सरकार की है, इसमें मैं मूलभूत परिवर्तन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन हैं हम उनको एक तरह से रिओरियेन्ट करें जिससे वह छोटे छोटे उद्योगों को लोन दे और राजस्थान में बड़े बड़े उद्योगों के लिये लोन देना बन्द कर दें। मेरा निश्चित मत है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत सरकार का फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन दिल्ली में है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह लोन उससे लेंगे और राजस्थान में हमने जो इन्डस्ट्री खोलने की पृष्ठ-भूमि तैयार कर दी है, उसमें निश्चित रूप से वह उद्योग लगायेंगे। लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री यह कहते हुए नहीं थकते कि हमने इन्ड-स्ट्रीयलिस्टस के खिलाफ कोई बात की तो राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल विकास रुक जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियेलिस्टस की लल्लोचप्पो करने से, उनको राजी करने से, उनको रिसीव करने के लिए राजस्थान के मुख्य मन्त्री और योजना मन्त्री के स्टेशन जाने से कुछ नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना, मन्त्री) : मैं नहीं जाता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप भी गये थे। एस० पी० जैन को रिसीव करने के लिए गये थे। मैंने खुद ने आपको देखा है। मुख्य मन्त्री जी........

श्री मथुरादास माथुर : कहां पर ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : १९६२ में हम लोग यहां आये थे, तब उनको टी-पार्टी दी श्री रामबाग पैलेस में, उस दिन सुबह आये थे तो आप और मुख्य मन्त्री दोनों रिसीव करने के लिए गये थे।

श्री मथुरादास माथुर : उस दिन तो खाने पर भी मैंने बुलाया था। क्या मतलब है इसका ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह अलग बात है, खाने पर बुलायें या खाने पर जायं। लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री और योजना मन्त्री किसी उद्योगपति को रिसीव करने के लिए जायं, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के लिए शोभनीय बात नहीं है। आप अपने नेताओं को देखिये, पंडित जवाहरलाल किसी उद्योगपति को रिसीव करने के लिए नहीं गये, जी० डी० बिड़ला को रिसीव करने के लिए नहीं गये। वे खुद उनके यहां आते थे।

उनके उदाहरण की आप नकल कीजिये। मैं जानता हूं कि आपकी मज-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दूरियां हैं। खैर मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। छोटे और कुटीर उद्योगों के प्रति जो राजस्थान सरकार का रवैया है मैं उनकी तरफ एक मिनट इशारा करना चाहता हूं। जो खादी की सहकारी समितियां बनती हैं उनको आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कह देता है कि आपकी मेग्जिमम क्रेडिट लिमिट यह है, अगर आपकी पच्चीस हजार की शेअर कैपीटल है तो आपकी मेग्ज़िमम क्रेडिट लिमिट दो लाख तक हो जायगी और आपका विभाग दो लाख से ऊपर नहीं देता है। परन्तु पांच आदमी अपने आपको एक सोसाइटी में कन्वर्ट कर लें और एक ऑडिनरी सोसाइटी बना कर उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर में रजिस्टर करा लें तो राजस्थान सरकार और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उन्हें सात लाख, दस लाख देता है, जब कि उनके पास कोई पूंजी नहीं होती है। उन बिना पूंजी वाले सात, आठ, दस आदमियों की सोसाइटी को दस लाख का लोन खादी ग्रामोद्योग कमीशन दे देता है। इसके विपरीत एक सहकारी समिति है जिसमें पच्चीस आदमी हैं और पचास हजार रुपये की शेयर कैपीटल है उसको दो लाख रुपये से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी समिति के प्रश्न पर मेग्ज़िमम क्रेडिट लिमिट इस प्रकार क्यों हो जब कि हम खादी ग्रामोद्योग कमीशन या बोर्ड दस का लाख लोन दे सकता है ? तो लोन और क्रेडिट के विषय में पूंजी को देखते हुए, मेरी समझ में नहीं आता कि खादी सहकारी समिति के साथ इस प्रकार भेदभाव का व्यवहार क्यों किया जाता है, इसके अंदर क्या सैद्धान्तिक आधार हो सकता है !

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बुनकर हैं, जो मसहरियां बनाते हैं कोटा के अन्दर, इनके साथ क्या हुआ है। अभी जो नया फाइनेन्स एक्ट आया है, उसके अनुसार पहले जो कन्सेशनल रेट पर कच्चा माल खरीदते हैं, पहले एक पर्सेन्ट के ऊपर कच्चा माल खरीद सकते थे अब वह रियायत खत्म कर दी गई है और जो ऑडिनरी सेल्स टैक्स है वह दो दो पर्सेन्ट से छः पर्सेन्ट है, ७ पर्सेन्ट है। उस सारे सैल्स टैक्स को देने के बाद बुनकरों के लिए लाजिमी कर दिया गया है उनको भी साधारण व्यापारियों की तरह पूरा सैल्स टैक्स देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, अगर हमने बुनकरों पर यह प्रावधान लागू कर दिया तो बुनकर समितियां खत्म हो जायेंगी और राजस्थान में बुनकर उद्योग समाप्त हो जायगा। इसलिए जो दृष्टिकोण राज्य सरकार का खादी के प्रति है, छोटे उद्योगों के प्रति है, मैं समझता हूं, कि वह सन्तोषजनक नहीं है और बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के प्रति राजस्थान की नीति के अन्दर मूलभूत परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष।

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मन्त्री,) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजकीय उद्योग का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल मे माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों की

(श्री मथुरादास माथुर)

ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रगट करता हूँ । राजकीय उद्योग राजस्थान में शिशु अवस्था में है । इसके लिए कोई भी सदन का सदस्य इन्कार नहीं कर सकता कि हमें हल्के हल्के राजकीय उद्योगों को बढ़ाना है । उनको ठीक तरह चला कर राज्य की आय को ही नहीं बल्कि समाज के अन्दर नया दृष्टिकोण बनाना है। इस सिलसिले को लेकर जो कुछ भी सदन में राजकीय उद्योग के बारे में कहा गया मैं अदब से कुछ बातें उसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं ।

सबसे पहले पलाना के बारे में; जहां पर कोयले और लिग्नाइट की हमारी खान है, उसके अन्दर ओपन कास्ट माईनिंग करने के बारे में फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर धनराशि रखने के बारे में जो प्रश्न उठाये गये, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जो इस विषय पर बोले हैं कि सरकार इस मामले में पूरी जागरूक है और हम बराबर गत बारह महीनों से इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी पलाना के अन्दर ओपन कास्ट माईनिंग शुरू हो और उसके आधार पर वहां पर एक थर्मल पॉवर स्टेशन बने । इस विचार को लेकर राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जो हमारे यहां पर देश के विशेषज्ञ हैं, उनको रख कर जो घोष कमेटी के नाम से कहलाई जाती है, उस कमेटी ने पलाना लिग्नाइट ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दी थी, जिसको माननीय सदस्यों में से बहुत से पढ़ चुके हैं । इस रिपोर्ट को देने के बाद में योजना और प्लानिंग कमीशन की यह राय रही है कि इसका एक दफा और चैक अप होना जरूरी है क्योंकि कोस्ट ऑफ माइनिंग जितनी चीप होगी, जितनी सस्ती होगी उतनी ही कोस्ट ऑफ पॉवर चीप होगी । इसलिए इस बात की खोज की गई कि किनसे इस काम को करवाया जाय। दुनियां में तीन-चार मुल्क ऐसे हैं जहां पर जिस प्रकार का हमारे यहां लिग्नाइट कोयला मिलता है, वह वहां मिलता है, ईस्ट जर्मनी और सोवियत रूस, और रूमानिया और चैकोस्लोवेकिया-इन मुल्कों में भी ऐसा लिग्नाइट कोयला मिलता है । इसलिए मैं भी, राज्य सरकार के खर्च पर नहीं, इन दोनों मुल्कों में गया और वहां जाकर विशेषज्ञों से बात करने के बाद, भारत सरकार के विशेषज्ञों से बात करने के बाद एक रशियन टीम को यहां पर इन्वाइट किया गया । वे यहां पर आये और करीब १।। महिने यहां पलाना में रहे और घोष कमेटी के आधार पर और अपनी खुद की इन्वेस्टीगेशन के आधार पर १।। महीने रह कर उन्होंने देखा और अपनी रिपोर्ट दी जिसकी एक कॉपी इस वक्त मेरे पास में है । उन्होंने अन-ऑफीशियल रिपोर्ट की कॉपी तो यहां पर हमें दे दी थी और ऑफिशियल रिपोर्ट वे एजेन्सी के मार्फत हमारे पास भेजेंगे । वह रिपोर्ट हमारे पास आवेगी, उसके आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि उसकी चर्चा हमारी मिनिस्ट्री में होकर आगे कदम उठाया जावेगा । इसलिए जब तक ओपन

(श्री मथुरादास माथुर)

कास्ट माइनिंग टैक्निकली और इकोनोमिकली फिज़िबल नहीं हो और जब तक इस बात की सर्टेन्टी नहीं हो कि इसमें कोयला २० साल या २५ साल तक चल सकेगा और निकलता रहेगा तब तक इसमें करोड़ों रुपया लगाना, मैं समझता हूं कोई भी सदन का माननीय सदस्य नहीं चाहेगा और इसको लगाने की सलाह नहीं देंगे। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट अब आ गई है और उसमें यह कहा है कि २०–२२ वर्ष तक कोयला मिल सकेगा और एक हजार मेघावाट का पॉवर स्टेशन चल सकता है। उन्होंने कहा कि जो खर्चा पड़ेगा वह ३.७ पैसा पड़ेगा। उन्होंने और भी कई बातें कही हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे।

इसके साथ साथ मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब हम यहां पर इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो सिर्फ कोयला निकलने से और पॉवर प्लान्ट खरीदने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए पानी की बहुत जरूरत है। वहां पर पानी की कौताई है। वहां पर जो योजना राजस्थान केनाल से पानी की थी वह अब तक पूरी नहीं हुई है जिसकी चर्चा भीमसिंहजी ने की थी। जब तक पानी पलाना में राजस्थान नहर में नहीं आए तब तक के लिये हमें कुछ न कुछ इसके लिए प्रबन्ध करना जरूरी है। इसके लिए हमने अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को जियोलोजिकल सर्वे करने के लिए लिख दिया। वहां पर बोरिंग किया गया और दो कुओं को हमने अन्डर ग्राउन्ड शिंक किया और जानने की कोशिश की कि वह कितना पानी प्रति घन्टा दे सकते हैं। वे १० से १२ हजार गेलन प्रति घन्टा के हिसाब से दे सकते है दूसरे में बोर होल कराया और उसमें भी १० या १२ हजार गेलन फी घन्टे की पानी देने की केपेसिटी रही। एक दो कुओं से तो वहां पर काम नहीं चल सकता इसलिए १० या १२ कुए खुदवाएं तो पता लगे, यह उनकी केपेसिटी है। जब तक राजस्थान केनाल वहां पर नहीं पहुँचे तो थरमल स्टेशन खड़ा हो सकता है और अगर वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा तो करोड़ों रुपये यो ही पड़े रहेंगे और माननीय सदस्य यह कहेंगे कि सरकार को चाहिये था कि वह टेक्निकल राय ले कर इस संबंध में काम करती। मैं यह कहूंगा कि हमसे कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी है। हमने इस सम्बन्ध में एक एजेन्सी (Atomic Energy Commission) को लिखा है जिनके पास ऐसा यंत्र है जो यह बता सकता है कि कितना पानी है। इसके लिये वह भी काम करता रहे। यह भी साथ में चालू कर दें। हमें ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि सब ठीक हो और जब यह सब ठीक हो जावेगा तो चौथी योजना में इसके लिये रुपया रखा गया है जैसा कहा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में रुपया रखा गया है। माइन्स का माइन्स में रखा गया है और पॉवेर का पॉवर हैड में रखा गया है। ८८ और ८९ पेज पर आप देखें।

७ और ८ करोड़ रुपया हमने बजट में पहले ही रख दिया है जिससे यह नहीं कह

(श्री मथुरादास माथुर)

सकते कि रुपया नहीं है। इसके अलावा स्टेट सेक्टर के ५ करोड़ और हैं। इस तरह से १३ करोड़ ये रखे हैं। इसके अलावा हम कोर्पोरेशन बनाना जिस तरह से चाहते हैं बनावें, तो हमें दूसरे तरीकों से लोन भी दूसरी जगह से मिल सकते हैं और हम इसको फीड कर सकते हैं। इसलिये मेरे ख्याल से जहां तक ओफ कास्ट का मामला है सरकार इस संबन्ध में पूर्णतया जागरुक है और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे महरबानी करके वे कभी जाकर देख लें। मैंने वहां अफसरों से कह रखा है कि जो कुछ काम हो रहा है वह आपमें से जो भी माननीय सदस्य जाकर उस काम को देखना चाहें जीप में बिठा कर आपको ले जावेंगे और जो काम हो रहा है वह सब आपको बता देंगे।

एक माननीय सदस्य : जाकर हमने देखा है।

श्री मथुरादास माथुर : तो फिर आप गालियां क्यों निकालते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : पलाना की स्थिति है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर में भी कुओं में पानी का लेवल ६–७ इंच रोज गिर रहा है। जब यह बात प्लानिंग कमीशन कहेगा तो हमको रुपया मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह लेवल कितने दिनों तक गिरता रहेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : जियोलोजिकल रिपोर्ट आवेगी उसको प्लानिंग ऑथोरिटी ओथेन्टिक मानेगी। जहां तक अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग का है हम तेजी से कर रहे हैं। हमने पॉवर प्रॉडक्शन के लिये ८० से १०० टन की केपेसिटी रखी है जिससे वहां पर बीकानेर शहर की जरूरत पूरी हो सके। यह डोमेस्टिक यूज़ के लिये नहीं है अन्डर ग्राउन्ड को जावेगा वहां पर ४५ कुएं निकल चुके हैं और कई दफा वहां पर आग लग चुकी थी। इसके लिये भी एक्सपर्ट आ रहे हैं और इससे कितना कोयला निकल सकेगा। इसके अलावा यदि ज्यादा कोयला निकलेगा तो बड़ा प्लान्ट लगेगा। मगर वह इकोनोमिकली और टैक्निकली फिजिबल होना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि स्टेट एन्टरप्राइज़ हो नहीं रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर चल रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह : वे तो बहुत वर्षों से चल रहे हैं। अब काम कब शुरू होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह आपसे कोई छुपा कर नहीं रख रहा हूं। इन कामों में देर तो लगती ही है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि बीकानेर में वूल की बात कही जाती है। मैं कहूंगा कि वहां पर अगली साल ५००० स्पिन्डल्स की वस्टएड की वूलन मील लगावेंगे। हमने इन्डिजिनस मिल

(श्री मथुरादास माथुर)

५००० स्पिन्डल्स की वूल मिल का फैसला किया। भारत सरकार ने कहा कि मेरीनो वूल हो उसका मुकाबला हो तभी यह सफल हो सकती है। हमने जापान और इंगलैन्ड स्पेशली स्पिन्डल को इनको एग्ज़ामिन कराये। जापान से रिपोर्ट आई और उसको फिर इंगलैन्ड से चैक अप किया और जब इंगलैन्ड से चैक अप हुआ तो हमने प्लानिंग मिनिस्ट्री के पास पेश किया। उन्होंने कहा कि ५० पर्सेन्ट एक्सपोर्ट इसका करना पड़ेगा यदि यह शर्त मंजूर हो तो लाइसेन्स हम देंगे। हमने उनकी यह शर्त भी मंजूर की और यह मामला प्लानिंग कमीशन के पास पड़ा हुआ है। इसके लिए जमीन कहां पर दी जाए, कितनी जमीन इसके लिए होनी चाहिए और कहां पर इसके लिए बिल्डिंग खड़ी की जावे। क्योंकि इसके लिए विन्ड का डाईरेक्शन और पानी के रिसोर्सेज़ आदि की जांच करनी पड़ती है। इसको हमारे ऑफिसरों ने कर रखा है और इसके लिए रुपया बजट में रखा है ताकि काम चल सके।

तीसरा पोइन्ट सोडियम सल्फेट का आता है। मुझे खेद है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जो अभी यहां पर सदन में उपस्थित नहीं हैं उन्होंने सोडियम सल्फेट के मामले को लेकर कई बातें यहां पर कह दी। मैं यह कहूंगा कि या तो उनको इसके लिए पूरी जानकारी नहीं है या उन्होंने जान-बूझ कर ये सारी बातें यहां पर कह दी हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि कई दफा मैंने सदन में बताया और इस बात को साफ किया कि यह सोडियम सल्फेट का प्लान्ट है वह इसके लिए पाइलट प्रोजेक्ट और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में अन्तर है। आप इसको दोनों को एक ही समझते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह सोडियम सल्फेट का प्लान्ट हमारे हिन्दुस्तान में एक ही है और जर्मनी में एक कम्पनी है जो सबसे बड़ी कम्पनी है डिवनबर्ग में। वहां पर एक प्लान्ट लगा है और इसके अलावा आर्टिफिशियल प्लान्ट एक दो जगह और जर्मनी में हैं। हमारे यहां पर हमने हमारे यहां का क्लाइमेट चार्ट, टेम्प्रेचर चार्ट, प्रेशर चार्ट आदि बना कर बाहर भेजे और करीब २०-३० वर्षों के ये चार्ट बना कर भेजे। हमारे यहां पर क्लाइमेट की बाधा को बताया गया उसके लिए जांच कराने के लिए ये भेजे और तब जाकर हमको पाइलट प्रोजेक्ट बना कर भेजा और यह वहां पर इरेक्ट होना चाहिए और उसमें इस प्रकार का फिटिंग होना चाहिए। इसमें अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इतनी सीमेन्ट की बोरियां थीं वे कहां गई वे सब काले बाजार में चली गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम तो हमारा नहीं था यह तो काम पी. डब्ल्यू. डी. करता है। फिर यह सीमेन्ट का प्रश्न हमारे ऑफिसरों के लिए कैसे आया यह समझ में नहीं आया? उन्होंने कहा कि वहां पर उद्योग से कोई लाभ नहीं और सोडियम सल्फेट पैदा नहीं होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अक्टूबर ६३ को खड़ा करके हमने यह कहा कि यह एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर है। आप गौर फरमाइये, मैंने कहा था कि प्रॉडक्शन निकलना शुरू हुआ है। मैंने यह नहीं कहा कि कितना प्रॉडक्शन निकलना शुरू हुआ है। जिस समय ब्रीन की डेन्सिटी ज्यादा

(श्री मथुरादास माथुर)

हो जाती है तो वह जम जाता है और मशीन अपना काम करना बन्द कर देती है। इसलिए उसको डाइलूट किया गया। वह जम कर चोक हो गया और हमने उसको डाइल्यूट तो किया और वह हो गया मगर जब टेम्प्रेचर नीचे गिरता है उसमें सोडियम सल्फेट जम गया। तब जर्मन इंजीनियर ने कहा कि फ्रेश वाटर लाना चाहिए। यह पानी तो काम का नहीं है जो आसपास में मिलता है जो पानी ३ स्क्वायर मील में मिलता है वह काम का नहीं तो ४ मील दूर कुओं से पाइप लाइन लाकर वहां पर पानी लाया गया। तीन-चार दिन में पानी आया। और तब कहीं जा कर प्रॉडक्शन के लिए काम चालू हुआ तो टर्बाइन, जो हमने ए ग्रेड का ख्याल करते वह बी ग्रेड का आ गया। उसको वापिस ले गये और फिर ए ग्रेड का भेजा और जब तक टर्बाइन आदि के आने में समय लगा वह लगा। बाद में वह टर्बाइन चालू हुआ। इसमें देर लगी फिर भी हमारे विद्युत् विभाग के मंत्री ने सुजानगढ़ से डीडवाना में बिजली की लाइन दी और पॉवर भी लगा दिया। जब हम फ्रेश वाटर लाये तो वहां पर ५ या ६ टन से ज्यादा सोडियम सल्फेट का प्रॉडक्शन होने लगा। हमने उनको लिखा। हमारे यहां पर दो एक्सपर्ट तो बैठे ही थे और तीसरा भी वहां पर आ गया डा० जे० एन ठोरडन मिर्सटिंग और वह १०, १२ दिन तक डीडवाना में रहा और १३ टन प्रॉडक्शन पर-डे जारी किया।

मैंने कहा कि मैं पब्लिक में अभी तक इस बात को कहने को तैयार नहीं हूं। इसलिये सप्ताह भर से वहां पर १३ टन प्रॉडक्शन हो रहा है। यह प्रॉडक्शन कल बन्द हो जाए तो आप मेरी जुबान को मत पकड़ लेना कि आपने कहा कि इतना टन पैदा होता है। मैंने उनसे कहा कि २० टन डेली प्रॉडक्शन होना चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि यह सब मैंने कम्पनी के खर्चे से किया है। पॉवर व पाइप लाइन आदि सब कम्पनी के खर्चे से करेंगे। जब तक हमारे यहां २० टन प्रॉडक्शन नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा तक तो १३ टन चलता रहेगा वर्षा के बाद में हम कुछ चेंज करेंगे। एजेन्ट को लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम वर्षा के बाद २० टन का प्रॉडक्शन दे देंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए और अगर हो तो उसको निकाल देना चाहिए। यह जो एक्सपेरीमेन्ट हमारे यहां पर किया गया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की समृद्धि आगे जाकर इससे हो सकेगी।

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने रखी है वह शूगर मिल के बारे में है। जिस माननीय सदस्य ने ये बातें रखीं वे यहां पर नहीं हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि स्टेट के समय में कई लोगों ने मिल कर एक प्राइवेट मिल शुरू की थी उसके बाद में स्टेट के शेयर्स की मेजोरिटी होने से यह हमारी हो गई। और इसमें वही बात हुई कि "बूढ़ी गाय बामण को दीजे"। यह हमारे पल्ले पड़ गई। इसके बाद गंगानगर में लास्ट ईयर बाढ़ के आ जाने से सूरतगढ़ का सबसे बड़ा शुगर-केन का फार्म था वह

(श्री मथुरादास माथुर)

फ्लड के कारण नष्ट हो गया। उसके बाद जब गन्ना नहीं रहा तो लोगों ने गड्ढे खोदे और कुछ पैदा हुआ तो गन्ने के भाव बढ़ गये। सन् ६३-६४ में शुगर प्रॉडक्शन ३६ हजार ७३ क्विन्टल था और उन दिनों में गन्ना नहीं मिला और उस वजह से ३२ हजार १६७ क्विन्टल हुआ। तो इस साल गन्ना कम मिला। और कुछ गन्ने में जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कीड़ा लग गया और प्रॉडक्शन कम रहा। तो ६१ डेज Crushing किया। हमको चूंकि शुगर फैक्ट्री को चलाना है और इसके लिए शुगर केन की आवश्यकता रहती है इसलिए ५ हजार एकड़ का फार्म हम शुरू कर रहे हैं और इस साल रेवेन्यू विभाग ने हमको जमीन भी दे दी है और मैं समझता हूं कि यह बहुत घाटे का सौदा नहीं है। इस साल भारत सरकार ने रेट १३८.५० न० पै० से घटा कर इस साल १२६.२५ नये पैसे पर-क्विन्टल कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : फायदा उठाइये। आपको शुगर फैक्ट्री से फायदा हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि नहीं हो रहा है। यह तो शुगर फैक्ट्री में मोलेसेज निकलेगा और डिस्टिलेशन होगा...

श्री भैरोंसिंह : टैक्निकली आप कह सकते है कि ये दोनों पार्ट नहीं हैं। आप हमेशा शराब निकालते है। उसका फायदा निकाल कर कहते हैं, फायदा है।

श्री मथुरादास माथुर : तो क्या आप यह चाहते है कि घाटा दिखाया जाय? आप चाहते क्या हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप दोनों का अलग अलग बताएं। शुगर फैक्ट्री में कितना घाटा है और मोलेसेज़ बेचने के बाद कितना घाटा होता है?

श्री मथुरादास माथुर : यह कन्जर्वेटिव उद्योगपति की बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कन्जर्वेटिव उद्योग-पति की बात नहीं करता। गंगानगर शुगर फैक्ट्री में प्राईवेट शेयर्स हैं वे भी क्लेम करते हैं कि डिवीडेंड मिले और जब सरकारी फैक्ट्री में घाटा मिले और शेयर होल्डर्स को डिवीडेंड न मिले तो प्राइवेट कंपनियों का क्या हाल होगा?

श्री मथुरादास माथुर : वह कंपनी जब प्राइवेट चलती थी तब भी घाटा था। अब सरकार के पास आने के बाद में तो इसमें सुधार हुआ है, घाटा कम हुआ है; लेकिन साथ में पूरा कॉम्प्लेक्स में सरकार को मुनाफा होता है। आप चाहते हैं कि शुगर के फिगर्स अलग दिये जायं। भारत सरकार ने १२६ रुपए रेट फिक्स किया हैं, लास्ट ईयर १३८ रुपए था। इस साल शुगर का कम्पोनेन्ट एक प्रतिशत निकला और लास्ट ईयर १.२६ पर्सेंट।

श्री भैरोंसिंह : हिन्दुस्तान भर में बाकी कहीं भी घाटा नहीं होता।

श्री माथुरदास माथुर : यह गलत है, भूपालगढ़ में...

श्री भैरोंसिंह : वह छोड़ो । राजस्थान में तों आपको घाटा ही घाटा मिलेगा ।

श्री मथरादास माथर : वह तो प्राइवेट सेक्टर है । मुनाफा तो डिपेन्ड करेगा इस बात पर कि क्रशिंग सीज़न के अन्दर कितना हमें गन्ना मिलता है । अगर मेरी शुगर फैक्ट्री को गन्ना मिलता रहे, ६ महीने तक मिलता रहे, तो मुनाफा दिखा सकता हूं । लेकिन दो-ढाई महीने मिलता है, फैक्ट्री बंद रहती है, लेबर को पेमेंट करना पड़ता है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : १९५८-५९ में शुगर फैक्ट्री को दस लाख का मुनाफा था ।

श्री मथुरादास माथुर : वह डिस्टीलेशन के साथ में है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of explanation, Sir,... फैक्ट्री के डिस्टीलेशन को मिलाकर नहीं होता । एस्साइज डिपार्टमेंट स्पिरिट का ठेका दे देता है कि तुम स्पिरिट मंगाओ । सब जगह इसका डिस्टीलेशन नाम मात्र हैं लेकिन इसको फीड किया जाता है, इसके घाटे को पूरा किया जाता है ।

श्री मथरादास माथुर : आपकी जानकारी कुछ ठीक है, कुछ गलत है । मोलेसेज जो निकलता है उसका डिस्टीलेशन वह हमारा इंडस्ट्रियल मामला है महुआ कॉमर्शियल है । वह इंडस्ट्री है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्साइज वाले अपना नुकसान कर आपकी फैक्ट्री को चलाते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हम नुकसान के अन्दर एक्साइज़ को देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एक्साइज को नुकसान नहीं होता है, वे तो एक रुपये वाली बोतल १२ रु० में बेचते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल यह है कि आपने पूछा है कि इंडस्ट्री है या नहीं । महुआ का डिस्टीलेशन इंडस्ट्री है मोलेसेज का डिस्टीलेशन इंडस्ट्री है । स्प्रिट दूसरे राज्यों में जो पब्लिक सेक्टर चलते हैं उन लोगों से लाकर अपने गैप को पूरा करते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेजर फायदा उसी का है ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, फायदा दोनों का है । हम एक चीज को फंडामेंटली मानते हैं । शुगर फैक्ट्री की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितने दिन चलती है । यदि कम से कम ९० दिन चले, शुगर कन्टेंट ९ प्रतिशत हो तो वह इकोनोमिक यूनिट बन सकता है । हम खुद हर साल हजारों रुपए के बीज खरीद कर किसानों को बांटते हैं, फिर भी यह स्थिति बाढ़ वगैरह से पैदा हो गई है । ६१ दिन काम करना पड़ा, अब आप क्या मुनाफा एक्सपेक्ट करते हैं ? चाहे कोई भी चला ले । अगर शुगर-केन नहीं तो शुगर-केन कैसे ? बाहर से लाए तो सूख जाता है । वह तो ८—९ घन्टों में ही क्रश होना चाहिए ।

(श्री मथुरादास माथुर)

बीकानेर में कोऑपरेटिव सेक्टर में ५ लाख रुपए इकट्ठे हुए थे शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए, हमने उनको सलाह नहीं दी क्योंकि गंगानगर की जमीन ऐसी है कि वहां कॉटन अच्छा हो सकता है। इसलिए हमने उनको सलाह दी कि कॉटन फैक्ट्री खोल सकते हो।

ये तो तीन बड़े स्टेट एन्टरप्राइजेज के बारे में मैंने विचार रखे। चौथा ग्लास फैक्ट्री है। उसमें प्रोड्क्शन बढ़ता जा रहा है। अभी डॉक्टर किस- हंगेरियन एक्सपर्ट है, उन्होंने प्रोजेक्टर रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर सरकार विचार करके चौथी योजना में इसको करेगी। आखिरी मामला पत्थर खोदने का है, उसके लिए मैंने कह दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में दे दो या डिपार्टमेंटली रन करो, हम तो १५—१५, २०—२० करोड़ वाले काम करना चाहते हैं। अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो गया होगा।

श्री भैरोंसिंह : जितने भी स्टेट एन्टर-प्राइजेज हैं इनके ऑडिटेड अकाउन्ट्स और डाइरेक्टर्स रिपोर्ट माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : बराबर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार माननीय ज्वालाप्रसादजी पार्लियामेंटरी पद्धति का परिपालन करते हैं, पोइंट ऑफ ऑर्डर वगैरह कह कर फिर बात करते हैं, तो उसका अनुसरण अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब मैंने नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय तो नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी आज्ञा से ही बोल रहा हूं। आपने फर्माया था कि मन्त्री महोदय बैठ जायं, फिर बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में आपने पोइंट ऑफ एक्सप्लैनेशन नहीं कहा, हालांकि अभी तक उसकी उचित हिंदी नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी आज्ञा से करता हूं। आपने फरमाया था कि मन्त्री महोदय बैठ जायं, फिर सवाल पूछना।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि पोइंट ऑफ क्लैरीफ़िकेशन के बजाय हिन्दी में आप कुछ भी कह कर बोल देते, स्पष्टीकरणार्थ आदि।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में प्रावधान नहीं है पोइंट ऑफ क्लैरीफिकेशन का।

श्री उपाध्यक्ष : अब उसकी हिन्दी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : वह वर्ड कहीं रूल्स में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पद्धति है रूल्स की बात नहीं है। I quite admit it.

श्री भीखाभाई : (ग्रामोद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने जब यहां उद्योग की मांगों पर विचार हो रहा था, कोई ऐसी बात नहीं कही, अटपटी या कड़वी जो पहले इस सदन में कही गई थीं या इस सत्र में हमारे मित्र जो जयपुर से आये हैं उन्होंने एक भाषण में पहले कहा था........

श्री भैरोंसिंह : पहले की बातों का आज जवाब क्यों दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : I quite admit. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले की बातें यहां न करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : व्यवस्था का सवाल है। सवाल यह है कि मंत्री महोदय ने पिछली बातों की याद दिलायी है।

श्री भीखाभाई : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही, लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात नहीं कही। यद्यपि सीधा जवाब माननीय सदस्य के उस भाषण का नहीं होगा लेकिन वह कहीं कहीं रेफरेंसेज के तरीके से बात आ सकती है।

खादी इस देश की स्वतन्त्रता की प्रतीक है। जो बड़े बड़े लोग आये हैं, उन्होंने खादी में ही काम करना शुरू किया था।

श्री भैरोंसिंह : योजना मंत्रीजी खादी नहीं पहिने हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): खादी है।

श्री भैरोंसिंह : टेरेलिन है।

श्री मथुरादास माथुर : खादी है। खादी नहीं है तो त्याग-पत्र दे दूंगा, नहीं तो आपको देना होगा। एक सीट तो खाली करें।

श्री भीखाभाई : खादी का बड़ा महत्व रहा है। गांधीजी ने देखा कि देश में औद्योगीकरण करना है, बेरोजगारी को मिटाना है, आर्थिक स्तर को उठाना है तो उन्होंने यह कार्य शुरू किया। यह देश जो फैला हुआ है, लाखों जिसमें गांव हैं, उनमें इस कार्य को फैलाया जाय, यह उन्होंने सोचा। उन्होंने खादी का काम फैलाने के लिये इस देश में इतने बड़े बड़े कार्यकर्त्ता पैदा किये कि जिसके परिणामस्वरूप जब जब उनको लड़ाई में जाना पड़ता था, स्वतन्त्रता की लड़ाई में जाना पड़ता था तो लड़ाई लड़ कर वापिस घोंसलों में आ जाते थे। मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं जो सदन में यूज किया गया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 'घोंसले' नहीं थे वह तो आर्मरी थे। उसमें जाकर वापिस तैयार होकर लड़ाई के मैदान में आकर कूदते थे।

श्री मथुरादास माथुर : क्या बात कही है !

श्री भीखाभाई : इसमें कोई कांग्रेस विचारधारा के ही लोग नहीं थे किन्तु दूसरी विचारधारा के भी लोग इस स्वतन्त्रता की लड़ाई में थे, समाजवादी विचारधारा और अन्य विचारधारा के लोग भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ खादी के काम में भी लगे हुए थे। आज भी राजस्थान में खादी बोर्ड बना हुआ है उसमें इस प्रकार के लोग हैं। आज भी हमारे यहां कई कार्य-कर्त्ता रचनात्मक काम में विश्वास रखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग में विश्वास रखते हैं, आज भी उसके सदस्य हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि खादी बोर्ड का काम पार्टी की रुचि को लेकर नहीं करते हैं। खादी के सम्बन्ध में एक अधिनियम पास हुआ था और उसके अन्तर्गत खादी बोर्ड स्थापित हुआ है। उसके बाद खादी के जो प्रभाव बढ़े हैं और उसका जो फैलाव हुआ है, जिन माननीय सदस्यों ने खादी के काम को नहीं देखा है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे कालबा-देवी रोड बोम्बे में जाकर देखें। देहली में जाकर उसको देखें.......

श्री भैरोंसिंह : पांच बत्ती को देखें ?

श्री भीखाभाई : रीगल सिनेमा के पास जो बहुत बड़ा एम्पोरियम है उसको जाकर देखें। कलकत्ते में जाकर देखिये। ये सब बातें बताने का मकसद मेरा यही है कि किस प्रकार खादी का उत्पादन बढ़ा है, उसकी महत्ता बढ़ गयी है।

श्री भैरोंसिंह : वहां भवन देखें या सेल्समैन देखें ? क्या देखें ?

श्री भीखाभाई : उत्पादन कितना बढ़ा है यह देखिये। किस प्रकार कपड़ा बनता है यह देखिये। विदेशी लोग भी उसकी विशेष कद्र करने लगे हैं। कभी आप देखिये, आपको मालूम होगा कि खादी का उत्पादन किस प्रकार बढ़ा है और उसकी महत्ता किस प्रकार बढ़ी है। नई दिल्ली में जाकर देखें आपको कई अमेरिकन वहां पर खादी खरी-दने के लिए आते हैं। तो जो विचारधारा को लेकर यह कार्य शुरू किया गया उससे आज कितने लोगों को काम मिल रहा है। माननीय सदस्य कहते हैं कि खादी के काम में कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं, वे हमारे साथ चलें, मैं उनको बताऊंगा कि क्या हुआ है ? कितना एम्प्लोयमेन्ट मिला है आज खादी में ! आपको मालूम है ! आपको ज्ञात होना चाहिये कि आज देश में २० लाख लोग काम करते हैं। फैक्टरी की लेबर फोर्स ७७ हजार है और खादी में इस समय जो काम कर रहे हैं १,१५ हजार हैं और ग्रामोद्योग में २५ हजार, लोग लगे हुए हैं। यह स्थिति इस बात को इन्डिकेट करती है कि खादी के कारण एम्पलोयमेंट पोटेंशियल क्रियेट हुआ है, मैं, एम्प्लोयमेन्ट पोटे-न्शियलिटी हैं। हमारे देश की जो स्थिति है, लोगों के पास समय काफी रहता है जो अन्डर एम्प्लोयड हैं कम काम रहता है, जब उनके पास कम काम रहता है तो यदि उनको इस प्रकार का काम मिल जाता है तो उनको रोजी-रोटी मिल जाती हैं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप लेबर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। आपके कथन में अन्तर है। पहले ९७,९१० और बाद में ८०,५०७ ही रह गये। घाटा ही हुआ है।

श्री भीखाभाई : आपको मालूम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आपके आंकड़े और हैं और हमारे आंकड़े और हैं। आपके आंकड़े गलत हैं।

श्री भीखाभाई : १९५५.५६ में जो हमारे यहां तकलियां थीं वह थीं ६४,२७५। बुनकर ७२७, पिंजारे १,३०६ और अन्य लोग २,०१८। कुल मिला कर ७३,७२९ और ६३-६४ में फीगर्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १,२६२ तकलियां हो गई और १२,२१० बुनकर, पिंजारों की संख्या कम हो गई और बाकी ३,३९१ रह गये। कुल १,१५,८७२। इस आंकड़े में वृद्धि हुई है।

श्री जोधसिंह चौहान : नहीं हुई है। तो मैं आपके ही आंकड़े बता रहा हूं जो आपने दिये हैं।

श्री भीखाभाई : ७३,७२९ सन् १९५५-५६ में थे, उसके मुकाबले १९६३–६४ में १,१५, ८७२ रहते हैं। उसके अलावा भी, मैं आपको कहूंगा कि इस साल का तो हमने अभी शामिल नहीं किया है। ग्रामोद्योग में जो २०-२५ हजार आदमी काम करते हैं वे अलग हैं। इसलिए कितना एम्पलोयमेन्ट का इसके जरिये से पोटेंन्शनल क्रियेट हुआ है यह निवेदन करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप लेबर मिनिस्टर हैं और खादी मिनिस्टर भी हैं। इन १, १५ हजार आदमियों को जो काम मिलता है उन पर आप मजदूरों का कानून उन पर लागू करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलग है।

श्री भैरोंसिंह : अलग कैसे ? प्रश्न यही है।

श्री मथुरादास माथुर : यह पार्ट टाइम एम्प्लोयमेन्ट है।

श्री भीखाभाई : उस बात को भी निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार के जो प्रोडक्शन सेन्टर्स हैं वे खादी की फैक्टरी हैं या नहीं उस प्रश्न पर अभी विचार नहीं हुआ है और यह मसला चल रहा है कि इनको भी फैक्टरी एक्ट में लायें या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : आप श्रम मन्त्री हैं इसलिए श्रम मन्त्री के नाते आपकी व्यक्तिगत राय क्या है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रश्न को उठा लिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी व्यक्तिगत राय क्या है ? है ना ?

श्री भीखाभाई : ५३–५४ में खादी संख्या १२ और ६३–६४ में वह संख्या ७८ हो गई। खादी भंडार ५३-५४ में ८ थे वे ६३–६४ में २८६ हो गये, सहकारी संस्थायें ६३–६४ में ३७ हो गई। खादी उत्पादन स्टाक ५३–५४ में १६ लाख का होता था अब ६३–६४ में १.९२ लाख का हो गया।

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, ये फिगर्स अपने आप एक्स्प्लेन करते हैं।

कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी (दीगोद): ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर····

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में पूछ लीजिये।

कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी : पर केपिटा प्रोडक्शन सन् ५३–५४ में कितना था प्रत्येक संस्था का और १९६३ व १९६४ में कितना रहा ?

श्री भीखाभाई : यह बताना बड़ा मुश्किल है, उपाध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल)

कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : ये फिगर्स हमारे पास हैं ?

श्री भीखाभाई : उत्पादन के फिगर्स लेना चाहते हैं। यह लीजिये। १९५३–५४ में खादी का उत्पादन ६,६६,१०८ गज था और मूल्य १६,६५,०३१ था। संस्थाओं की संख्या १२। अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था। प्रश्न ठीक था लेकिन समझ में फर्क था। समझ का फर्क यह था कि उन्होंने जो कुछ रखा उसको तो सही कहा उनकी तरफ से, लेकिन क्या था यह जब तक एक्सप्लेन नहीं किया जाय तब तक वह मामला ठीक नहीं रहेगा।

१९५९–६० के अन्दर ५७, २९, २५ वर्ग गज उत्पन्न हुआ था। ६३-६४ में ४८, ८१, ४७०, इसमें कमी हुई है यह प्रश्न वाजिब है। कमी क्यों हुई। ६०-६१ में ऊनी खादी का उत्पादन शुरू कर दिया गया था जिसकी कीमत करीब एक लाख थी वह ६३-६४ में ८० लाख की होगई। यार्डेज क्यों नहीं बढ़ा इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मफलर का क्या यार्डेज बतावें। कम्बल जो चालीस हजार सप्लाई की उसका क्या यार्डेज बताया जाय।' रूपयों में वृद्धि हुई है। बड़ी रफ्तार के साथ खादी के काम को बढ़ाया जा रहा है। उनके आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जहां पर काम बढ़ा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपने लिखा है उत्पादन वर्ग गजों में :

१९५९–६० में ५७ लाख
१९६०–६१ में ३७ ,,
६१–६२ में ४६ ,,
६२–६३ में ४८ ,, है।

इससे यह मालूम पडता है कि आपका उत्पादन हर वर्ष घटा है। इसमें कम्बलों का सारा प्रोडक्शन ले लिया है यानि प्रोडक्शन प्रति यार्ड गज के हिसाब से घटा है। वेल्यू तो बढ़ी है, वह प्राइज़ इन्डेक्स के कारण बढ़ी है, लेबर वेजेज़ बढ़ जाने से भी बढ़ी है। कीमतें दुगुनी हो गई हैं इसलिये कीमतों में वृद्धि हुई है। यार्डस्टिक गज है या वेट होता है; अगर कोई चीज रुपयों से नहीं आंकी जाती तो उसके लिये

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

यार्ड है; वजन है, टन है, उसमें नापी जाती है।

श्री भीखाभाई : जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपसे कहूं १९५९-६० में ३३, ८८, ३५५ रुपया का सूती कपड़ा बनता था, उसके अगेन्स्ट ७, ९२, ·३४ रुपये का ऊनी कपड़ा पैदा कर दिया। सूती कपड़ा पैदा हुआ १ १२ ८४ ३८७ का सूती कपड़ा पैदा हुआ । अगेन्स्ट ८० लाख रुपये के। यार्डेज की इनफोर्मेशन होनी चाहिये यार्डेज करना मुश्किल होता है, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने जो यार्डेज दिया है उसमें आप वूलन कपड़े का यार्डेज शामिल नहीं करते।

श्री भीखाभाई : शामिल जरूर होंगे। जितने हो सकते थे उनको किया गया होगा, डेफीनिटली नहीं कह सकता कि इसमें हैं या नहीं। यार्डेज है या नहीं, यह नहीं बतला सकता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसका मतलब है आप रोंग फिगर्स दे रहे हैं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : सारी किताबों में छप चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह अर्थ है कि प्रोडक्शन खादी को नापने के लिये जो प्रोडक्शन चार्जेज़ बढ़े हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके हिसाब से कीमतों के हिसाब से उत्पादन बढ़ा हुआ नजर आता है।

यार्डेज के हिसाब से गिरा हुआ नजर आता है वास्तविक अन्तर निकाला जाय तो निकाल सकते हैं, ऐसा माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री भीखाभाई : खादी उत्पादन मैंने वर्ग गजों में बताया। लेकिन ऊन के उत्पादन का सवाल है वह भी इसके अन्दर यार्डेज के अनुसार इन्क्लूडेड है या नहीं यह मैं डेफीनिटली नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा मफलर है, कम्बल है, इनको यार्डेज में कैसे इन्क्लूड कर सकते हैं? कीमत ज्यादा आ गई है, इस प्रकार की बातें हुई हैं। ४० हजार कम्बल सप्लाई की है, उसका फिजीकल वेरीफिकेशन है, उसका यार्डेज क्या हो सकता है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हर एक कम्बल पर लिखा हुआ होता है कि कितनी लम्बाई और चौडाई में है, इसलिये इसको तो आसानी से नापा जा सकता है ?

श्री भीखाभाई : यह तो आप, जो बिक्री हुई है उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं।

मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता सिवाणा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं वे महत्वपूर्ण है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : राजस्थान में जो खादी का उत्पादन हो रहा है उसके

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बिक्री के फीगर्स को देखा जाय तो काफी मात्रा में कपड़ा पड़ा हुआ है एक करोड़ और कुछ लाख गज कपड़े का उत्पादन हुआ है जहां बिका कुछ लाख गज ही है। बाकी का माल का क्या हुआ ?

श्री भीखाभाई : एक माननीय सदस्य ११ करोड़ रुपये की कह गये, लेकिन वह १ करोड़ है ।

श्री भैरोंसिंह : बीच में कोमा है ११ करोड़ ही लिखा हुआ है।

श्री भीखाभाई : आपके दिमाग में कोमा है, वहां पर नहीं लगा है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके दिमाग में कोमा, फुलस्टोप होता ही नहीं।

श्री भीखाभाई : मैं तो तिलक लगाता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आज नहीं है ।

श्री भीखाभाई : मंगलवार और शनीवार को होता है ।

सिवाणा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही है फायबर इन्डस्ट्री के बारे में। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस ओर खादी कमीशन का ध्यान गया है। साठ सेन्टर चल रहे हैं। बीकानेर जैसा इतना बड़ा उत्पादन यहां होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूं जब ढेबर भाई यहां आये थे, उस क्षेत्र का दौर किया था उसमें उप मंत्री भी उनके साथ थे; उनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, यह मामला कमीशन के विचाराधीन है, ऐसा लगता है ।

खादी बोर्ड की तरफ से बीकानेर, पुंगल, खाट्ट, नापासर, बीकानेर में काम हो रहा है। कुछ सहकारी समितियां एक हजार के करीब काम कर रही हैं। सहकारी समितियों की संख्या पहले के मुकाबिले बढ़ रही है। मैं भी चाहता हूं कि जिस प्रकार की भावना सहकारी समितियों के लिये व्यक्त की है उसके अनुसार सहकारी समितियां बनायी जायें ।

(५.०० म० प०)

इसके जरिये से भी २० लाख का काम हुआ है ।

इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि ऊन उत्पादन केन्द्र गडरा रोड, चोहटन, बाड़मेर, नागौर में हुआ है ।

खादी और विलेज इन्डस्ट्री बोर्ड के द्वारा ५५-५६ में २,५६,५५२) का ऋण और सहायता ४,७७०२) था। वह बढ़ कर ६३-६४ में ३ करोड़ के करीब ऋण हो गया और वितरण सहायता का ७६ लाख के करीब हुआ है।

इस बोर्ड के घोटालों के बारे में कहा गया। इस सम्बन्ध में एक कमेटी के बनाने की बात विचाराधीन है। पर साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो

(श्री भीखाभाई)

कहा कि कई लाख का घोटाला है; मैं निवेदन कर दूं कि खादी बोर्ड को कुल मिला कर २५ लाख मिला है, अनुदान और छूट के रूप में मिला हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : लोन भी तो मिला हुआ है ।

श्री भीखाभाई : वह तो मेरी आपसे बात हुई है । मैंने समझाया भी है बैठ कर ।

श्री भैरोंसिंह : कुल ४ करोड़ ७० लाख का अनुदान और लोन मिला हुआ है ।

श्री भीखाभाई : यह तो आज तक का कुल मिला कर आपने बताया है । मैं इससे कब इन्कार करता हूं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तो फिर बताइये कितने परसेन्ट घोटाला है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ६३–६४ में ६२ लाख का ऋण और दस लाख का अनुदान मिला है और ६७ लाख की सेल हुई है ।

श्री भीखाभाई : अभी अभी और सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि...

श्री भैरोंसिंह : समिति मुख्य मन्त्रीजी ने नियुक्त कर दी तो उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ है । जब तक कि यह मांग स्वीकार न हो जावे, समय बढ़ाया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने एक समिति नियुक्त की था, उसका क्या हुआ ?

श्री भीखाभाई : विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : विचाराधीन क्या है ? कमेटी तो नियुक्त कर दी ।

श्री भीखाभाई : आप सब बात जानते हैं स्वयं; माननीय सदस्य सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हों । इधर उधर से तलाश करके ले आते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह परदा उठाई वे कहां से करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण नहीं हुआ ? कमेटी तो बनेगी न ? वह जांच समिति तो बनेगी ?

श्री भीखाभाई : मुख्य मन्त्रीजी ने कहा वह इस लॉ के अन्दर जो लॉ है मोडर्न आज, प्रस्तुत लॉ है उसके अन्दर किस प्रकार में फिट किया जा सकता है वह नहीं हो तब तक कैसे हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : आप फिटिंग के काम में लगे तो हैं इस वक्त ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मांग के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने यहां अपने अपने विचार व्यक्त किये और कुछ के विचारों का मुझे कटौती के प्रस्तावों को पढ़ने से पता लगा।

इनके जरिये माइन्स विभाग के सिलसिले में जो कुछ खामियां नजर आती हैं उनको बतलाने की कोशिश की गई। मैं उन सब मुद्दों पर विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ मूल बातों की तरफ जरूर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

आज हमारे देश में एक ही कार्यक्रम मुख्य है कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय बढ़े, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े और इसके लिए हमारी जो एग्रो-इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर जो इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कृषि के सिवाय जो मिनरल वैल्थ हमारी है जो रॉ मेटीरियल बनकर बेस बनती है इन्डस्ट्री का यानी जो मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री हैं वे भी इस देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और खास तौर से राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान इस माने में और प्रांतों से कई मानों में बढ़ा हुआ है, इससे न केवल इम्पोर्ट को बचाने से फोरिन एक्सचेन्ज की बात होती है बल्कि हम एक्सपोर्ट करके भी फोरिन एक्सचेन्ज प्राप्त करते हैं। इसलिये इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस के लिये उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिये माइन्स मिनरल वैल्थ का अच्छा एक्सप्लोइटेशन हो, जल्दी से जल्दी उपलब्धियां हों, यह आवश्यक है।

राजस्थान में जैसा मैंने निवेदन किया कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होते केवल राजस्थान में ही होते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि अधिकांश राजस्थान में होते हैं और उसका बहुत कम पर्सेन्टेज हिन्दुस्तान के शेष हिस्सों में होता है। जिप्सम सारे हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन का ९२ प्रतिशत राजस्थान में है, इसी प्रकार माइका सारे हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन का २५ प्रतिशत राजस्थान में होता है, सोपस्टोन सारे हिन्दुस्तान का ७० प्रतिशत राजस्थान में है और लेड और जिंक सारे हिन्दुस्तान का १०० प्रतिशत ही राजस्थान में होता है और इसी तरह सिलवर ९२ प्रतिशत, एसबसटस ५० प्रतिशत से ज्यादा। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो सारे देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

इन मिनरल रिसोर्सेज का बढ़ना औद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान के निर्माण के पहले राजस्थान में क्या स्थिति थी, लेकिन राजस्थान बनने के बाद इन सब मिनरल्स का एक्सप्लोइटेशन करने के दृष्टिकोण से खनिज से आय बढ़ी है और उसका उत्पादन बढ़ा है। इस ओर बहुत कुछ काम किया गया, प्रगति की गई और यह कहना गलत है कि इसको बढ़ाने के लिये हमारे विभाग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने उत्पादन में कोई सहयोग नहीं दिया। मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखता हूं जिससे आपको मालूम होगा।

ब्राइटिश की प्रोडक्शन १९५९-६० में १५६ हजार टन थी और अब १७१ हजार टन हो गई है।

इसी तरह से एसबसटेस १.१ से बढ़ कर २ हजार टन हो गई है। कैसाइट २.६ से बढ़कर ५.४ हज़ार टन हो गई है।

डोलोमाइट ६ हजार टन से बढ़कर १७.१ हजार टन हो गई है।

एमरल्ड २५ किलोग्राम से ७८ किलो-ग्राम हो गई।

फाल्सफार ८.६८ से बढ़कर १२.५ हो गई।

गारनैट ३.६४ से बढ़कर ४.२४ हो गई।

ग्लास सैंड १६.७ से बढ़कर ३४.१ हो गई।

जिप्सम ७४१ से बढ़कर १०७५.८ हो गई।

लाइमस्टोन १४५२ से बढ़कर १७३५ हजार टन हो गया सेलेनाइट ० से बढ़कर १७१५ टन हो गई।

सोपस्टोन ५२ हजार टन से बढ़कर ११३ हजार टन हो गई वाइट क्ले ८ से बढ़कर ७.१ हो गई।

और इसी तरह से दूसरे मिनरल्स की प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आंकड़े हिन्दी में बोलें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन मिनरल्स की हिन्दी क्या करूं ? ग्रेनाइट को हिन्दी में भी ग्रेनाइट ही कहेंगे।

तो ये फिगर्स तो मैंने केवल इस दृष्टि से बताये कि राजस्थान में जो खनिज पदार्थ....

श्री उपाध्यक्ष : अब टन की हिन्दी क्या करें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खनिज पदार्थ राजस्थान बनने से पहले और ५६ की फीगर्स के बाद आज ६३-६४ तक के जो आंकड़ें बताये हैं उससे पता चलता है कि बहुत से मिनरल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। निश्चय ही इस इन्क्रीज की वजह से बहुत-सी मिनरल्स की इन्डस्ट्रीज कायम हुई हैं और बहुत सा हमारा माल बाहर गया है और इम्पोर्ट को हमने कम किया है और जो माल हमारा बाहर गया तो इस तरह के एक्सपोर्ट से हमें काफी फोरिन एक्सचेन्ज भी मिली है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इसमें यह इन्क्रीज परिस्थितिवश हुआ है

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

या सरकार ने प्रयत्न किये हैं उससे हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने यह पूछा कि परिस्थितिवश यह इन्क्रीज़ हुआ या गवर्नमेन्ट ने कोशिश की जिससे यह बात हुई। मैं उनको बता दूं कि यह विभाग के और सरकार के ही प्रयत्न हैं कि चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्री जो ६६ में कमीशन होने जा रही है। उन्होंने सारे डिपोज़िट्स का पता लगाया कि १०० मिलियन टन सीमेन्ट का लाइम स्टोन का डिपोज़िट है। इसी साल की बात आप लीजिये तो हमारे डिपार्टमेंट ने ही सर्वे करके इसका पता लगाया कि दड़ोली के पास २०० मिलियन टन सीमेन्ट का लाइमस्टोन है और उसी की वजह से वहां पर भी सीमेन्ट की एक फैक्ट्री लगा रहे है, जिसका लाइसेंस दिया जा चुका है और जल्दी ही वहां पर काम शुरु होने वाला है। हमने खुदने भी इसका अन्दाजा नहीं लगाया था और न आपको पता था कि यहां सीमेन्ट है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक ही काम हुआ या और भी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह भी बता दें कि बूंदी...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक ही क्यों और भी बहुत से काम हुए हैं और बूंदी पर ही क्या सब पर आऊंगा। कोटपुतली के एरिया में इस डिपार्टमेंट के सर्वे से मालूम हुआ, बूंदी और ब्यावर का एरिया, मांवडा का एरिया....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कौनसी जगह सर्वे कराया है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मसूदा और ब्यावर का एरिया है उसमें पचासों साल से चूना पकाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लाइम स्टोन है और निकाला जा सकता है और इन्डस्ट्रीज़ लग सकती हैं। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जगह का तो मुझे मालूम नहीं मेरे साथ चलना मैं बता दूंगा। नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह जियोलोजिकल सर्वे चाहे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से हो या राजस्थान की तरफ से हो यह प्रौस्पेक्टिंग है। हमने इस तरह के डिपोज़िट्स का पता लगाया और उनके आधार पर जैसा कि यहां एक प्रस्ताव के जरिये कहा गया था कि लाइम स्टोन में हमारा एकाधिपत्य है। आज सोजत बिलाड़ा से ४० स्क्वायर मील का एरिया है जो हम उसके प्लॉट बना कर और ऑक्शन करके लीज़ पर देना चाहते हैं। आज पाटन के बारे में जिसके बारे में जिक्र हुआ था हम फैसला कर रहे है कि उसका भी हम ऑक्शन करके लीज़ पर देंगे। इसके अलावा पंचबाड़ी का एरिया है उसका भी हम ऑक्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर ऑक्शन करके और लीज़पर देने से हमारी मिनरल वैल्थ भी बाहर आयेगी और इन्कम भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यह जो हम अभी कर रहे हैं उसकी बात बताई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राजस्थान के क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि यह कोशिश हमने की है कि हमारे यहां बहुत से मिनरल्स हैं और वे कई जगह पर हैं। अगर हम सब जगह ड्रिलिंग करें तो उससे पैसा बहुत खर्च होता है। उसके साथ ही साथ सफलता मिले या नहीं इसकी भी कोई गारन्टी नहीं होती है। तो हमने जियोलोजीकल सर्वे कराने की व्यवस्था की है। यानी हवाई जहाज से सर्वे होगा। हमने जो हमारी नेशनल मिनरल्स डेवलमेन्ट कोर्पोरेशन है उससे बात-चीत की और लिखा-पढ़ी की और हमारे फोरिन एड प्रोग्राम के तहत इसको लिया जा रहा है, जिसमें कि सेन्ट परसेन्ट इनवेस्टमेन्ट भी उस कोर्पोरेशन का होगा। जिससे हमारे राजस्थान के अन्दर हमारे अन्य प्रान्तों के साथ सर्वे होगा और हमारे यहां कौन से मिनरल डिपोजिट्स किन किन जगहों पर हैं उनका भी पता लग जायेगा। तो उसके आधार पर हम ड्रिलिंग करेंगे, इनवेस्टीगैशन करेंगे और रिसोर्सेज का पता लगायेंगे।

इसके अलावा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कम्पनी ने जैसलनेर में सर्वे कराया है। उसका परिणाम यह निकला है कि उससे हमें पता चलेगा कि जहां पर डिपाज़िट्स हो सकते हैं वहां पर ड्रिलिंग शुरू किया जा रहा है जिससे पता लगेगा कि गैस या ऑईल दोनों में से कौनसी चीज है। यह कम्पनी काम कर रही है और उसी के नाम पर लाइसेन्स भी है। अगर उस डेज़र्ट एरिया में धीरे धीरे काम करते, सर्वे करते तो इसका पता नहीं लगता। इसलिए इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। यह हमने जो इतने अर्से तक सर्वे किये और काम किये उसी का परिणाम है कि हमारे मिनरल रिसोर्सेज इतने बढ़े हैं।

बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिंक स्मैल्टर प्लांट की हमेशा बात होती है और यह लगता नहीं है और एचीवमेंट्स बताते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जिंक स्मैल्टर प्लांट जिसके बारे में उनको शंका रहती है कि लगेगा या नहीं; मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही महीनों में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा। कॉपर स्मैल्टर प्लान्ट के बारे में भी सन्देह प्रकट किया गया। अब इस बात का भी फैसला हो चुका है कि कॉपर स्मैल्टर प्लान्ट कहां लगेगा। माईनिंग भी वहीं रहे और दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे उसके बाइ-प्रोडक्ट्स कहां हों, इन सारे मामलों का फैसला हो चुका है कि वे भी वहीं रहें। इसलिए उसके सिविल इन्जीनियरिंग का सारा काम समाप्त हो चुका है और बाकी की कार्यवाही चल रही है। तो उसके बारे में कोई तस्वीर अधूरी हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ओन ए पाइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्सप्लेनेशन का जवाब मेरी स्पीच के आखिर में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। यह जरूरी नहीं है मेरे लिए कि जब आप पूछें तब ही जवाब दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय, डाइरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं और वह परम्परा के खिलाफ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप भी तो डाइरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं ।...

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरा पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन यह है कि माननीय सदस्य का तो यह आरोप था कि उनको ५० लाख रुपया दिया जा चुका है और दे १ करोड़ और मांग रहे हैं । क्या आपने उनको यह देने का आश्वासन दे दिया मेंटल कोर्पोरेशन का ? महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो स्पष्टीकरण कीजिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक माईनिंग का सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूं । इन्डस्ट्री के लिए जो कुछ पूछना हो वह जब इन्डस्ट्रीज का जवाब दिया जाये उस वक्त पूछियेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : He must explain this.

इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये । अगर कोई इन्डस्ट्री है, उसने रुपया मांगा है तो क्या उसका जवाब नहीं दे सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माईनिंग आस्पेक्ट की बात कर रहा हूं । इन्डस्ट्री की डिबेट अभी बाकी है उस समय प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब दिया जायेगा ।

इसी तरह माननीय, उपध्यक्षजी मूंडवा की पाल पर जो माइन्स हैं और जो डिपोजिट्स हैं वे ४ लाख ७५ हजार टन के माने जाते हैं । उनके बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है । लेकिन अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं एक केनेडियन फर्म लाइट इन्जीनियर कम्पनी-है उसकी जल्दी ही रिपोर्ट आ जायेगी । उसके बाद में यह प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर में शुरू होगा और इसकी कैपेसिटी जैसा मैंने अर्ज किया कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वे ४ लाख ७५ हजार टन हैं तो इस तरह से जो कुछ यह डिपोजिट्स मालूम होते हैं जिनका पता लगता है, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू होता है । अब यहां पर यह कहा जाता है कि जो नॉन–टैक्स रेवेन्यू है वह दूसरे विभागों के साथ साथ माईनिंग के लिए भी कहा गया । यह ठीक है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाना चाहिए । पब्लिक सेक्टर में काम शुरू हो उससे भी नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है, जिस तरह से कि यह मूंडवा की पाल वाली अण्डरटेकिंग है । लेकिन हमने यह भी फैसला किया है कि जिप्सम जो कि देश के प्रोडक्शन का ९२ परसेन्ट है उसमे क्यों नहीं सरकार अपनी ओर से इस काम को शुरू करे जिससे जो भी इनकम हो वह राज्य सरकार को मिले । इसलिए जो यह प्रारम्भ होने वाली साल है उसमें हम जिप्सम का काम सरकार की ओर से शुरू करेंगे जिससे जिप्सम के काम की जो भी आमदनी हो वह सरकार की रहे, कॉन्ट्रेक्टर या दूसरों की न रहे ।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No 136

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हमने डेगाना के अन्दर जो टन्स्टन का मिनरल है, उसके लिए भी यह फैसला किया है कि अगले साल से खुद ही इसको चलायें, खुद ही इसका वर्किंग करें, चाहे इसको छोटे पैमाने पर चलायें ताकि धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा सके। तो इसको राजस्थान सरकार के द्वारा इसी साल से चलाया जायेगा। तो इससे नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, जालोर में ग्रेनाइट के डिपोज़िट्स, जो कि मोन्युमेन्ट स्टोन्स के लिए अच्छा काम आता है ऐसा कहा जाता है, वह पाया गया है। तो राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इसी साल यानी कि जो आने वाला साल है, जालोर में ग्रेनाइट क्वेरिंग और पॉलिशिंग का काम भी वहां पर शुरू करेंगे। क्वेरिंग भी करेंगे और पॉलिशिंग भी करेंगे या राज्य की ओर से ही होगा।

इस तरह से अगले साल से डिपार्टमेंट की तरफ से ये तीनों काम शुरू करना चाहते हैं ताकि नॉन-टैक्स रेवेन्यू सरकार की बढ़े और धीरे-धीरे जिस दिशा की ओर हम जाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो।

यही नहीं, कई बार जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इसी सदन में यह कहा गया था कि रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टस हैं, जिनको कि हम दे देते हैं हर साल नीलाम करके और फिर वह दूसरे लोगों से ठेके की रकम वसूल करता है और एक लम्प सम सरकार को दे देता है। कई बार हमने फैसला किया है कि ५०,०००) रु० या इससे ऊपर वाले जो रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका ऑक्शन नहीं करेंगे, बल्कि सरकार ही इस काम को करेगी। हमने उस फैसले के मुताबिक काम किया और उस काम को करने में, माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को फायदा हुआ और जिस प्रकार मांडलगढ़ में पहले ५६,०००) रु० ठेके से आते थे, इस साल उसकी आमदनी ५६ हजार से १,८०,०००) रु० हुई। चार लाख फिदुसर में आते थे वहां पर आमदनी इस साल पांच लाख हुई। हिन्डौन में ७० हजार से डेढ़ लाख हुई। इसी तरह से मकराना में भी आय में वृद्धि हुई है। तो एक कदम हमने शुरू किया था। इसी साल एक और फैसला किया है जिसको कि हम १ अप्रैल, १९६५ से लागू कराना चाहते हैं। पहले ५० हजार या उससे ऊपर जो रायलटी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको हमने सरकार से हाथ में लिया था। अब हम धीरे-धीरे यह फैसला कर रहे हैं कि १५ हजार या इससे ऊपर के जितने भी रायल्टी कलेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वे किसी को नहीं देंगे और सरकार स्वयं वसूल करेगी। इस तरह से जो बिचौलिये बन कर लोगों से वसूल करके हमको एक लम्प–सम देकर मुनाफा कमाते थे उनको दूर करने का प्रयत्न किया है और इस साल से हमने किया है कि १५ हजार या इससे ऊपर वाले रॉयल्टी कलेक्शन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : और १५ हजार से जो नीचे के हैं उनको उनके भरोसे छोड़ देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गये साल हमने ५० हजार तक का किया था और इस साल हम १५ हजार की स्टेज तक इसको ठीक करना चाहते हैं।

जब गवर्नमेंट के द्वारा रायल्टी वसूल करने की बात मैं कहता हूं तो सदन के माननीय सदस्यों के दिमाग में गलतफहमी हो सकती है कि कुछ दिनों पहले मैंने यह निवेदन किया था कि रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट हमेशा के लिए बन्द कर दिये हैं तो हमने जो रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट बन्द किये हैं और जिनके बारे में मुनासिब तरमीम कानून में कर रहे हैं वह केवल मिट्टी, रेत बजरी कंकड़, सैण्ड स्टोन्स, बिल्डिंग स्टोन्स जिसमें पट्टी पत्थर और स्लेब्स वगैरह नहीं आते हैं, इन चीजों के रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट तो हमने बन्द कर दिये, जिससे जनता और किसान जो डेवलपमेंट का काम कर रही है उनको फ्री रॉयल्टी इन मिनरल्स पर मिल जाय जिससे वे आसानी से काम चला सकें। लेकिन इसके अलावा जो रॉयल्टी कलेक्शन का काम है, उसमें १५ हजार या इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वह सरकार स्वयं वसूल करेगी। तो यह फाइनेन्शियल रिसोर्सेज या नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयत्न धीरे-धीरे हम कर रहे हैं।

इसके साथ साथ जो एरियाज खाली पड़े हुए हैं या जो एरियाज नये डिसकवर किये गये हैं उनको एलॉट करके या लीज पर देकर आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर यह कह देना भी जरूरी है कि माइका के बारे में और दूसरी इन्डस्ट्रीज के बारे में कई बातें कही गई हैं। माइका के ट्रेड को रेग्युलेट करने के लिए जो पीलिंग बिजनेस है सेल और परचेज का, उसको रेग्युलेट करने के लिए. अनऑथोराइज्ड वर्किंग होती है उसके चैक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़े, इस बात की दृष्टि से, चोरी पकड़ी जा सके लीकेज न हो, इस बात की दृष्टि से हमने यह भी फैसला किया है कि १ जुलाई, ६५ से हम माइका एक्ट को सारे राजस्थान में लागू कर देंगे, जिसके लागू होने के बाद जो मैंने ऊपर बातें कही हैं उससे उन पर सुविधा भी होगी और माइका ट्रेड का रेग्युलेशन भी होगा और सरकार की आय भी बढ़ेगी।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें कहीं, मिसाल के तौर पर जो बीकानेर जिप्सम कम्पनी है उसके बारे में कहा कि वहां पर मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम है और उसमे ४० प्रतिशत शेयर्स गवर्नमेंट के हैं और इसलिए क्यों नहीं गवर्नमेंट इसकी मैनेजिंग एजेन्सी स्वयं ले लेती है और क्यों इन्डिविजुअल आदमी उसमें लाभ उठाते हैं, और यह भी बताया गया कि २७ तारीख को कोई मीटिंग है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी मयाद अगस्त ६५ में खत्म होती है। सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो प्रचलित कानून के अनुसार मेनेजिंग एजेन्सी रहेगी या न रहेगी, कैसी रहेगी, सेक्रेटरी ट्रेजरार सिस्टम होगा और क्या होगा, सरकार रखे या और क्या व्यवस्था करे, इन सारी बातों पर विचार करेगी और विचार करके समय से पूर्व ही निर्णय लेगी ताकि उसी निर्णय के अनुसार आगे इसकी तामील की जानी चाहिए। उसकी २७ तारीख की मीटिंग से राज्य सरकार बाध्य हो और उसके बाद कदम नहीं उठा सके, यह बात नहीं है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कराया जाय। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को हम ऑलरेडी सर्वे प्रोग्राम में ले चुके हैं। फुलर्स अर्थ और पलाना के कोल का और दूसरे जिप्सम का यह सर्वे कराया है, वह शुरू है और अभी चलेगा, जब तक कि वह कम्प्लीट न हो जाये और जो कॉपर है उसका भी जैसा कि मैंने कहा कि ज्योलोजीकल सर्वे होगा। हमने इस कार्यक्रम के लिए भी रिक्वेस्ट की है। वह होगा और उसके अनुसार उसका होगा। तो इस तरह से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे की वजह से कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं, चाहे कोल के मिले हों, चाहे जिप्सम के मिले हों, चाहे फुलर्स अर्थ के मिले हों। और खोज जारी है, और यह सारा काम हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना बीकानेर जिप्सम कम्पनी द्वारा लूणकरणसर में लगाने के बारे में कहा था, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है। उसका एक्जामिनेशन हुआ, इन्वेस्टीगेशन हुआ। उसके साथ जो मिट्टी है वह इस प्रकार की है कि वह उसकी क्वालिटी को खराब कर देती है और उसका रंग व्हाइट नहीं रहता है। इसलिए सर्जीकल प्लास्टर के काम में वह मिट्टी नहीं जा सकती है। दूसरे जिप्सम एरिया की मिट्टी पर इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं और मुमकिन है कि उस मिट्टी के आधार पर बीकानेर में कोई कारखाना लगाया जा सके और लगाये जाने की योजना है और यह प्रोग्रेस में है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-दो बातें कहीं। यह कहा कि सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, पट्टी और कातले लाखों करोड़ों रुपयों के यहां से निकलते हैं। मैं मानता हूं कि जब कि राजस्थान में साढ़े आठ करोड़ सालाना का मिनरल वैल्थ एक्स्प्लोइट होता है, निकलता है तो उसमें इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में एप्रोच रोड्स का जहां तक प्रश्न है काफी मात्रा में बनाई भी गई हैं, लेकिन जब तक यहां मध्यभारत के घाटे को न जोड़ा जाये, जब तक एक दूसरी पुलिया और है वह न बन जाये और दूसरी खानों पर यह न पहुंच जाये तब तक इसके डेवलप होने में दिक्कत आती है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस वजह से राज्य सरकार इस संबंध में प्रयत्नशील है। मध्यभारत सरकार से भी लिखा-पढ़ी की गई है वह भी अपने हिस्से को जल्दी से मुकम्मिल करे और हम भी जल्दी से जल्दी पूरा करें जिससे वे खानें डेवलप हो सकें.......

श्री मानसिंह महार (आमेर): ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, यह मध्य-भारत सरकार कौनसी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मध्यप्रदेश । मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आमदनी पर इसका असर पड़ता है इसलिये सड़क पहुंचनी चाहिये । बीच में नाले आते हैं इसलिये ४ महीनों तक प्रोडक्शन रुक जाता है और ट्रांसपोर्ट रुक जाता है इसलिये इसको जल्दी बनाने के लिये जितने आप उत्सुक हैं उतनी ही उत्सुक सरकार है.......

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): भाकरी खान के बारे में कुछ नही कहा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी समाप्त नहीं किया है । भाकरी खान और पाटण खान जिसके लिये थोड़ी देर पहले मन्त्रीजी से प्रश्न किया था, उन्होंने बताया था कि ठीक तरह से नहीं चल रही है इस-लिये दे दी । मैं बताना चाहता हूं कि इनको लीज पर देने की कार्यवाहा कर रहे हैं। पाटन और भाकरी के बारे में मैं यही निवेदन कर सकता हूं क्योंकि इनको लीज पर देने का फैसला हो चुका है । अब आगे उसका क्या प्रोसिजर होगा; ऑक्शन पर देंगे या नोटिफिकेशन गजट में निकालेंगे और जो भी कार्यवाही नियमानुसार करनी होगी वह करेंगे । इसका फैसला तो कर लिया है कि लीज सिस्टम पर दी जायगी ।

श्री रामानंद अग्रवाल : अब तो आपको मुनाफा हो रहा है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माइका के बारे में आपने यह नहीं बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये क्या कर रहे हैं जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माइका के प्रोडक्शन से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है लेकिन बीच में स्लम्प आ गया था.... ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : स्लम्प आ गया था तो उसमें आपने क्या किया ? प्रोडक्शन कम हो गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा । हमने यह व्यवस्था की थी कि ट्रेक्टर्स, कंप्रेशर्स, इम्प्लीमेन्ट्स औजार आदि किराये पर लें । यह भी कर रखा है कि हर ५ साल से पुराने प्रोजेक्ट को कर्जा मिलता है, टैक्निकल एडवाइस देते हैं, यदि कोई सर्वे करना चाहता है ५०% कोस्ट देकर तो वह हम करने को तैयार हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको मालूम है क्या कि बिहार आपके मुकाबले में कम्पीटिशन में खड़ा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी खूब है । इस बारे में आपने क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही बोलना चाहता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बोलते नहीं है, उड़ाना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्याक्षजी, बिजली का जहां तक सवाल है यह ठीक है कि बिजली पहुंच जाय तो उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ज्यादा लोगों को काम तो मिलेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने कुछ किया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक विभाग का सम्बन्ध है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप करते क्यों नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में हम भी विद्युत विभाग को निवेदन करते हैं, वे भी उनको निवेदन करते हैं। हमने उनको लिख दिया है। कुछ लाइन पहुंची भी है। बीच में मेटीरियल की कमी होने से लाइन नहीं जा सकी। अब फिर उनकी तरफ से बिजली विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि बिजली की व्यवस्था करें ताकि मुझे भी संतोष हो और उनको भी संतोष हो...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : निवेदन ही करेंगे या करवा डालेंगे जिससे विदेशी मुद्रा मिल सके ! यह तो बताइये कि कितने समय में बिजली पहुंच जायगी ? साल में दो साल में या कितने समय में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये लिमिट नहीं दी जा सकती।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मारबल जो राजस्थान में अहमियत रखने वाला मिनरल है उसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है। मारबल की क्वालिटी भी हमारे यहां पर अच्छी है और बहार भी जाता है। इसको प्रोत्साहन देने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का निर्माण किया है जो सरकार को यह रिपोर्ट करे कि किस तरह से यह इन्डस्ट्री डेवलप हो सकती है और किस तरह से यह मिनरल अच्छा और सस्ता प्राप्त हो सकता है और इन्कम बढ़ सकती है। यह कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उसके अनुसार स्टेप्स लिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए काफी समय हो गया है। उद्योग मंत्रीजी को भी बोलना है, इसलिये अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्रीजी ने बताया कि खनिज पदार्थों से गवर्नमेंट को ज्यादा आमदनी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् १९५७ में बाकाया खदान मालिकों में ३५ लाख की थी और आज सन् ६४ में वह बढ़ कर ७२ लाख रुपये हो गई, दूनी से भी ज्यादा यह कब वसूल करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हालांकि यह प्रश्न न तो कट मोशन में उठाया गया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। सन् ५८ की कल्पना करके यह बताना चाहते हैं कि मनी आया ही नहीं। ज्यों ज्यों प्रोडक्शन बढ़ता जायगा, लीज़ेज़ की संख्या बढ़ेगी, पार्टीज़ के पास एरियाज़ बढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों ड्यूज़ भी बढ़ते जायेंगे। यह तो स्वाभाविक बात है। लेकिन ७३ लाख के फिगर्स आप कहां से ले आये। मेरे पास जो फिगर्स हैं उनके अनुसार ४३,७६,६१५.१४ नये पैसे हैं टोटल ड्यूज...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कब तक की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६४ तक।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १६६२ तक ७३ लाख थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनमें से जमा भी तो हुए हैं। ६४ तक के मैंने फिगर्स दिये हैं आप चाहें तो और स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी है कि कहीं कहीं नयी लीज़ेज़ की वजह से नये ड्यूज़ हो जाते हैं यह भी एक कारण है। साथ ही साथ ११ लाख के मुकद्दमें हाईकोर्ट में और दूसरे कोर्ट्स में रुके हुए हैं, जिनमें स्टे ऑर्डर होते हुए मैं रिकवरी नहीं कर सकता। ३६ लाख के ऐसे हैं जो पी० डी० आर की तहत और एल० आर० की तहत चल रहे हैं जिनमें वसूलियां चल रही हैं। कुछ केसेज़ डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के लिये पड़े हैं, कुछ उनके क्लेम्स हैं उनसे एडजस्टमेंट करना है इसलिये ये ड्यूज़ आज ४३ लाख के हैं। कुल ५५ लाख के हो सकते हैं, वापिस ४२ लाख के हो सकते हैं। हर साल घटते-बढ़ते रहेंगे। लेकिन ७३ लाख का नक्शा आपके दिमाग में था उतना नहीं है। अब तो आपको संतोष होना चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने ३६ लाख और ११ लाख मुकदमें में बता दिये ६३ लाख तो वैसे ही हो जाते हैं। आप यह बताइये कि भीलवाड़ा जिले में कितने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीलवाड़ा की खबर नहीं है महाशयजी, आपने कटौती प्रस्ताव दिया था उसके फिगर्स लाया हूं। आपने उदयपुर डिविज़न के बारे में पूछा था। उदयपुर में १,१२,५०२.२५ न.पै. पी.डी. आर. की तहत (१००), इन्सटालमेंट्स में ५६, १५३, ड्यूज़ अंडर एडजस्टमेंट्स २२०२७ अंडर डिपार्टमेंटल एक्शन १०१८००० टोटल ३,२७,३२८.६०...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो उदयपुर का बताया...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने उदयपुर का पूछा था इसलिए उदयपुर के फिगर्स दिये।

एक माननीय सदस्य : आपने बताया कि खानों के पत्थर हैं उन पर रॉयल्टी नहीं लगेगी बाकी मिट्टी है, बजरी है कुंभारों के काम में आने वाली चीजों पर रोयल्टी लगेगी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपकी बात समझ गया। गवर्नमेंट ने यह फैसला

Page No 142

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया है कि जो पोटर्स या कुम्हार हैं, ईंट पकाते हैं, केलू पकाते हैं, या जो और तरह का मिट्टी का सामान बनाते हैं, उनसे न तो माईनिंग रॉयल्टी ली जायगी, न जमीन का किराया लिया जायगा और मिट्टी जो ब्रिक्स, केलू वगैरह बनाने में काम में लेते हैं उनकी रोयल्टी नहीं ली जायगी। इससे पोटर्स को संतोष होना चाहिये। मिट्टी, बजरी आदि जो समान वे काम में लाते हैं उन पर रोयल्टी नहीं ली जायगी। इन पर पाबन्दी नहीं रखी है ताकि दूसरों को भी सुविधा हो, चाहे किसान हो चाहे और कोई हो ...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मेरा कट मोशन था कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री को बीस स्क्वायर मील की लीज़ दे रखी है। इस लीज़ को दिये हुए चालीस साल हो गये लेकिन वह तीन मील तक आ पाया है। जब चालीस साल के अन्दर तीन मील तक हो पाया है तो इस हिसाब से जो बीस स्क्वायर मील का एरिया दे रखा है वह कितने वर्ष में कर पायेगा। इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि लाखों रुपया रॉयल्टी का आ सकता है। उसके बीच में बहुत सी जगह हैं जहां पत्थर की खानें हैं और वहां पर कई लोग कारखाना डालना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस चीज़ का कारखाना ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : परसिया निकलता है। कोटा स्टोन !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हमने फिक्स-अप कर रखा है। उसके लिए कोई एप्लाई करे कि उसको एरिया मिल जाय तो मिल सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बीस स्क्वायर मील है, लाखेरी से खरखड़ तक जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह दे दी थी हमारे पूर्वज गवर्नमेंट के वक्त। उस वक्त की दी हुई है, हम क्या करें ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उसके बाद में एग्रीमेंट हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भी बड़ी फैक्ट्री किसी प्रान्त या देश में लगती है तो उसको एरिया उतना देना पड़ता है कि उसकी फैक्ट्री चलती रहे चालीस-पचास वर्ष तक। वह चालीस-पचास वर्ष तक काफी हो। और किसी कम्पनी को दे दिया जाता है तो वह कोई अहसान नहीं है। वह हमारे से पहले की गवर्नमेंट ने किया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो दिया हुआ है वह छीन नहीं सकते।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों के सामने इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस के मुख्तलिफ

(श्री हरिश्चन्द्र)

पहलुओं के ऊपर बहस हुई है। मेरा भी एक छोटा–मोटा रेजिड्यू है। वह मेरे पास है। इन्डस्ट्रियल डेवलप्मेंट का। उसके सिलसिले में मैं आपसे निवेदन करूंगा। कोशिश मैं यह करूंगा कि जल्दी में समाप्त करूं ताकि मैं आपका ज्यादा वक्त न लूं और कोई ज्यादा इमृकन्वीनियेन्स न पहुँचाऊं....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : धन्यवाद !

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान के अन्दर जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही उसकी शुरूआत माननी चाहिए। वह इस वजह से माननी चाहिए क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हुई। और बिजली और इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस साथ साथ चलती हैं। इस वास्ते राजस्थान का जो पुराना इतिहास है उसके अन्दर हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं देख पाते हैं। और जब से राजस्थान के अन्दर बिजली का उत्पादन बढ़ा है उस वक्त से हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके हैं, यानी चार साल के अन्दर जो डेवलपमेंट हुआ है उसी को हम मान सकते हैं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। इन चार सालों के अन्दर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर मुख्तलिफ पहलुओं के अन्दर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और काफी फुर्ती से हुआ है, काफी तेज रफ्तार से हुआ है। अब इसको, क्योंकि आप उधर बैठे हैं, न मानना चाहें तो वह बात दूसरी है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के नक्शे के अन्दर यदि इन्डस्ट्रियल पैटर्न को फिट करने की चेष्टा की जाय तो हम इस बात को मान कर चल सकते हैं कि जहां पर राजस्थान इन्टीग्रेशन के टाइम पर खड़ा हुआ था उसको ले लीजिये और आज जहां पर राजस्थान खड़ा हुआ है इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस के नाम से–इन दोनों को अगर कम्पेअर करेंगे तो आपको एक 'लीप एण्ड बोंड' की प्रोग्रेस नजर आयेगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर को हम बल पहुंचायें। राजस्थान के अन्दर, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा आपसे, मथुरादास जी ने, स्टेट एन्टरप्राइज़ चल रहा है, उसकी प्रगति भी उन्होंने आपके सामने रखी। कांग्रेस पार्टी का यह प्रोग्राम है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को भी बल मिले, स्टेट सेक्टर को भी बल मिले और प्राइवेट सेक्टर को भी बल मिले।

प्राइवेट सेक्टर ने इन चार सालों के अन्दर, जब से पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हुई है, काफी प्रगति की है। राजस्थान एक ऐसी जमीन है जहां पर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स पैदा होते हैं। अभी तक वे लोग बाहर जाकर अपना गुजारा करते थे। आज राजस्थान के अन्दर ऐसी तब्दीली आई है और इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है जिसके जरिये वे लोग, जो बाहर थे, वापिस आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सदन को उनको स्वीकार करना चाहिए और ऐसी एक फिजा बनाने की जरूरत है कि जिस

(श्री हरिश्चन्द्र)

फिजा के अन्दर हमारी इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस चल सके। यह भी मानी हुई बात है कि राजस्थान के अन्दर अभी तक एग्रीकलचर प्रोडक्शन रहा है और जो सरप्लस पॉपुलेशन हम बढ़ाते चले जा रहे है, जिसके लिए काफी सदस्य क्षोभ और चिन्ता करते हैं, मिनिस्टर साहब ने भी उसकी बात कही, जो हैल्थ मिनिस्टर साहब हैं, इस सरप्लस पॉपुलेशन के बारे में। तो जब तक इन्डस्ट्रियल पोटेंशियलिटी राजस्थान में डेवलप नही होगी, तब तक उस सरप्लस पॉपुलेशन को कहां पर जाकर हम एम्प्लॉय-मेंट दे पायेंगे। इसलिए हमारे सामने एक ही मसला होना चाहिए, और वह है इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एट एनी कोस्ट। किस तरह इस राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके लिए कौन से सेक्टर का कहां पर किस तरह विकास हो, कहां पर स्टेट सेक्टर का डेवलपमेंट हो, और कहां पर प्राइवेट का डेवलपमेंट हो, कहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर का डेवलपमेंट हो। इन तीनों सेक्टर्स को महत्वपूर्ण वजन देकर हमारे यहां इन्ड-स्ट्रियल पोटेंशियलिटी को बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम हमारे यहां जो सरप्लस पॉपू-लेशन है, जो बढ़ती जा रही है तेजी के साथ, उसको एक ऑल्टर्नेटिव एम्प्लॉयमेंट दे पायेंगे और जब तक इस ऑल्टर्नेटिव एम्प्लॉयमेंट को क्रियेट नहीं करते हैं तब तक हमारी जमीन के ऊपर और एग्री-कल्चर के ऊपर इतना प्रेशर आयेगा। जब आज हम उस प्रेशर को महसूस करने लगे हैं, तो बीस साल के बाद कितना जबरदस्त प्रेशर जनता के ऊपर आयेगा, उसका अनुमान क्या निकलता है। आज हमारे यहां पॉपुलेशन, हिन्दुस्तान की पॉपू-लेशन पेंतालीस करोड़ के आस पास है यह बीस साल के अन्दर जाकर करीब ६५ करोड़ के पास जाकर पहुंचेगी। उस वक्त का नक्शा हमें देखना है। इस वास्ते दो चीजों के ऊपर हमें महत्व देना है, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ता जाय, साथ ही साथ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो जितनी इन्डस्ट्रीज राज-स्थान के अन्दर लगेंगी उन इन्डस्ट्रीज के अन्दर एम्पलॉयमेंट पोटेंशियलिटी को बढ़ावा दें ताकि सरप्लस पॉपुलेशन भी साथ साथ एब्जोर्ब होती चली जाय। आपके सामने जापान का नमूना है, मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन जापान में आप देख सकते हैं। जापान में पॉपूलेशन बढ़ती हुई चली जा रही है लेकिन वहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना जबरदस्त हुआ है कि वहां आज फील करते हैं कि और अधिक सरप्लस पॉपूलेशन वहां पर हो तो उसे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करके उसमें एब्जोर्ब कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यहां से वहां भेज दो।

श्री चन्दनमल बैद : आप कहें वहां भेज दें।

श्री हरिश्चन्द्र : आप अगर भेजना चाहें तो भेज दें। कांग्रेस सरकार बाहर भेजने के मूड में नहीं है। आप अगर जापान भेजना चाहते हैं तो भिजवा दीजिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ट्रेनिंग करने के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे पहला काम यह होता है कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटी की बढ़ोत्तरी करनी है उसकी सर्वे होनी चाहिए। हमने नेशनल कौंसिल ऑफ साइन्स एण्ड एप्लाइड रिसर्च से एक टैक्नो इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान प्रिपेअर करवाई है। उसके बाद उसको यहां पर एक बेसिस बना सकते हैं कि जिसके जरिये इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि अगर यह मालूम नहीं हो कि राजस्थान के अन्दर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल वेल्थ कहां पड़ी है तो उस वक्त एलीजेंस तैयार नहीं कर सकते। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि हम हमारे यहां इन्डस्ट्रियल पोटेंशियल वेल्थ क्या है वह मालूम करें। उसके ऊपर मैंने आपसे अर्ज किया कि नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च है उसके द्वारा एक सर्वे कराई है।

इसके बाद पॉवर की पोजिशन है वह पहले से अच्छी है; उसके ऊपर भी माननीय सदस्य बहस करें तब अर्ज करूंगा।

इसके अलावा एक वेंचर चाहिये; जब तक ज़ील और एन्थ्युज़ियाज्म नहीं हो, इन्डस्ट्री जम नहीं सकती। इन्डस्ट्री में ज़ील और एन्थ्युजियाज़्म में भी राजस्थान ऊंचा रहा। कलकत्ता, बोम्बे, मद्रास, सीलोन जहां जाइये हिन्दुस्तानी भाई हैं, राजस्थानी भाई हैं, जो व्यापार करते हैं; पर हमारे यहां की लोकल पोपुलेशन के राजस्थान के आदमी हैं वे अभी उस इन्डस्ट्रियल क्लाइमेट से घबराते हैं, इसलिये हमको कोई न कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे कि ज्यादातर बच्चे निकलें कालेजेज के अन्दर से, या यूनिवर्सिटीज के अन्दर से उनके माइन्ड्स इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ लगते रहें और उनमें इस ओर वेंचर पैदा हो ताकि वे इन चीज से भागें नहीं, थोड़ा वेंचर की तरफ चलने की कोशिश करें।

इसके अलावा पानी की समस्या है, आज कई जगह ऐसी हैं जहां पानी नहीं है, जैसे पलाना के क्षेत्र के सिलसिले में माथुर साहब ने रखा पानी, पॉवर टेक्निकल डाटा, एड्वेन्चर या वेंचर ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो देश उठ सकता है। तो मैं अर्ज करता हूं कि राजस्थान में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब तक नहीं थीं, इसलिये इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहां नहीं हो पाया, धीरे धीरे बढ़ पाये और अब इस स्थिति में हम पहुंचे हैं कि राजस्थान ने इन्डस्ट्रियलाइजेशन की एक नींव डाली है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि १९५७-५८ में राजस्थान का पॉवर कन्ज़म्पशन फोर इन्डस्ट्रियल पर्पज़ १८,१६८ हजार यूनिट था १९६३ – ६४ में वह १६ करोड़ ८१ लाख ४० हजार यूनिट हुआ है इन्डस्ट्रियल पॉवर का। यह इस चीज को बताता है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रिज़ बढ़ रही हैं। यह कहना कि हमारी प्रोग्रेस रिटार्ड हुई हैं। या हम पीछे जाने लगे हैं, यह बात ठीक नहीं है। यहां इस बात को भी उठाया गया कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है। जो यहां मान-

(श्री हरिश्चन्द्र)

नीय सदस्यों ने चन्द बातें रखीं, हो सकता है उनमें नीचे भी गये हों पर बहरहाल उन फिगर्स में नायलोन के प्रोडक्शन के फिगर्स कहीं नहीं है; वे बढ़े हैं, कास्टिक सोड़ा पी. वी. सी. में प्रोडक्शन बढ़ा है, वूल टोप जो कोटा में फैक्टरी लगी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा है, स्ट्रॉ बोर्ड की फैक्टरी है उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। वूल इन्डस्ट्री जोधपुर की है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा है। इन्जीनियरिंग की मीटर्स की मेटल इन्डस्टीज़ जयपुर में हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ा है, भरतपुर में शिम्पो फैक्टरी लगी है, उसका वैगन प्रोडक्शन बढ़ा है। तो राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैक्टरीज़ हैं उनमें प्रोडक्शन बढ़ा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका विभाग दूसरी इन्डस्ट्रीज़ के फिगर्स भी कलेक्ट करता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं करता है, पर चूंकि यह बात आज सामने आई है, मैं कोशिश करूंगा कि यहां जो इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है उसके आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने आने चाहिये । कोटा चम्बल एरिया में गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ रहा है, यह मैं ही नहीं कहता; जो माननीय सदस्य वहां घूमते हैं वे देखते हैं कि गन्ने का प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। गन्ने की प्रोडक्शन को देखते हुए हम भारत सरकार से भी पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि शुगर फैक्टरी कोटा बूंदी क्षेत्र में खुलनी चाहिये........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : भीलवाड़ा जिले में मांडल के क्षेत्र में किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, वे अपने गन्ने को बेच नहीं सकते, कोटा और बूंदी के लिये शुगर फैक्टरी खोलने के लिये आप भारत सरकार को कहेंगे, मांडल क्षेत्र के लिये क्यों नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मांडल भी हो सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं, वहां भी शुगर फैक्टरी लगे। भारत सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर इन्डस्ट्रीज़ लेंगे, यह सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर की इन्डस्ट्री मांडल में भी हो, बूंदी और कोटा जिले में जो गन्ने का प्रोडक्शन है उसको देखते हुए एक शुगर फैक्टरी वहां काफी नहीं होगी, वहां एक ही शुगर फैक्टरी जितना गन्ना नहीं है और फिर ज्यों ज्यों इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ता जायगा उसको देखते हुए वहां उस एरिया में तीन-चार शुगर फैक्टरीज़ लगायेंगे, तब कहीं जाकर वहां का गन्ना कन्ज्यूम हो सकेगा। आज कोऑपरेटिव सेक्टर को गतिशील बनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कल्टिवेटर्स के सामने कई तरह के सवाल आते हैं, वे सोचते हैं कि इतनी पूंजी उनके पास कहां से आये, किस तरह सारा काम मैनेज किया जाय ।

जैसा कि मैंने टैक्स्टाइल मिल के लिये अर्ज किया था अभी तक काफी स्पिन्डल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, अगर कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाना चाहे तो

(श्री हरिश्चन्द्र)

लगा सकता है, पर अभी तक हमारे काश्तकार भाई हिचकते हैं, इसे अच्छी तरह समझ नहीं पाये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर कि गन्ने की पैदावार बढ़ती जा रही है, उन क्षेत्रों में कम से कम भारत सरकार को भी शूगर फैक्टरी का प्रबन्ध करना चाहिये, ताकि काश्तकारों ने जो गन्ना लगाया है उसकी खपत हो सके। काश्तकारों ने जो गन्ना लगाया है उसकी खपत नहीं होगी तो काश्तकार गन्ने की काश्त से चमक कर भागेंगे। इसलिये शूगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये उस एरिया में एक-दो शूगर फैक्टरीज लगें, यह हम कोशिश करेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भारत सरकार ने लाइसेंस दिये हैं, पंजाब यू० पी० को लाइसेंस मिले हैं, राजस्थान को क्यों नहीं मिले ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इन आर्ग्युमेंट्स में नहीं जाना चाहता। मेरे पास सूचना है कोऑपरेटिव सेक्टर में लाइसेंस दिये जायं; मैं कहता हूं कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा है, पर उसको लेने के लिये हमारे काश्तकार तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और वे इतना पैसा लगाने से हिचकते है कि न मालूम हमें हमारे पैसे का कितना रिटन मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका भी एक उपाय है। राजस्थान सरकार यह घोषणा करे कि जो कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर में शूगर फैक्टरी लगायेगा, उसको राजस्थान सरकार की तरफ से इतनी इतनी सहायता मिलेगी, इस इस प्रकार की सलिहूयतें मिलेंगी। इस तरह की सरकार यदि घोषणा करती है तो लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर में शूगर फैक्टरीज खोलने में प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक सहायता देने का सवाल है सरकार बिल्कुल तैयार है। कोऑपरेटिव सेक्टर में यदि काश्तकार मिल कर शूगर फैक्टरी लगाना चाहें तो सरकार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा; इसमें दो राय नहीं हैं, पर इस बात को मान कर चलें कि we have to become realistic in our approach.

आज काश्तकारों के सामनें चिन्ता यह है कि किस तरह वे बचायेंगे, उसका पैसा सिक्योर्ड है या नहीं, रिटर्न उसे मिलेगा या नहीं ? धीरे धीरे उस चीज में आयेंगे; आज के आज नहीं आयेंगे। सवाल यह है कि उस एरिया में, जैसे मांडल है, कोटा-बूंदी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में गन्ना खड़ा है इसलिये कम से कम भारत सरकार को इस तरफ विचार करने की जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह : क्रय विक्रय संघ ?

श्री उ[illegible] सिंह [illegible]रिया (बनेड़ा) : विजयनगर की शुगर फैक्टरी बन्द पड़ी है, ८ लाख से ज्यादा रुपया आपने उसको दे रखा है, उसको क्यों नहीं चालू करते ?

श्री [illegible]चन्द्र : मुझे उसकी सूचना नहीं है, I will look into it.

श्री उपाध्यक्ष : मांडल से कितना दूर है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मांडल नजदीक ही है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन वह मसूदा के पास नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप चल कर वहां देखें । वहां स्क्रैप पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मांडल में चलवाएंगे।

श्री भैरोंसिंह : मांडल और मसूदा का विवाद यहां नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सरकार ने आठ लाख रुपए शुगर फैक्टरी को दे रखे हैं इसलिए या तो रिकवर किए जायं तो उस फैक्ट्री के चलाने का इंतजाम किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : ऑफ हैंड तो मैं कमिट नहीं कर सकता । आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है तो मैं तलाश करके बताऊंगा कि क्या पोज़ीशन है। मैं अर्ज कर रहा था कि १९५७ के बाद राजस्थान ने करीब ६९ लाइसेन्सेज़ दिए हैं और उन लाइसेन्सेज़ से कई इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। मैं विभिन्न उद्योगों के, जो मेन उद्योग हैं, उनके नाम पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले कोटा के अन्दर फर्टीलाइज़र फैक्ट्री लगाने का तय हो चुका है और उसका काम शीघ्र शुरू होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सब बंद हो गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजस्थान कैनाल है, भाखरा है, हनुमानगढ़ है। आखिर किसान कहां जायेंगे ? बीकानेर का क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस पर बहस हो चुकी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह तो कुमाराम के इलेक्शन के समय वायदा किया था।

श्री हरिश्चन्द्र : नाइलोन फैक्ट्री, कोटा को एक्सटेन्शन का लाइसेन्स दिया गया है; मैं यह इसलिए रख रहा हूं कि यहां वातावरण बनाने की यह कोशिश की गई कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक प्रगति नहीं हुई : पी० वी० सी० कैल्शियम कार्बोनाइट, कोटा, सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़, काटन स्पिनिंग मिल किशनगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर व भवानीमंडी, पॉवर केबल फैक्ट्री कोटा, पिग आइरन प्लान्ट उदयपुर, वाटर मीटर्स जयपुर, ओटोमोबाइल्स व साइकल टायर्स और ट्यूब्स कोटा। यह तो नमूने के तौर से अर्ज किया है, बाकी लाइसेन्सेज़ इश्यू हुए हैं, कहीं काम चल रहा है, मशीनें आ रही हैं। थोड़े समय के अन्दर आपके सामने राजस्थान के अन्दर

(श्री हरिश्चन्द्र)

औद्योगिक विकास आएगा । यहां यह बात भी रखी गई कि ये उद्योग जो हैं सरकार को कोई फायदा नहीं दे रहे हैं और एक इन्डिवीजुअल को फायदा

(६. म. प.)

मिलता है और इसलिए सरकार को इन्डिविजुअल एन्टरप्राइजेज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । जैसे मैंने पहले कहा था, कांग्रेस की यह पॉलिसी है कि सब सेक्टर्स को बलशाली बनाना चाहिए । प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आता है और वह बड़ा महत्वपूर्ण रोल औद्योगिक विकास में प्ले करना है । मैंने नमूने के तौर पर एक नाइलन फैक्ट्री, कोटा से फिगर्स मंगाए हैं ।

१-४-६२ से ३१-३-६३ तक ७,८०,०००) सेंट्रल एक्साइज़ को दिए

१-४-६३ से ३१-३-६४ तक २२,१०,४८३, सेंट्रल एक्साइज़ को दिये

१-४-६४ से २८-२-६५ तक ४०,७७,६२१.६१

इसके अलावा अपना सेल्स टैक्स और केन्द्रीय सेल्स टैक्स अलग थे । इस उद्योग को लगाने से इन्डाइरेक्ट बेनीफिट भी होते हैं जैसे कि इससे नाइलोन थ्रेड निकलता है; उनसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ और लग सकती हैं । राजस्थान में एक कमेटी बनी हुई है कि एन्सीलियरी इंडस्ट्रीज़ कहां कहां डेवलप हो सकती हैं । उसकी रिपोर्ट आने पर इस बात का प्रयास किया जायगा कि अगर कोई ऐसा उद्योग हो रहा है जिसके आस-पास २०-२५ मील के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग उसके रॉ-मैटीरियल्स से चला सकें तो उसको भी प्रोत्साहन देने का सवाल है । यहां पर डी० सी० एम० के बारे में कहा गया । एक माननीय सदस्य ने, जो कोलायत से आते हैं; फरमाया कि डी० सी० एम० को इतनी पॉवर देते हैं तो फिर उसको बंद ही क्यों न किया जाय ? तो फिर मैं पूछता हूं कि एक उद्योग को समेरिली बंद किया जाय उसका क्या असर औद्योगिक प्रगति पर पड़ेगा । जहां पॉवर कट का सवाल था वह वहां पर एप्लाई किया गया जैसा दूसरे उद्योगों पर एप्लाई किया गया । कोई उनके साथ रियायत नहीं है लेकिन क्योंकि वह ज्यादा पॉवर कन्ज़्यूम करती थी, इसलिए एक इंडस्ट्री को बंद कर दें । कांग्रेस सरकार इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकती है । मैंने उनको सस्ते रेट पर बिजली दे दी, ठीक है । आज राजस्थान की औद्योगिक क्लामेंइट बनाने के लिए जो होता है हम इस बात को भी नजर में रखें कि आस-पास के राज्यों में ऐसे इलेक्ट्रो केमीकल्स को कितनी रेट में पॉवर देते हैं । हिन्दुस्तान एलीम्यूनियम को १.६६ के ऊपर पॉवर मिलता है, इंडस्ट्रियल केमीकल कैल्शियम कार्बोनेट को १.६ से २.८ तक, माईट्टर केमीकल २.५५, ट्रावनकोर फर्टीलाइज़र्स ६ पैसे प्रति यूनिट और जो राजस्थान में डी० सी० एम० है वह तीन पैसे प्रति यूनिट लेता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बम्बई में प्रति यूनिट खर्चा कितना पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान ने क्या गुनाह किया अगर उन्होंने तीन पैसे में एक यूनिट दिया और एक उद्योग जो बेसिक उद्योग है उसने इलेक्ट्रो केमीकल का उद्योग लगाया। ये भी निगोशिएशन्स हो रहे हैं कि इस उद्योग को और बढ़ाया जाय, ताकि इसके साथ साथ एक फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री और लगे और पेट्रो केमीकल्स का उद्योग लगे।

यह इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है, अगर हम उनको यह कह दें कि हम आपको ५ न. पैसे की रेट पर बिजली देते हैं, तो वे इन्डस्ट्री यहां नहीं लगाते, दूसरी जगह चले जाते।

श्री मुरलीधर व्यास : इतना बता दीजिये कि २ नये पैसे में पर यूनिट बिजली बोम्बे में देते हैं तो उनका पर यूनिट खर्चा क्या पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जेनरेशन कोस्ट वहां की मेरे पास नहीं है। कम्पनी को जिस रेट पर बिजली दी है वह मैंने बताया है। उन्होंने हमें कहा कि २ न. पै. पर यूनिट के हिसाब से दूसरी जगह पॉवर मिलती है तो इसको भी इस रेट पर दीजिये तो सरकार ने कहा कि इतने नीचे नहीं जा सकते ३ न. पै. पर रेट फिक्स की। It is a matter of dispute. you can say something after I have said.

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : रेट्स महंगाई हैं तो ये फैक्ट्स भी आपको मंगाने चाहिये थे कि पर यूनिट उनके यहां कितनी कोस्ट आती है। आपकी इस नीति के कारण ४० लाख रुपये का नुकसान राजस्थान को प्रतिवर्ष होता है। आपको ये फैक्ट्स भी मंगाने चाहिये थे। उसको आप अनुचित फायदा पहुंचा रहे हैं, गरीबों को बिजली मिलती नहीं और उसको ४० लाख का फायदा पहुंचा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने एक ही इन्डस्ट्री का सुनाया, ६४–६५ में नाइलोन फैक्टरी ने ४० लाख रुपया सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी का दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उन लोगों के समुद्र पास है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की इन्डस्ट्रीज के मालिकों को वहां बहुत सहूलियत मिल सकती है। हमारे यहां इनको रियायत नहीं देंगे तो यहां कोई उद्योग लगाने वाला नहीं। इनको रियायत देनी चाहिये। अगर इनकी बातों में आ गये तो यहां कोई उद्योग नहीं लगायेगा, ये तो चाहते हैं कि यहां कोई उद्योग नहीं लगे। राजस्थान का विकास करना है तो कम रेट पर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली देनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि डी. सी. एम को जो बिजली दी जाती है उससे प्रतिदिन १२ हजार रुपयों का लोस राजस्थान सरकार को भुगताना पड़ता है। आपने हमको बताया कि १६ करोड़ यूनिट बिजली

(श्री मुरलीधर व्यास)

इन्डस्ट्रीज़ में देते हैं, उसमें से अकेली ये इन्डस्ट्रीज़ १२ करोड़ यूनिट बिजली ले लेती है, दूसरों को बिजली मिलती नहीं है। हमको ४० लाख रुपये का प्रतिवर्ष घाटा होता है। मैंने हिसाब लगा कर देख लिया है। इसमें केवल २०० मजदूर काम करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ये लोग चाहते हैं कि इन्डस्ट्रीज़ बन्द हो जायं, मजदूरों को काम नहीं मिले, वे लोग बेकार हो जायं और इनको लीडरी करने का मौका मिले।

श्री मुरलीधर व्यास : १२ हजार रुपयों का रोज नुकसान होता है....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह व्यवस्था नहीं रह सकती। आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करें कि इस नीति से कितनी कोन्स्टेन्ट बिजली दी जा रही है; क्या इसका नतीजा यह नहीं हुआ है कि गांधी सागर डेम में आपको अपने तमाम यूनिट लगातार चालू रखने पड़ते हैं, डी.सी.एम. को अधिक कोस्टेन्ट देते हैं जिसकी वजह से पॉवर के क्राइसिस हमारे यहां पैदा हो गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : इलेक्ट्रिसिटी की बहस करेंगे उस समय उत्तर दूंगा, आज यह विषय नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : राजस्थान के कितने मजदूर इस इन्डस्ट्री में काम करते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र I am not an encyclopedia Britanica.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार डिसऑर्डर से तो कोई बात नहीं हो सकती। माननीय गोकुलप्रसादजी आप भाषण सुन लें। अगर इस तरह से चल पड़ेंगे तो कोई निर्णय नहीं होगा, न कार्यवाही ही चल सकेगी।

(शोरगुल अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of explanation, sir, हमको इस बात में कोई एतराज नहीं है कि राजस्थान सरकार किसी पार्टी विशेष को बढ़ाने के लिए सस्ती दर पर बिजली देती है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। पर राजस्थान में पॉवर कट किया गया, वह डी. सी. एम. फैक्टरी पर भी पॉवर कट एप्लाई किया तो पिछले साल जब कि पॉवर कट सप्लाई नहीं किया था, इस फेक्टरी ने २८ लाख रुपया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पे किया और इस साल पॉवर कट सप्लाई करने के बावजूद भी इस फैक्टरी ने ४० लाख रुपया सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी का पे किया, यह कैसे ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): ये फिगर्स जे. के. के दिये हैं, डी.सी.एम. फैक्टरी के नहीं दिये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय उपाध्यक्ष........

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने नाइलोन फैक्टरी के फीगर्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नहीं दिये हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : नाइलोन फैक्टरी के दिये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने नाइलोन फैक्टरी पर पॉवर सप्लाई किया था क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : किया था ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : किया था। अगर नहीं किया हो तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो आप इस्तीफा दें।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें आपके इस प्रकार के आश्वासनों पर कोई भरोसा नहीं है। दो दो दफा के लिखे हुए को नट जाते हैं। आपके मुखियाजी नट जाते हैं। हमको आश्वासनों पर कोई भरोसा नहीं है। आपके सुखाड़ियाजी दो दो दफा कह कर कहे हुए से मुकर गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप पहले भाषण को सुन लें फिर कोई पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन हो, तो मैं इजाजत दूंगा। इस तरह डिसऑर्डर करने से कुछ हल नहीं हो सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नाइलोन फैक्टरी का कितने परसेंट कट पॉवर में किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय उपाध्यक्षजी, २० परसेंट कट एप्लाई किया है, नानलोन फैक्टरी में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरों का कितने परसेंट कट किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : २० परसेंट।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी का कम या ज्यादा नहीं किया।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I challenge your figvures. दूसरी फैक्टरीज़ हैं कोटा की और दूसरी उनका ज्यादा कट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने रूल पढ़े या नहीं, नोटिफिकेशन निकाला है उसके तहत कट है। यह पॉवर के डिसकशन के वक्त डिस्कस कर लें। आज यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! मैं निवेदन करूंगा...

श्री हरिश्चन्द्र : यही नहीं, बन्द भी कर दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कुछ फैक्टरीज़ को बन्द भी कर दिया है, यही तो हमारा एलिगेशन है कि एक फैक्ट्री जिस पर सरकार की महरबानी है उसको नुकसान भुगत कर भी इतनी सस्ती दर पर सरकार पॉवर दे रही है और दूसरी फैक्टरीज़ को बिल्कुल ही पॉवर बन्द कर दिया है। यही तो हमारा एलिगेशन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणा ! ऑर्डर प्लीज !! माननीय गोकुलप्रसादजी, ऑर्डर प्लीज !! मैं केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि यह डिबेट चलने दी जाय; फिर पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन होंगे वह कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : गोकुलप्रसादजी को बाहर निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गोकुलप्रसादजी क्या, सभी को निवेदन कर दूं।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बहुत अहम मामला खड़ा कर दिया है कि इन्डस्ट्री एक है और वह ज्यादा युनिट्स कन्ज्यूम कर रही है तो उसको भंग कर देना चाहिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरफ के लोगों की और कांग्रेस सरकार की यह इच्छा नहीं है और न ही उनका ऐसा विचार होता है। जो रूल्स बने हुए हैं वे सब के लिए समान हैं। युनिलेटरी सरकार नहीं करती है और आपकी इस प्रकार की नीति में वह विश्वास नहीं रखती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह इस बात की ताईद है कि करोड़पति की बिजली भी बन्द होगी।

(व्यवधान)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपकी ताकत नहीं चलती।....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

माननीय श्री गोकुलप्रसाद।

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप किसानों को क्यों नहीं देते....

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! माननीय श्री ढाबरिया।

श्री हरिश्चन्द्र : आपकी इन्फोर्मेशन के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डिस्कशन को आगे प्रारम्भ करें न कि इसके अन्दर उलझे रहें।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो फरमाते हो, मैं हमेशा उसको ऊंचा मानता हूं और जो आप फरमाते हो उसके अनुसार चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन उन्होंने फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आप एग्रीकल्चर वालों के साथ भी वही बर्ताव करते हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि इस पॉवर का कट होते हुए भी राजस्थान सरकार और विद्युत् मंडल ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी कनेक्शन, एग्रीकल्चर का पंपिंग कनेक्शन रिफ्यूज़ नहीं किया जाय। उसको चालू रखा है। There is no cut on agriculture. इसलिए माननीय सदस्य पहले उसको पढ़िये और फिर बहस कीजिये।

राजस्थान में इस बात की भी कोशिश की गई है, टैक्सटाइल्स के मैं फीगर्स इकट्ठे कर रहा हूं कि राजस्थान में जो टैक्सटाइल मिल्स लगे हुए हैं उनका टोटल टर्न ओवर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आता है ११,१४६५ ८२१ और एम्पलॉयमेंट पोटेन्शियल जो है करीब १२ हजार व्यक्ति हमारे आज टैक्सटाइल मिल्स में काम कर रहे हैं। उसके अलावा फिर यह कहा जाता है कि राजस्थान की कोई रेवेन्यूज़ हैं या नहीं, उसके लिए भी मैंने आंकड़े उपलब्ध किये हैं करीब ५०,४७, २६० रु० सेन्ट्रल एक्साइज के दिये जाते हैं जिसका कि शेयर राजस्थान को आता है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : कितना शेयर आता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो जो भी शेयर होगा वह बतायेंगे। मैं तो टोटल आंकड़े बता रहा हूं। ये आंकड़े ६३-६४ के हैं ५०,४७ २६० के दिये जाते हैं; इसके अलावा सेल्स टैक्स और ओक्ट्रॉय अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : कट से पहले के हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : कट से पहले के ही होंगे। लेकिन कट होने के पहले ही मैंने जिन लोगों से बात की थीं, कई तो डीज़ल इन्जिन ले आये हैं, खड़े हो गये हैं और वे चला रहे हैं।

मैं थोड़ा यह अर्ज करना चाहता हूं कि कि जहां तक बड़े उद्योगों का सवाल है, एक कटोती प्रस्ताव यह भी था कि लाखेरी का प्रोडक्शन सीमेन्ट का कम हुआ है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि सन् ६२ में ३,१४ हजार टन हुआ, ६३ में ३,४१ हजार टन, ६४ में ३,५१ हजार टन हुआ और वे कह रहे हैं कि कम हुआ। सन् १९६५ में ३,६५ हजार टन सीमेन्ट होगा।

एक यह तो आंकड़ा मैंने आपको बड़ी इडस्ट्रीज़ के बारे में दिया। टाइम बहुत हो गया। मैं इसको संक्षिप्त करूंगा।

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में भी दो-तीन महत्वपूर्ण बातें हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिक स्मेल्टर वालों को कितना रुपया और दे रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह मिनरल भारी इन्डस्ट्रीज़ के नीचे आती है, वह मेरे पास नहीं है ?

Page No 155

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह कहते हैं कि इनके पास है और वे यह कहते हैं कि उनके पास है । लड्ढा साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब के पास और आप कहते हैं कि उनके पास; कोई मालिक ही नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पूछा क्या है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उस कारखाने के मालिक को एक करोड़ की बैंक सिक्योरिटी दे दी। ६५ लाख उधार केश में दे दिया और जब हम वहां पर गये और देखा तो टीन छाने के लिए भी नहीं थे, कैंचियां लगी हुई थीं, पूछा तो वे कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा दें तो कारखाना बन सकता है, नहीं तो नहीं । अभी आपने कहा कि प्रोडक्शन चालू होने वाला है । कहां जमीन में प्रोडक्शन होगा या कैंचियों में ?

श्री हरिश्चन्द्र : माईनिंग तो जमीन में ही होता है । माननीय सदस्य, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक फायर चला देते हैं और आप सोचें, मैं भी गोली चला दूं, यह मेरे लिए संभ वनहीं है । आप तो चला सकते हैं । आपने एक बात कह दी । मैं ऊट-पटांग बात नहीं कह सकता । मेरी सूचना के अनुसार अभी फाइनेन्शियल कमिटमेन्ट करने का सवाल नहीं है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यही मैं भी कह रहा हूं कि फिर प्रोडक्शन कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री गोकलप्रसाद शर्मा : मैं एक अर्ज करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! I shall not allow any question.

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों के बारे में मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की यह पॉलिसी है कि २५ लाख से ऊपर के जो इन्डस्ट्रियल कन्सर्न होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया लाइसेन्स देती है । २५ लाख से नीचे के कन्सर्न होते हैं तो उनके लिए इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स की जरूरत नहीं होती है । स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में २५ लाख के नीचे के कन्सर्न्स आते हैं । अभी राजस्थान में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर छोटे उद्योग चल सकते हैं । लेकिन क्यों नहीं चले ! मैं भी बहुत चाहता हूं और आप भी बहुत चाहते हैं और सब ही माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में अधिक से अधिक इन्डस्ट्री खुलें । लेकिन मोटिव पॉवर न हो तो काम नहीं चलता । इस प्लान में हम कह सकेंगे कि अपनी पॉवर जेनरेट की वह चन्द लोकेलिटी में सीमित नहीं रहेगी, जैसे उदयपुर, जयपुर या कोटा में, लेकिन डिस्बर्समेंट ऑफ पॉवर भी राजस्थान में हुआ है और जब आप लोग पधारते हैं, घूमते हैं, मोटरों में जाते हैं तो आपको जाते हुए तार नजर आते हैं; पहले नजर नहीं आते थे; यह पॉवर का ही तो डिस्बर्समेंट है । जब हम पॉवर का डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं हम यह विचार कर सकते हैं कि कोई भी इन्डस्ट्री रूरल क्षेत्र में जाना चाहे उनको किसी न किसी रूप

(श्री हरिश्चन्द्र)

से प्रोत्साहन दिया जाय । रॉ मेटीरियल का भी प्रोत्साहन मिले; उसको फाइनेन्शियल प्रोत्साहन भी दिया जाय ताकि कन्स्ट्रक्शन ऑफ इन्डस्ट्रीयल कन्सर्न चन्द जगहों पर न रहे, बल्कि उनका डिस्पर्शन हो । उसके लिए डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज, सेक्रेटरी साहब और अन्य लोगों को कहा गया है कि स्कीम वर्क आउट करें कि किस तरह डिस्पर्शन कर सकते हैं ।

इसके अलावा १९६० के अन्दर जो यूनिट रजिस्टर राजस्थान के पास थीं वे थीं करीब १,६८४ और उसमें १५, १५६ आदमी और करीब ११,८४ लाख का इन्वेस्टमेन्ट था । १९६४ तक अपटुडेट युनिट रजिस्टर्ड ५६०; वर्क्स पहले के मुकाबले ४५,८१० और टोटल इन्वेस्टमेन्ट जो पहले था ११,८४ लाख उसके मुकाबले ३२, ७१ लाख रुपये के आसपास पहुंचा है, तो इस बात को फिर बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग भी धीरे २ आगे बढ़ रहे हैं ।

इसके अलावा जहां तक लोन्स का सवाल है अभी तक, ५४ से लेकर आज तक, १ करोड़ २४ लाख ७१ हजार ५४९ रुपया इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को तकसीम किया है जिसमें पार्टीज़ का नम्बर ३,३२६ है । रिक्वरीज़ इस साल पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा अच्छी नजर आती हैं, पी० डी० आर० के अन्दर भी कई कैसेज भेजे गये हैं । यह मैंने आपके सामने नक्शा रखा । लोन जो दिया जाता है वह सस्ते इन्टरेस्ट पर दिया जाता है, तीन परसेन्ट पर-पैसा मिलता है । कोशिश इस बात की की जाती है कि जो आदमी राजस्थान फाइनेन्स कोर्पोरेशन से लोन नहीं ले सकता, छोटा अमाउन्ट चाहता है, उन लोगों के लिये पैसा दिया जाए ताकि उस पैसे से अपने उद्योग-धन्धे खोल कर अपनी आर्थिक उन्नति कर सके ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल रखा गया है, लोन बांटने का सवाल है, वह चैनेलाइज हो जाना चाहिये । यह आज के थिंकिंग के विरुद्ध है । When you believe in modern times, think in modern times also. इस वास्ते जितना चैनेलाइजेशन डिसेन्ट्रलाइज करेंगे, जितने एवेन्यूज खोल सकेंगे उतना ही अच्छा है । हिन्दुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं, उनमें भी हमारे यहां की तरह फाइनेन्स कोर्पोरेशन की तरह कोर्पोरेशन चल रहे हैं । इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं, उनको भी हम सहायता देते हैं । इन्डियन फाइनेन्स कोर्पोरेशन से भी वे सहायता ले सकते हैं । इसके अलावा आई० सी० आई० सी०-वहां से भी अलग लोन मिल सकता है । लोन के बारे में मेरा निवेदन है जहां से भी जितना पैसा आता रहता है वह इन्वेस्टमेन्ट होता रहता है और इससे देश की इकोनोमी में तरक्की होती है ।

इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को भी सोचा है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कोर्पोरेशन की भी शुरुआत की जाय । उसको बनाने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की है, उसकी रिपोर्ट आने पर किस तरह से हम

Page No 157

(श्री हरिश्चन्द्र)

इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस को इम्पेटस दे सकते हैं इस चीज़ को मद्दे-नजर रखते हुए कमेटी को कहा गया है वह रिपोर्ट बनाये । उसका मेन उद्देश्य यह होगा कि किस तरह से हम केपीटल पार्टीसिपेशन इन्डस्ट्रीज़ में कर सकते हैं। किस तरह से हम एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, जहां पर पानी का, बिजली का, सड़कों का, इन्तजाम हो सके और भी चीजें उपलब्ध कराई जा सकें ताकि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स यहां आकर इन्डस्ट्री लगायें। इसके साथ ही साथ रॉ-मेटेरियल जो इन्डस्ट्रीज़ के लिये आवश्यक है, इन्डस्ट्रीज़ का पोटेन्शियल उससे भी हम उन लोगों को तैयार करें कि वे यहां आयें और हमारी स्कीम के मुताबिक इन्डस्ट्रीज़ चालू करें। जब तक इस प्रकार की क्लाइमेट नहीं बनती है हमारा डेवलपमेन्ट जिस तेजी के साथ हम करना चाहते हैं नहीं हो पायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उस कमेटी का पर्सोनल क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस कमेटी के-चेयरमैन हैं श्री जी० डी० सोमानी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कौन कौन से लोग हैं, पूरे नाम बता दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी हैं, फाइनेन्स सैक्रेटरी हैं तथा और भी लोग हैं ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, यहां पर हमेशा जनसंघ के नेता जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं । इसका जिक्र लास्ट टाइम भी हुआ था । उसका मैंने अपना रिप्लाई दिया था वह माननीय सदस्यों के सामने है; मैं उन चीजों में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह बदसूरत चेप्टर है ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो इन्वेस्टमेंट उसमें सरकार का था उसके लिये उनका कहना था । अभी तक जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है उसका कोई रेमुनरेशन सरकार को नहीं मिला । प्रिफरेन्स शेयर्स थे उसका इन्टरेस्ट एकुमुलेट होता चला गया, उसका रिटर्न मोनीटरी बेनीफिट सरकार को नहीं मिला । तो सरकार के सामने सवाल उत्पन्न हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट इसके अन्दर है उसका कुछ न कुछ रिटर्न मिलना चाहिये । जब तक कन्सर्न नुकसान में जाता है, घाटे में जाता है, रिटर्न नहीं मिलता है तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और फाइनेन्स मिनिस्टर, इन्डस्ट्रीज़ का महकमा, इनका फर्ज हो जाता है, वह देखें कि जो उनका पैसा शेयर्स के रूप में पड़ा हुआ है वह कम से कम रेमुनरेटिव हो जाय; सरकार को बेनिफिट मिलने लगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने कभी इस बात की जांच कराई है कि सरकार को रेमुनरेशन क्यों नहीं मिला ?

श्री हरिश्चन्द्र : जितना लीगली शेयर होल्डर कर सकता है उतना ही तो हम कर सकते हैं, उससे अधिक क्या कर सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ईमानदारी से महसूस करते हैं कि यह मिल घाटे में चलता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ईमानदारी से क्या मतलब गवर्नमेंट में बैठ कर !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सेठ साहब ईमानदारी का ठेका तो आपने ही ले रखा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने लास्ट टाइम माननीय सदस्यों के सामने बातें रखी थी उन्हीं को दोहराता हूं । प्रिफरेन्स शेयर्स का इन्टरेस्ट कम है इस वास्ते मार्केट वेल्यू कम है । केपीटल को बढ़ाना था इसलिये रेट इन्क्रीज़ किया गया । अब सरकार को सेफगार्ड यह करना है, जो शेयर्स हैं उसके ऊपर मार्केट वेल्यू जो है उसके साथ ही आपका इन्टरेस्ट आपको मिल जाय, यही तो हमें सेफगार्ड करना है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो पहले भी था ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका पैसा जो प्रिफरेन्स शेयर्स में पड़ा हुआ था उसका इन्टरेस्ट नहीं मिल रहा था........

यही लोन में परिणत हो जाता है । लाजमी तौर से आपको लोन के एवज में इन्टरेस्ट देना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : यही बात मैंने पहले उठायी थी । आपने उस समय इन्कार कर दिया था । मैंने आज से दो साल पहले यह कहा था ।

श्री हरिश्चन्द्र : दो साल पहले इन्कार कर सकते थे । आपको तो ख्वाब आ जाता हैं, लेकिन मुझे तो नहीं आता ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे ख्वाब आया और मेरा ख्वाब इतना सही निकलता है कि दो साल पहले कही हुई बात आज दो साल बाद सही हो रही है । वह तथ्य था जो मैंने हाउस में रखा था ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सवाल नहीं था मुझे मालूम नहीं हुआ । अब आप इसे इस निगाह से देखिये कि यह लोन हो गया है, प्रिफरेन्स और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसकी वेल्यू ठीक से मिले........

श्री भैरोंसिंह : एक तरफ तो यह कहते हैं कि क्युमुलेटेड इन्टरेस्ट था, शेयर्स की वेल्यू बढ़ जाय, शेयर्स की वेल्यू तब बढ़ती है जब कम्पनी प्रोफिट दिखाने की स्थिति में हो । प्रोफिट दिलाने लगे तो जो हमारे शेयर्स हैं उसका इन्टरेस्ट मिलने वाला नहीं । आपका वर्णन यह था कि वह कम्पनी घाटे में है इससे उसका तालमेल नहीं बैठता है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह अर्ज कर रहा था कि लोन में जब कन्वर्ट हुआ तो लोन के कन्वर्शन में साफ अर्थ तो यह रखना है कि उसकी वेल्यू जो है शेयर की वह वेल्यू का पैसा मिल जावे, बैलेन्स जो डिविडेन्ड है वह भी मिल जावे ।

श्री भैरोंसिंह : डिविडेन्ड का सवाल नहीं रहता तब ।

श्री हरिश्चन्द्र : वेल्यू में और जोड़ दीजिये, इन्टरेस्ट और लगा लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होता है । इस तरह का इग्जाम्पल आप हिन्दुस्तान में एक भी बता दें जिसमें शेयर को लोन में कन्वर्ट किया हो ?

श्री हरिश्चन्द्र : आजकल के हिसाब से मैं मानता हूं यह पॉलिसी रही है कि सरकार को पार्टिसिपेट करना चाहिये लेकिन जब इस इन्डस्ट्री में ६२ से लेकर या ६३ से लेकर सरकार को कुछ नहीं मिल रहा था और अब तक नहीं मिल रहा था तो कम से कम इसके सिवाय जब नहीं मिल रहा है तो सरकार के सामने दूसरा चारा क्या है ? सरकार ने उसे लोन में कन्वर्ट किया ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के मेजर शेयर्स थे । बाकी के शेयर कम्पनी ने खरीदे लो रेट में । तो जब पोद्दार उनको लो रेट में खरीद सकता था तो वैसे सरकार भी लो रेट में खरीदती उनको और खरीद कर उस कम्पनी का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में लेती, जैसे आज पोद्दार लेना चाह रहा है और आपको आउस्ट करना चाहता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ले लेते तो चन्दा नहीं मिलता इनको ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : शेअर को लोन में कन्वर्ट करने में आपने कैपिटल का जो एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड था उसको लोन प्लस इन्टरेस्ट से हमने सेफ घोषित करा लिया । पर आप यह क्यों नहीं साथ में देखें कि वह इन्डस्ट्रियलिस्ट, चूंकि आप मेजर शेअर होल्डर थे उसमें जो एक्चुअल प्रोफिट होता था उस प्रोफिट को आपकी मौजूदगी की वजह से वह छिपाता था और इसलिए वह खुद उसको खाने के लिए आपको शन्ट-आउट करना चाहता था और आपको शन्ट–आउट करते ही जो प्रोफिट अब तक वह छिपाता था वह स्पष्ट दिखाई देने लग गया । कम्पनी, जो पहले जब तक आप मेजर शेयर होल्डर थे तब तक नुकसान में थी, अब डिविडेन्ड देने लग गई और जो फेबुलस डिविडेन्ड होने लग गया है उसमें आपको हकदार नहीं रहने दिया है । आपको केवल लोन और उसके इन्टरेस्ट का हकदार मात्र बना दिया है । जो मेजर मुनाफा आपको मिल सकता था अब वह आपने खो दिया ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो प्रिफरेन्स शेअर कम्पनी में थे उसमें रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्या था और लोन में कन्वर्ट करने पर क्या रेट रही ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आप अतिरिक्त प्रश्न पूछ लें ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह आपको बखूबी मालूम है कि इस इन्डस्ट्री ने आज तक एक पैसा नहीं दिया तो सरकार को जब पैसा नहीं आया तो सरकार के सामने चारा यही था कि इस चीज को बेस्ट तरीके से, नेगोशियेट करके सरकार की मनी को सेफ गार्ड करके और उस पर से मेग्जिमम चीज निकाल

(श्री हरिश्चन्द्र)

कर सेफली इस चीज को बांध दी । इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे ज्यादा यह कर सकते थे कि मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते । शेयर जैसे उसने खरीद लिए वैसे आप खरीद सकते थे; मेजर शेयर होल्डर आप थे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के इस कदम से यह नतीजा निकलता है कि जो मेग्ज़िमम इकोनोमिक बेनिफिट उसे मिल सकता था वह नहीं मिला । अगर मिलता तो मुबारिकबाद देते । पर वास्तविकता यह है कि सरकार ने मेग्ज़िमम एडवान्टेज को नहीं लिया । शेयर भी लेते और डिविडेन्ड भी ।

श्री हरिश्चन्द्र : टेकिंग ओवर लीगली हो सकता है....

श्री भैरोंसिंह : लीगली हो सकता था । आपके भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रामण्यम् । उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इस कम्पनी में झूठा हिसाब दिखाया जाकर घाटा दिखाया जा रहा है और इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए । वह सुखाड़ियाजी ने विशिएट कर दी ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है । शायद ऐसी बात हुई होती तो चीफ मिनिस्टर साहब जरूर एन्क्वायरी कराते ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहने को तैयार हूं कि यह सही है और गलत हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र : आप एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसका स्पष्टीकरण ठीक से आपके सामने आता है, तो एक्वायर क्यों नहीं किया, यह बात आ जाती है, तो एक ही भाषा पर चलिये ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने एक इन्डिपेन्डेन्ट ऑडिटर मुकर्रर किया कि शेयर की क्या वेल्यू है, मार्केट वेल्यू क्या है, तुम खोज कर निकालो, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि हमारी ओपीनियन में इसकी वेल्यू ६१ है । अब सरकार ने यह किया कि जो ऑर्डिनरी शेयर है उसकी वेल्यू ६१ पर नहीं फिक्स करते हुए १२० रुपया पर फिक्स की है यानी १२० रुपया ऑर्डिनरी शेयर के हिसाब से उसकी वेल्यू वे लेंगे और उसके ऊपर भी जो हैं आपको ७ परसेन्ट इन्टरेस्ट मिलेगा प्लस डिविडेन्ड का एक पर्सेन्ट मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : बैंक रेट ६।। परसेन्ट है, तो आपने क्यों सात परसेन्ट माना ?

श्री हरिश्चन्द्र : बैंक रेट तो अब बढ़ी है ।

श्री भैरोंसिंह : कब हुआ यह एग्रीमेंट, लोन में कनवर्ट करने का ?

श्री हरिश्चन्द्र : डेट मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : साल बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं यह मान लूं कि इस विषय को चलावें या आगे बढ़ें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस तरह से तो रात के १२ बज जावेंगे, उपाध्यक्षजी।

श्री हरिश्चन्द्र : इस तरह प्रिफरेन्स शेयर हैं जो पार-वेल्यू हैं; उसके अलावा Further amount on the basis of dividend......

श्री भैरोंसिंह : इससे फर्क नहीं पड़ता।

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेन्ट को एलिमिनेट करने के लिये ५० भी दे दें तो फायदा है।

श्री भैरोंसिंह : रुपये के दोनों तरफ हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : इधर की बात भी कर ली और उधर की बात भी कर ली।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है। विधान सभा में आपको एक तरफ कांग्रेसी दिखेंगे और एक तरफ विरोधी दल दिखेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : आप दोनों तरफ दिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी ऐसा ही समझता हूं। मेरी इम्पोर्टेन्स ऐसी ही है। इधर भी बैठा दिखता हूं और उधर भी बैठा दिखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका आतंक उन पर इतना सवार है कि आपको सभी तरफ ये दिखाई देते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : तो मैं यह कह सकता हूं कि प्रिन्सिपली पॉलिसी गलत हो सकती है। पर उसमें कोई कम्पल्शन नहीं है। सरकार लोन में भी कन्वर्ट करा सकती है और शेयर भी ले सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार राइट ऑफ भी कर सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र : जो शेयर सरकार ने लिए उसका बिटर एक्सपीरियेन्स यह हुआ कि ६२ से लेकर आज तक एक पैसा नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : वह पैसा जाता रहा हमारा।

श्री हरिश्चन्द्र : इसी वास्ते सरकार ने कन्वर्ट करके इसे सिक्योर कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : कोई सिक्योरिटी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : उस लोन को सिक्योर किया और इसके बाद उस पर आपको इन्टरेस्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो इस सदन को निवेदन किया है कि सरकार का पैसा सुरक्षित है। नहीं

(श्री हरिश्चन्द्र)

है, यह तथ्य से परे है । सरकार ने बिल्कुल उसकी सुरक्षा की हैं और इसके अलावा यह देखा है कि जो पैसा लगा है उसका रिटर्न पर्याप्त मात्रा में सरकार को मिल जावे और जो पैसा कन्वर्ट हुआ है उसकी सिक्योरिटी भी सरकार ने ली है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : पोद्दारजी की आपने बहुत सुरक्षा की है । इस पोद्दार पॉलिसी के लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं इन दोनों के बीच का सवाल पूछता हूं । मैंने दस रुपये लिये आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : आप अटका देंगे ऊपर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने दीजिये साहब इनको ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने दस रुपये उधार लिये आपसे । मैं तो दूं नहीं और आप ब्याज लगाते रह जाते हैं । क्या करें, दिवालिया हैं ? क्या करें, क्या ? आप को सूट फाइल करके कब्जा करना चाहिये था उस पर ।

(हियर-हियर)

क्या नहीं कर सकती सरकार ? तो आपकी कमाई हुई कमाई पहले आपके कब्जे में लेते, फिर अच्छा लगे तो फिर देंगे । पर यह नहीं समझ में आता कि आप उसका ब्याज कमाते हैं, जिसके लिये इन्वेस्ट करते हैं, डूब जाते तो डूबना समझ में आ सकता है, पर यहां तो अपने पैसे की चिन्ता नहीं, डूबते हुए लोगों को बचाया जाता है । मुर्दों पर हन्टर चलाने की बात कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं समझता हूं कि इस डिबेट को जल्दी ही समाप्त किया जाये ।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समाप्त ही करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वह माननीय सदस्यों के नजर में आया । इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are trying in vain to wash the dirty linen of Sukhadia-Poddar bag.

श्री हरिश्चन्द्र : Please understand me......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! Please carry on.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसके लिए महसूस करता हूं कि जो सरकार ने पैसा लगाया था उसको सरकार ने सुरक्षित किया है । उसका जो लाभ होना चाहिए उस लाभ के हिसाब से जो उसकी कन्वर्ट वेल्यू की गई है, लोन के अन्दर वह सही की गई है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है । मैं इन शब्दों के साथ आपसे अर्ज करता हूं कि मांग को स्वीकार किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह : अलॉटमेंट ऑफ कोटा का क्या हुआ ? कोटा खा गये, उसका क्या हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरे भी, सीमेंट फैक्टरी के बारे में दो केसेज़ थे उनका कोई जवाब नहीं दिया ।

कुछ विरोधी सदस्य : जवाब दीजिए

(शोरगुल–"जवाब दीजिए" की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष-जी, सीमेंट फैक्टरी सवाई माधोपुर के बारे में दो कॉन्क्रीट बातें मैंने कहीं थी । एक तो फलौदी क्वेरी के अन्दर काफी रॉयल्टी का गबन किया है...

श्री चन्दनमल वैद (उप–मन्त्री, उद्योग) : वह तो माइन्स का सवाल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ...दूसरा मैंने कहा था कि सवाई माधोपुर फैक्टरी को जमीन अलॉट की गई है । बिना किसी चार्ज के जो कि बड़ी क़ीमती है और लाखों रुपये की जमीन है । तीसरी बात मैंने आंइरन फैक्टरी के बारे में कही थी कि जितनी जमीन अलॉट की है वह कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि पर भी कब्जा कर रहे हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : झुंझुनू वाले ने जो कोटा लिया है उसका क्याबा हु ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कोटा का ब्लैक मार्केट किया गया, उसका तो जवाब दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्य सब सामने आ चुके हैं । अगर इसमें मतभेद हो तो मांग जब वोट के लिए रखी जाये तो कुछ कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो सदन में व्यवस्था दी थी उसके अनुसार यह था कि बीच में हस्तक्षेप न करते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : बीच मे हस्तक्षेप हो चुका ।

श्री भैरोंसिंह : मेरी बात पहले सुन लीजिए । आपने कल रूलिंग दी थी बीच में हस्तक्षेप न करते हुए यदि कोई तथ्यातथ्य की बात रह जाये तो भाषण समाप्त हो जाये तो उसके बाद जानकारी कर लें । अब भाषण समाप्त हो चुका है और हम कोई जानकारी करना चाहते हैं तो आप बन्द करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि यह व्यवस्था देने के बाद भी जो प्रश्नावली बीच मे चलती रही वह कोई कम नहीं थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आपकी व्यवस्था के अनुसार इन्टर-पोलेशन था ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

Page No 164

श्री भैरोंसिंह : केवल एक जानकारी दे दें कि कोटा के मिस–युटीलाइज़ेशन के बारे में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया और मैंने भी कुछ बातें रखीं; वे चार्जेज़ सही हैं या गलत ? इतना ही कह दें कि वे सही हैं या गलत ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप इतने रेस्पोन्सिबल जनसंघ के नेता होकर ऐसी बात करते हैं। आप खड़े होकर कह दें, लेकिन ऐसा डिसीज़न मैं नहीं दे सकता और न कमिटमेंट कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५१,११,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री भैरोंसिंह : आप यह तो कहें कि उसकी जांच करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : हां, हां...

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या २१ स्वीकृत हुई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,२०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १४ स्वीकृत हुई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२३,०१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकृत हुई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६ बजकर ५६ मिनट पर कल दिनांक २५ मार्च, १९६५ के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हुई)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४९८ का उत्तर देखिये)

तालिका

धारा १७ (४) पंचायत अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत सरपंचों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही का विवरण

क्र० सं०	नाम पंचायत	नाम सरपंच	कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४
१.	चान्डी	१. श्री राजेन्द्रसिंह	राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सुनवाई का दिनांक २२-३-६५ नियत है।
२.	बोरावड़	२. श्री माधोराम उप-सरपंच	राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सुनवाई का दिनांक ५-४-६५ का नियत है।
	बोरावड़	श्री माधोराम	दिनांक ११-१-६५ को उप-जिला विकास अधिकारी, नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
	बोरावड़	श्री माधोराम ३. श्री भंवरलाल पूर्व सरपंच	दिनांक २-९-६४ को अतिरिक्त कलेक्टर, नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
३.	चान्डी	४. श्री मोहनाराम पूर्व सरपंच	दिनांक १०-११-६४ को उप जिला विकास अधिकारी को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर से राजगढ़ और अलवर तक १३२ के० बी० ट्रान्समिशन लाइन

५०५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही हैं कि सरकार ने इसी वर्ष जयपुर से राजगढ़ और अलवर तक १३२ के० बी० ट्रान्समिशन लाइन डालने का कार्य चालू वर्ष में ही शुरू करने का निर्णय लिया था ?

(२) क्या इस लाइन पर ट्रान्समिशन लाइन डालने का कार्य शुरू किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नही ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(३) क्या यह सही है कि इस लाइन को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर अन्दर पूरा करने का प्रावधान किया गया था ?

(४) अब सरकार का इरादा इस ट्रान्समिशन लाइन को कब तक पूरी करने का है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कार्य शुरू कर दिया गया है। जयपुर राजगढ़ अलवर लाइन ८३ मील लम्बी है। इसमे ७५ मील की सर्वे हो चुकी है व ५ मील सर्वे शेष रही है ।

(३) जी नहीं ।

(४) अनुमान है कि वह कार्य अक्टूबर, ६६ तक शुरू हो जायगा ।

पंचायत समिति गिरवा की रूरल हाउसिंग स्कीम

५०६. श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या पंचायत समिति गिरवा में कोई रूरल हाउसिंग स्कीम बनाई गई है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ? और इसको बनाने में कितना समय लगेगा ?

(३) क्या किसी गांव में रूरल हाउसिंग की मद से पैसा खर्च किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) जी हां।

कोटा से कस्बा थाना तक टार रोड

५०७ श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा से कस्वा थाना तक टार रोड बनाने की स्वीकृति तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क हेतु अभी तक बजट स्वीकृत नहीं किया गया ?

(३) जो एस्टीमेट उक्त सड़क के लिये बना कर भेजा गया वह स्वीकृत क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(१) बारां-शाहबाद सड़क पर ५३ माइल मे पार्वती नदी तक डामर हो चुका है ।

४० मीलों में डामर कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत है ।

(२) जी हां ।

(३) अर्थाभाव के कारण ।

प्राईवेट बसों व ट्रकों पर विभिन्न टैक्सों की बकाया धनराशि

५०८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में प्राइवेट बसों और ट्रकों से वसूल होने वाले विभिन्न टैक्सों के रूप में सरकार की कितनी रकम बकाया है ?

उत्तर

प्राइवेट बसों और ट्रकों से राजस्थान यात्री एवं माल कर की ३१ मार्च, १९६५ तक की निर्धारित मांग (assessed demand) की बकाया रकम दिनांक ३१ दिसम्बर, को १७,६६,७३३ रुपये थी व मोटर व्हिकलस् टैक्स के तहत बाकी रकम यातायात विभाग द्वारा दिनांक ३१-१२-६४ को ९,५३,९१७ रुपये बताई गई है ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, कर्जों

५०९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम सेवा सहकारी समिति, कर्जों, पंचायत समिति नीम का थाना, जिला सीकर का पंजीयन कब हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति में श्री बजरंग एवं श्री हरफूलसिंह नामक व्यक्तियों को वैतनिक मंत्री रखा गया ? यदि हां, तो कब व कितने रुपये माहवार पर ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति कभी भी समिति में कार्य करने हेतु नहीं आये ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप में रुपयों का भुगतान भी नहीं किया गया तथा उनके हाथ की रसीद भी समिति में नहीं है ?

Page No 168

(५) क्या इस समिति के खजान्ची ने यह बयान दिये हैं कि यह सब फर्जी कार्यवाही विभाग के कुछ कर्मचारियों ने की है ?

(६) क्या इस सम्बन्ध में विभाग ने कोई जांच करवाई है ?

उत्तर

(१) ग्राम सेवा सहकारी समिति, कर्जो पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर का पंजीयन दिनांक २३-३-६१ को हुआ। इसे ६०-६१ में २००) रु०, ६१-६२ में २००) रु० व ६२-६३ में १००) रु० व्यवस्थापन हेतु अनुदान तथा दिनांक १३-६-६१ को ५०००) रु० व ६-८-६४ को ३३००) रु० अल्पकालीन ऋण कृषि कार्य हेतु दिया गया।

(२) जी हां। निम्न व्यक्तियों को उनके सामने दी गई तिथि को वेतन पर रखा :

	दिनांक नियुक्ति	वेतन प्रति माह
(१) श्री हरफूलसिंह	२२-६-६१	२५) रु०
(२) श्री बजरंग लाल	१-३-६२	२५) रु०
(३) श्री हरफूलसिंह	१-६-६३	२५) रु०

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर देखिये)

राजकीय आयुर्वेदिक भवनों की सूची

(जिला सवाई-माधोपुर से)

(१) सुरवाल
(२) खिलजीपुर
(३) कुण्डेरा
(४) बहरावड़ा खुर्द
(५) पीपलदा
(६) मलराना चौर
(७) मित्रपुरा
(८) वजीरपुर
(९) पीपलाई
(१०) अमराधरा
(११) गुढाचन्दजी।
(१२) सूरोठ
(१३) बरगांवा
(१४) मंहू
(१५) खेड़ला
(१६) गढ़ हिम्मतसिंह
(१७) मण्डावर
(१८) अतेवा
(१९) कैलादेवी
(२०) कुड़गांव
(२१) आलनपुर
(२२) पीपलवाड़ा
(२३) खेड़ारामगढ़
(२४) पावटा
(२५) इडियारोत
(२६) आंडमीरा
(२७) चैनपुर
(२८) सुन्दरपुरा

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-बुधवार, दिनांक २४ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५०४९	३	बन	वन
,,	७	साभ करने	साफ करने
५०५०	८	दी गइ	दी गई
५०५२	अन्तिम से ३	बिभाग	विभाग
५०५९	१२	में एक साथ	एक साथ
५०६०	प्रथम	श्रो चन्दनमल	श्री चन्दनमल
,,	२	रीआँगनाइज	रीऑर्गेनाइज़
,,	अन्तिम से २	सह) :	सिंह) :
५०६१	१२	दुर्गाशक्र र	दुर्गाशंकर
५०६२	अन्तिम से ३	भकान के	मकान के
५०६४	१९	में है	में हैं।
५०६८	अन्तिम से ७	श्री श्रयणलाल	श्री श्रवणलाल
,,	अन्तिम	पेंडिग है ?	पेंडिग हैं ?
५०६९	प्रथम	तव कव	कब कब
५०७० व			
५३१८	शीर्षक	२४ माच	२४ मार्च
५०७३	प्रथम	वष	वर्ष
५०७७	अन्तिम से ५	षंजम	पंजाब
५०७९	२०	धास कट	घास कट
५०८१	१२	श्री कुप्णकुमार	श्री कृष्णकुमार
५०८३	अन्तिम से ४	नमरपालिका	नगरपालिका
५०८४	अन्तिम	श्री श्रवणलाल-	श्री श्रवणलाल ।
५०८५	शीर्षक	अ. स. के ता. प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५१०१	अन्तिम से ३	सार्वजनिक मंत्री	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
५१०२	१४	रोड़ है	रोड है
५११८	४	मंत्र)	मंत्री)
५१२४	३	धारू	घारू
५१२८	६	समितियों। नियोजन	समितियों नियोजन
५१५५	१६,१७,२०, २९ व ३१	फ़ूलर्स	फुलर्स

१	२	३	४
५१५६	६	फूलरर्स	फुलर्स
५१६२	१५	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
५१८२	शीर्ष	(श्री रावतराव)	(श्री रावतराम)
५१८३	१६	सोसईटी	सोसाइटी
५१६६	२०	धारू	वारू
५२१५	६	बनते हैं।	बनते हैं ?
५२१६	३	श्री उपाध्त ।	श्री उपाध्यत्त
,,	४	श्री ज्वालाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
५२२५	५	कम्प्लिशमेंट	एकम्प्लिशमेन्ट
५२३४	शीर्षक	२४ मा	२४ मार्च
५२३७	२०	वित्तमत्री	वित्त मंत्री
५२४०	६	(मांड्ल)	(मांडल)
५२५०	८	सैलरिया	सैलेरियां
५२५३	१६	इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स	इन्डस्ट्रियलिस्ट्स
५२६८		उद्याग	उद्योग
५२७७	अन्तिम से ३	मंत्री,)	मंत्री)
५२८६	,, ,, २	श्री माथुरदास	श्री मथुरादास
५२६०	३ व २५	श्री मथरादास	श्री मथुरादास
५३१४	अन्तिम से ७	ड्रिलिग	ड्रिलिंग
५३१६	२३	रायलटी	रॉयल्टी
५३२४	अन्तिम से ५	कार्यवाहा	कार्यवाही
५३२७	६	क्वाल्टिी	क्वालिटी
,,	८	वहार भी	बाहर भी
५३४७	अन्तिम से २	भुगताना पड़ता	भुगतना पड़ता
५३५१	१०	नानलोट	नाइलोन
५३५१	१६	figvures...... कोट।	figures......कोटा
५३७०	शीर्षक	२४ मच	२४ मार्च
५३७४	अन्तिम से ३	टाबरिवा	टाबरिया
५३८३	४	से	में